सृजन सम्पदा

वर्ष 2022-2023 अंक 1

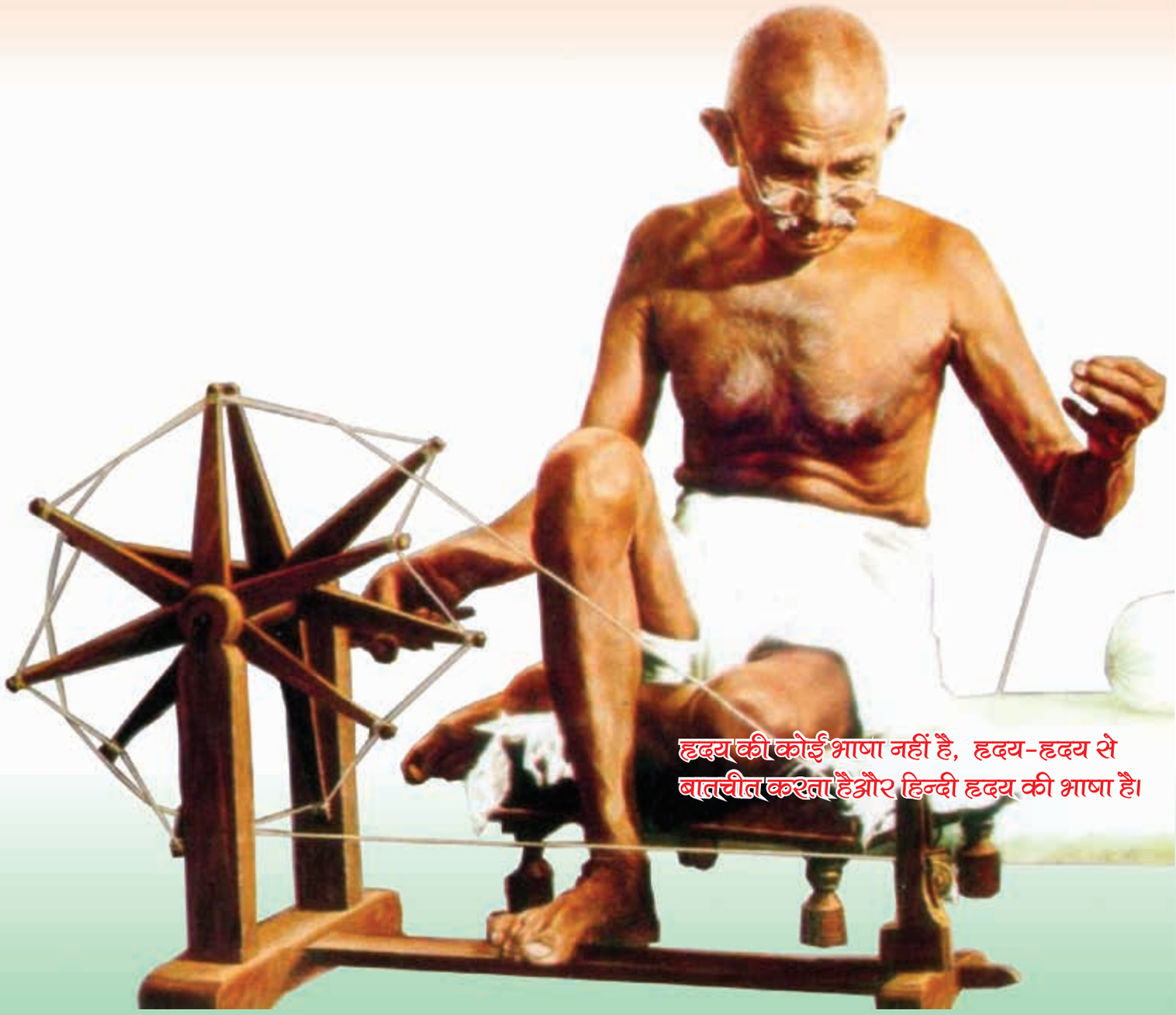

हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय-हृदय से बातचीत करता है और हिन्दी हृदय की भाषा है।

कार्यालय
अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रपति सम्पदा
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

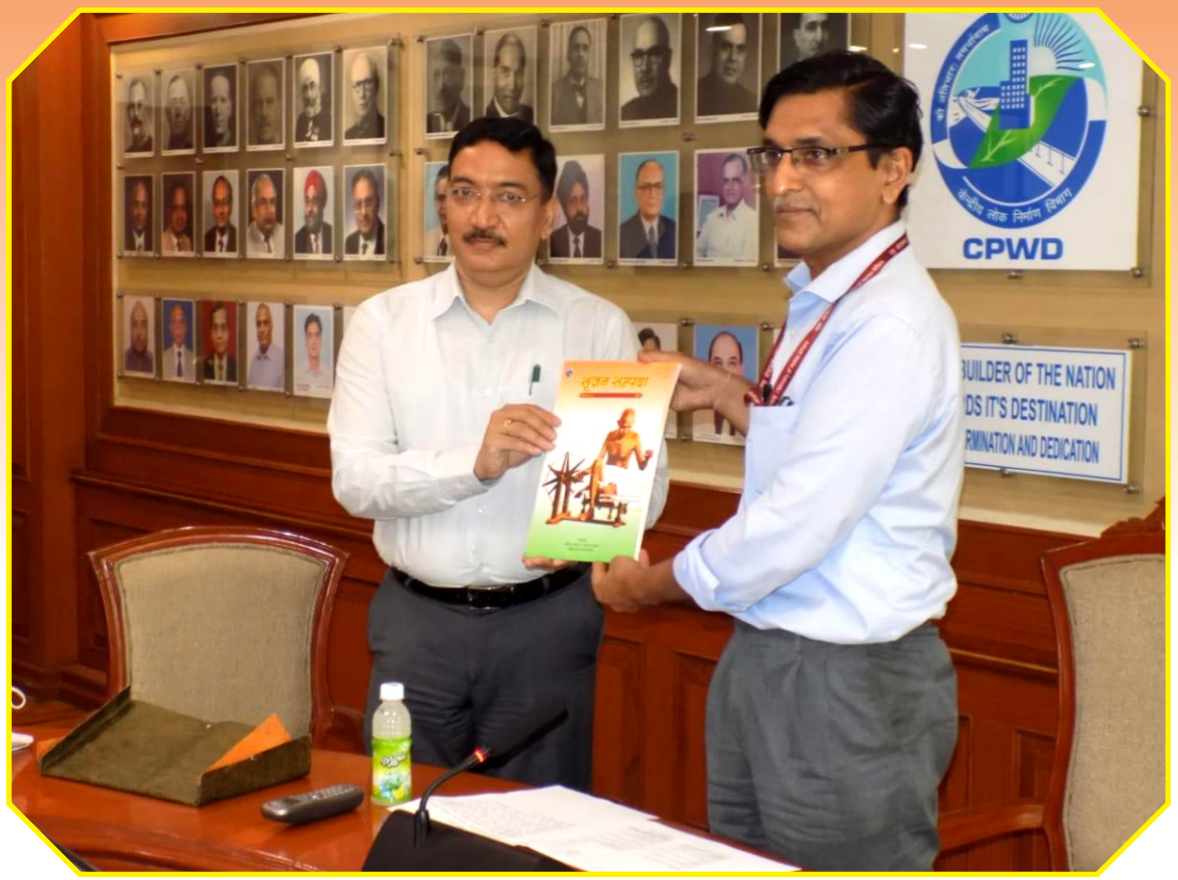

अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रपति सम्पदा कार्यालय की गृह पत्रिका 'सृजन सम्पदा' पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन करते हुए महानिदेशक, के.लो.नि.वि.

कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है
जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में
मुठ्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही जय जयकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

-सोहनलाल द्विवेदी

सृजन सम्पदा

वर्ष 2022-2023 अंक 1

अपनी भाषा अपनाने को
तुम हिन्दी विद्यार्थी भूल गए
उपदेश दिया जो ग्रंथों में
तुम उसे सुनना-सुनाना भूल गए।

-जैनेन्द्र प्रसाद

मुख्य संपादक
अनुराग खरे
अधीक्षण अभियंता

संपादक
डॉ. स्वीटी यादव

संपादन सहयोग
के.वाय.सिंह, कार्यपालक अभियंता
वैभव जैन, कार्यपालक अभियंता
प्रवीन सिंह परिहार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी

परामर्श
पंकज दीवान
पूर्व सहायक निदेशक, के.लो.नि.वि.

कार्यालय
अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रपति सम्पदा
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004

मुद्रक: एक्सेलप्रिंट, सी-36, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-110055

भाषा हमारे माथे की बिंदिया है जो जन-जन में समरसता और संवाद में सहजता का आविर्भाव कराती है तथा सभी को एक सूत्र में बाँधती है। भाषा उस नदी के समान है जो शीतल, मधुर जल से मानव मात्र को आप्लावित करती है, सुखों-दुखों में साथ निभाने का हौसला बढ़ाती है। विश्व के एकीकरण तथा विश्व को एक सूत्र में आबद्ध करने में भाषा से अधिक कोई भी तत्व बलवती नहीं हो सकता।

-लोकमान्य तिलक

अनुक्रमणिका

- ❖ आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्व.प्र.) का संदेश 5
- ❖ गृह राज्य मंत्री (एन) का संदेश 6
- ❖ गृह राज्य मंत्री (ए एम) का संदेश 7
- ❖ गृह राज्य मंत्री (एन पी) का संदेश 8
- ❖ सचिव (रा.भा.) का संदेश 9
- ❖ महानिदेशक, के.लो.नि.वि. का संदेश 11
- ❖ अपर महानिदेशक (क्षे. दिल्ली), के.लो.नि.वि. का संदेश 12
- ❖ मुख्य संपादक की कलम से 13
- ❖ संपादकीय 15
- ❖ गृह राज्य मंत्री श्री निशिथ प्रामाणिक का साक्षात्कार 17

क्रम सं.	शीर्षक	रचनाकार	पृष्ठ सं.
4.	स्थापत्य और तकनीक की अद्वितीय धरोहर-राष्ट्रपति भवन	अनुराग खरे	21
5.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बदौलत अद्भुत तकनीकें आई हैं हिन्दी में	बालेन्दु शर्मा दाधीच	24
6.	राजभाषा हिन्दी - बाधाएँ और समाधान	अमिताभ खरे	26
7.	अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं हैं, यहीं है....	उमेश बंसल	29
8.	संविधान और हम	साकेत सहाय	32
9.	राष्ट्रपति भवन परिसर में आरोग्य वनम् का विकास निर्माण	वैभव जैन	34
10.	राजभाषा हिन्दी : चुनौतियाँ एवं समाधान	डॉ. महेश चन्द्र गुप्त	35
11.	अविस्मरणीय क्षण	के.वाय. सिंह	42
12.	पुर्तगाल में हिन्दी	प्रो. शिव कुमार सिंह	43
13.	जीवन और सिस्टम	अनंत यादव	47
14.	सी.पी.डब्ल्यू डी: नया भारत	अनंत यादव	47

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखकों/रचनाकारों के अपने हैं। राष्ट्रपति सम्पदा कार्यालय का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

15.	अनुवाद की भाषा के रूप में राजभाषा हिन्दी की चुनौतियाँ	प्रो. (डॉ.) कृष्ण कुमार गोस्वामी	48
16.	राजभाषा हिन्दी	प्रवीन सिंह परिहार	51
17.	मीडिया में हिंदी की सार्थकता	सविता चड्ढा	53
18.	गुजरा जमाना याद आता है...	सौरभ कुमार	56
19.	खुद को इतना न कुरेदिए	गौरव कुमार	56
20.	हिन्दी समाचार माध्यमों द्वारा हिन्दी अंग्रेजी मिश्रित...	पंकज दीवान	57
21.	मुँह लटकाये फिर लौटे हैं	संजीव कुमार सिंह	60
22.	पिता	संजीव कुमार सिंह	60
23.	भारत की स्वाधीनता में साहित्यकारों का योगदान	डॉ. राकेश बी. दुबे	61
24.	बचपन	लोकेश यादव	64
25.	मैं नारी हूँ	प्रेरणा कुमारी	64
26.	राजभाषा के प्रयोग में सरलता और व्यावहारिकता	राकेश कुमार	65
27.	सच और झूठ	रविन्द्र कुमार जोशी	68
28.	मेरा गाँव	रविन्द्र कुमार जोशी	68
29.	भाषा का मसला संविधान से अधिक स्वाभिमान का है	अलका सिन्हा	69
30.	पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य की यात्रा	मनोज कुमार	71
31.	मेरी रोजी-रोटी मेरा महकमा	जे.पी. सिंह	73
32.	एक कृति का सृजन	जे.पी. सिंह	73
33.	कार्यालयी हिन्दी कैसी हो?	प्रेम सिंह	74
34.	तकनीकी कुशलता का एक दृष्टांत	वेद प्रकाश	76
35.	गुरू-दक्षिणा	गौरव व्यास	78
36.	हिन्दी भाषा कल और आज	आशीष	80
37.	वर्तमान में हिन्दी की दशा और दिशा हिन्दी में रोजगार...	डॉ. पूरन चंद टन्डन	81
38.	स्वभाषा की पैरवी करती शिक्षा नीति-2020	अनिल शर्मा जोशी	84
39.	जनहित याचिका	रश्मि बंसल	86
40.	नारी-अस्मिता	शशि कुमार	89
41.	प्रेरक तथ्य	राम जनम चौधरी	89
42.	लालबत्ती की लालसा	उत्कर्ष कुमार सौरभ	90
43.	मेरी यादों में मेघालय	उत्कर्ष बंसल	92
44.	सफल व्यक्ति के गुण	बृज भूषण शर्मा	95
45.	कविता कर्म से	के.वाय. सिंह	97
46.	काश मैं कुछ कर पाता	विनोद प्रसाद श्रीवास्तव	97
47.	जल में जीवन	आरूषि परिहार, नन्दिनी परिहार	98
48.	गज कितना बड़ा	के.बी. सिंह	99
49.	हिन्दी पहचान हमारी	दीपक कुमार	102
50.	आओ करे हिन्दी का सम्मान	दीपक कुमार	102
51.	संघर्ष ही जीवन है	सुमन लता	103
52.	बदलाव	सुभद्रा यादव	105
53.	मुहाजिर	नवीन कुमार सिंह 'नवीन'	105
54.	राष्ट्र लिपि : देवनागरी	डॉ. हरिसिंह पाल	106
55.	महान हिन्दी प्रचारक: फादर कामिल बुल्के	डॉ. स्वीटी यादव	111
56.	नेमी कार्यालय टिप्पणियाँ		113
57.	संघ की राजभाषा नीति विषयक महत्त्वपूर्ण जानकारी	डॉ. स्वीटी यादव	115
58.	यशोधरा	मैथिलीशरण गुप्त	117

शक्ति और क्षमा

क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल
सबका लिया सहारा,
पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे
कहो, कहाँ, कब हारा?

क्षमाशील हो रिपु-समक्ष
तुम हुये विनत जितना ही,
दुष्ट कौरवों ने तुमको
कायर समझा उतना ही।

अत्याचार सहन करने का
कुफल यही होता है,
पौरुष का आतंक मनुज
कोमल होकर खोता है।

क्षमा शोभती उस भुजंग को
जिसके पास गरल हो,
उसको क्या जो दंतहीन,
विषरहित, विनीत, सरल हो।

तीन दिवस तक पंथ मांगते
रघुपति सिन्धु किनारे,
बैठे पढ़ते रहे छन्द
अनुनय के प्यारे-प्यारे।

उत्तर में जब एक नाद भी
उठा नहीं सागर से,
उठी अधीर धधक पौरुष की
आग राम के शर से।

सिन्धु देह धर त्राहि-त्राहि
करता आ गिरा शरण में,
चरण पूज दासता ग्रहण की
बँधा मूढ़ बन्धन में।

सच पूछो, तो शर में ही
बसती है दीप्ति विनय की,
सन्धि-वचन संपूज्य उसी का
जिसमें शक्ति विजय की।

सहनशीलता, क्षमा, दया को
तभी पूजता जग है,
बल का दर्प चमकता उसके
पीछे जब जगमग है।

-रामधारी सिंह 'दिनकर'

हरदीप एस पुरी
HARDEEP S PURI

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
नागर विमानन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री
भारत सरकार
Minister of State (I/C), Housing & Urban Affairs
Minister of State (I/C), Civil Aviation
Minister of State, Commerce & Industry
Government of India

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रपति सम्पदा, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा **'सृजन सम्पदा'** (वार्षिक हिंदी पत्रिका) का प्रकाशन किया जा रहा है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार, सृजनात्मक लेखन में हिंदी की गृह पत्रिकाओं का विशेष महत्व है।

हिंदी भारत के बहुत बड़े जनसमुदाय की बोलचाल की भाषा है। यह भारत जैसे बहुभाषी देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधकर रखती है। यही कारण है कि महात्मा गाँधी ने हिंदी को हृदय की भाषा कहा है।

भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है बल्कि यह वह झरोखा भी है जिससे हम किसी समाज, संस्कृति, परंपरा और इतिहास से परिचित हो सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रपति सम्पदा, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कार्यालय राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन करते हुए राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु तत्पर और प्रतिबद्ध है।

मुझे विश्वास है कि **'सृजन सम्पदा'** रचनात्मकता के नए आयाम रचेगी और हिंदी के प्रयोग और प्रोत्साहन की दिशा में एक प्रमुख पत्रिका सिद्ध होगी। पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं।

(हरदीप एस पुरी)

नई दिल्ली
15 मार्च 2021

Office:- Room No. 104-C, Nirman Bhawan, New Delhi-110011; Phone: 011-23061166, 23061162, 23062089 (Fax)

नित्यानन्द राय
NITYANAND RAI

सत्यमेव जयते

गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली – 110001

MINISTER OF STATE FOR
HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
NORTH BLOCK,
NEW DELHI - 110001

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रपति सम्पदा, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली कार्यालय द्वारा, अपनी हिन्दी वार्षिक गृह पत्रिका- "**सृजन सम्पदा**" (वार्षिक हिंदी पत्रिका) का प्रकाशन किया जा रहा है।

कार्यालय द्वारा की गई इस पहल के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार की हिन्दी गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन से सरकारी कार्यालयों में न केवल हिन्दी का व्यापक प्रसार-प्रचार होता है, बल्कि वहां काम करने वाले कार्मिकों को भी अभिव्यक्ति का एक मंच मिलता है। संघ सरकार की राजभाषा नीति को बढ़ावा देने के लिए भी इस प्रकार की पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपनी भाषा में, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकाशित करना निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय गौरव की बात है।

मैं पुनः इसके लिए पत्रिका से जुड़े सभी अधिकारियों और कार्मिकों को बधाई देता हूँ तथा पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनायें प्रेषित करता हूँ।

(नित्यानन्द राय)

23 फरवरी, 2021

नई दिल्ली।

Office Tel. : 011-23092870, 23092595, Fax No. : 011-23094896

अजय कुमार मिश्रा
AJAY KUMAR MISHRA

सत्यमेव जयते

गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने एवं कार्मिकों के सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रपति सम्पदा, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 'सृजन सम्पदा' (हिंदी पत्रिका) का प्रकाशन किया जा रहा है।

हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, जिसका व्याकरण अद्वितीय है जिसमें व्यक्त विचार प्रभावी होते हैं। गृह पत्रिका 'सृजन सम्पदा' के प्रकाशन से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी लेखन क्षमता उजागर करने का एक सशक्त मंच मिलेगा वहीं इस पत्रिका के प्रकाशन से विभाग के कार्यकलापों की नई -नई सूचनाएं लोगो को लाभान्वित करेगी।

मेरा विश्वास है कि यह मासिक पत्रिका इस उद्देश्य में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इस पत्रिका के उद्देश्यपरक प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

(अजय कुमार मिश्रा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : **06.12.2021**

Office : Room No. 127, North Block, New Delhi-110 001 Tel. : 23094054 Fax : 23093549
E-mail : ajay.kumar19@sansad.nic.in

निशिथ प्रामाणिक
NISITH PRAMANIK

सत्यमेव जयते

गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA

10 DEC 2021

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रपति सम्पदा, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा हिंदी पत्रिका 'सृजन सम्पदा' का प्रकाशन किया जा रहा है।

भारत अपनी प्राचीन सभ्यता, भाषा और संस्कृति तथा गौरवशाली इतिहास के लिए दुनिया भर में विशिष्ट स्थान रखता है। "वसुधैव कुटुंबकम" भारत की उदार सांस्कृतिक चेतना एवं वैश्विक दृष्टि का प्रतीक है और हिंदी भारतीय चिंतन की स्वाभाविक विकास धारा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, विशेषकर हिंदीतर भाषी विद्वानों और समाज-सुधारकों ने हिंदी को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। गुरुदेव रबीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, डॉ. अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी जैसे देश के विभिन्न क्षेत्रों के कई देशभक्त महापुरुषों ने हिंदी को पूरे भारतवर्ष की एकमात्र संपर्क भाषा माना और उसे ही आजादी की लड़ाई का माध्यम बनाया। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया।

संघ की राजभाषा होने के कारण यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम हिंदी के विकास के लिए कार्य करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में राजभाषा हिंदी के संवर्धन की दिशा में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि संविधान द्वारा दिए गए दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें।

राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और केन्द्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी में सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने में हिंदी गृह पत्रिकाओं का विशेष महत्व है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकारी कामकाज में हिंदी को शासन और प्रशासन की भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान के साथ हिंदी के प्रचार, प्रसार एवं प्रयोग में भी "सृजन सम्पदा" पत्रिका सफलतापूर्वक अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी।

पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों की सराहना के साथ ही पत्रिका के सफल प्रकाशन और भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(निशिथ प्रामाणिक)

Office : Room No. 127-A, North Block, New Delhi-110 001 Tel. : 23092123 Fax : 23093143
E-mail : mos.home@mha.gov.in

डॉ सुमीत जैरथ, आई.ए.एस.
सचिव
Dr. SUMEET JERATH, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

पत्र सं0- 11014/08/2019-रा.भा.(पत्रिका)

दिनांक : 22 फरवरी, 2021

संदेश

अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रपति सम्पदा, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु अपनी वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका **"सृजन सम्पदा"** का प्रकाशन कर रहा है|

2 स्वतंत्रता के बाद, 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था| संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है| संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके| राजभाषा संकल्प, 1968 के अनुसार हमें राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु और अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार करना है|

3 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच-बिन्दु बनवाएं और उपाय करें| **राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना पर आधारित होने के कारण**

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

आपसे यह अनुरोध है कि एक उत्साहवर्धक वातावरण सृजित कर सभी अधीनस्थ अधिकारियों को मूल कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित करें|

5 **राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था- " राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है|** " यह सर्वविदित है कि राष्ट्र निर्माण में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है| आज हिंदी का महत्व जनभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा और वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ रहा है|

6 हिंदी एक वैज्ञानिक, व्यापक, समृद्ध, सशक्त और जीवंत भाषा है| राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय राजभाषा हिंदी के सरलीकरण और लोकप्रियता बढ़ाने की दिशा में दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासरत है| **अत: मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि अपने प्रेरणादायक नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में आप सरकारी काम-काज में राजभाषा हिंदी का अधिकतम प्रयोग करते हुए अपने संवैधानिक और सांविधिक उत्तरदायित्वों का पूर्णत: निर्वाह करें|**

जय राज भाषा ! जय हिंद !

सुमीत जैरथ

22/02/2024

(डॉ. सुमीत जैरथ)

सत्यमेव जयते
शैलेन्द्र शर्मा
महानिदेशक
Shailendra Sharma
Director General

भारत सरकार
महानिदेशालय-केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
Government of India
Directorate General - C.P.W.D.
Nirman Bhawan, New Delhi-110011
Tel : 23062556/1317, Fax : 23061884
E-mail : cpwd_dgw@nic.in

संदेश

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रपति सम्पदा, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा **'सृजन सम्पदा'** (वार्षिक हिंदी पत्रिका) का प्रकाशन किया जा रहा है।

हिंदी न केवल राष्ट्र और राष्ट्रीयता की नींव को आधार प्रदान करती है बल्कि उस आधार को दृढ़ भी बनाती है। राष्ट्र की उन्नति के लिए हिंदी को अपनाने के साथ ही उसे व्यवहार में लाना भी बेहद आवश्यक है। हिंदी भाषा की सरल और सहज प्रवृत्ति को उजागर करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, "भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है, हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है।" यह सच है कि हिंदी महज भाषा नहीं बल्कि वो माँ है जो हमको रचती है। संसद की बहसों से लेकर सड़क के नारों तक हिंदी न केवल पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ती है बल्कि देश की एकता और अखंडता की गाथा भी कहती है। हिंदी जन-जन में समरसता और संवाद में सहजता का आविर्भाव कराती है तथा सभी को एक सूत्र में बांधती है। हिंदी का महत्व इस बात में है कि यह हमारी आजादी की भी भाषा है। आज हम कहने और करने में जिस स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, हिंदी मुक्ति के उस पथ की साक्षी रही है। हिंदी और हिंदी से जुड़ी बोलियों ने न केवल साबरमती के संत के त्याग से हमें परिचित कराया बल्कि मर्दानी लक्ष्मीबाई की वीरता के वैभव को भी हमारे सामने रखा। स्वतंत्रता सेनानियों के स्वरों को अपने में समेटे हुए हिंदी आज भी उस आन्दोलन को जीवंत बना देती है। यह भाषा का ही कमाल है कि गोलियों का सामना करके भी लोग आजादी की मांग को नहीं छोड़ते और अपना बलिदान देकर भी स्वतंत्रता प्राप्ति को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने पर अडिग हो जाते हैं । हिंदी उन सभी जन-आंदोलनों की भाषा रही है जिन्होंने हमारे देश की एकता और संप्रुभता को अधिक मजबूत किया है। यह अकारण नहीं है कि वैश्विक स्तर पर आज भी हमारे देश की पहचान हिंदी से है।

संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन है। अनुच्छेद 351 के अनुसार - "संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।" हिंदी में रचनात्मक लेखन इसी कर्तव्य का एक हिस्सा है। लेखन एक ऐसा मार्ग निर्मित करता है जहाँ हम भाव और विचार से लेकर अपनी लेखनी तक पूरा हिन्दीमय हो जाते हैं, जहाँ हम सोचते भी हिंदी में हैं, लिखते भी हिंदी में हैं और अभिव्यक्त भी हिंदी में ही करते हैं।

मुझे विश्वास है कि **'सृजन सम्पदा'** हिंदी के प्रचार-प्रसार और संवर्धन में एक प्रमुख और निर्णायक पत्रिका सिद्ध होगी। पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी कार्मिकों के प्रयासों की सराहना के साथ ही पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।

(शैलेंद्र शर्मा)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT
कार्यालय अपर महानिदेशक (क्षेत्र दिल्ली), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
O/o Additional Director General (Region Delhi), R.No. 216-17, 2nd Floor
Nirman Bhawan, New Delhi-110011
दूरभाष / Telephone: 011-233062284, 23062212, 23061355
ईमेल / Email: deladgdr.cpwd@nic.in, वेबसाइट / Website: http://cpwd.gov.in

संदेश

यह अत्यंत हर्ष एवं गौरव का विषय है कि अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रपति सम्पदा, के.लो.नि.वि द्वारा **"सृजन सम्पदा" (वार्षिक हिन्दी पत्रिका)** का प्रकाशन किया जा रहा है।

देश के समग्र विकास में भाषा की अहम भूमिका होती है। भाषा किसी भी राष्ट्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर होती है। प्राचीन काल से ही हिन्दी राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही एकता और अखंडता को मजबूत करने का सशक्त माध्यम भी रही है। हिन्दी विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों और समुदायों को आपस में जोड़ते हुए **"वसुधैव कुटुम्बकम"** का बोध भी कराती है। हिन्दी का प्रयोग और प्रचार–प्रसार करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है और साथ ही संवैधानिक दायित्व भी है।

आज़ादी की लड़ाई मे सम्पूर्ण राष्ट्र एक सूत्र में पिरोते हुए हिन्दी ने स्वतंत्रता सेनानियों को भी एक करने का काम किया। महात्मा गांधी के अनुसार, "जो भाषा भारत के दिलों पर राज करती है, वह भाषा हिन्दी है।" आज़ादी के स्तंभों– स्वभाषा, स्वदेशी और स्वराज ने स्वदेशी और स्वराज की कल्पना के साथ ही स्वभाषा के संस्कार को भी अभिव्यक्ति दी और इसी अभिव्यक्ति ने आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

मुझे यह जान कर प्रसन्नता हो रही है कि अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रपति सम्पदा कार्यालय, के.लो.नि.वि. अपने कार्यक्षेत्र मे तत्पर रहते हुए हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है।

आशा है यह पत्रिका हिन्दी प्रयोग और प्रचार की दृष्टि से प्रेरणादायक सिद्ध होगी। मैं सृजन सम्पदा के सफल प्रकाशन हेतु अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने के साथ ही सम्पादक मंडल तथा सभी रचनाकारों को बधाई देता हूँ।

(फणी भूषण सिंह)
अपर महानिदेशक (क्षेत्र दिल्ली)

मुख्य संपादक की कलम से...

भाषा के माध्यम से समाज अपनी संस्कृति और संस्कार आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाता है। विश्व की उन्नत भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक व्यवस्थित, सरल एवं लचीली भाषा है। हिंदी हमारे उच्च जीवन मूल्यों, संस्कृति और पावन संस्कारों की संवाहक और परिचायिका है। सदियों से हमारी परंपरा, दर्शन और अध्यात्म को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने में हिंदी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। हिंदी हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हिंदी भारत के समस्त राष्ट्रीय तत्वों को व्यक्त करने वाली भाषा है और पूरे देश में भावनात्मक एकता बनाए रखने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। हम जानते हैं कि भारत बहु भाषा-भाषी देश है जहाँ हिंदी सहित कई भाषाओं की समृद्ध परंपरा और संस्कृति हैं। इनमें हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो सभी भाषा भाषियों के बीच सेतु का काम करती है। हिंदी देश के सभी भागों में बोली तथा समझी जाने वाली आम जनता की भाषा है। मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति में हिंदी अत्यंत समर्थ और समृद्ध भाषा है।

संविधान के अनुच्छेद 351 में उल्लेख किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हमारा संविधान हमें हिंदी में कार्य करने और हिंदी प्रचार-प्रसार के लिए प्रेरित करता है। सरकारी कार्यालय संघ सरकार के ही ही अंग हैं और हिंदी का प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय महत्त्व का कार्य है इसलिए हम सबका यह नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि हम सब पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ राजभाषा नीति-नियमों का अनुपालन करें और अपना समस्त कार्य हिंदी में करें। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी निष्ठापूर्वक अपना सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में कर रहे हैं। हमारे कार्यालय में राजभाषा नीति नियमों का भी सुचारू रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है। फिर भी मेरा यह मानना है कि राजभाषा संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमें सेवा भावना से और अधिक प्रयास करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान 'आत्मनिर्भर भारत' से प्रेरित होकर हमें राजभाषा के प्रचार प्रसार के कार्य को संवैधानिक अनिवार्यता के स्थान पर अपना सामाजिक दायित्व मानते हुए सत्य निष्ठा से कार्यान्वित करना होगा। राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 आदि और समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित रूप से करने हेतु हमें सकारात्मक सोच और दृढ़ता के साथ काम करना होगा।

आज जबकि हम 75 साल की आजादी को अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित कर रहे हैं, इस लम्बे कालक्रम को हिंदी ने एक भाषा के तौर पर देश की आजादी के साथ हिंदी और हिंदुस्तान के एकीकरण को और अधिक मजबूत किया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंदी ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। हिंदी हमारी, आपकी और हम सब की भाषा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अखंड भारत में एकता और प्रेम का मार्ग केवल हिंदी के माध्यम से ही सशक्त और प्रशस्त किया जा सकता है। हिंदी भारत की राजभाषा और सम्पर्क भाषा के साथ-साथ वर्षों से भारत के अंतस की भी भाषा रही है। हृदय को हृदय से जोड़ने वाली हिंदी महज भाषा भर नहीं है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता की महत्त्पूर्ण कड़ी भी है। हिंदी के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को ही नहीं अपितु उसकी आत्मा तक को स्पर्श करने की क्षमता रखते हैं। विश्व की समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ-साथ हिंदी भारत की सम्पर्क भाषा भी है। हिंदी राजभाषा के रूप में सभी भारतीय भाषाओं से ऊर्जा लेकर अपना विकास सुनिश्चित

करती है और सम्पूर्ण देश को 'वसुधैव कुटुम्कम्' के सूत्र में बाँधती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रत्येक धर्म, वर्ग और समुदाय के व्यक्ति के लिए हिंदी भाषा अपनी सरलता और सुगमता के कारण बोधगम्य है। शासकीय कार्यों, साहित्य-सृजन के साथ-साथ हिंदी व्यवसाय की दृष्टि से भी एक समर्थ भाषा है। सद्भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन के समुच्चय पर आधारित संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन हमारा संवैधानिक दायित्व भी है। हिंदी के प्रश्न को स्वराज से जोड़ते हुए महात्मा गाँधी जब यह कहते हैं कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना बेहद आवश्यक है तो गाँधी न केवल एक भाषा की बात करते हैं बल्कि समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की भी बात करते हैं। आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि हम अपना शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकार करें।

राष्ट्रपति संपदा परिमंडल और अधीनस्थ मंडल कार्यालयों में सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग के संवर्धन हेतु उत्साहवर्धक और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सभी कर्मी पूर्ण लगन के साथ कटिबद्ध होकर सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सभी रचनाकारों का हृदय तल से आभारी हूँ जिन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने अनुभवों और विचारों को गद्य और काव्य रूपी उत्कृष्ट लेखन से 'सृजन संपदा' को सुसज्जित किया है। मैं पत्रिका के प्रकाशन में तन्मयता से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इसे मूर्त और आकर्षक आकार प्रदान किया है। इस पत्रिका में राजभाषा से संबंधित विषयों के महत्त्व को प्रकट करने के साथ-साथ इसे साहित्यिक दृष्टि से रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने का भी ध्यान रखा गया है। पत्रिका में प्रकाशित विषय वस्तु एवं सामग्री के संबंध में पाठकों के विचार, मूल्यवान सुझाव और प्रतिक्रियाओं को हम सम्मान पूर्वक स्वीकार करेंगे जिससे सृजन संपदा के आगामी अंकों को और अधिक समृद्ध और उपयोगी बनाने में हमें सहायता प्राप्त होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पत्रिका सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में कार्य करने के लिए सब को प्रेरित करेगी। साथ ही हिंदी प्रयोग और प्रचार-प्रसार की दृष्टि से भी यह उपयोगी पत्रिका सिद्ध होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सृजन संपदा का प्रथम अंक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है-

(अनुराग खरे)
अधीक्षण अभियंता

संपादकीय

भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है क्योंकि अनेक प्रान्तों से मिलकर बना यह देश विभिन्नताओं की बहुरंगी छवि प्रस्तुत करता है। हमारे देश में भाषायी विविधता है लेकिन हमारी सांस्कृतिक एकता और वैचारिक समता सदैव सर्वोपरि रही है। राष्ट्रीय एकता की इस कड़ी को सुदृढ़ बनाने में हिंदी ने आरम्भ से ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। भारतीय चिंतन की मूल धारा को सहेजने-संवारने और संप्रेषित करने में हिंदी हमेशा से अग्रणी रही है। साथ ही विभिन्न भारतीय भाषाओं के सन्दर्भ में हिंदी ने सामासिकता के भाव को अत्यंत प्रखरता से प्रदर्शित किया है।

भाषा हमारे माथे की वो बिंदिया है जो जन-जन में समरसता और संवाद में सहजता का आविर्भाव कराती है तथा सभी को एक सूत्र में बाँधती है। भाषा उस नदी के समान है जो शीतल, मधुर जल से मानव मात्र को आप्लावित करती है, सुखों-दुखों में साथ निभाने का हौसला बढ़ाती है। विश्व के एकीकरण तथा विश्व को एक सूत्र में आबद्ध करने में भाषा से अधिक कोई भी तत्व बलवान नहीं हो सकता। भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम कहा जाता है और जब यह भाषा जीवंत हो जाए तो यह महज भाषा भर नहीं रह जाती बल्कि हमारी पृष्ठभूमि, हमारा इतिहास बन जाती है। हिंदी भाषा अपनी जीवंतता के कारण इतनी सहज और सरल है कि समाज और संस्कृति की संवेदनशीलता भी इसमें अपना स्थान पा लेती है। हिंदी भाव की भाषा है, हिंदी संवेदना की भाषा है, हिंदी अभिव्यक्ति की भाषा है। यही कारण है कि राजा राममोहन रॉय और केशवचंद्र सेन जैसे सुधारकों ने अपने विचारों के प्रसार के लिए इसे अपनाया। समाज में समरसता और सामाजिक सौहार्द स्थापित करने में भाषा की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी इस भूमिका के निर्वहन में पूर्ण रूप से सक्षम और सफल है। अपनी भाषा में मौलिक लेखन और कामकाज अत्यंत सहज और सरल है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी को सरलतम रूप में अपनाकर राजकीय कामकाज में अधिक से अधिक इसका प्रयोग किया जाये।

यह सर्वविदित है कि संविधान के अनुच्छेद 343(1)के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा है। यह देश के बहुमत को प्रतिध्वनित करता है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा नियम बनाए गए हैं। हम सभी का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि हम स्वयं अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करते हुए अपने सहयोगी अधिकारियों/कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएँ।

मेरे लिए यह अपार हर्ष का विषय है कि अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रपति सम्पदा, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की गृह पत्रिका 'सृजन संपदा' का प्रथम अंक आप सभी के समक्ष है। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिन्दी में सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने में हिंदी गृह पत्रिकाओं का विशेष महत्त्व है। हिंदी गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन से विभाग के कर्मियों को रचनात्मक लेखन द्वारा अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होने के साथ-साथ उनमें सरकारी कामकाज हिंदी में कुशलतापूर्वक करने की अभिरुचि उत्पन्न होती है। हिंदी में मूल रूप से काम करने की प्रेरणा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ गृह पत्रिका एक सशक्त माध्यम है। इससे किसी भी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का रचनात्मक कौशल वर्दित होता है और उनकी प्रतिभा निखरती है। मैं सृजन संपदा की रचना करने में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष

रूप से जुड़े उन सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिनके अमूल्य सहयोग से अलंकृत यह पत्रिका एक प्रेरक पत्रिका के रूप में सबके हृदय में राजभाषा के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना का संचार करेगी। सृजन संपदा के इस अंक में हमने उत्कृष्ट एवं प्रासंगिक कविताएँ, संस्मरण, तकनीकी लेख और विशेषकर राजभाषा सम्बन्धी विषयों, राजभाषा नीति/नियमों आदि विविध प्रकार की सामग्री को समाविष्ट करके इसे जीवंत, ज्ञानवर्धक और रोचक बनाया है। राष्ट्र के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने में हिंदी की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी में कार्य करने से न केवल हमारे देश के विकास की गति और अधिक तीव्र होगी बल्कि शासन-प्रशासन सम्बन्धी कार्यों में भी पारदर्शिता आएगी। हमारा यह सम्पूर्ण प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के 'सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में अपनी निर्णायक और महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए, आजादी के अमृतोत्सव पर यह संकल्प लें कि हम सब प्रतिबद्धता, पूर्ण निष्ठा, निस्वार्थ भाव और पूर्ण लगन के साथ अपना समस्त कार्य हिंदी में करके राजभाषा और भारत का गौरव बढ़ाने में अपना अमूल्य सहयोग करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पाठकों को 'सृजन सम्पदा' का प्रथम अंक रुचिकर लगेगा। मैं आप सभी से यह अपेक्षा भी करती हूँ कि सभी प्रबुद्ध पाठक पत्रिका में प्रकाशित सामग्री के संबंध में अपने सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराएँ जिससे आगामी अंको में इसे और अधिक समृद्ध, ज्ञानवर्धक और उपयोगी बनाया जा सके।

स्वीटी

-डॉ. स्वीटी यादव

माननीय गृह राज्य मंत्री श्री निशिथ प्रामाणिक का साक्षात्कार

प्रत्यक्ष भेंटवार्ता अर्थात साक्षात्कार विधि से संबंधित विषयों को समझने एवं परखने की ऐसी अंतर्दृष्टि विकसित होती है जो हमें अन्य स्रोतों से प्राप्त नहीं हो सकती। साक्षात्कार एक ऐसा माध्यम है जो तथ्यों को और अधिक मूर्त और सजीव बना देता है। शीर्ष पदों पर आसीन जन प्रतिनिधियों के साथ किया गया साक्षात्कार उनके अनुभवों, कार्यशैली, कुशल प्रबंधन और राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर उनके व्यापक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार का ही एक विलक्षण अनुभव इस साक्षात्कार से हुआ। राजभाषा संबंधी विषयों तथा हिंदी की वर्तमान दशा, दिशा और भविष्य के संबंध में माननीय मंत्रीजी द्वारा दिए गए स्पष्ट, सटीक और सार्थक उत्तर राजभाषा विषयों के प्रति उनके सम्यक ज्ञान, सकारात्मक मनोवृत्ति, प्रतिबद्धता और सुरुचि को परिलक्षित करते हैं। मेरा विश्वास है कि इस साक्षात्कार से सृजन संपदा के सभी पाठकों की राजभाषा विषयक जिज्ञासा शांत होगी और वे इससे प्रेरित होकर निष्ठा पूर्वक गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के कार्य को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे।

डॉ. स्वीटी यादव द्वारा माननीय गृह राज्य मंत्री श्री निशिथ प्रामाणिक से किए गए साक्षात्कार का प्रमुख अंश–

माननीय गृह राज्य मंत्री श्री निशिथ प्रामाणिक को प्रतीक भेंट करते हुए सृजन सम्पदा की संपादक डॉ. स्वीटी यादव

प्र. सं. 1– देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने हेतु भाषायी एकता के रूप में हिंदी की क्या भूमिका है?

उत्तर– हिंदी कई दशकों से देश की संपर्क भाषा है। प्राचीन काल में भी अध्यात्म का प्रचार-प्रसार हिंदी भाषा के द्वारा किया जाता रहा है। इतिहास गवाह है कि अंग्रेजी शासन से देश को आजादी दिलाने में अगर किसी एक भाषा ने सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो वह हिंदी रही है। आपस में अपने विचारों का आदान-प्रदान करने और आंदोलन को गति देने में हिंदी भाषा ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्र. सं. 2 – हिंदी के भविष्य को आप किस प्रकार देखते हैं?

उत्तर– आज व्यापारिक दृष्टि से कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जिनकी आवश्यकता हिंदी भाषा बनी है। इस आधार पर बहुत गर्व और आत्मविश्वास के साथ मैं यह बात कह सकता हूँ कि हिंदी शीघ्र ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक लोकप्रिय भाषा के रूप में उभरेगी।

प्र. सं. 3 – सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा राजभाषा नीति/नियमों के सुचारु कार्यान्वयन को

माननीय गृह राज्य मंत्री श्री निशिथ प्रामाणिक से साक्षात्कार करते हुए सृजन सम्पदा की संपादक डॉ. स्वीटी यादव

किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है?

उत्तर– राजभाषा विभाग हिंदी भाषा का प्रशिक्षण, अनुवाद का प्रशिक्षण एवं अनेकों प्रकार की प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। हिंदी के प्रयोग की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए भी देशव्यापी व्यवस्था है। संसदीय राजभाषा समिति पूरे देश में जाकर केंद्र सरकार के कार्यालयों में उनसे संपर्क स्थापित कर उनके हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का निरीक्षण भी करती है और उन्हें प्रोत्साहित करती है। विभाग द्वारा कार्यान्वयन के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिसमें टिप्पण, श्रुतलेखन, कार्यशालाओं के आयोजन, आदि के विषय में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सभी विभागों में हिंदी अधिकारी कार्यशालाओं का आयोजन कर हिंदी की प्रगति सुनिश्चित करते हैं। वार्षिक कार्यक्रम में दिए लक्ष्यों की पूर्ति के विषय में आंकड़े प्राप्त कर संसद के दोनों सदनों पर वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रतिवर्ष पेश की जाती है।

प्र. सं. 4– विदेशों में हो रही हिंदी संगोष्ठियाँ और हिंदी सम्मेलन वैश्विक हिंदी प्रचार और प्रसार की दृष्टि से किस प्रकार सहायक हैं?

उत्तर– राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए जो वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है उसमें केंद्र सरकार के विदेशों में स्थित कार्यालयों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक भी विदेशों में आयोजित की जाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर हिंदी भाषा में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ संवाद स्थापित करते हैं जिससे लोगों में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ रही है। विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन से भी हिंदी पूरे विश्व में एक लोकप्रिय भाषा के रूप में उभरी है। आज दुनिया भर के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है।

प्र. सं. 5– हिंदी भाषा की वर्तमान दशा और दिशा पर आपके क्या विचार हैं?

उत्तर– वर्ष 2011 में की गई जनगणना के अनुसार हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में बोलने वाली जनसंख्या देश में 45.63% थी, दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों को मिलाकर यह प्रतिशत 57.09 था। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले दशक में हिंदी को एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित किया गया है और सारी दुनिया में हिंदी का परचम लहरा रहा है।

प्र. सं. 6 – वर्तमान सरकार द्वारा हिंदी प्रगति के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताइए।

उत्तर– राजभाषा विभाग के दायित्व के विषय में आपको मैंने बता दिया। पिछले वर्ष अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया जिसमें पूरे देश के हिंदी प्रेमियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और सभी में हिंदी के प्रति प्रेम देखा गया। विभाग द्वारा दिल्ली से बाहर जाकर क्षेत्रीय सम्मेलन तथा तकनीकी सम्मेलन कई वर्षों से आयोजित किए जाते रहे हैं जिनसे आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिंदी में मौलिक सरकारी काम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको पुरस्कार देकर प्रोत्साहित भी किया जाता है। माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय में हिंदी में कार्य हो रहा है।

प्र. सं. 7 – हिंदी के सर्वांगीण विकास और इसे रोजगारोन्मुख भाषा बनाने के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा विशेष रूप से योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता को आप किस प्रकार देखते हैं?

उत्तर– सरकार की नीति के तहत सरकारी बैंकों में राजभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा, दोनों में जनता को सेवाएँ दी जाती हैं जिससे देश एकता के सूत्र में बँधा रहे और जनता को उनकी अपनी भाषा में बैंकों की योजनाओं का लाभ उठाने का मौका मिले। भारत की जनसंख्या और मानव संसाधन की क्षमताओं को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी के माध्यम से समस्त तकनीकी एवं

व्यापारिक योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है। इसलिए हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

प्र. सं. 8- वर्तमान समय में हिंदी में रोजगार की क्या-क्या संभावनाएँ हैं और इनमें किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है?

उत्तर- सारी दुनिया में हिंदी भाषा का प्रशिक्षण लोकप्रिय हो रहा है। हिंदी में रोजगार की संभावनाएँ अध्यापन, अनुवाद, व्यापार, बैंकिंग, शोध तथा सिनेमा जगत में विभिन्न प्रकार की फिल्मों की डबिंग के लिए भी उपलब्ध हैं।

प्र. सं. 9- हिंदी के समृद्ध इतिहास और वर्तमान को आप किस प्रकार देखते हैं?

उत्तर- हिंदी की लिपि देवनागरी है जो संस्कृत की भी लिपि रही है। संस्कृत में हजारों वर्षों का साहित्य एवं विज्ञान उपलब्ध है। हिंदी पिछले कुछ शतकों में अपने वर्तमान रूप में आई है। बहुत प्रेरणादायक सच्चाई है कि हिंदी सिनेमा एवं भारत के आध्यात्मिक विज्ञान ने हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय भाषा के रूप में स्थापित कर दिया है। इसलिए वर्तमान में हिंदी लगातार एक वटवृक्ष की तरह विकसित हो रही है।

प्र. सं. 10-आपका प्रिय हिंदी लेखक कौन है?

उत्तर- मुंशी प्रेमचंद/फणीश्वरनाथ रेणु/आचार्य चतुरसेन शास्त्री।

प्र. सं. 11-आपकी पसंदीदा हिंदी रचना?

उत्तर- कामायनी/गोदान/वयं रक्षाम:।

प्र. सं. 12-देश के विभिन्न भाषा-भाषी वर्ग के लोग अधिकतर हिंदी फिल्में देखते हैं। दूरदर्शन और निजी टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित धारावाहिक (सीरियल्स) तथा मनोरंजन के कार्यक्रमों को हिंदी में देखना पसंद करते हैं। इस प्रकार संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रसार तो हो रहा है किंतु फिर भी यह व्यापार, तकनीकी, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य क्षेत्र की भाषा नहीं बन पाई है आखिर क्यों?

उत्तर- नई शिक्षा नीति में लोग अपनी मातृभाषा में विज्ञान, तकनीकी, व्यापार आदि की उच्च स्तर की पढ़ाई कर सकेंगे। हिंदी मूल रूप से अधिकांश भारतीय भाषाओं की सखी है। अपनी मातृभाषा में विद्यालय की पढ़ाई करने पर लोगों का मौलिक चिंतन विकसित होगा और निश्चित रूप से वे लोग हिंदी भाषा में अपने क्रियाकलाप करेंगे और हिंदी मौलिक चिंतन एवं शोध की भाषा के रूप में उभरेगी।

प्र. सं. 13-सरकारी कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन कितना प्रभावी है?

उत्तर- माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी का हिंदी प्रेम जन-जन को दिखाई दे रहा है। शीर्षस्थ नेतृत्व की प्रेरणा से सभी कार्यालयों में लोग हिंदी में बातचीत कर रहे हैं और मौलिक काम भी हिंदी भाषा में बढ़-चढ़कर किया जा रहा है।

प्र. सं. 14-हिंदी पत्रिकाएँ हिंदी में कार्य करने की दिशा में कितनी और किस हद तक प्रभावी हैं?

उत्तर- केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए गृह पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं और इन पत्रिकाओं को विभाग द्वारा 'हिंदी दिवस' के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी या माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। पत्रिकाओं के माध्यम से लोग अपने मन की बात एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। साथ ही, अपने विभाग में किए जाने वाले सरकारी कामकाज में हिंदी को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर भी विचार विमर्श कर अपने सुझाव देते हैं। इस प्रकार पत्रिकाओं का प्रकाशन हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। डिजिटल इंडिया की तर्ज पर विभाग द्वारा ई-पत्रिकाओं को भी पुरस्कृत किया जा रहा है और उनके प्रकाशन पर जोर दिया जा रहा है।

प्र. सं. 15-वर्तमान सरकार द्वारा हिंदी के प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताइए।

उत्तर- राजभाषा विभाग संवैधानिक दायित्वों के अंतर्गत राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए लगातार प्रयासरत है। राजभाषा नीति प्रेरणा और प्रोत्साहन

की रही है और इसे ही ध्यान में रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं।

प्र. सं. 16–माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हिंदी को सरल, सहज, शालीन और अभिव्यक्ति की प्रथम भाषा स्वीकार करने के सिद्धांत को आप कितना प्रभावी मानते हैं?

उत्तर– भारत सरकार के मंत्रालयों में राजभाषा में कार्य सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष स्तर पर केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। इस समिति की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदी को सरल, सहज और बोलचाल की भाषा के रूप में अपने कामकाज में लाने की प्रेरणा दी है। यह बिल्कुल सही है कि जब तक हिंदी अनुवाद की भाषा रहेगी तब तक वह लोकप्रिय नहीं हो पाएगी। भारत की 50% से अधिक आबादी हिंदी भाषा ही बोलती और समझती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के अनुसार संस्कृतनिष्ठ हिंदी के स्थान पर आम बोलचाल की भाषा, जिसमें भारत की सभी भाषाओं के लोकप्रिय शब्दों का समावेश हो, उसे हम अपने सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार करते हुए काम कर रहे हैं।

प्र. सं. 17–क्या उपभाषाओं/बोलियों को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग से राजभाषा हिंदी को क्षति नहीं पहुँचेगी?

उत्तर– हिंदी से जुड़ी अनेकों भाषाएँ हैं जैसे मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, मारवाड़ी, बृजभाषा, अवधी आदि जिनकी लिपि देवनागरी है और जो हिंदी की सखियाँ है। उन सब को हिंदी से अलग नहीं किया जा सकता। संभवत: यदि हिंदी की सभी उप भाषाओं/बोलियों को बोलने वाली जनसंख्या की गणना की जाए तो हिंदी आज विश्व की सबसे अधिक बोलने वाली भाषा के रूप में उभर सकती है। इसलिए हिंदी की भारत की किसी भी अन्य भाषा, उपभाषा या बोली से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है।

प्र. सं. 18–भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समितियों का अभी तक पुनर्गठन नहीं हो पाया है और मंत्रालयों द्वारा हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों का नियमित आयोजन नहीं होता इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर क्या कार्यवाही की जाती है?

उत्तर– भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में आवश्यकतानुसार हिंदी सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया जाता है। यह एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें निरंतर प्रयास किए जाते हैं। संसदीय राजभाषा समिति भी इसकी निगरानी रखती है कि सभी मंत्रालय हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकों का नियमित आयोजन करें जिससे हिंदी की प्रगति तेजी से हो सके।

प्र. सं. 19–सृजन संपदा के पाठकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

उत्तर– भाषा हमारे मौलिक चिंतन की अभिव्यक्ति होती है, सृजन भी एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। जब तक हम अपनी मौलिक भाषा में अभिव्यक्ति और सृजन नहीं करेंगे तब तक हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। अत: मैं सभी से यह कहना चाहूँगा कि अपने मौलिक चिंतन को अभिव्यक्ति की भाषा बनाएँ और आत्मविश्वास के साथ अपनी मातृभाषा और राजभाषा में अपने सभी व्यक्तिगत सरकारी एवं सामाजिक काम काज करें। आज देश के प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी अपने वक्तव्य राजभाषा हिंदी में देते हैं इससे प्रेरणा लें और संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने में अपना महती योगदान दें।

❍❍❍

सरलता और शीघ्र सीखने योग्य भाषाओं में हिन्दी सर्वोपरि है।

-लोकमान्य तिलक

स्थापत्य और तकनीक की अद्वितीय धरोहर-राष्ट्रपति भवन

-अनुराग खरे

तकनीकी कुशलता भव्य स्मारक के संरक्षण में परम्परा और नवीनीकरण के सह अस्तित्व की ऐसी विशिष्टता प्रदान करती है जो धरोहर की गरिमा को बनाए रखते हुए इसको नयी-नयी खोजों से भी जोड़ देती है।

राष्ट्रपति भवन की महिमा को अक्षुण्ण रखना न केवल महत्त्वपूर्ण है बल्कि चुनौतीपूर्ण भी है। देश की गौरव गाथा को बयाँ करता हुआ यह भव्य स्मारक अपने निर्माण के लगभग 90 वर्ष पूर्ण कर चुका है लेकिन लम्बी अवधि तय करने के बावजूद यह भवन आज भी अपने निर्माण, स्थापत्य और अपने रख-रखाव के सौन्दर्य को दर्शाता है। इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित करने के लिए नयी-नयी तकनीकी खोज पद्धतियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी होगी जिनके परिणामस्वरूप इस स्मारक ने अपने स्थापत्य की भव्यता, सौन्दर्य और सुदृढ़ता को अक्षुण्ण बनाए रखा है।

जैसे ही बीटिंग रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हुआ, राष्ट्रपति भवन फिर से जगमगा उठा। इसके साथ नॉर्थ ब्लॉक के एक छोर से लेकर साउथ ब्लॉक के दूसरे छोर तक इसने एक जादुई चित्रपट बनाया जिस पर असंख्य रंगों ने क्षण भर में एक अद्भुत परिदृश्य प्रदर्शित कर दिया। यह भवन इतना भव्य है कि 'राजसी' और 'स्मारकीय' जैसे विशेषण भी भारतीय गणराज्य के केंद्र में स्थित इस इमारत की भव्यता के साथ न्याय नहीं कर सकते।

इसका इतिहास और राज-सिंहासन के रूप में इसकी भूमिका इसे और अधिक भव्यता प्रदान करते हैं लेकिन विशुद्ध रूप से स्थापत्य की दृष्टि से भी, एडविन लुटियंस का चमत्कार अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। उनके एडवर्डियन अलंकृत रचना में गुंथे हुए कई भारतीय रूपांकन और अभिकल्पनाएँ हैं-कमल और हाथी, छत्रियाँ और छज्जे।

यह स्मारक भारत के नाटकीय परिवर्तन का साक्षी रहा है। सन् 1911 में वायसराय के लिए एक भव्य महल के निर्माण की योजनाएँ शुरू हुईं और यह निर्माण कार्य 1929 में पूरा हुआ। अनेकों उथल-पुथल से भरी सदी ने इस भवन पर भी अपनी छाप छोड़ी है। लगभग एक सदी पुराने किसी अन्य भवन की भाँति राष्ट्रपति भवन भी समय और मौसम के प्रकोपों से अत्यधिक प्रभावित हुआ है।

320 हेक्टेयर में फैला यह भवन और इसके आसपास की सम्पदा हमारे राष्ट्रीय जीवन का केंद्र बिंदु रही है। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रमुख और महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी भव्यता को और अधिक सर्वोत्तम ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं।

सिविल इंजीनियरिंग की दृष्टि से भवन का रखरखाव चुनौतीपूर्ण है। समय व्यतीत होने के साथ यह आवश्यक है कि इसकी सुविधाओं को और अधिक उन्नत किया जाए, पुराने उपकरणों के स्थान पर नए और आधुनिक उपकरणों को प्रयोग में लाया जाए तथा और अधिक साधनों का उपयोग किया जाए किन्तु यह सब कुछ 'धरोहर ग्रेड 1' के रूप में वर्गीकृत भवन के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना किया जाना आवश्यक होता है। ऐसी इमारतों के लिए बाहरी, आंतरिक या प्राकृतिक सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने

वाले नियम तब तक प्रतिबंधित हैं जब तक कि इन भवनों या इनके किसी हिस्से या इनकी सुविधाओं की मजबूती और जीवन-काल को बढ़ाने की दृष्टि से आवश्यक न हो। इस प्रयोजन के लिए अत्यंत आवश्यक और न्यूनतम परिवर्तनों को ही अनुमति दी गयी है बशर्ते वे परिवर्तन मूल के अनुरूप और अनुकूल हों।

इस प्रकार हमारी धरोहर के इस स्मारक को संरक्षित करना एक अत्यंत सूक्ष्म कार्य है क्योंकि यह कोई ऐसा स्मारक नहीं है जो सायंकाल को बंद हो जाता हो बल्कि यह वह गरिमामय स्थान है जहाँ राष्ट्र का प्रमुख निवास करता है। सैकड़ों लोग यहाँ काम करते हैं फिर भी यह इमारत पूर्णतया सुदृढ़ है।

हालाँकि संरक्षण गतिविधियों की दृष्टि से छज्जा संरक्षण अधिक चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक रहा है। यह बाहर लटका हुआ छज्जा या छत है जो कि भारतीय वास्तुकला की सामान्य विशेषता है। राष्ट्रपति भवन में छज्जा मुख्य भवन की परिधि के साथ कुल 1.2 किमी के घेरे में है। यह चूने के कंक्रीट से अत्यधिक सुदृढ़ीकरण के साथ बनाया गया था और जमीन से लगभग 20 मीटर ऊपर स्थित है। झुके हुए छज्जे के निचले भाग में पवित्र एवं प्रतिष्ठित कमल के पुष्प की पंखुड़ी के चित्र वास्तुशिल्पीय अलंकरण के रूप में उत्कीर्ण है जिन्हें उभरे हुए रूप में दोहराया गया है। मौसम के अनावरक कारकों के दीर्घकालीन प्रभाव के कारण छज्जे को 'विस्तरण' का सामना करना पड़ा है अर्थात् इसकी सामग्री प्राय: परतों में टूट जाती है और अनेक स्थानों पर इसकी लंबाई अधिक झुक गयी है। इसके लिए प्राय: इसकी मरम्मत की आवश्यकता पड़ती थी जो कि भिन्न-भिन्न प्रकार से की जाती थी।

हालांकि 2019 में अत्यधिक क्षय के कारण छज्जा कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से ढह गया। इस तरह के क्षरण न केवल भवन के सौंदर्य को प्रभावित करते हैं बल्कि 20 मीटर की ऊँचाई से नीचे गिरने वाले चूने के कंक्रीट के बड़े टुकड़े प्राण घातक खतरा भी पैदा कर सकते हैं। यह समय इस समस्या का सम्पूर्ण रूप से निदान और न केवल कुछ हिस्सों की मरम्मत भर का बल्कि सम्पूर्ण भाग की मरम्मत करने का था।

जब छज्जे का संरचनात्मक निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि इसकी वास्तविक स्थिति जो प्रतीत होती है, उससे भी कहीं अधिक बदतर थी। निरीक्षण में कई स्थानों पर लगातार क्षैतिज दरारें और प्रमुख विक्षेपण का पता चला। इसकी सामग्री की गुणवत्ता तब तक इतनी खराब हो चुकी थी कि चूना पत्थर हथौड़े के हल्के प्रहार से भी गिर जाता था। जब अव्यवस्थित पत्थर को हटाने की प्रक्रिया चल रही थी तो लगभग 20 मीटर लंबाई का छज्जा ढ़ह गया जिससे संक्षारित सुदृढ़ीकरण उजागर हो गया।

जब 2020 में मरम्मत कार्य आरम्भ हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती थी-सुदृढ़ीकरण तथा क्षय को रोकने की। इस हेतु जिस समाधान पर निर्णय लिया गया वह था 'कैथोडिक प्रोटेक्शन', एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया जिसमें 'ड्यूल फेज हाइब्रिड यूजन एनोड सिस्टम' प्रदान किया जाना था। निरीक्षण में यह पाया गया कि छज्जे की ढ़लाई के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध सामग्री जैसे सामान्य पत्थर अत्यधिक विक्षेपण का कारण हैं। अंतत: संरचनात्मक रूप से कम भार वाले पत्थर (एसएलडब्ल्यूसी-स्ट्रक्चरल लाइट वेट कंक्रीट) को सबसे उपयुक्त सामग्री माना गया।

पुर्ननवीनीकरण योजना के अनुसार निश्चित छोर से आगे तक फैले हुए छज्जे के हिस्से को हटा दिया जाना था और संरचनात्मक रूप से कम भार वाले पत्थर एसएलडब्ल्यूसी के साथ फिर से ढाला जाना था। मौजूदा पत्थर को हटाने से पहले चूने के पत्थर से बने हुए छज्जे को निश्चित छोर से 0.50 मीटर, 1.0 मीटर और 1.50 मीटर की ऊँचाई पर आधार प्रदान किया जाना था ताकि संक्षारित सुदृढ़ीकरण को झुकने, ढहने और गिरने से रोका जा सके। मौजूदा सुदृढ़ीकरण को पूर्ववत रखने का निर्णय लिया गया। ऐसे स्थानों पर जहाँ 20 प्रतिशत से अधिक क्षय हो चुका था वहाँ लैपिंग या रासायनिक समन्वयन के माध्यम से अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण प्रदान करने की योजना पर कार्य किया गया। इसके साथ ही छज्जा के सम्पूर्ण सुदृढ़ीकरण संजाल में विद्युत निरंतरता के परीक्षण के साथ कैथोडिक संरक्षण विधि को लागू किया गया।

ग्रेड 1 के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए छज्जे के सर्वाधिक उपयुक्त रूप और डिजाइन का पुनर्निर्माण बेहद महत्त्वपूर्ण था। छज्जा भवन की परिधि के साथ भवन की सीढ़ियों और वक्रों का अनुगमन करता है, साथ ही यह वर्षा के जल के निरंतर प्रवाह के लिए दृढ ढाल भी बनाए रखता है। इस क्षरण ने मौजूदा संरचना की नियमावली प्रक्रिया (मैन्युअल प्लॉटिंग) को अत्यंत जटिल बना दिया। इसके लिए उन्नत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाया गया। 'लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग' (LiDAR) स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए पूरे छज्जे का एक त्रि-आयामी प्रतिमान बनाया गया। प्रतिमान के आधार पर 'फायबर रेनफोर्सडपॉलीमर' (एफआरपी) मोल्डिंग तकनीक का उपयोग करते हुए समान विशेषता और डिजाइन के साथ ढांचागत कार्य तैयार किया गया।

इसके अतिरिक्त छज्जे के नीचे निर्मित कमल की प्रत्येक पंखुड़ी जो कि इसका एक अभिन्न अंग है, अपने आप में अद्वितीय आकृति में है। एफआरपी मोल्डेड ढाँचे का उपयोग करके मूल संरचना के अनुरूप उस स्वरूप को फिर से बनाने पर विचार किया गया।

एसएलडब्ल्यूसी के उपयोग ने टीम के कौशल की भी परीक्षा ली। अन्यत्र पूर्व मिश्रित किये गए कंक्रीट को वाहनों की भीड़-भाड़ के व्यस्त यातायात और वीवीआईपी आवागमन संबंधी गतिविधियों के बीच से गुजरते हुए सावधानीपूर्वक इसे कार्यस्थल (साइट) पर बैग में लाया गया और फिर इसे 20 मीटर की ऊँचाई पर रखा गया। यह सम्पूर्ण कार्य मात्र तीन घंटे की अवधि में किया गया क्योंकि सामग्री तापमान के प्रति भी अत्यधिक संवेदी थी। साथ ही भवन के अंदर और बाहर हो रहे कार्यों को प्रभावित किये बिना हरे पर्दों के आवरण के साथ मरम्मत का कार्य किया गया।

कार्य संतोषजनक प्रगति कर रहा है। 'नॉर्थ कोर्ट' की ओर इसका लगभग एक चौथाई कार्य पूरा हो गया है और शेष कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। तकनीकी कौशल, नवीन विचार और धरोहर के प्रति अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से यह अत्यधिक अपेक्षापूर्ण कार्य रहा है जो इन सभी दृष्टियों से अत्यधिक दक्षता का आकांक्षी रहा है। विरोधाभासी रूप से यदि कहा जाए तो इस कार्य की सर्वोत्तम प्रशंसा इसकी कोई प्रशंसा न करना होगा। भवन के सौन्दर्य को बनाए रखते हुए यह कार्य इतनी बारीकी से किया गया है कि विशेषज्ञों के अतिरिक्त पुनर्नवीनीकरण के कारण हुए इस अंतर को पहचानना किसी के लिए संभव नहीं होगा।

अधीक्षण अभियंता
राष्ट्रपति सम्पदा, के.लो.नि.वि.
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

ooo

जिस भाषा में तुलसीदास जैसे कवि ने कविता की हो, वह अवश्य ही पवित्र है और उसके सामने कोई भाषा नहीं ठहर सकती।

-महात्मा गाँधी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बदौलत अद्भुत तकनीकें आई हैं हिन्दी में

-बालेन्दु शर्मा दाधीच

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की बदौलत हिन्दी में ऐसे बहुत से काम करना संभव हो गया है जिन्हें कभी हम विज्ञान की फिल्मों में देखा करते थे। आप हिन्दी में बोलें और सामने वाला उसे अंग्रेजी में सुन सके। आप अंग्रेजी में पावरप्वाइंट प्रेजेन्टेशन बनाएँ और जरूरत पड़ने पर उसे पलक झपकते ही किसी भी दूसरी भाषा मे अनुवाद कर लें। अपने कम्प्यूटर पर अपनी हस्तलिपि में लिखे और कम्प्यूटर उसे पहचानकर टाइप किए हुए टेक्स्ट में बदल दे। स्पीकर जैसे दिखने वाले एक उपकरण से आप हिन्दी में कुछ कहें और वह उसका जवाब भी दे। यह सुनकर कैसा लगता है? शायद आप कहेंगे कि अच्छी कल्पना की है। लेकिन यह सब हकीकत है।

हिन्दी में यूजर के स्तर पर हम भले ही कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हों लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ एक के बाद एक ऐसे फीचर ला रही हैं जिन्होंने हिन्दी तकनीक का कायाकल्प कर दिया है। पहले क्लाउड और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद स्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं। खासकर पिछले पाँच साल में इतना बदलाव आ चुका है कि बदलाव की यह रफ्तार आश्चर्यचकित कर देती है।

माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर को ही लीजिए। इसे अपने एंड्रोइड मोबाइल फोन पर नि:शुल्क डाउनलोड कीजिए और फिर देखिए कमाल। इस मोबाइल एप्प की होम स्क्रीन पर दिए माइक्रोफोन बटन पर क्लिक कीजिए और बोलना शुरू कीजिए। आपकी बोली हुई बातें स्क्रीन पर लिखकर आने लगेंगी। इतना ही नहीं, जिस भाषा को आपने पहले से निर्धारित किया है, उसमें अनुवाद भी होने लगेगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा और अगर पर्याप्त नहीं है तो शायद आप तब भौंचक्के रह जाएँगे जब यह एप्लीकेशन उस दूसरी भाषा में अनुवाद हुए टेक्स्ट को पढ़कर भी सुनाएगा। यानी बोली हुई भाषा का बोली हुई भाषा में अनुवाद। जरा सोचिए कि आप किसी भी दूसरे देश या प्रात में घूमने जाते हैं तो अब आपके लिए भाषायी दीवारों का कोई अस्तित्व नहीं है।

गूगल इंडिक इनपुट का इस्तेमाल फोन पर करते ही होंगे। शायद आपने उसमें टाइपिंग के लिए हिन्दी कीबोर्ड का इस्तेमाल किया होगा और बहुत संभव है कि बोल कर टाइप करने की सुविधा को भी आजमाया हो। लेकिन इसी कीबोर्ड में एक ऐसा विकल्प है जिस पर आपका ध्यान संभवत: नहीं गया होगा और वह है अपनी ऊँगलियों से स्क्रीन पर लिखने का फीचर। आप चाहें तो इसके लिए किसी स्टाइलस (टच स्क्रीन पर इस्तेमाल होने वाला पेन जैसा उपकरण) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हिन्दी में अपनी ही लिखावट में लिखना शुरू कीजिए और देखिए कि वह किस तह से टाइप किए गए टेक्स्ट में तब्दील होता जा रहा है। इतना ही नहीं, आप चाहें तो इसका मनचाही भाषा में अनुवाद भी कर सकते हैं।

यह सुविधा सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित नहीं है। अगर आप विंडोज 10 कम्प्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी टास्कबार पर राइट क्लिक करके 'शो टच कीबोर्ड बटन' पर क्लिक कीजिए जिससे आपकी स्क्रीन पर एक कीबोर्ड उभर आएगा। इसके सबसे ऊपरी बाएँ कोने में दिए कीबोर्ड के आइकन को दबाइए और फिर दिखाई देने वाले आइकन्स में से तख्ती (स्लेट) जैसे दिखने वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। अब देखिए कमाल। आपकी स्क्रीन पर जो पैनल दिखाई दे रहा है उस पर माउस, ऊँगली या स्टाइलस की मदद से जो भी लिखेंगे वह पीछे खुले हुए वर्ड डॉक्यूमेंट (या किसी भी दूसरी फाइल) में खुद टाइप होने लगेगा।

पावरप्वाइंट प्रेजेन्टेशन बनाने के लिए सबसे लोकप्रिय एपलीकेशन है लेकिन जिन लोगों को अलग-अलग स्थानों पर जाकर प्रस्तुति देनी होती है उनके सामने भाषा की रुकावट आ जाती है। माना कि आपने हिन्दी में कोई प्रेजेंटेशन बनाई है। अगर आपको इसे अंग्रेजी या तमिल में प्रस्तुत करना पड़ जाए तो क्या करेंगे? आप कहेंगे कि पूरी प्रेजेंटेशन दोबारा बनानी पड़ेगी। जी नहीं, आप पावरप्वाइंट के लिए एक एड-इन डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है-प्रेजेन्टेशन

ट्रांसलेटर। इसे इन्स्टॉल करने के बाद पावर प्वाइंट के स्लाइड शो टैब में प्रेजेन्टेशनों का अनुवाद करने के लिए एक बटन आ जाएगा। इसे दबाइए, पसंद की भाषा बताइए और दो-चार सेकेंड इंतजार कीजिए। लीजिए आपकी पूरी की पूरी हिन्दी प्रेजेन्टेशन अंग्रेजी, तमिल, बंगला, उर्दू या दूसरी मनचाही भाषा में तब्दील हो गई।

और अंत में स्मार्ट स्पकीर की बात। अमेजॉन की अलेक्सा ईको डिवाइस या गूगल का गूगल होम ऐसे स्मार्ट उपकरण हैं जो आपके साथ हिन्दी में बातचीत करने में सक्षम हैं। दोनों के साथ यूजर के संवाद का तरीका एक सा है। आप उन्हें कुछ बोलकर निर्देश देते हैं या पूछते हैं और दोनों ही आपकी कही हुई बातों पर अमल करते हैं। वे इंटरनेट से आपके लिए कुछ खोज कर ला सकते हैं। अलेक्सा आपकी फरमाइश पर खबरें और संगीत भी सुना सकती है। इतना ही नहीं, वह आपके घर की बत्तियाँ तक बुझाने का काम कर सकती है। हालाँकि उसके लिए एक खास किस्म का उपकरण आपको अपने घर के बिजली के सर्किट के साथ जोड़ना होता है। दूसरी ओर गूगल होम से हिन्दी में बतियाइए और वह आपको दुनिया जहान की जानकारियाँ लाकर दे देगा। आसपास के अस्पतालों की जानकारी लेनी हो, कल कैसा मौसम रहेगा इसका पता करना हो या फिर शहर के किस इलाके में ट्रैफिक फँसा हुआ है यह जानना हो, गूगल होम से पूछिए और वह तपाक से हिन्दी में जवाब दे देगा।?

डिजिटल उपकरणों के साथ बातचीत करने की सुविधा सिर्फ मोबाइल फोन या स्मार्ट स्पीकर तक सीमित नहीं है क्योंकि आपके विंडोज कम्प्यूटरों में भी कोर्टाना नामक वर्चुअल असिस्टेंट या आभासी सहायक मौजूद है, बशर्ते आप विंडोज 10 या विंडोज 11 का इस्तेमाल करते हों। कोर्टाना हिन्दी और दूसरी भाषाओं में अनुवाद करने में सक्षम है। मिसाल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी में कहता है कि फलाँ वाक्य का हिन्दी या तमिल में अनुवाद करो तो कोर्टाना न सिर्फ सुनी हुई बात का लिखित में अनुवाद करती है बल्कि उसे पढ़कर भी सुनाती है।

क्या अब भी कहने की जरूरत है कि तकनीक के साथ हिन्दी और हिन्दी के साथ तकनीक कितनी गहराई से जुड़ चुकी हैं।

निदेशक
स्थानीय भाषा और सुगमता
माइक्रोसॉफ्ट, गुडगाँव

❍❍❍

'पंखहीन'

अतीत में झाँकना बहुत अच्छा लगता है पर उसको परखने की अपनी-अपनी दृष्टि होती है। अतीत हमेशा समृद्ध होता है, समृद्धि का अर्थ मात्र ऐश्वर्य और वैभव नहीं बल्कि दुख, पीड़ा, वेदना और दर्द भी है बल्कि वही अधिक है।

-विष्णु प्रभाकर

हमें अपने शुद्ध स्वार्थों से ऊपर उठकर समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे समय कभी स्थिर नहीं रहता वैसे ही विचार भी कभी स्थिर नहीं रहते और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कमजोरियों से कटकर कोई महान नहीं होता। इसलिए हमें अपनी कमजोरियाँ स्वीकार करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।

-विष्णु प्रभाकर

राजभाषा हिन्दी - बाधाएँ और समाधान

-अमिताभ खरे

अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रपति सम्पदा, के.लो.नि.वि. कार्यालय की गृह पत्रिका में अपना योगदान देने के अवसर को मैं एक अत्यंत गरिमामयी अवसर मानता हूँ और इस पत्रिका के प्रकाशन की संकल्पना और सत्प्रयास के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी गण की टीम को बधाई देता हूँ। इस पत्रिका के माध्यम से, इस सर्वोच्च भवन से जो संदेश जाएगा वह पूरे देश के लिए पथ-प्रदर्शक होगा।

हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्ष पूरे करने की दहलीज पर खड़ा है। हिन्दी भाषा हमारे लम्बे, देशव्यापी स्वतंत्रता संग्राम की एक अभिन्न उत्प्रेरक, उसके जन-जन तक विस्तार का एक प्रभावशाली माध्यम और कोटि-कोटि जनता का एक बड़ा साझा सपना थी। महात्मा गाँधी हों, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सीमांत गाँधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, विनोबा भावे या अन्य अनेक भिन्न भाषा-भाषी जन नायकों ने देश की आजादी और मजबूती के लिए हिन्दी की सार्वदेशिक भूमिका को स्वीकार किया था। उनकी इस सोच और हिन्दी के प्रति उनकी निष्ठा का सुफल मिला। हिन्दी के माध्यम से अनुप्राणित व संकल्पित जन-आंदोलन की शक्ति के आगे विश्व के सबसे ताकतवर देश ब्रिटेन ने घुटने टेक दिए और भारत स्वतंत्र हो गया। इसी पृष्ठभूमि में भारत के संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को देश की राजभाषा का दर्जा दिया।

परन्तु स्वतंत्रता के बाद से आज तक के काल खंड में हिन्दी को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। दैनन्दिन व्यवहार में अब हिन्दी वह भावनात्मक सपना नहीं रह गयी है, जिसने दुनिया के सबसे बड़े अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन को स्पंदित और प्रेरित किया था। इस पत्रिका से जुड़े लोग इसके मार्गदर्शन, सम्पादक, लेखक और पाठक भी इस वस्तुस्थिति से भलीभाँति परिचित हैं और स्वयं अपने व्यक्तिगत अनुभवों से जानते हैं कि संविधान द्वारा निर्देशित सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की बात सामान्यत: एक रस्म अदायगी मात्र बन कर रह गयी है। एक बड़े सपने की ऐसी दुरवस्था अत्यन्त दुखद है और सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।

दरअसल 1947 में देश को राजनैतिक आजादी तो मिल गयी परन्तु अंग्रेजों के 250 साल लम्बे विभेदकारी शासन और सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत थोपी गयी उस मानसिक गुलामी से आजादी नहीं मिली, जिसके तहत अंग्रेजी को श्रेष्ठ, संभ्रांत, शक्तिशाली शासकवर्ग की भाषा का दर्जा दिया गया और स्वदेशी जन-भाषाओं को अनपढ़ गँवार लोगों की भाषाएँ घोषित कर उनके प्रति समाज में एक गहरी हीनता ग्रंथि का बीज बो दिया गया। यह धारणा बन गयी कि अच्छी शिक्षा, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और प्रगति के दरवाजे अंग्रेजी से ही खुलते हैं। यह अंग्रेजों का एक कुटिल षड्यंत्र था कि ऊँच-नीच की खाई पैदा कर देश को बाँटे रखें, ताकि उनका औपनिवेशिक शोषण बदस्तर चलता रहे, देश के चंद तथाकथित पढ़े-लिखे लोग अंग्रेजों का अंधानुसरण कर अपने को श्रेष्ठ मानने लगें और अपने ही भाई बहनों को तुच्छ समझने लगे। उनकी यह चाल पूरी तरह सफल हुई। आज भी हमारे समाज में अंग्रेजी पढ़े-लिखे और फर्राटे से इसे बोलने वाले लोगों को ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें ज्यादा सुविधाएँ मिलती हैं। इसीलिए आजादी के सात दशकों के बाद भी हर छोटे-बड़े शहर-गाँव के गली-कूचों में कुकुरमुत्तों की तरह खुलने वाले अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की संख्या और अभिभावकों की उनकी तरफ बदहवास दौड़ लगातार बढ़ती जा रही है।

ऐसा नहीं है कि यह हीन भावना केवल हिन्दी का नुकसान कर रही है, इसका शिकार सभी भारतीय भाषाएँ हो रहीं हैं और अपनी-अपनी जमीन से बेदखल हो रही हैं। इससे भी खतरनाक बात यह है कि यह ह्रास केवल भाषाओं का ह्रास नहीं है, अपितु हजारों साल पुरानी जमीन से जुड़ी, समृद्ध स्थानिक संस्कृतियों का क्रमिक ह्रास है, भारत की विशद भौगोलिक पारिस्थितकीय विविधता का ह्रास है। भाषा केवल मामूली बातचीत और सतही दैनन्दिन कार्य व्यवहार को पूरा करने तक सीमित नहीं होती। वह शब्दों के माध्यम

से बाल मन में छवियाँ गढ़ती है, संस्कारों को, जीवन मूल्यों को गढ़ती है। भारत में विनम्रता, आत्मीयता, एक-दूसरे के दु:ख-सुख में साथ खड़े रहने की तत्परता, बड़ों के प्रति आदर, सम्मान और सेवाभाव के अनुकरणीय संस्कार यहाँ के लम्बे सामाजिक और सामूहिक मानवीय जीवन अनुभवों से उपजे हैं और अपनी भाषा-शब्दावली में अभिव्यक्त होते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते-चलते पुष्ट हुए हैं। पाश्चात्य जगत की सीमित व्यक्तिक हित-चिंता, एकाकीपन और अलगाव के भावों के अनुभवों से उपजी भाषा का अंधाधुंध बढ़ता हुआ प्रयोग भारतीय संस्कृति के इन विशिष्ट और सर्वथा श्रेयस्कर जीवन मूल्यों का निरंतर क्षरण करता जा रहा है। इससे हमारे देश और समाज का बड़ा नुकसान हो रहा है।

भाषागत हीन भावना और भेदभाव देश के समग्र समावेशी विकास की राह में भी बड़े रोड़े खड़े कर रहे हैं। भारत के गाँवों में, सुदूर अंचलों, पहाड़ों, जंगलों में रहने वालों में, गरीब वंचित लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ऐसे हजारों प्रेरणादायक उदाहरण सामने हैं जहाँ थोड़ा भी समावेशी अवसर मिलने पर इस नैसर्गिक प्रतिभा के धनी लोगों ने बड़ी से बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। परन्तु अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व के चलते, देश की अधिसंख्य जनता देश की प्रगति में अपना जरूरी योगदान नहीं दे पा रही और स्वयं भी देश की विकास-धारा के फलों से वंचित हो रही है।

कुछ अन्य व्यवहारिक कारण भी हिन्दी के पिछड़ते जाने के लिए जिम्मेदार हैं। आजादी के बाद भी शासन-प्रशासन, न्याय, उच्च शिक्षा और रोजगार में अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा। इसकी नींव संवैधानिक प्रावधानों में ही पड़ गयी थी जब हिन्दी को देश की राजभाषा का दर्जा तो दिया गया परन्तु साथ ही यह व्यवस्था भी कर दी गई कि साथ ही साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी 15 वर्षों तक जारी रहेगा। बाद में इस समय सीमा को भी समाप्त कर दिया गया। उच्च और तकनीकी शिक्षा में भी हिन्दी को सही ढंग से लागू नहीं किया गया। नौकरियों में भी अंग्रेजी ज्ञान को वरीयता दी जाती रही। इसके चलते अंग्रेजी का वर्चस्व और लोगों में उसके प्रति ललक बढ़ती गयी। सरकारी काम काज में जितनी कल्पनाहीनता के साथ क्लिष्ट अनुवाद किए गए, वाक्यों की संरचना को हिन्दी के अनुरूप न ढ़ाल कर शब्दश: अंग्रेजी के ढाँचों में प्रस्तुत किया गया। उसने सरकारी हिन्दी को दुरूह, अव्यावहारिक और हास्यास्पद तक बना दिया। इसके बाद सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को एक बड़ा धक्का उस समय लगा, जब कार्यालयों में कम्प्यूटर्स का प्रसार हुआ। आरम्भ में, कम्प्यूटर में हिन्दी भाषा में काम करने की समुचित सुविधा नहीं थी। हिन्दी में काम करने के लिए तरह-तरह के कीबोर्डस बने, अलग-अलग फॉन्ट्स बने। परन्तु एक कम्प्यूटर में किया गया कार्य दूसरे कम्प्यूटर पर ठीक वैसे का वैसा नहीं खुलना था। सार्टिंग, गणना, डेटाबेस और ईमेल की सुविधाएँ नहीं थीं। फलस्वरूप, कार्यालयों में जहाँ-जहाँ थोड़ा बहुत काम हिन्दी में हो रहा था, उसमें भी भारी कमी आ गयी। थोड़े बहुत सुधारों को छोड़ दें तो सरकारी कार्यालयों में कमोवेश यही स्थिति अभी भी बनी हुई है।

उपरोक्त बाधाएँ और कठिनाइयाँ अपनी जगह हैं, परन्तु इन सबका समाधान निकल सकता है और बहुत कुछ निकल भी चुका है। शिक्षा को ही ले लें तो यह धारणा कि अच्छी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में ही मिल सकती है, वास्तविकता में सही साबित नहीं हुई है। जर्मनी, रूस, चीन, जापान आदि विकसित देशों द्वारा अपनी-अपनी भाषाओं के माध्यम से विज्ञान, टैक्नोलॉजी और ज्ञान के अन्य विशिष्ट उच्च स्तरीय क्षेत्रों में उल्लेखनीय दूरगामी उपलब्धियों को प्राप्त करना इस भ्रांत धारणा के छलावे का पर्दाफाश कर देना है। विश्वस्तरीय मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों ने बार-बार इस बात को सिद्ध किया है कि मन में विचार और भावनाएँ जिस भाषा में आते हों उसी भाषा में आरम्भिक शिक्षा होनी चाहिए। इससे बच्चों का भावनात्मक विकास, उनकी ग्रहण शक्ति और मौलिक सोच को बढ़ावा मिलता है, वे नए-नए आविष्कार कर सकते हैं और ज्ञान-विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। यह सौभाग्य का विषय है कि नई शिक्षा नीति ने इस सच्चाई को समझा है और प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने पर बल दिया है।

इसी तरह कम्प्यूटर की बाधा भी अब केवल एक बहाना मात्र रह गयी है। हमने भले ही अपने शासन की सोच में समाज के निचले तबकों को ईमानदारी से वह प्राथमिकता नहीं दी हो जिसके वे हकदार हैं परन्तु बड़ी-बड़ी कम्प्यूटर कम्पनियों ने करोड़ों लोगों तक अपनी पैठ बनाने और अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग में आने वाली बाधाओं को क्रमिक रूप से दूर किया है। इस दिशा में यूनिकोड एक क्रान्तिकारी मील का पत्थर साबित हुआ है। यूनिकोड में लिखी गयी हिन्दी किसी भी

ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी भी प्लेटफॉर्म पर समान रूप से प्रयोग की जा सकती है। सार्टिंग, गणना, डेटाबेस और ईमेल की सुविधाएँ हिन्दी में भी सहज ही उपलब्ध हैं। किसी भी प्रश्न के उत्तर, जानकारी, सूचना आदि को जादुई चिराग के जिन्न की तरह पलक झपकते हमारे सामने हाजिर कर देने वाला गूगल सर्च इंजन भी हिन्दी में बखूबी काम करता है। गूगल ट्रांसलेट ऐप अनेक भाषाओं में त्वरित अनुवाद की सुविधा सहज में उपलब्ध कराता है। दूर-दराज के छोटे-छोटे गाँवों, कस्बों में अनपढ़ लोग भी अपनी भाषा में मोबाइल फोन पर जरूरी काम कर ले रहे हैं।

सच्चाई यह है कि बढ़ते हुए डिजिटलीकरण ने हिन्दी में काम करने को भी बहुत आसान बना दिया है। अब जरूरत केवल अपने मन में संकल्प करने और इच्छाशक्ति की है। तो आइए स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव के सुअवसर पर हम सारे बहाने और आदतन पड़ी शिथिलता को छोड़कर यह संकल्प लें कि बिना किसी हीनभावना के गर्व के साथ, अपने कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करेंगे। अंततः लोकतंत्र में सामन्यजन ही सर्वोच्च होता है, सारी शासन व्यवस्था उसी के कल्याण के लिए ही बनी होती है तो हमें भाषा भी वही प्रयोग करनी चाहिए जो इस शासन व्यवस्था को अंतिम पंक्ति में खड़े आमजन के दरवाजे तक ले जाए, जो सरल हो, आम बोलचाल की हो और जिसका वाक्य विन्यास भी सहज हो। तभी हम अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर सकेंगे और आमजन को देश की प्रगति में साझीदार बनाकर देश को नई से नई गौरवमयी ऊँचाइयों तक ले सकेंगे।

शुभ संकल्प!! जय हिंद!! जय हिंद!!

पूर्व कार्यकारी निदेशक
रेलवे भर्ती बोर्ड्स
एवं पूर्व प्रधान केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद

❍❍❍

विचार आते हैं

-गजानन माधव मुक्तिबोध

विचार आते हैं
लिखते समय नहीं
बोझ ढोते वक्त पीठ पर
सिर पर उठाते समय भार
परिश्रम करते समय
चांद उगता है व
पानी में झलमलाने लगता है
हृदय के पानी में।
विचार आते हैं
लिखते समय नहीं
...पत्थर ढोते वक्त
पीठ पर उठाते वक्त बोझ
साँप मारते समय पिछवाड़े
बच्चों की नेकर फचीटते वक्त।।
पत्थर पहाड़ बन जाते हैं
नक्शे बनते हैं भौगोलिक
पीठ कच्छप बन जाते हैं
समय पृथ्वी बन जाता है...

हिन्दी राष्ट्रीयकता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती हैं।

-पुरुषोत्तम दास टंडन

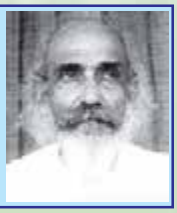

अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं हैं, यहीं है....

-उमेश बंसल

इस सदी के दूसरे दशक के अंतिम वर्षों में से वर्ष था 2020, माह था मार्च। एक तरफ ठंड जाने की तैयारी में थी वहीं दूसरी तरफ एक वैश्विक महामारी अपने पैर पसार रही थी। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। इस महामारी ने भारत में भी कदम रख दिया था। मैं उस महामारी का जिक्र कर रहा हूँ जिसको कोविड-19 नाम दिया गया।

हमारी सरकार इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव प्रयत्न कर रही थी जिसमें से एक था पूर्णतया लॉक-डाउन। मुझे याद पड़ता है कि वह दिन था-22 मार्च 2020, जब इसे कुछ जरूरी रियायताओं के साथ लगाया गया था। क्योंकि मैं राष्ट्रपति भवन में तैनात था और वहाँ के रखरखाव के कारण बाहर निकलना पड़ता था। लेकिन अधिकतर लोग घर में कैद हो चुके थे। फिर 31 मई से धीरे-धीरे इस लॉक-डाउन को खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

मैं और मेरा परिवार भी आठ-नौ महीने घर पर ही रहा था और कहीं निकल न पाने के कारण दिसंबर माह में विचार

वायुयान से कश्मीर की पहाड़ियों का चित्र

किया कि एलटीसी पर कहीं घूमने जाना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद कश्मीर जाना तय किया गया। मैंने अपने एक मित्र से पूछा क्या वह भी चलना चाहेंगे उनका उत्तर हाँ था क्योंकि उनकी स्थिति भी बिल्कुल हमारी तरह थी। अब बारी थी निर्णय लेने की कि कश्मीर में कहाँ-कहाँ और कितने दिनों के लिए जाएँ। अपने मित्रों से बात करके प्रोग्राम बना कि

गुलमर्ग

पहले गुलमर्ग, फिर वहाँ से पहलगाम और अंत में श्रीनगर घूमेंगे। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव गुलमर्ग था। शाम तक हम वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ऐसा नजारा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस लोक में पहुँच गया हूँ लेकिन यह तो शुरुआत थी क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी थी।

गुलमर्ग में देखने के लिए विशेषरुप से दो स्थान हैं शिव मंदिर जो चारों ओर बर्फ से घिरा हुआ था और गंडोला जो भारत का सबसे अधिक ऊँचाई पर स्थित रोपवे है। गंडोला से ऊपर पहुँच कर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जा सकती है। हम सब भी इस आनंद को लेने से कैसे वंचित रहते। गंडोला की

सवारी दो स्थानों पर रूकती है। हम सबसे पहले ऊपरी स्थान पर गए क्योंकि यदि मौसम खराब हो जाता है तो वहाँ के लिए गंडोला बंद हो जाता है। ऊपर पहुँच कर वहाँ का नजारा देखकर हमें यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा सौन्दर्य से भरपूर स्थान हमारे देश में भी है। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ, एकदम सफेद और रूई की तरह मुलायम, हल्की-हल्की धूप और चाय-कॉफी-मैगी की दुकान। दिल चाहता था कि चाय के साथ हर इस पल को अपनी यादों में दर्ज किया जाए और हमने वही किया। कुछ पलों को मैंने कैमरे में भी कैद किया है। उनमें से एक तस्वीर नीचे दी जा रही है।

दोपहर के बाद हम सब गंडोला से मध्य भाग में आ गए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही थी। अब मैं पुनः मुद्दे पर आते हुए बताता हूँ हमारे पास समय का अभाव था इसीलिए केवल

गंडोला से सबसे ऊपरी स्थान पर पहुँचना

हमने बर्फ पर स्कूटर तथा उनकी स्वयं निर्मित साइकिल चलाई। इन दोनों को चलाने में जो आनंद आया वह हमारे लिए यादगार बन गया और हम अक्सर ही उसकी चर्चा आपस में आज भी कर ही लेते हैं।

अगले दिन हमारे पास गुलमर्ग के लिए आधा दिन था।

स्पोर्ट्स एक्टिविटी

बूटा पाथरी

हम आर्मी कैंप में रुके थे इसीलिए उनसे मालूम कर वहाँ से 9 किलोमीटर दूर स्थित हम सभी बूटा-पाथरी देखने गए। यह जगह इस दौरान पब्लिक के लिए बंद रहती है इसीलिए सब कुछ यहाँ पर अछूता था और गिरती हुई बर्फ हमारा स्वागत कर रही थी। इससे पहले भी बर्फ गिरते हुए देखी है लेकिन तब आस-पास बहुत लोग होते थे। अब मौका था कि हम वह सब करें जो हमारा दिल चाहता है, वो दिल जो बच्चों की तरह कुछ भी करने के लिए उन्मुक्त हो और हमने वही किया।

दोपहर बाद हम पहलगाम के लिए रवाना होकर होटल पहुँचे जहाँ हमें विश्राम करना था। यह होटल लिंडर नदी के किनारे स्थित था और यह स्थान गुलमर्ग से कम ठंडा था। बहते पानी की ध्वनि कानों को इतनी प्रिय लग रही थी कि मन कर रहा था कि इसके किनारे बैठ कर नदी में रखे पत्थरों के साथ पानी के टकराने की ध्वनि को बस यूँ ही सुनते रहें तथा पानी-पत्थर के टकराव और बचाव को बस यूँ ही देखते रहें।

समय का अभाव था। अगले दिन नदी के किनारे हमने कुछ तस्वीरें खींची और निकल पड़े यहाँ के मिनी स्विट्जरलैंड और बेताब वैली को देखने के लिए। मिनी स्विट्जरलैंड का वास्तविक नाम कुछ और होगा जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। यहाँ पहुँचने का रास्ता पैदल या पोनी की सवारी है। हमने

लिंडर नदी

बेताब वैली

पोनी से जाना तय किया और बाद में आभास हुआ कि हमारा फैसला ठीक था। उनकी सवारी रोमांच से भरपूर थी। रास्ता ऊँचा-नीचा और फिसलन भरा था। इस यात्रा के दौरान हमने पोनी पर सवारी करना भी सीख लिया था जैसे पोनी के ऊपर चढ़ते समय आगे झुकना और उतरते समय पीछे झुकना और पोनी को रोकने के लिए लगाम खींचना और चलाने के लिए पोनी के पेट पर दस्तक देना है इत्यादि। पोनी की सवारी सीखते-सीखते और रास्ते का आनंद लेते-लेते कब मिनी स्विट्जरलैंड पहुँच गए पता ही नहीं चला। यह स्थान चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। हम सभी ने कुछ समय वहाँ व्यतीत किया और फिर हम बेताब वैली पहुँच गए। इसका नाम यहाँ पर बेताब फिल्म का छायांकन होने के कारण पड़ा था। बहुत ही खूबसूरत स्थान था जिसका सौन्दर्य आज भी आँखों में बसा हुआ है। क्या-क्या नहीं था देखने के लिए, बहती नदी उस पर लकड़ी का पुल और चारों तरफ बर्फ तथा ऊँचाई पर बनी झोंपड़ी। सब का लुफ्त लेकर हम सब अपने होटल में विश्राम करने के लिए पहुँच गए।

अब तक हम अपनी आधी यात्रा पूरी कर चुके थे। अब बारी थी 9 होल वाला गोल्फ कोर्स देखने की और श्रीनगर के रास्ते में स्थित अवंतीपुर स्वामी मंदिर के दर्शन की जहाँ आँधी फिल्म का छायांकन हुआ था। गोल्फ कोर्स देखा जो कि पूर्णतया बंद था क्योंकि बर्फ की चादर बिछी हुई थी जिस पर खेलना संभव नहीं था। इसके पश्चात् हम पहुँचे अवंतीपुर स्थित मंदिर। वहाँ हमें एक बुजुर्ग मिले जो हमें मंदिर दिखाने और समझाने के लिए तैयार हो गए। मंदिर के प्रमुख भागों को उन्होंने दिखाया और उन स्थानों की भी जानकारी दी जहाँ से अच्छे फोटो लिए जा सकते थे। हमने भी इस ज्ञान का लाभ उठाया। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ पर 'तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं' गाने की शूटिंग हुई है। उस दौरान हमें ऐसा आभास हो रहा था मानो फिल्म के नायक श्री संजीव कुमार और नायिका श्रीमती सेन हमारे साथ वहीं घूम रहे हों। इसके पश्चात् हम अपने अंतिम पड़ाव श्रीनगर के डल लेक किनारे स्थित संतूर होटल पहुँचे।

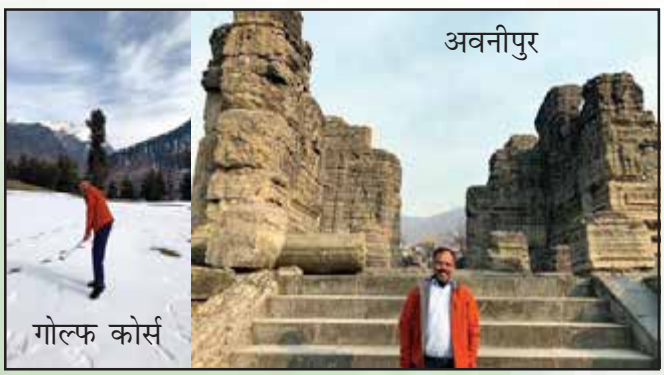

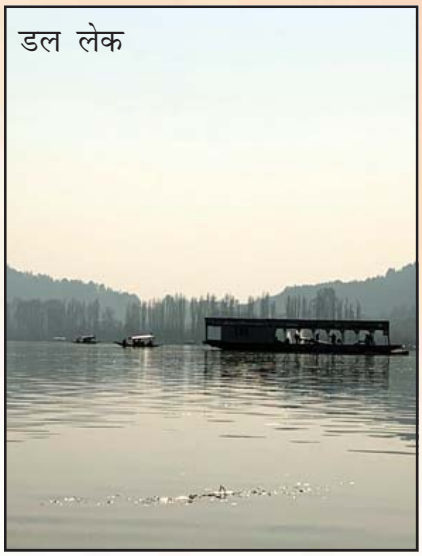
डल लेक

श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम की तुलना में कम ठंडा था। यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारे स्थान थे जिसमें डल लेक और उसमें शिकारे की सवारी, चश्मे शाही, हजरत बल दरगाह, शालीमार बाग, निशात बाग, शंकराचार्य मंदिर, परी महल, ट्यूलिप गार्डन इत्यादि। हजरत बल दरगाह और ट्यूलिप गार्डन को छोड़कर ये सभी स्थान हमने देखे। बागो में ठंड के कारण फूल कम थे लेकिन हमने वहाँ की वास्तु कला के सौन्दर्य तथा चिनार के पेड़ के सूखे पत्तों पर चलने तथा उसकी आवाज को महसूस करने का मजा लिया। हमने डल लेक स्थित चार-चिनार स्थान को भी देखा जहाँ पर अब केवल चिनार के तीन पेड़ रह गए हैं। अगले दिन हमें वापस दिल्ली आना था तो सोचा उस स्थान को भी देखा जाए जो लाल चौक के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ समय से यह बहुत चर्चा में रहा है। इसके बाद हमारी एक अविस्मरणीय यात्रा समाप्त हुई और अगले दिन हमें वायुयान से दिल्ली वापस आना था। दिल्ली वापस आकर हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए परंतु कश्मीर के खूबसूरत दृश्य अभी भी हमारे जेहन में ताजा है। यदि जिंदगी में दोबारा मौका मिला तो हम अवश्य ही दोबारा कश्मीर जाएँगे। वह कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है और जो सही मायनों में स्वर्ग है भी।

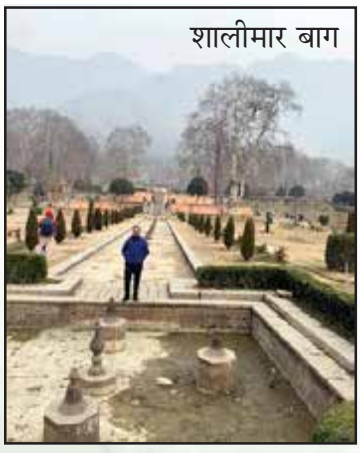
शालीमार बाग

उप महानिदेशक
मानव संसाधन-I,
के.लो.नि.वि.
निर्माण भवन, नई दिल्ली

ooo

संविधान और हम

-साकेत सहाय

हमारा संविधान सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं। हमारा संविधान सहस्रों वर्ष महान परंपरा, अखंड धारा व मूल्यों की आधुनिक अभिव्यक्ति है।

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

26 जनवरी 1950 को लागू भारत का यह संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। यह सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को परिभाषित करता है। विधायिका विधि बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका इन विधियों का निर्वचन करती है। संविधान यह अपेक्षा करता है कि सरकार के तीनों अंगों में सामंजस्यपूर्ण संबंध हो। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को विशिष्ट स्थान दिया है। वह नागरिकों के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है। परंतु हाल के दशकों में सरकार के तीनों ही अंगों पर कुछ छींटे पड़े हैं।

किसी भी राष्ट्र के लिए उसके संविधान का बहुत अधिक महत्त्व होता है। यह केवल चार अक्षरों का शब्द या एक पुस्तक मात्र नहीं वरन् देश का विधायी निर्देशक है। देश की आजादी को वास्तव में भारत का संविधान ही परिभाषित करता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में यह बहुत बड़ा अंतर है। गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में **''आजादी से मतलब मानसिक आजादी से है, सामाजिक समानता से है। ऐसी आजादी से है जहाँ सभी को समानता हासिल हो, सभी का सर ऊँचा रहे।''** भारत का संविधान अपने नागरिकों को देश के प्रति अधिकार एवं कर्तव्यों को समझने का दायित्व प्रदान करता है।

अगर हम अपनी आजादी के 74 वर्षों के सफर को देखें तो हम पाएँगें कि एक हद तक हमने इस लक्ष्य को हासिल किया है, जिसमें इस देश के संविधान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक व्यक्ति के लिए भले ही 74 वर्ष का समय बहुत ज्यादा हो परन्तु एक राष्ट्र के लिए यह समय बहुत अधिक नहीं होता और वो भी भारत जैसे देश के लिए जो सदियों की दासता के बाद स्वाधीन हुआ हो और आजादी में उसे सदियों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक रूप से टूटे भारत की विरासत मिली हो। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत ने जो सफलता पाई है उसमें इस देश की संवैधानिक व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे शिक्षा हो, खाद्यान्न हो या स्वास्थ्य सभी में भारत ने प्रगति दर्ज की है।

परंतु आज भी यह देश कई चुनौतियों के बीच जूझ रहा है। इस देश का आम नागरिक कई बार यह सोचता है कि क्या हमें आजादी मिली भी है? अशिक्षा, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, भुखमरी जैसी समस्यायें आज भी व्याप्त हैं। अत: उसे इस देश के संविधान में भी खोट दिखाई देता है। परंतु यह सोच गलत है। क्योंकि संविधान हमें लैंगिक समानता, न्यायिक समानता का अधिकार देता है। साथ ही हमारे अधिकार भी सुरक्षित करना है।

ऐसे में राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ ही देश की जनता को राष्ट्र के संविधान निर्माण की 73वीं वर्षगांठ पर देश की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद के समापन भाषण की इन पंक्तियों को स्मरण करना होगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने समिति को संबोधित करते हुए कहा था **''यदि लोग, जो चुनकर आएँगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वह दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि उनमें इन गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता। आखिरकार एक मशीन की तरह संविधान भी निर्जीव है। हमारे में सांप्रदायिक, जातिगत, भाषागत और प्रांतीय अंतर है। इसके लिए दृढ़ चरित्र वाले और दूरदर्शी लोगों की जरूरत है जो छोटे-छोटे समूह तथा क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान न दें।''**

इस संबोधन से स्पष्ट है कि देश को एक सशक्त, पारदर्शी नेतृत्व की जरूरत प्रारंभ से ही रही है। ऐसा नेतृत्व जो देश के व्यापक हितों को समझे। न कि छोटे-छोटे समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान करे।

यह सही है कि राष्ट्र की सफलता में नेतृत्व शक्ति का बहुत बडा हाथ होता है परंतु इस नेतृत्व शक्ति की सशक्तता में सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सामंजस्यपूर्ण संबंधों के साथ ही जनता की बड़ी भूमिका होती है। देश को प्रगति-पथ पर अग्रसर करने में इनकी भूमिका स्पष्ट है और इनकी भूमिका को रेखांकित करने में संचार माध्यमों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि जनमत निर्माण में इनकी स्पष्ट भूमिका है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा संविधान इनकी स्पष्ट व्याख्या करता है। पर कई दफा ईमानदार नेतृत्व के अभाव में हम इस व्याख्या को समझने में असफल रहे हैं ऐसे में संविधान कहाँ दोषी? यहीं पर डॉ. राजेंद्र प्रसाद के उद्‌बोधन को समझने की आवश्यकता है।

26 नवंबर की ऐतिहासिक तिथि को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग समिति के चेयरमैन डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारतीय संविधान की मूल प्रति प्रदान की थी। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवम्बर, 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवम्बर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्त्व का प्रसार करने और डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रसार करने के लिए चुना गया था। इस दिन संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य एवं स्वतन्त्र भारत में शिक्षा प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले डॉ. सर हरीसिंह गौर की जन्मतिथि भी है।

यह जरुरी है कि भारतीयता एवं मानवता हेतु हम दुनिया के सबसे बड़े एवं लचीले संविधान की व्यापकता को समझें। हालांकि यह तिथि मुम्बई हमले की भी याद दिलाता है जब धार्मिक उन्माद के नाम पर हमसे ही अलग हुए पाकिस्तान ने मुम्बई की आंतकवादी घटना को अंजाम दिया था। पाकिस्तान का जन्म भी हमारे संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करता है। भारतीयता की मूल भावना को कमतर करता है। भारतीयता हमें पंथ, सम्प्रदाय से इतर एक भारतीय नागरिक बनने को अभिप्रेत करता है जिसके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। हमारा संविधान इसी मूल भावना की बात करता है।

संविधान, हमारे लिए सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारे समाज की, हमारी परंपराओं, मान्यताओं के समावेश के साथ ही हमारी जीवन शैली को साकार करने का भी आख्यान है, साथ ही इसमें हमारी चुनौतियों का समाधान भी है। हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को जहाँ अधिकारों के प्रति सजग रखता है वहीं उसे कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी बनाता है। संविधान की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि हम अपने दायित्वों को समझें। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच अटूट रिश्ता है। हमारा संविधान 'हम भारत के लोग' से शुरू होता है। भारत के लोग ही इसकी ताकत हैं, इसकी प्रेरणा हैं और हम ही इसका उद्देश्य हैं।

भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार रहे भारतरत्न अंबेडकर मजबूत और एकजुट भारत के प्रखर उद्‌घोषक रहे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित और कैलीग्राड भारत के संविधान जिसमें किसी भी तरह की टायपिंग या प्रिंटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया, को समिति के अध्यक्ष को सौंपते वक्त बाबा साहेब अंबेडकर ने देश को स्मरण कराते हुए कहा था- 'भारत पहली बार आजाद हुआ 1947 में, या गणतंत्र बना ऐसा नहीं है, भारत पहले भी आजाद था। आजादी तो हो गई लेकिन क्या इसको बनाए रख सकते हैं?'

प्रसंगत: भारत के सशक्त लोकतंत्र के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का आदर्श समन्वय स्थापित हो, इस हेतु भारत का संविधान महत्त्वपूर्ण अवसर देता है। इस हेतु यह जरूरी है कि सरकारों के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को संविधान के बारे में जागरुक किया जाए। यह दिवस इसका अवसर प्रदान करता है। आइए! संविधान को सशक्त करने में अपना योगदान दें।

वरिष्ठ प्रबंधक
पंजाब नेशनल बैंक

❍❍❍

मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो,
मेरी छोटी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो।

-महादेवी वर्मा

राष्ट्रपति भवन परिसर मे आरोग्य वनम् का विकास निर्माण

-वैभव जैन

भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने फरवरी 2021 में गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वहाँ पर स्थित आरोग्य वन का भी दौरा किया व इस अवधारणा को पसंद किया। यात्रा से लौटने के पश्चात् राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन के परिसर में भी उसी प्रकार के औषधीय उद्यान के निर्माण की इच्छा व्यक्त की ताकि राष्ट्रपति भवन में आने वाले भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच आयुर्वेदिक औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। वर्तमान में राष्ट्रपति संपदा में मौजूद हर्बल गार्डन है परन्तु वह छोटे पैमाने पर है।

तत्पश्चात् केन्दीय लोक निर्माण विभाग को गुजरात व हरिद्वार में स्थित आरोग्य वन की तर्ज पर राष्ट्रपति भवन परिसर में आरोग्य वन के विकास के लिए विभिन्न विकल्पों की योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस उद्यान के लिए पौधों की अवधारणा, चयन व खरीद के लिए गुजरात और छत्तीसगढ़ के वन विभागों की मदद ली गई। यहाँ स्थित गेट नंबर 37 व 4 के बीच 6.6 एकड़ भूमि के क्षेत्र को इस उद्यान के निर्मित करने के लिए चुना गया। जिसका उपयोग भंडारण, पार्किंग और विविध उपयोगों के लिए किया जा रहा था। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वास्तुकार द्वारा विभिन्न प्रकार के वास्तु अभिकल्पन ड्राईंग तैयार कर मार्च 2021 में माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मुख प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत वास्तु अभिकल्पन ड्राईंग में से योग मुद्रा में स्थित आरोग्य मानव ड्राईंग का चयन कर अनुमोदित किया गया। उद्यान को जनता के देखने के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त को संज्ञान में लेते हुए आरोग्य वनम् की परिकल्पना आयुर्वेदिक वनस्पतियों की महत्ता तथा मानवीय अंगों पर उनके प्रभाव को जनमानस में प्रचारित करने के उद्देश्य से की गई है। इसकी स्थापना का ध्येय जागरूकता फैलाना भी है ताकि राष्ट्रपति भवन के भ्रमण हेतु आने वाले अतिथिगण यहाँ लगाए गए विभिन्न प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर पेड़-पौधों के गुणों से, उनकी सुगन्ध से तथा उनके महत्त्व से अवगत हो सकें। आरोग्य वनम् की संरचना

योग मुद्रा में बैठे हुए मानव के आकार में की गई है। इसके साथ ही यहाँ फव्वारे, योगमंच, सेल्फी स्थल, व्यू प्वाइंट, झरने, कमल-सरोवर व ग्रीन हाउस भी हैं।

इस आरोग्य वन में अरण्ड, बेल घृतकुमारी, गिलोय, नीम, सहजन, तुलसी, बबूल, जामुन, हरसिंगार, अर्जुन, लेमनग्रास, कालमेघ, अश्वगन्धा, ऐलोवेरा, पीपल, पाकड़ व अन्य पौधों सहित कुल 215 प्रकार के पौधों का रोपण किया गया है। ये सभी पौधे शरीर के विभिन्न अंगों के लिए लाभदायक व उपयोगी होने की दृष्टि से लगाए गए हैं।

इस आरोग्य वन में योग साधना के लिए योगमंच का भी निर्माण किया गया है। आरोग्य वनम् के मध्य में निर्मित आरोग्य मानव की आकृति में लाल व सफेद पत्थर का पथ बनाया गया है तथा आरोग्य मानव के सिर व पैरों की ओर मोर पंख-नुमा आकृति की छः फुलवारी बनायी गयी हैं। इस उद्यान में मुख्य द्वार से प्रवेश करने के साथ ही जल की शीतलता की सुखानुभूति के लिए सामने तथा दाहिनी ओर फव्वारे बनाए गए हैं। यहाँ झरने का भी निर्माण किया गया है ताकि आगन्तुकों का प्रकृति से सीधा तादात्म्य स्थापित हो सके।

कार्यपालक अभियंता
राष्ट्रपति सम्पदा मंडल
के.लो.नि.वि.
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

❍❍❍

राजभाषा हिन्दी : चुनौतियाँ एवं समाधान

-डॉ. महेश चन्द्र गुप्त

संविधान के अनुच्देछ 343 के अनुसार हिन्दी भारत संघ की राजभाषा है। वस्तुतः क्षेत्रफल में आज से लगभग दुगुने भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल हो रही हिन्दी को संविधान निर्माताओं ने भारत संघ की राजभाषा घोषित करके और संविधान सम्मत दर्जा देकर देशवासियों पर एक व्यावहारिक दायित्व सौंप दिया। कुछ लोगों का यह मत है कि हिन्दी अब राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है, उचित नहीं है। हिन्दी दोनों दायित्व ही सफलता से निबाह रही है।

हिन्दी का संघ की राजभाषा का दर्जा संविधान निर्माताओं का सर्वसम्मत निर्णय था क्योंकि यह तब भी स्पष्ट था और आज भी स्पष्ट है कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी किसी भी तरह न्यूनतर नहीं है। यद्यपि कुछ लोग इसे आज स्वीकार नहीं करते हों क्योंकि उनके मनों में हीनता की गाँठ विद्यमान है और स्वाभिमान की भावना का अभाव है।

संघ की राजभाषा होने का स्पष्ट भावार्थ है कि हिन्दी में कामकाज हो। सरकारी स्तर पर हिन्दी में कार्य हो और यह अपेक्षा है कि गैर-सरकारी अनेक निगम, उद्योग समूह और व्यावसायिक संगठन भी संविधान के इस प्रावधान का पालन करें। ऐसा होने पर राष्ट्र में एकीकरण की भावना प्रबल होगी। इसका यह अर्थ नही है कि संविधान के अनुच्देद 345 की अवहेलना की जाएगी। उसके अनुसार राज्यों में सरकारी कार्य राज्य की राजभाषा में होगा, जैसा अब हो रहा है। राजभाषा होने का अर्थ तो राज-कार्य में इस्तेमाल होना है। संविधान निर्माता (अब कदाचित् कोई भी जीवित नहीं है) चाहते थे कि देश का काम देश की भाषाओं में हो क्योंकि इसमें ही देश का हित है। देश के हित का सीधा अर्थ जनहित अर्थात् लोकहित है।

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के अल्पकालिक और दूरगामी लाभ हैं। तथापि लाभ-हानि का दृष्टिकोण राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ऊपर नहीं हो सकता। राष्ट्र का हित इसमें है कि हिन्दी में कार्य हो। **हिन्दी में कार्य बहुत ही आसान है, समझना आसान है और समझाना आसान है।**

समांतरकोश के कोशकार और अब शब्दऋषि, शब्दाचार्य, शब्द सारथी सम्बोधनों से अलंकृत श्री अरविंद कुमार का कहना है कि विश्वभर में फैला हिन्दी समाज है और संसार में दूसरे नंबर (अब प्रथम) की भाषा हिन्दी तेजी से बदल और बढ़ रही है। नित नई तकनीकों के प्रादुर्भाव से नई शब्दावली आ रही है। नए वैश्विक सांस्कृतिक और भौगोलिक संदर्भ हमसे जुड़ रहे हैं। भारत में रहने वाले हिन्दी साहित्यकारों और समाचारपत्रों का ध्यान नए विषयों की ओर जा रहा है, तो विदेशों में बसे भारतवंशी नए अनुभवों पर लिख रहे है। बदलते और आगे बढ़ते हिन्दी वालों को चाहिए था-एक भारत केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रीय थिसारस जो यह सब आत्मसात कर सके।

अब विदेशों में लगभग 154 देशों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। इसमें अप्रवासी भारतीयों के अलावा स्थानीय छात्र भी हिन्दी का अध्ययन करते हैं। एक समय था जब हिन्दी का अध्ययन साहित्य-संस्कृति और भाषा के रूप में प्रमुखता से किया जाता था पर आज हिन्दी एक व्यावसायिक, व्यावहारिक भाषा के रूप में अपनाई जा रही है। साहित्य के माध्यम से अपनी संस्कृति, मान्यताओं और भावनात्मक धरोहरों को अक्षुण्ण रचाने का प्रयास किया जाता है, वहीं रोजी-रोटी के लिए प्रयोजनमूलक हिन्दी को अपनाया जा रहा है। **विदेशों में हिन्दी, सांस्कृतिक दूत का काम भी करती है।** कई विदेशी विद्वान हिन्दी की विशिष्टता की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने हिन्दी को अपनाया। उन्होंने हिन्दी में रचनाएँ की। साथ ही, हिन्दी से अपनी भाषा में और अपनी भाषा से हिन्दी में अनुवाद किए। इस तरह हिन्दी ज्ञान-विज्ञान और साहित्य संस्कृति के आदान-प्रदान का माध्यम बन गई।

विदेशों में हिन्दी की स्थिति को तीन वर्गों में देखा जा सकता है। पहले वर्ग में वे लोग आते हैं जो जीविकोपार्जन के लिए पीढ़ियों पहले भारत से विदेश आ बसे। हिन्दी को

अपनी अस्मिता के साथ उन्होंने जोड़े रखा। इन देशों में मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, ट्रिनीडाड, गुयाना आदि देशों को शामिल किया जा सकता है।

दूसरे वर्ग में भारत के पड़ोसी देश हैं जहाँ हिन्दी अनायास ही विद्यमान है। इन देशों में नेपाल, भूटान, ब्रह्मदेश (म्यांमार), श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन आदि देश हैं।

तीसरे वर्ग में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस स्वीडन, बेल्जियम, चेकोस्लोव्हाकिया, रूस, जापान आदि देशों को रखा जा सकता है। इन देशों में भारतीयों की संख्या काफी बढ़ रही है। व्यापार-रोजगार आदि के क्षेत्रों में भारतीय अप्रवासियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। साथ ही इन देशों के हिन्दी विद्वान काफी उल्लेखनीय योगदान कर रहें हैं।

अपनी भाषा के प्रति भारत में उदासी जैसे दौर में विदेशी साहित्यकारों के हिन्दी के विकास में योगदान कुछ विशेष भले लगें लेकिन भारत से बाहर हिन्दी के प्रति लोगों का रूझान निरंतर बढ़ रहा है। भूमंडलीकरण के इस दौर में वाणिज्य और व्यापार की परिधियाँ देशों की सामाएँ लाँघ रही हैं। उत्पादन और बाजार का तालमेल बिठाने के लिए उपभोक्ता को रिझाने के लिए विज्ञापन-एजेंसियाँ एड़ी-चोटी का पसीना एक करके अरबों के बजट का वारा न्यारा कर रही हैं।

हिन्दी के अध्ययन की सुविधा वर्तमान में भारत से बाहर विश्व में कई विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है। एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका में 113 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हिन्दी अध्ययन केन्द्र हैं जिनमें से 13 तो शोध स्तर के हैं। हाल ही में अमेरिका की पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने एमबीए छात्रों को दो वर्षीय कोर्स अनिवार्य कर दिया है ताकि अमेरिका को हिन्दुस्तान में व्यापार बढ़ाने में भाषा संबंधी कठिनाइयाँ न हों।

(विश्व मंच पर हिन्दी-डॉ. दामोदर खडसे, राष्ट्रभाषा, अप्रैल-मई, 2015)

हिन्दी भाषा और साहित्य के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले बाबा (फादर) कामिल बुल्के का योगदान अमर रहेगा। इनके द्वारा तैयार किया गया अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश सर्वाधिक ख्याति प्राप्त संदर्भ ग्रन्थ है। अंग्रेजी शब्दों के सटीक हिन्दी पर्याय शब्दों के लिए श्रेष्ठ प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है।

चुनौतियाँ एवं समाधान

इंटरनेट पर दिग्गज आईटी कंपनियाँ चाहे वो याहू हो, गूगल हो या कोई और हो, सब देवनागरी अपना रही हैं। आम कम्प्यूटर उपभोक्ताओं के लिए कामकाज से लेकर डाटाबेस तक सब देवनागरी में उपलब्ध हैं। आरंभ में असामान्य फोंटस की समस्या थी जिसे आज यूनीकोड के आने से काफी हद तक हल कर लिया गया है। यदि भारत सरकार पहल करके कुंजीपटलों की अनेकता को एकता में बदलने का ओदश जारी करते हुए इनस्क्रिप्ट कुंजीपटल विन्यास को कम्प्यूटर के लिए अनिवार्य कर दे तो शेष समस्या भी हल हो सकती है।

पिछले कार्यों के निष्पादन के लिए अथवा आज भी यूनिकोड के अतिरिक्त कोई किसी अन्य फॉन्ट में कार्य करता है तो उस समस्या का समाधान बहुत सहज है क्योंकि आज अनेक कन्वर्टर मौजूद हैं जो किसी भी फोंट को यूनिकोड में बदलने में सक्षम हैं। **यूनीकोड इनकोडिंग प्रणाली ने देवनागरी को रोमन के समान सक्षम बना दिया है।** इस तरह से **कम्प्यूटर पर** रोमन के अलावा अन्य लिपियों विशेषरूप से **देवनागरी में काम करना बहुत ही आसान हो गया है।** संयोग से भारत सरकार तथा कुछ अन्य संगठन यह कार्य बहुत उत्साह से कर रहे हैं।

हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं के भविष्य की इस उजली तस्वीर के बीच हमें देवनागरी लिपि को केवल यूनीकोड के माध्यम से ही मानकीकरण तक पहुँचने की आवश्यकता है। यूनीकोड के साथ ही इनस्क्रिप्ट कुंजीपटल विन्यास को अपनाने में सभी का हित है जिससे पूर्ण मानकीकरण सुनिश्चित किया जा सके। हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य या समाचार आधारित वेबसाइट के अलावा तकनीक, विज्ञान, वाणिज्य आदि विषयों पर वेबसाइट, ब्लॉग, फेसबुक तथा सामाजिक प्रचार माध्यम (सोशल मीडिया) के अन्य माध्यमों में देवनागरी का बढ़ता उपयोग सुखद संकेत है। यदि इसकी एकरूपता और एक समान वर्तनी की ओर ध्यान देकर वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत किया जाए तो भारतीय भाषाओं की प्रकृति को बरकरार रखते हुए इसमें लचीलापन लाया जा सकता है।

(सूचना प्रौद्योगिकी और देवनागरी-श्री विनोद बब्बर, नागरी संगम अंक 142)

सोशल मीडिया (सामाजिक प्रचार माध्यम) पर अब अंग्रेजी का एकाधिकार खत्म हो चुका है और अधिकाधिक

लोगों तक पहुँचने के लिए हिन्दी का इस्तेमाल धीरे-धीरे मजबूरी और जरूरी हो गया है। एक मोबाइल कंपनी में **कंटेंट सलाहकार और कवि श्री अरविंद जोशी कहते हैं, 'अब हिन्दी से भेदभाव का दौर खत्म हो चुका है।** हाँलाकि ट्विटर पर अभी भी अंग्रेजी की सत्ता चल रही है लेकिन सोशल मीडिया के अन्य सभी मंचों पर अब हिन्दी कंटेंट को खासी लोकप्रियता मिल रही है।' श्री अरविंद जोशी की बात को व्यंग्यकार और पत्रकार **नीरज बधवार आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, 'ट्विटर पर** अंग्रेजी का बोलबाला जरूरी है लेकिन **हिन्दी के कंटेंट को भी पाठक मिल रहे हैं।** मेरे खबरबाजी नाम के ट्विटर खाते को 25 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं जहाँ हम खबरों पर छोटी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं।'

सोशल मीडिया के इस समय भारत में करीब साढ़े दस करोड़ उपभोक्ता हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक सर्वाधिक लोकप्रिय है जिसके दस करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं। ट्विटर के करीब ढ़ाई करोड़ उपभोक्ता हैं। यू-ट्यूब इस्तेमाल करने वालों की अच्छी खासी तादाद है और ब्लॉग-विकीपीडिया जैसी सेवाओं के भी लाखों संख्या में उपभोक्ता हैं। खास बात यह है कि दो-ढ़ाई साल में सोशल मीडिया के सभी मंचों पर हिन्दी को लोकप्रियता मिलने लगी। **सॉफ्टवेयर इंजीनियर** और यू-ट्यूब पर एस्ट्रोसेज नाम का यू-ट्यूब चैनल चलाने वाले **श्री पुनीत पांडे कहते हैं, 'सोशल मीडिया पर हिन्दी-अंग्रेजी के बीच की लकीर धीरे-धीरे धुंधली हो रही है।** यह सही है कि अभी भी इंटरनेट पर ज्यादा कंटेंट अंग्रेजी में है लेकिन बड़ी आबादी को हिन्दी समझ आती है और **यू-ट्यूब पर हिन्दी चैनल खासे लोकप्रिय हो रहे हैं और उनसे आय भी हो रही है। हमारे ज्योतिष के चैनल पर भी कई वीडियो हिन्दी में ही हैं।'**

निश्चित तौर पर श्री पुनीत की इस बात में दम है। **भारत में यू-ट्यूब पर लोकप्रिय कई चैनल अब हिन्दी कंटेंट ही निर्मित कर रहे हैं** और इसकी वजह है उन्हें अच्छे खासे दर्शकों का मिलना। खाना पकाने से लेकर व्यंग्यात्मक वीडियो और योग सिखाने से लेकर ज्योतिष तक यू-ट्यूब पर हिन्दी में कंटेंट पेश किया जा रहा है। **सोशल मीडिया के जानकार श्री विवेक द्विवेदी** कहते हैं, 'पाँच साल पहले हिन्दी ब्लॉगिंग ने इंटरनेट पर हिन्दी को लोकप्रिय करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू की थी।

हिन्दी टाइपिंग टूल के प्रचलन और सभी मोबाइल प्लेटफॉर्म पर हिन्दी को आलम्ब (सपोर्ट) मिलने से **अब हिन्दी सोशल मीडिया के हर मंच पर जगह पा रही है और खास बात यह कि अब लोगों को हिन्दी या यूँ कहें कि देवनागरी में लिखने में कोई हिचक भी नहीं है।** आज श्री नरेन्द्र मोदी जी से लेकर श्री अमिताभ बच्चन आदि यदा-कदा देवनागरी में लिखते हैं जबकि कुछ साल पहले तक ऐसा कतई नहीं था।'

(सोशल मीडिया पर छाई हिन्दी-श्री पीयूष पाण्डे, प्रजातंत्र लाइव नोएडा 14 सितम्बर, 2014)

हिन्दी के समक्ष चुनौतियों के होते भी अनेक महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ अत्यन्त उत्साहवर्धक हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

भारतीय रेल खान-पान और ई-टिकट सेवा से प्राप्त आरक्षण की पर्ची/टिकट अब हिन्दी में भी प्राप्त होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि टिकट प्राप्तकर्ता उचित कुंजी दबाए।

दैनिक हिन्दस्तान, नई दिल्ली के दिनांक 20 फरवरी, 2014 के अंक में **टेलीविजन के भाषा आधारित दर्शकों का राज्यों के अनुसार अनुपात बताया गया** जो समस्त भारत के संदर्भ में गैर-अंग्रेजी बनाम अंग्रेजी दर्शकों का अनुपात 14:1 है। यह क्रमशः पंजाब में 39:1, दिल्ली में 19:1, मध्यप्रदेश में 30:1, उत्तर प्रदेश में 13:1, बिहार में 11:1 झारखंड में 13:1 पश्चिम बंगाल में 9:1, असम में 06:1, ओडिशा में 13:1, छत्तीसगढ़ मे 19:1, आंध्रप्रदेश में 07:1, तमिलनाडु में 06:1, केरल में 37:1, कर्नाटक में 13:1, महाराष्ट्र में 13:1, गुजरात में 49:1, राजस्थान में 56:1 है।

इसी क्रम में **समाचार पत्रों के पाठकों की स्थिति** विशेष ध्यान देने योग्य है। **अंग्रेजी के पाठकों की तुलना में गैर-अंग्रेजी पाठकों का अनुपात बहुत अधिक है,** जैसे उत्तर प्रदेश में 23:1, महाराष्ट्र में 5:1, पश्चिम बंगाल में 6:1, तमिलनाडु में 8:1 आदि है। शीर्ष 8 महानगरों में गैर-अंग्रेजी टेलीविजन के दर्शकों की तुलना में अंग्रेजी के दर्शक उललेखनीय रूप में कम हैं।

दैनिक जागरण, गुरुग्राम, दिनांक 10 जनवरी, 2017 में प्रकाशित विश्व की भाषाओं के आँकड़ों का विवरण भी काफी उत्साहवर्धक है।

विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएँ	
संख्या	करोड़ में भाषा
130	हिन्दी
120	मंदारिन चीनी
90	अंग्रेजी
51.8	स्पेनिश
42.2	अरबी
24.7	मलय/इंडोनेशियन
23.3	फ्रेंच (फ्रांसीसी)
22.4	बांग्ला
22.1	पुर्तगीज (पुर्तगाली)
20.1	रूसी
14.1	जर्मन

हिन्दी अब दुनिया में लगभग 160 देशों में बोली जाती है और 2015 के आँकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दुनिया के 206 देशों में लगभग 1 अरब 30 करोड़ लोग हिन्दी बोल रहे हैं। आँकड़ों के अनुसार भारत में हिन्दी बोलने वाले 78% हैं और 64 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिन्दी है और 44 करोड़ लोगों की तीसरी या चौथी भाषा हिन्दी है और 20 करोड़ लोगों की द्वितीय भाषा है। हिन्दी के बाद दुनिया में चीन की मंदारिन भाषा है किन्तु मंदारिन बोलने वालों की संख्या चीन में ही भारत में हिन्दी बोलने वालों की संख्या से काफी कम है।

दिनांक 23 दिसम्बर 2000 के एक आदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निम्नलिखित विशेष आदेश जारी किए-

1. राजभाषा हिन्दी में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों की वार्षिक गापेनीय रिपोर्टों में उनके सराहनीय कार्य का उल्लेख किया जाए।
2. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के अवसरों पर जहाँ कहीं संभव हो (मंत्री/सचिवगण) अपने भाषण हिन्दी में दें। विदेशों में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों द्वारा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। आवश्यकतानुसार भारतीय दूतावास के माध्यम से दुभाषी सेवाएँ ली जा सकती हैं।

समाधान

हिन्दी की आधुनिक स्थिति का विवेचन करने के पश्चात् हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिए कुछ दूरगामी कदम तत्काल उठाए जाने आवश्यक हैं जो निम्नलिखित हैं:-

1. भाषा प्रौद्योगिकी

भारतीय भाषाओं के प्रयोग किए जाने की सबसे बड़ी बाधा भाषा-प्रौद्योगिकी के उपकरणो में भारतीय भाषाओं की सुविधा का या उसकी जानकारी/प्रशिक्षण अथवा प्रयोग को प्रोत्साहित न किया जाना है। इसलिए इस संबंध में निम्नलिखित कदम शीघ्र उठाए जाने की आवश्यकता है।

(क) भाषा-प्रौद्योगिकी के वे सभी उपकरण जिन पर भारतीय भाषाओं में कार्य की सुविधा उपलब्ध है या करवाया जाना संभव है, उन्हें भारतीय भाषाओं में कार्य की सुविधा व उपयोग-विधि के साथ ही भारत में बिक्री की अनुमति दी जाए।

(ख) भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी) संबंधी सुविधाओं के लिए एक ऐसी संस्था हो या विद्यमान संस्था उत्तरदायी हो जो स्वत: संज्ञान लेकर प्रत्येक नई प्रणाली/उपकरण आदि पर उक्त सुविधाओं के लिए अविलंब कार्रवाई प्रारंभ कर दे। जिन प्रणालियों पर भारतीय भाषाओं में कार्य की सुविधा नहीं है उनके लिए अविलंब उक्त सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कंपनियों में संपर्क कर अथवा प्रौद्योगिकी विकास के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाए।

उदाहरणार्थ, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में भारतीय भाषाओं में यूनीकोड समर्थन न होने से भारतीय भाषाओ में यूनीकोड फोंट में कार्य करने वालों को कठिनाई होती है।

(ग) इसके माध्यम से जनता को ऐसी सुविधा भी मिले कि माँग करने पर कम्प्यूटर, मोबाइल या अन्य किसी भी प्रणाली पर भारतीय भाषा में कार्य की विधि व सुविधा की जानकारी फोन अथवा ई-मेल से तत्काल प्राप्त हो सके और जनता अपनी कठिनाइयाँ सीधे इन तक पहुँचा सके। ऐसी सुविधा का जनसंचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

(घ) भाषा-प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनता के लिए

उपलब्ध सभी सुविधाओं में इन्हें विकसित करने, करवाने, खरीदने अथवा अनुबंध आदि के होते ही ऐसी व्यवस्था हो कि उनमें केवल अंग्रेजी की सुविधा न हो या तो वे संघ/राज्य की भाषा में हो या अंग्रेजी सहित यथा स्थिति द्विभाषी/त्रिभाषी हों। सभी वेबसाइटों, बैंक कंपनियाँ, ई-प्रशासन प्रणालियाँ, राजस्व संबंधी सॉफ्टवेयर प्रणालियाँ, ई-बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जनता सुविधा व प्रयोग से संबंधित पासपोर्ट बनाने जैसी प्रणालियाँ, ऑन लाइन सुविधाएँ, कोर बैंकिंग, कोर बीमा व विभिन्न कंपनियों के ऐसे सभी आई.टी. समाधानों में प्रारंभ से ही इस प्रकार की व्यवस्था हो।

(ड़) मोबाइल आदि उपकरणों पर जहाँ अंग्रेजी की अपेक्षा भारतीय भाषाओं में लघु संदेश (एस.एम. एस.) आदि भेजने में अधिक खर्च आता है। जिसके कारण लोग भारतीय भाषाओं की लिपि के बजाय रोमन लिपि में एस.एम.एस. भेजते हैं, उसे उपभोक्ता अनुकूल बनाया जाए। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था हेतु विचार किया जाना चाहिए जिससे कि भारतीय-भाषाओं में लघु संदेश (एस.एम.एस.) भेजना मंहगा नहीं बल्कि अपेक्षाकृत सस्ता हो।

(च) इसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान व विकास संस्थानों में भारतीय भाषाओं में कार्य सुविधाओं पर अनुसंधान व विकास का समावेश होना चाहिए ताकि प्रौद्योगिकी विकास की प्रक्रिया में भारतीय भाषाएँ पिछड़ न जाएँ।

(छ) विभागों/कंपनियों/बैंकों/संस्थानों आदि में सूचना-प्रौद्योगिकी कार्य के लिए नियुक्त विशेषज्ञ अधिकारियों में से कुछ भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी के कार्य व सुविधाओं के लिए तैनात किए जाने चाहिए। **सामान्य राजभाषा अधिकारी इन दायित्वों को निभा नहीं पाते और विशेषज्ञ अधिकारी इसे अपना कार्य नहीं मानते।**

2. शिक्षा

(क) भारत सरकार की त्रिभाषा सूत्र नीति के अनुसार भाषा शिक्षण की व्यवस्था निजी व सरकारी सभी स्कूलों पर लागू की जानी चाहिए तथा किसी भी विद्यालय को स्कूल स्तर पर भारतीय भाषाओं के स्थान पर जर्मन/फ्रेंच या अन्य कोई विदेशी भाषा रखने की अनुमति नहीं होनी चाहिए लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर विश्व की विभिन्न भाषाएँ सीखने के लिए प्रोत्साहन व आवश्यक व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए।

(ख) भाषा शिक्षण के अंतर्गत स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर भाषा हेतु उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी तथा कामकाज में हिन्दी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

(ग) न्यूनतम प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण निजी व सरकारी सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए तथा अन्य भाषा-भाषियों के लिए एक विषय के रूप में हिन्दी पढ़ाई जानी चाहिए ताकि संविधान की अपेक्षानुसार हिन्दी संघ की राजभाषा के रूप में संघ की संपर्क भाषा बन सके।

(घ) जनता को राज्य की भाषा में कानूनी प्रक्रिया की सुविधा व न्याय मिल सके इसके लिए विधि शिक्षा में राज्य की भाषा में विधिक और कानूनी प्रक्रिया के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ड़) कम्प्यूटरों व मोबाइल आदि उपकरणों पर भारतीय भाषाओं में कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यधिक सरल और वैज्ञानिक इन्स्क्रिप्ट कुंजीपटल उपलब्ध है। आम आदमी को इसकी जानकारी न होने के कारण देवनागरी सहित भारतीय भाषाओं को रोमन लिपि में लिखने का चलन तेजी से बढ़ा है। इसलिए **देश के सभी स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर सूचना-प्रौद्योगिकी विषय के अंतर्गत हिन्दी अथवा राज्य की भाषा में इन्स्क्रिप्ट कुंजीपटल के प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम व परीक्षा का हिस्सा बनाया जाए ताकि इसे गंभीरतापूर्वक पढ़ा व पढ़ाया जाए।** इससे देश-दुनिया में कहीं भी भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर पर व मोबाइल आदि पर कार्य किया जा सकेगा।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा से जुड़े सभी शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं से

संबंधित भाषा-प्रौद्योगिकी सुविधाओं का समावेश किया जाना चाहिए।

3. जनसूचना, सेवा व नागरिक अधिकारों व न्याय के लिए भाषा

(क) विश्व के अन्य देशों की भाँति भारत में भी ग्राहक कानूनों के अंतर्गत ग्राहकों को उत्पाद पर समस्त जानकारी ग्राहक की भाषा में अर्थात् संघ की राजभाषा नीति के अनुरूप राज्य व संघ की राजभाषा में देना अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि अंग्रेजी न जानने वाले या ठीक से न जानने वाले देश के 95% ग्राहक उनके लिए बने कानूनी लाभों से वंचित न रहे और उनके कानूनी अधिकारों का हनन न हो।

(ख) सरकारी व गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों, कंपनियों, बैंकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी यह अनिवार्य किया जाए कि वे उनसे संबंधित कानूनों के अन्तर्गत जनसूचनाएँ/ सुविधाएँ/ सेवाएँ/सूचना पट्ट/बोर्ड व जनता को भेजे जाने वाले पत्रादि जनभाषा में अवश्य हों। इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी के प्रयोग की छूट हो सकती है।

(ग) शेयरधारकों को व निवेशकों को भी कानून के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाएँ, विवरण तथा आवेदन व अन्य प्रपत्र द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में जनभाषा में प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(घ) किसी भी स्तर पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी नागरिक को अंग्रेजी न जानने के कारण कानून द्वारा प्राप्त संरक्षण, अवसर, लाभ, सेवा, सुविधा से वंचित रहना पड़े या उसे असुविधा का सामना करना पड़े या हानि उठानी पड़े।

(ड़) सभी स्तर पर नागरिकों को देश की भाषा में, राज्यों में राज्यों की राजभाषा में तथा केन्द्रीय स्तर पर संघ की राजभाषा में न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसार चरणबद्ध व समयबद्ध रूप से कार्य किया जाना चाहिए। सब प्रकार के कानून, नियम, आदेश जन भाषा में हों तथा सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा ग्राहकों आदि के साथ किए गए अनुबंध, करार, बीमा पॉलिसी तथा ऐसे सभी कागजात जनभाषा में दिए जाने हेतु नियम कानूनों में संशोधन किए जाने चाहिए।

(च) प्रशासनिक कार्य का प्रशिक्षण संघ व राज्यों के स्तर पर उनकी राजभाषा (भारतीय भाषाओं) में दिया जाए।

4. मीडिया की भाषा

(क) समाचार-पत्रों/टीवी चैनलों आदि में विदेशी पूँजी के चलते व प्रबंधन में अंग्रेजीदां लोगों के प्रभाव व हस्तक्षेप आदि कारणों से भारतीय भाषाओं के कई चैनलों व समाचार-पत्रों को निर्देश देकर भारतीय भाषाओं के जीवित प्रचलित शब्दों के स्थान पर जबरन अंग्रेजी शब्द थोपकर और रोमन प्रयोग को बढ़ाकर कई अखबारों व चैनलों द्वारा भारतीय भाषाओं के शब्दों को धीरे-धीरे प्रचलन से बाहर किए जाने के मामले सामने आ रह हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में इस क्षेत्र में जो काम हो रहा है, उससे यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार लगातार हिन्दी सहित भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी तेजी से लीलती जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल देव ने एक पोस्ट में जानकारी दी कि बड़े हिन्दी अखबारों में प्रयुक्त अंग्रेजी के 13000 से ज्यादा शब्दों की सूची बनाई गई है और कार्य अभी चल रहा है। सिनेमा व विज्ञापन क्षेत्र में भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ हैं। भारतीय भाषा मीडिया में अंग्रेजी वालों का वर्चस्व होने के चलते भारतीय भाषाओं का अंग्रेजीकरण जोरों पर है। इसलिए यह उचित होगा कि प्रेस परिषद् के अन्तर्गत या अन्य किसी ऐसी व्यवस्था द्वारा इसके लिए भारतीय भाषा के वरिष्ठ पत्रकारों/फिल्म लेखकों आदि की भाषावार समिति

गठित की जाएँ जो इस संबंध में सभी पहलुओं पर विचार करके दिशा-निर्देश जारी करे जो पत्र-पत्रिकाओं के लिए मार्गदर्शी ही नहीं बाध्यकारी भी हो।

(ख) यह देखने में आया है कि कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने और जनता को जानकारी न देने के उद्देश्य से **अनेक कंपनियाँ पाठकों की भाषा के बजाय अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में विज्ञापन देती हैं। यह जनता को धोखा दिए जाने के समान है।** इसलिए किसी समाचार-पत्र, चैनल पर विज्ञापन आदि उसी भाषा में दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए जिस भाषा के लिए वह पंजीकृत है।

(ग) फिल्मों में भी फिल्म से संबंधित जानकारी उस फिल्म की भाषा व लिपि में ही दिए जाने का प्रावधान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

5. संघ के कार्यालयों के संबंध में

(क) राजभाषा नियम 1976 में निर्धारित 'क' व 'ख' क्षेत्रों में स्थित अधिसूचित कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3(3) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कागजात, जिनका प्रयोग उन्हीं कार्यालयों तक सीमित है, कार्यालय प्रमुखों को केवल हिन्दी में जारी करने/करवाने की छूट दी जाए ताकि अनावश्यक अंग्रेजीकरण से बचा जा सके।

(ख) जिन कार्मिकों को राजभाषा नियम 1976 में 'क' व 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है उन्हें नियमित कार्य हिन्दी में ही करने के निर्देश दिए जाएँ तथा हिन्दी कार्य के लिए गोपनीय रिपोर्ट में व पदोन्नति आदि में आवश्यक उपबंध किए जाएँ।

(ग) कार्यालयों में अधिकाधिक कार्य अनुवाद के माध्यम से नहीं बल्कि मूलरूप से हिन्दी में किया जाना चाहिए।

(घ) यह देखने में आया है कि अनेक केन्द्रीय कार्यालयों (बैंकों, कंपनियों, संस्थानों आदि सहित) में, अधिकरणों आयोगों और प्राधिकरणों में कुछ अधिकारी जानबूझकर या लापरवाही से राजभाषा संबंधी कानूनों की उपेक्षा करके सॉफ्टवेयर प्रणालियाँ, प्रिंटिग, लेखन-सामग्री, बोर्ड आदि अनेक उपकरण केवल अंग्रेजी में ही बनवा लेते हैं, जिसके कारण नियमानुसार भारतीय-भाषाओं का प्रयोग संभव नहीं होता और बाद में यदि ऐसा किया जाए तो सरकार को फिर काफी धन खर्च करना पड़ता है जिससे सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि राजभाषा अधिनियम-नियम आदि के प्रतिकूल खर्च की लेखा-परीक्षा यानि ऑडिट में जाँच की जाए। यदि किसी मामले में विशेष स्थिति में राजभाषा अधिनियम-नियम आदि के अनुकूल व्यवस्था या कार्य करना संभव न हो तो कंपनी/कार्यालय उसके लिए कारण बताते हुए राजभाषा विभाग में पूर्वानुभूति प्राप्त करने का प्रावधान हो। इस प्रावधान से राजभाषा संबंधी नियमों के उल्लंघन पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। कुछ अधिकरणों की भाषा अंग्रेजी रखी गई है, उसमें नियमों में संशोधन करके हिन्दी अथवा अंग्रेजी होना चाहिए।

निदेशक राजभाषा
रेलवे बोर्ड

❍❍❍

''जो प्रेम असहिष्णु हो, जो दूसरों के मनोभावों का तनिक भी विचार न करे, जो मिथ्या कलंक आरोपण करने में संकोच न करे, वह उन्माद है, प्रेम नहीं।''

-मुंशी प्रेमचंद

अविस्मरणीय क्षण

-के.वाय. सिंह

जब हम स्कूल में थे, उस समय मैंने और मेरे दोस्त ने एक पहाड़ में जाने की योजना बनायी। उस योजना के अनुसार मैंने अपने अध्यापक से उस पहाड़ के बारे में पूछा। मेरे अध्यापक ने मुझे बताया कि वह पहाड़ हमारे राज्य के सबसे ऊँचे पहाड़ों में से एक है। यह सुनकर हम लोगों की रूचि और बढ़ गयी। हमारे अध्यापक ने बताया कि उस पहाड़ में अक्सर ही बारिश होती रहती है। उन्होंने हमें सचेत किया कि बारिश के अनुसार हमें अपनी ट्रेकिंग की तैयारी करनी चाहिए।

हम लोग इतने अधिक उत्साहित थे कि थोड़ी ही देर में हम लोगों ने ट्रेकिंग की तैयारी आरम्भ कर दी और जाने का दिन निश्चय कर लिया। हम लोग बहुत खुश हो गए और जैसे ही निकलने वाले थे, पता चला कि उस दिन पब्लिक कर्फ्यू है। बहुत देर इंतजार के बाद हमने एक जीप किराये पर ली। जीप में सवार होकर हम सभी उस पहाड़ की तरफ निकल पड़े। रास्ते में जरुरी सामान लेने के लिए हम बाजार में थोड़ी देर के लिए रुके। खाने का सामान, दवाई, छाता, रेन कोट, टॉर्च लाइट, पानी की बोतल आदि ये सभी सामान हमने ले लिया। जब हम रास्ते में थे तो हमने महसूस किया कि मौसम बारिश होने जैसा हो रहा था। दोपहर करीब 1 बजे हम उस पहाड़ के पास वाले गाँव में पहुँच गए। गाड़ी वहाँ खड़ी कर हम लोग पैदल उस पहाड़ की ओर निकल पड़े। यहाँ से हमारी ट्रेकिंग आरम्भ हो गयी। रास्ते में चढ़ते समय ऐसा लग रहा था मानो बादल और हम साथ-साथ जा रहे हों।

ट्रेकिंग के रास्ते में हम सभी ने देखा कि केले के पेड़ अपना सौन्दर्य बिखेर रहे थे। केला अपने आप में ही बहुत ही लाभदायक पेड़ है। इसके फल की सब्जी भी बनायी जाती है और इसके फूल को पानी में उबालकर पीने से इम्यून सिस्टम भी मजबूत है। मेरी माताजी भी अक्सर घर जाने पर या लम्बा सफर तय करने के बाद मुझे यह पानी पिलाया करती थी।

हम लोगों में से कोई भी इस पहाड़ पर पहले कभी नहीं गया था। शाम होने लगी थी अत: हम लोग तेज गति से पहाड़ पर चढ़ने लगे। हमारे अध्यापक ने हमें बताया था कि जब भी रास्ते से सम्बंधित कोई भ्रम हो तो हमेशा दायीं ओर वाले रास्ते पर जाना। पहाड़ पर चढ़ते समय तीन-चार रास्ते दिखायी दिए, हम सभी ने हमारे अध्यापक द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार दायी ओर का रास्ता चुना। काफी देर चलने के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुँच गये। बारिश का मौसम था। हमने काफी प्रयास के बाद वहाँ अपना एक टेंट गाड लिया। अब खाना बनाने का समय आ गया। हमने लकड़ी जला कर कुकर में पानी रख दिया। ऊँचाई के कारण खाना पकने में काफी समय लग गया।

वहाँ पहाड़ पर हमने देखा कि वहाँ हमारी टीम के आलावा और टीमें भी मौजूद थी। हम सभी खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगे। हमने पाया कि हमारा बनाया टेंट छोटा है, हम सभी का उसमें एडजस्ट होना मुश्किल है इसलिए हमने पास वाली टीम से मदद मांगी कि वे हममें से कुछ लोगों को अपने टेंट में जगह दे दें। उन्होंने मदद को स्वीकार कर लिया और अपने टेंट में जगह दे दी। मुझे सोने के लिए बहुत कम जगह मिली। सारी रात मैंने एक ही करवट में गुजार दी क्योंकि करवट बदलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी। वह रात मेरे लिए यादगार बन गयी।

अगले दिन सुबह होने पर हम लोगों ने चाय बनाकर पी और वापस जाने की तैयारी करने लगे। तभी किसी ने बताया कि आज भी कर्फ्यू है। यह सुनकर हम सभी एक-दूसरे का मुँह देखने लगे। हम सभी असमंजस की स्थिति में थे कि हम घर वापस कैसे जाएँ। फिर हमने पैदल ही घर जाने का निश्चय कर लिया। यह अपने आप में ही अद्‌भुत अनुभव था जो मेरे जीवन का यादगार क्षण बन गया।

कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रपति सम्पदा वैद्युत मंडल
के.लो.नि.वि.,राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

पुर्तगाल में हिन्दी

-प्रो. शिव कुमार सिंह

हिन्दी भाषा के उद्भव की कहानी कई सैकड़ों सालों की रही है और इन सालों के दौरान कई देशी, विदेशी भाषाओं ने हिन्दी और भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है। इन्हीं गैर भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं में से पुर्तगाली भाषा भी है जिसने हिन्दी ही नहीं बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं को प्रभावित भी है और साथ ही समृद्ध भी। हालाँकि, भारतीय भाषाओं के विकास और भाषायी बदलावों के क्षेत्र में पुर्तगाली भाषा के प्रभावों पर बहुत कम अनुसंधान हुए हैं, अत: इस लेख के माध्यम से इन्हीं प्रभावों को संक्षिप्त रूप से दर्शाने की कोशिश की गयी है।

पुर्तगाल का परिचय

पुर्तगाली गणराज्य यूरोप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और साथ ही स्पेन के साथ आइबेरियन प्रायद्वीप बनाता है। 1139 में दो अफ़ोन्सू एत्रिक्श (Dom A fonso Henriqes) ने पुर्तगाल की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की। दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक कुइम्ब्रा विश्वविद्यालय की स्थापना 1288 में हुई। पुर्तगाल अपनी स्थापना से लेकर 1910 तक राजतंत्र रहा और तदुपरांत पुर्तगाल एक प्रजातंत्र बना हालाँकि 1928–1974 के बीच पुर्तगाल तानाशाही का शिकार रहा परन्तु 25 अप्रैल 1974 के गुलनार क्रान्ति (revolucao dos cravos) हुई और इसके फलस्वरूप पुर्तगाल में पुन: प्रजातंत्र स्थापित हुआ।

पुर्तगाल दुनिया के उन देशों में से एक है जो क्षेत्रफल के मामले में बहुत छोटा है लेकिन मौजूदा समय में विश्व राजनीति में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एशिया में बहुतेरे युवा लोग पुर्तगाल को प्रसिद्ध फुटबाल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से भी जानते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसने पुर्तगाल का नाम दुनिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करवा दिया, वे हैं महान समुद्री नाविक, वास्का द गामा (Vasco da Gama, 1468-1524), जिन्होंने न सिर्फ भारत और पुर्तगाल (यूरोप) के बीच समुद्री रास्ते की खोज की, बल्कि एक कुशल राजनयिक के रूप में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्को द गामा ने 8 जुलाई 1497 को बलैं, पुर्तगाल से अपनी समुद्री यात्रा शुरू की और 20 मई 1498 को भारत, केरल के कालिकट तट पर पहुँचें। भारत से लाये सामान जैसे मसाले, कपास, कीमती पत्थर आदि पुर्तगाल के बाजारों में कई गुना ज्यादा दामों पर बिके, जिससे पुर्तगाली राज्य को और पुर्तगाली व्यापारियों को कई गुना फायदा हुआ। धीरे–धीरे पुर्तगाल ने अरबियों के आधिपत्य को समाप्त करते हुए भारत से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया और सिर्फ पुर्तगाली ही भारतीय माल यूरोप में ला सकते थे, इस प्रक्रिया ने पुर्तगाल को यूरोप में एक बहुत धनी और सशक्त देश बना दिया। वास्को द गामा की मृत्यु भी 1524 को कोचीन में हुई।

15वीं शताब्दी के बाद से आने वाली सदियों में 10 से 15 लाख की जनसंख्या वाला एक छोटा सा देश पुर्तगाल यूरोप का ही नहीं बल्कि दुनिया की महाशक्तियों में से एक बनकर उभरा जिसने ब्राजील से लेकर जापान तक अपना अधिपत्य स्थापित किया और साथ ही 16वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में व्यापार के क्षेत्र में अरबी भाषा के एकाधिकार को समाप्त करते हुए उसकी जगह पुर्तगाली भाषा को एशिया में व्यापार और संपर्क की भाषा के रूप में स्थापित किया जैसा कि हैमिल्टन ने 1727 में लिखी अपनी किताब में उल्लेखित किया है।

"...along the Sea-coasts, the Portugueze have left a Vestige of their Language, too much corrupted, yet it is the Language that most Europeans learn first, to qualify them for a general Converse with one another, as well as with the different Inhabitants of India. (Hamilton 1727)."

भारत के लिए समुद्री राह की खोज ने और वास्को द गामा के कुशल नेतृत्व ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी और यह साम्राज्य हमेशा समुद्र तटीय क्षेत्रों से जुड़ा रहा और इस प्रक्रिया को अंग्रेजी इतिहासकार प्रोफेसर चार्ल्स बॉक्सर ने ''समुद्री साम्राज्य'' की संज्ञा दी है। पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारत में ईसाइयत का प्रवेश हुआ जिससे एक नए धर्म और एक नई संस्कृति का भारत में जन्म हुआ।

पुर्तगालियों ने हिन्द महासागर और चीन सागर में व्यापारिक बंदरगााह और सैन्य ठिकाने स्थापित किए और लगभग इस

क्षेत्र से होने वाले सारे व्यापार पर उनका एकाधिकार स्थापित हुआ और बिना उनको चुंगी दिए कोई भी नाव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकती थी। पुर्तगालियों ने बहरीन, फारस (ईरान), मकाऊ (चीन), जापान और कई दर्जन जगहों पर पूरब में किलों की स्थापना की। 1510 में गोवा की जीत के साथ भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी और जल्द ही दमन और द्वीव के साथ-साथ मालाबार तट के कई क्षेत्रों पर पुर्तगाल का अधिपत्य स्थापित हो गया और भारत में यह अधिपत्य 1961 तक बरकरार रहा।

स्रोत:http://www.newworldencyclopedia.org/entry/File:Macau_Trade_ Routes.png

पन्द्रहवीं शताब्दी की शुरूआत में यूरोपीय समुद्री खोज काल के महान लेखकों में से एक लुईश कामोएँश का जन्म भी इसी देश में हुआ और उन्होंने ''उश लुजीयदश'' नामक महान पौराणिक पुर्तगाली ग्रन्थ की रचना की। ''उश लुजीयदश'' पुर्तगाली ही नहीं विश्व साहित्य के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण महागाथा है। इस महागाथा में पुर्तगाल के इतिहास को गद्य स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। इस महागाथा में मुख्य रूप से ''वाश्को द गामा'' की भारत के लिए समुद्री-मार्ग की खोज के दौरान रास्ते में आयी कठिनाइयों और उनसे जूझने की घटनाओं का विवरण एक दैवीय घटना के रूप में किया गया है।

पुर्तगाली भाषा का परिचय

पुर्तगाली भाषा बगैर किसी बड़े प्रचार के धीरे-धीरे पूरी दुनिया में अपना स्थान बना रही है। आज पुर्तगाली बोलने वालों की संख्या 25 करोड़ के आस-पास है और वर्तमान समय में पुर्तगाली भाषा दुनिया की दस सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, साथ ही यह पुर्तगाल, अंगोला, काबु-वेर्द, गिने-बिसाउ, पूर्वी तिमोर, ब्राजील, मकाउ (चीन), मोजाम्बिक, साऊँ तूमे और प्रिंसिप आदि देशों की राष्ट्रीय भाषा भी है। भाषा विज्ञान के स्तर पर यूरोप (पुर्तगाल) की पुर्तगाली, दक्षिण अमेरिका (ब्राजील) की पुर्तगाली और अफ्रीका (अंगोला, काबु-वेर्द, गिने-बिसाउ, मोजाम्बिक, साऊँ तूमे और प्रिंसिप) आदि की पुर्तगाली में थोड़ा-बहुत अंतर है लेकिन जब भी किसी भाषा का भौगोलिक रूप इतना व्यापक हो जाता है तो एक ही भाषा के अंदर भौगोलिक बदलावों के हिसाब से भाषायी बदलाव भी होते हैं। जैसे भारत में ही बिहार की हिन्दी और राजस्थान की हिन्दी में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ बदलाव तो स्पष्ट रूप से चिह्नित होते ही हैं।

पुर्तगाली भाषा आज अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप महादेशों में निवास करने वाली जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के द्वारा बोली जाती है, जैसा कि मानचित्र में इंगित है। आश्चर्य देखिए कि भाषा का मूल जहाँ से शुरू हुआ, पुर्तगाल, वहाँ इसको बोलने वालों की संख्या मात्र 1 करोड़ हैं और ब्राजील जो कि 1820 तक पुर्तगाल का एक उपनिवेश था, वहाँ आज तकरीबन 18 करोड़ लोग पुर्तगाली भाषी हैं। 17वीं/18वीं शताब्दी तक तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पुर्तगाली, स्पेनी और अंग्रेजी जैसी भाषाएँ एक दिन विश्व भाषाएँ बनने की ओर अग्रसर हो सकती है। नि:संदेह इसमें उपनिवेशीकरण की भूमिका बहुत प्रमुख रही है।

हरे रंग से वो स्थान इंगित हैं जहाँ पुर्तगाली राष्ट्रीय भाषा है।

1961 से पहले गोवा चूँकि पुर्तगाली उपनिवेश था अत: 1961 तक वहाँ की आधिकारिक भाषा भी पुर्तगाली थी, लेकिन आज भी गोवा, दमन और द्वीव में थोड़ी-बहुत पुर्तगाली बोली और प्रयोग की जाती है।

पुर्तगाल में हिन्दी और भारतीय अध्ययन का इतिहास

पुर्तगाल में विश्वविद्यालय के स्तर पर भारतीय संस्कृति की शिक्षा-दीक्षा की शुरुआत का आधिकारिक श्रेय आदरणीय प्रो. गिल्येर्म द वाशकोंसेलुश अब्रेउ (Guilherme de Vasconcelos Abreu3, 1842-1907) जो कि लिस्बन विश्वविद्यालय के कला-संकाय में संस्कृत के प्रोफेसर भी रहे। अपने समय में, वे न सिर्फ पुर्तगाल में वरन् पूरे यूरोप में पूरब (एशिया) की भाषा और संस्कृति के बारे में शोध करने वाले गिने-चुने विद्वानों में से एक थे। उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं: Questions vediques (1877)] Investigacoes sobre O caracter da civilisacao darya-hindu (1878) Principios elementares da grammatica da lingua saoskrita (1879), Pasos dos Lusiadas : estudados a luz da mitolojia e do orientalismo (1892), Manual para o estudo do saoskrito classico (1881)। उनकी मृत्यु के बाद लगभग 8 हजार किताबें लिस्बन विश्वविद्यालय के कला-संकाय के पुस्तकालय को भेंट कर दी गयीं, जिसमें

हजारों किताबें संस्कृत और भारतीय अध्ययन से सम्बंधित हैं।

प्रो. गिल्येर्म द वाशकोंसेलुश अब्रेउ की मृत्यु के बाद प्रो. सबिस्तायाऊँ रदोल्फू दलगादु (Sebastiao Rodolfo Dalgado, 1855-1922) जो कि गोवा में पैदा हुए थे वे लिस्बन विश्वविद्यालय के कला-संकाय में संस्कृत के प्रोफेसर बने और 1922 तक संस्कृत पढ़ते रहे। उनको प्रथम कोंकणी-पुर्तगाली और पुर्तगाली-कोंकणी शब्दकोश के प्रकाशन का श्रेय जाता है। Coimbra में 1913 में प्रकाशित उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण रचना - A Influencia do Vocabulario portugues em Linguas Asiaticas, (एशियाई भाषाओं में पुर्तगाली शब्दों का प्रभाव) है।

1922 में प्रो. सबस्तियाऊँ रदोल्फू दलगादु की मृत्यु के बाद लिस्बन विश्वविद्यालय के कला-संकाय में संस्कृत की पढ़ाई बंद हो गई और भारतीय अध्ययन संबंधित बहुत ही कम विषय उपलब्ध होते थे। 2008 से यहाँ हिन्दी का पठन-पाठन शुरू हुआ जो विधिवत अब तक चल रहा है। 2008 से 2020 तक तकरीबन 500 नामांकन हिन्दी के विभिन्न स्तरों में हो चुके है।

हिन्दी - पुर्तगाली : एक दृश्य (शब्दावली)

हिन्दी 800 साल पुरानी भाषा है जो संस्कृत, पाली और प्राकृत से विकसित होकर अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों को समेटती हुई अपने आधुनिक रूप में पहुँची है, जिसमें पुर्तगाली भी शामिल है। हिन्दी में पुर्तगाली मूल के कुछ शब्द:

पुर्तगाली से हिन्दी में

पुर्तगाली	हिन्दी	पुर्तगाली	हिन्दी
ananas	अनानास	pagar	पगार
armario	आलमारी	padre	पादरी
alfinete	आलपीन	pao	पावरोटी
aia	आया	pistola	पिस्तौल
camisa	कमीज	falto	फालतू
capitao	कप्तान	fita	फीता
canastro	कनस्तर	balde	बाल्टी
camara	कमरा	biscoito	बिस्कुट
cafe	कॉफी	botao	बटन
cartucho	कारतूश	mestre	मिस्त्री
igreja	गिरजाघर	mesa	मेज
chave	चाभी	jesus	यीशू
toalha	तौलिया	sabao	साबुन
leilao	नीलाम	saia	साया

भारतीय भाषाओं में कोंकणी सबसे ज्यादा पुर्तगाली से प्रभावित हुई है, जिसमें तकरीबन 2000 शब्द पुर्तगाली मूल के हैं और इसका कारण साफ है क्योंकि कोंकण क्षेत्र में तकरीबन 450 सालों तक पुर्तगाली गोवा की राजभाषा थी। कोंकणी के अलावा पुर्तगाली भाषा का प्रभाव अन्य भारतीय भाषाओं पर भी गोचर होता है जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव मलयालम में देखा जा सकता है जिसमें तकरीबन 400 शब्द आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं जो पुर्तगाली मूल के हैं। बांग्ला, तमिल, मराठी और उर्दू में भी पुर्तगाली मूल शब्दों का प्रयोग जारी है।

पुर्तगाली भाषा को हिन्दी ने उतना प्रभावित नहीं किया है जितना पुर्तगाली ने हिन्दी को लेकिन पुर्तगाली भाषा में भी हिन्दी/भारतीय मूल के शब्द मौजूद हैं। जैसे:-

हिन्दी से पुर्तगाली में

हिन्दी	पुर्तगाली	हिन्दी	पुर्तगाली
आसन	assana	कश्मीरी	caxemira
आयुर्वेद	aiurveda	समोसा	chamuca
बासमती	basmati	चुरुट (तमिल)	charuto
ब्राह्मण	bramane	संसार	samsara
चीता	chita	सितार	sitar
कढ़ी	caril	ठग	tugue
धर्म	dharma	Bengal (stick)	bengla
योग	yog (ue) ioga	बुद्ध	buda
कर्म	carma	शॉल	xaile

स्रोत: www.infopedia.pt.Houaiss Dictionary

पुर्तगाल/लिस्बन विश्वविद्यालय के कला-संकाय में हिन्दी

लिस्बन विश्वविद्यालय के कला-संकाय में एशियन अध्ययन में 2008 से स्नातक के पाठ्यक्रम की शुरूआत हुई और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिन्दी विदेशी भाषा के रूप में अन्य एशियाई भाषाओं के साथ पढ़ाई जाने वाली एक भाषा है और हर साल तकरीबन 20/25 नए छात्र हिन्दी विषय को चुनते हैं।

पुर्तगाल में हिन्दी पठन-पाठन की प्रमुख प्रेरणाएँ:

- भारत का विश्व बाजार में आर्थिक शक्ति के रूप में उदय,

- भारतीय भाषाओं एवं संस्कृतियों का आदान-प्रदान,
- योग और भारतीय दर्शन के प्रति आकर्षण,
- भारतीय शास्त्रीय कलाएँ (नृत्य, संगीत और गायन),
- भारतीय फिल्में,
- अनुवाद सेवा और आयात-निर्यात,
- भारतीयों के साथ पारिवारिक संबंध,
- भारतीय विरासत को जानने की इच्छा।

भारतीय अध्ययन केन्द्र की स्थापना

2015 में लिस्बन विश्वविद्यालय के कला संकाय में भारतीय अध्ययन केन्द्र की स्थापना हुई और तब से एक वर्षीय भारतीय अध्ययन डिप्लोमा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हिन्दी और संस्कृत के साथ-साथ भारतीय धर्मों, कला, इतिहास से संबंधित विषय भी पढ़ाये जाते हैं। भारतीय अध्ययन केन्द्र ने लिस्बन विश्वविद्यालय के कला-संकाय और भाषा-विज्ञान केन्द्र, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और लिस्बन स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से दूसरी/विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी के पठन-पाठन को ध्यान में रखते हुए लिस्बन, पुर्तगाल में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें पूरी दुनिया से करीब 100 विशेषज्ञों ने शोध पत्रों को प्रस्तुत किया। इस अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन में हिन्दी को विदेशी भाषा या द्वितीय भाषा के रूप में अध्ययन करने और सीखने-सिखाने के आयामों पर चर्चा को बढ़ावा दिया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यूरोप और उसके बाहर हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार करने वाले केन्द्रों के विस्तार और उनके बीच सम्पर्क स्थापित करने के साथ-साथ हिन्दी भाषा के शिक्षण में भाषायी विविधता वाले क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों का समाधान ढूँढ़ने पर बल देना और हिन्दी भाषा को भारत देश के अन्दर ही द्वितीय भाषा के रूप में पठन-पाठन से संबंधित क्षेत्र में शोध करने के लिए प्रेरित करना था। इसके अलावा केन्द्र हिन्द महासागर सम्मेलन, विश्व हिन्दी दिवस, योग दिवस, गाँधी दिवस, भारतीय और पुर्तगाल संबंधित विषयों पर कार्यशाला, व्याख्यान आदि का आयोजन करता रहता है। इन कार्यक्रमों के जरिए भी लोगों को हिन्दी भाषा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है।

प्रथम हिन्दी-पुर्तगाली-हिन्दी शब्दकोश

लिस्बन विश्वविद्यालय के कला-संकाय और भाषा-विज्ञान केन्द्र, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और लिस्बन स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से शिव कुमार सिंह द्वारा प्रथम हिन्दी-पुर्तगाली-हिन्दी शब्दकोश का प्रकाशन 2019 में किया गया जो कि पुस्तक रूप के साथ-साथ ऑनलाइन प्रारूप में भी उपलब्ध है।

हिन्दी से पुर्तगाली में अनुवाद

प्रेमचंद की ईदगाह, तुलसीदास, गालिब, हरिवंश राय बच्चन, अमृता प्रीतम और मोहम्मद इकबाल की रचनाओं का अनुवाद हिन्दी से पुर्तगाली में शिव कुमार सिंह द्वारा लिस्बन विश्वविद्यालय के तुलनात्मक साहित्य केन्द्र द्वारा LITERATURA-MUNDO COMPARADA III PERSPECTIVAS EM PORTUGUES, PELO TEJO VAI-SE PARA O MUNDO (VOL. 5E6) में प्रकाशित कराया गया है।

सारांश

विदेशी भाषा के रूप में अन्य एशियाई भाषाओं जैसे-चीनी, जापानी, कोरियाई आदि की अपेक्षा हिन्दी सीखने वालों की संख्या कम होने का प्रमुख कारण व्यावसायिक प्रेरणा की मौजूदगी का नदारद होना है। साथ ही हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के हिन्दी को सिर्फ संसाधनों की ही नहीं वरन संस्थागत सहयोग की भी नितांत आवश्यकता और अपेक्षा है। जब भी भारतीय संसाधनों के प्रतिनिधियों को अवसर मिले तो यथा संभव देश के अंदर और भारत के बाहर विदेशों में सामाजिक व राजनयिक मंचों पर हिन्दी का प्रयोग अवश्य किया जाए। अगर पूर्णता सम्भव न हो तो आंशिक रूप से ही सही इन मंचों पर हिन्दी प्रयोग दर्शाया जाए और इस सन्दर्भ में यूरोप के देशों से सीख ली जा सकती है जहाँ लगभग सभी देश सामाजिक और राजनयिक मंचों पर सदैव अपनी राजकीय भाषा का ही प्रयोग करते हैं।

वर्तमान समय में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री श्री अन्तोनियु कोश्ता हैं जो कि भारतीय (गोवा) मूल के हैं। 1961 में गोवा के भारत में विलय होने के बाद उनका परिवार लिस्बन, पुर्तगाल पलायन कर गया था। पिछले तीन-चार सालों में दोनों देशों के प्रधानमंत्री, कई मंत्री और सचिव दोनों देशों की यात्रा कर चुके हैं जिसकी वजह से पुर्तगाल और भारत के संबंध बहुत सुदृढ़ हुए हैं। उम्मीद है कि यह यात्राएँ आने वाले समय में ना सिर्फ पुर्तगाल और भारत के संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच अकादमिक संबंधों को भी मजबूती प्रदान करते हुए दोनों देशों के इतिहास, भाषा और संस्कृति के क्षेत्रों में भी शोध को बढ़ावा देगी।

प्रोफेसर, भारतीय अध्ययन केन्द्र
कला संकाय, लिस्बन विश्वविद्यालय

जीवन और सिस्टम

-अनंत यादव

1) ग्रीन बिल्डिंग को बनाने के लिए पेड़ काट देते हैं,
इंसान अपने आशिया को बनाने के लिए दूसरों का आशिया उजाड़ देता है।

2) जी.पी.एस. ने अन्जान जगहों से तो मिलवा दिया,
पर इस टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड दुनिया ने अपने गाँव का ही पता भुलवा दिया।

3) कुछ सपनों को सपना ही रहने दो,
जीवन को अपनों के साथ जीने दो।

4) जोमेटो ने घर पर पिज़्ज़ा, बर्गर पहुँचा दिया,
पर टेक्नोलॉजी-ड्रिवेन वर्ल्ड ने घर का बना खाना भुला दिया।

5) आर.सी.सी. स्ट्रक्चर जैसी भारी भरकम किताबों को पढ़कर देखो,
सिविल इंजीनियर क्या हैं, इसके लिए बिल्डिंग बनाकर देखो।

6) चलो वापस उसी मैथ्स की क्लास में मिलते हैं,
जहाँ बेजान नंबर भी सच बोलते हैं।
इस दुनिया में तो लोग सच के अलावा सब कुछ बोलते है।।

❍❍❍

सी.पी.डब्ल्यू डी: नया भारत

-अनंत यादव

पर्वत को चीरकर सीमा पर सड़क बनाते हैं,
देश की फौज को सीमा पर पहुँचाते हैं,
हम सी.पी.डब्ल्यू.डी में नया भारत बनाते हैं।

जन प्रतिनिधियों के लिए नई संसद भवन बनाकर,
हम वाइब्रेंट-डेमोक्रेसी को देश में अग्रसरित करते हैं,
हम सी. पी.डब्ल्यू.डी में नया भारत बनाते हैं।

आई.आई.टी., आई.आई.एम., एम्स के लिए भवन बनाकर,
इनोवेशन को देश के कोने-कोने में पहुँचाते हैं,
हम सी.पी.डब्ल्यू.डी में नया भारत बनाते हैं।

हम गाँधी जी के स्वच्छता के सपने को आज भी जीते हैं,
हम लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हैं,
हम सी.पी.डब्ल्यू.डी में नया भारत बनाते हैं।

सहायक कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रपति सम्पदा परियोजना
के.लो.नि.वि., राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

❍❍❍

अनुवाद की भाषा के रूप में राजभाषा हिन्दी की चुनौतियाँ

-प्रो. (डॉ.) कृष्ण कुमार गोस्वामी

जब कोई भाषा जीवंत, स्वायत्त, मानक और समृद्ध होकर समूचे राष्ट्र अथवा देश में सार्वजनिक कार्य-व्यापारों में प्रयुक्त होती है, विभिन्न भाषाभाषी समुदायों के बीच संपर्क भाषा के रूप में काम करती है और केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है तो वह राजभाषा का पद ग्रहण कर लेती है। वास्तव में राजभाषा राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, राजनैतिक एकता और प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। यह सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होकर जनता तथा शासन के बीच संपर्क पैदा करती है। भारतीय संविधान-निर्माताओं ने राजभाषा के उत्तरदायित्व हेतु हिन्दी को ही सक्षम माना। अत: संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया।

भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। इसमें अनेक भाषाएँ बोली और प्रयुक्त होती हैं। राजभाषा संबंधी नीति का निर्धारण करते हुए यह देखना होता है कि अनेक भाषाओं में से किस भाषा को संघ की राजभाषा बनाया जाए। इस मामले में केवल भाषिक समस्या ही नहीं होती बल्कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक महत्त्व भी रहता है। बहुभाषी भारत में राष्ट्रीय एकात्मकता के निर्माण में राजभाषा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसमें हिन्दी भाषा सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका कारण यह है कि यह किसी क्षेत्र-विशेष की भाषा नहीं है वरन जन-जन की लोकभाषा है। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसका प्रादुर्भाव माना जाता है और समय-समय पर इसमें परिवर्तन होते रहते हैं लेकिन इसने अपने मानस में अधिकतर भारतीय भाषाओं एवं बोलियों के तत्वों को भी आत्मसात कर रखा है। इस दृष्टि से हिन्दी भारत की संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है।

संपर्क भाषा होने के कारण हिन्दी राजभाषा के साथ-साथ राष्ट्रभाषा की भूमिका भी निभाती है। वस्तुत: राष्ट्रभाषा का संबंध राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा होता है और राष्ट्रीय चेतना का संबंध सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना से होता है। इसका संबंध 'भूत' और 'वर्तमान' के साथ होता है तथा महान परंपरा के साथ इसका संबंध बना रहता है। वस्तुत: राष्ट्रभाषा राष्ट्र की सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा की अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करती है। यह भाषा जनता की निजी, सहज और विश्वासमयी भाषा बन जाती है जिसका प्रयोग राष्ट्रपरक कार्यों में चलता रहता है। वास्तव में राष्ट्रभाषा और राजभाषा वही होती है जिसमें राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ सन्निहित होती हों, अपने देश की परंपरा के प्रति प्रेम हो, राष्ट्र की संस्कृति के प्रति लगाव हो और राष्ट्र की एकता के प्रति भाव हो। जिस भाषा में राष्ट्र निष्ठा और राष्ट्रीय भावना नहीं होती, वह राष्ट्र भाषा कहलाने की अधिकारी नहीं होती। ये विशेषताएँ अपने देश की भाषाओं में ही मिल सकती हैं, विदेशी भाषा में नहीं। इस प्रकार भारत की बहुभाषिक स्थिति में हिन्दी के प्रयोग की संभावनाएँ अधिक हैं किन्तु भारत संघ की यह राजभाषा कार्यालयी अथवा प्रशासनिक भाषा तक सीमित रह गई है। राजभाषा का संबंध ज्ञान-विज्ञान, विधि, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, मानव संसाधन, शिक्षा आदि अनेक विषयों के साथ है।

यह भी ध्यातव्य है कि प्रशासन में भी हिन्दी का प्रयोग मौलिक रूप से नहीं हो रहा बल्कि यह अंग्रेजी के अनुवाद के रूप में प्रयुक्त हो रही है। यह दु:खद स्थिति है कि सार्वदेशिक प्रकृति के होते हुए समूचे भारत की संपर्क भाषा की भूमिका निभाते हुए और देश की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति में सक्षम होते हुए भी हिन्दी को राजभाषा का पूरा दर्जा नहीं मिला हुआ है, राष्ट्रभाषा की बात करना तो अलग है।

राजभाषा के संवर्धन के लिए अनुवाद की विशेष भूमिका रहती है। इस कार्य में अनुवाद की भाषा ऐसी सुबोध, सरल और सहज हो कि वह उस पाठक के लिए संप्रेषणीय हो जिसे स्रोत भाषा का ज्ञान न हो। अनुवाद की भाषा में जो दुरूहता होती है, उसका मुख्य कारण मूल पाठ की वाक्य-संरचना पर ध्यान तो दिया जाता है किन्तु उसके कथ्य या भाव पर ध्यान

नहीं दिया जाता। वास्तव में मूल भाषा अर्थात् स्रोत भाषा और अनुदित भाषा अर्थात् लक्ष्य भाषा की संरचना अलग होती है। इसलिए स्रोत भाषा की संरचना का अनुकरण करने की अपेक्षा उसकी भाव-योजना पर अधिक बल देना चाहिए। इससे अनुवाद की भाषा सहज, सुबोध और प्रवाहपूर्ण हो जाती है और अनुदित सामग्री पठनीय और बोधगम्य हो जाती है। अंग्रेजी की प्रकृति कर्मवाच्यपरक (Passive Voice) जबकि हिन्दी की प्रकृति कर्तृवाच्यपरक (Active Voice) है। उदाहरण के लिए;

1. The explanation submitted by shri Subodh Kumar has not been found satisfactory.
2. The bill was passed by the Parliament.

अनुवाद की भाषा में इन दोनों अंग्रेजी वाक्यों का हिन्दी रूप प्रायः इस प्रकार किया जाता है,

क. ''श्री सुबोध कुमार द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।'' और

ख. संसद द्वारा विधेयक पारित किया गया।''

ये दोनों वाक्य हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप नहीं है।

हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप ये वाक्य इस प्रकार होने चाहिए,

क. श्री सुबोध कुमार ने जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है वह संतोषजनक नहीं पाया गया।

ख. संसद में विधेयक पारित हुआ (या किया गया)।

अथवा

संसद ने विधेयक पारित किया।

इस प्रकार अनुवाद करते हुए लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार वाक्य-रचना की अपेक्षा की जाती है और उसी की अभिव्यक्ति शैली पर ध्यान दिया जाता है। संसदीय वाक्य का एक उदाहरण देखिए;

That this House do agree with the Ninth Report of the committee on Private Member's Bills and Resolutions presented to the House on the 20th November, 1980.

अनुवाद की भाषा: 'कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन से, जो 20 नवम्बर, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।'

यह अनूदित वाक्य राजभाषा हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप नही है। इसमें विशेषण उपवाक्य मूल वाक्य के अंत में आएगा। इसका सही वाक्य इस प्रकार होगा।

'कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है जो 20 नवम्बर 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था।

विधि की वाक्य-संरचना की अपनी विशिष्टता है। कई बार इसमें ऐसा वाक्य-विन्यास होता है जो जन-सामान्य के लिए दुर्बोध होता है। उदाहरण के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 और धारा 302 का अनुवाद इस प्रकार है।

Whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable. (302)

अनुवाद की भाषा: जो कोई व्यक्ति हत्या और अपराध कारित करेगा, उसे मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित भी किया जाएगा।

Culpable homicide is not murder of the offender whilst deprived of the power of self control by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation of cause the death of any person by mistake or accident. (300)

अनुवाद की भाषा: गंभीर एवं अचानक प्रकोपन आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से आत्म संयम खोकर उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, जिसने उसे प्रकोपित किया हो या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटना वश कारित करे।

यहाँ 'हत्या या अपराध कारित करेगा' अथवा 'मृत्यु कारित कर दे' जैसी अभिव्यक्तियाँ समानी प्रयोग की हिन्दी की प्रकृति से भिन्न है। यह बात सही है कि कई बार पारिभाषिक शब्द कठिन लगते हैं किन्तु वे अल्प प्रयोग और अभ्यास की कमी के कारण हमें ऐसे लगते हैं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वाक्य-संरचना हिन्दी की वाक्य-संरचना से भिन्न है। कई बार अंग्रेजी के वाक्य बहुत लंबे और जटिल होते हैं जबकि हिन्दी की प्रकृति के अनुसार छोटे और सरल वाक्यों की प्रायः अपेक्षा रहती है। छोटे वाक्यों से अर्थ स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए;

The matter has been examined in this office in consultation with the ministry of Home Affairs and it has been decided that employment of casual hands to do

clerical work or stenographic work on daily wages is irregular and should not in any circumstances be resorted to and the practice of employing III staff on daily wages should be terminated forthwith.

अनुवाद की भाषा: गृह मंत्रालय से परामर्श करके इस कार्यालय में इस मामले की जाँच की गई है और यह निर्णय लिया गया कि अनियत कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी पर लिपिक या आशुलिपिक के कार्य के लिए अनियिमित है तथा इसे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाना चाहिए और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को दैनिक मजदूरी पर लगाने की रीति खत्म कर देनी चाहिए।

उपर्युक्त अनूदित वाक्य हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं। यदि इसे तीन-चार वाक्यों में विभाजित किया जाए तो यह अधिक संप्रेषणीय होगा। बार-बार तथा अथवा और लगाने से वाक्य-रचना जटिल हो जाती है जिससे कई बार अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता।

कई पारिभाषिक शब्दों के अनेक पर्याय होते हें जो संप्रेषणीयता में बाधा डालते हैं; जैसे-

Director = निदेशक, निर्देशक, संचालक, दिग्दर्शक

Report = प्रतिवेदन, आख्या, रपट, रिपोर्ट

एक ही अनुवाद में एक पारिभाषिक शब्द के विभिन्न पर्याय देने से भ्रम पैदा होने की संभावना रहती है। केन्द्र और राज्य सरकारों में अलग-अलग शब्द प्रयुक्त होते हैं जो भ्रमात्मक स्थिति पैदा करते हैं। Director शब्द के लिए केन्द्र में हिन्दी शब्द निदेशक का प्रयोग होता है जबकि मध्य प्रदेश में संचालक और Report शब्द के लिए केन्द्र में हिन्दी शब्द प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रयुक्त होता है और उत्तर प्रदेश में आख्या। वास्तव में शब्दों में एकरूपता बनाए रखने से भाषा सुबोध और स्पष्ट होती है और शब्दों का मानक रूप सर्वस्वीकृत होता है।

सरल, सुबोध, स्वाभाविक और प्रवाहयुक्त भाषा से अभिप्राय है जिसकी वाक्य-रचना सीधी और सुलझी हुई हो और उसमें किसी प्रकार का आडंबर न हो तथा अलंकरों से बोझिल न हो। अनुवाद की भाषा में शब्दों में समरूपता और एकरूपता से राजभाषा में सहजता और सुबोधता लाई जा सकती है। राजभाषा में कार्य करते हुए हमें अनुवाद पर आश्रित नहीं होना चाहिए बल्कि भाषा को सर्वजन-सुलभ और व्यावहारिक बनाने के लिए मूल रूप से काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कई बार सड़कों पर 'सड़क निर्माणाधीन है' अथवा 'कार्य प्रगति पर है' जैसे वाक्य लिखे मिलते हैं जो वस्तुत: Road is under construction अथवा The work is in progress के अनूदित रूप हैं। अनुवाद की यह भाषा सामान्य व्यक्ति के लिए बोधगम्य नहीं है। इनके स्थान पर यदि 'सड़क बन रही है' या 'सड़क का निर्माण हो रहा है' अथवा 'कार्य हो रहा है' या 'काम चल रहा है' जैसे वाक्य अधिक बोधगम्य हैं।

कई बार मूल पाठ की प्रकृति को समझे बिना उसके शब्दों के पर्याय ढूँढने का प्रयास रहता है और उन पर्यायों के सहारे अनुवाद किया जाता है जो जटिल और कठिन होता है। अगर मूल पाठ के एक-एक वाक्य के बजाय उसके पूरे पैराग्राफ को अर्थात् प्रोक्ति के स्तर पर उसे पढ़ लिया जाए तो पाठ को समझने में सहायता मिलेगी और उस समझे हुए कथ्य को अपने शब्दों में स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया जाए तो अनुवाद की भाषा सहज और संप्रेषणीय हो पाएगी। यदि इन बातों का पालन नहीं किया जाता तो राजभाषा हिन्दी के साथ पूरा न्याय नहीं हो पाएगा और हिन्दी का विकास भी नहीं हो पाएगा। राजभाषा हिन्दी के सामने इसी प्रकार की अनेक चुनौतियाँ हैं जो इसके सरल, सहज और स्वाभाविक रूप में विकार पैदा कर रही हैं। यहाँ यह बताना असमीचीन न होगा कि जितना संभव हो राजभाषा हिन्दी को अनुवाद की भाषा से दूर रखा जाए। राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन मूल रूप में जितना अधिक होगा उसका विकास उतना ही अधिक होगा।

प्रोफेसर, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान
आगरा

❍❍❍

हिन्दी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

-डॉ. सम्पूर्णानंद

राजभाषा हिन्दी

-प्रवीन सिंह परिहार

मानव सभ्यता के इतिहास के पन्ने पलटने पर यह साफ दिखाई देता है कि जब मानव जाति विकास की पहली सीढ़ी पर रही होगी, तो उस समय वह न ही किसी बोली का प्रयोग करते थे और न ही किसी लिपि का। संभवत: प्रारंभिक कई सदियों के समय खंड में उसने प्रकृति में सुनाई देने वाली आवाजों को आत्मसात किया होगा और उनकी नकल करने की कोशिश की होगी। विकास की गति के साथ ही उसने इस कला में धीरे-धीरे निपुणता पाई होगी। आपसी तालमेल व संवाद और विचारों को व्यक्त करने की इच्छा व आवश्यकता ने उसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया होगा।

यह सभी जानते हैं कि मानव ने सबसे पहले संप्रेषण के लिए संकेतों का प्रयोग करना शुरू किया था और कुछ न कुछ बोली जरूर रही होगी। किसी भी भाषा का शुरूआती रूप बोली ही होता है और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि कारणों से, अपनी उपयोगिता के कारण कोई बोली भाषा का रूप प्राप्त करती है। विद्वानों के प्रयास से भाषा को एक विशिष्ट रूप मिलता है और ब्राह्मणों, शिष्ट जनों के द्वारा उसके उपयोग से वह अपने महत्त्व को प्राप्त करती है। सामान्य जन इसका अनुसरण करते हुए अपनी क्षेत्रीय बोली के मिश्रित रूप में इसका प्रयोग करने लगते हैं। इस प्रकार उस भाषा का प्रयोग क्षेत्र बढ़ने लगता है और उसमें सांस्कृतिक-सामाजिक तत्व के जुड़ने के कारण वह भाषा उस क्षेत्र, राज्य व देश का प्रतिनिधित्व करने लगती है।

ऐसा माना जाता है कि भाषा/शब्दों का विकास स्थायी न होकर परिवर्तनशील है और स्थान, देश व काल के प्रभाव से अछूता नहीं रह पाता है। यह भी स्पष्ट है कि राजनीतिक परिस्थितियों व परिवर्तनों का भी भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारतवर्ष में वैदिक काल में वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत काल आया। उस अवधि में संस्कृत ही मुख्य भाषा थी। समय परिवर्तन व समाज में राजवंशों की उत्पति के साथ यह कुलीन वर्ग एवं शिक्षकों की भाषा बनकर रह गई और सामान्य जन मानस में कुछ परिवर्तनों के साथ यह पालि भाषा के रूप में प्रचार में रही। शक साम्राज्य के उत्थान के साथ इसमें और परिवर्तन हुए और प्राकृत रूप सामान्य जन की मुख्य भाषा बन गई। उस काल में भारत का चीन, श्रीलंका, ईरान आदि देशों से वाणिज्य-व्यापार शुरू हो चुका था। लोगों का आवागमन बड़ी संख्या में होने लगा जिसका प्रभाव भाषा पर भी पड़ा। गुप्त वंश के समाप्त होने तक सामान्य जन की भाषा अपभ्रंश रूप में ही रह गई।

मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं के आगमन के साथ अरबी, फारसी और तुर्की भाषा का आगमन भारत में हुआ। शुरूआती समय में यही भाषाएँ राज-काज की भाषा रहीं। राजवंशों के उत्थान-पतन से शीघ्र उन्हें समझ आ गया कि स्थायी समाधान के लिए उन्हें यहाँ की मूल भाषा को अपनाना ही होगा। इसी काल में अरबी, फारसी और तुर्की भाषा का प्रभाव भी मूल भाषा की बोली और लिपि पर पड़ा। इस समय तक यह पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, पहाड़ी, मागधी, अर्धमागधी जैसी बोलियों में टूटती गई। लिपि में क, ख, ग, ज, फ नई ध्वनियाँ आ गई। शब्द भंडार में भी अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों का समावेश हो गया।

मध्यकाल हिन्दी की उत्पत्ति, उत्थान व फैलाव का महत्त्वपूर्ण काल रहा। इस काल में कई सुल्तान/बादशाहों ने पूरे भारत में रण अभियान चलाए। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक राजकीय कर्मचारी, व्यापारी, संतों और तीर्थयात्रियों का आवागमन होने लगा और इसके साथ ही हिन्दी का फैलाव होता गया। इस काल में भक्ति आंदोलन ने भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया। यह काल सांस्कृतिक पुनरूत्थान का काल था जिसमें पूरा भारत सांस्कृतिक रूप से एक होने लगा। यही वह समय था जब हिन्दी पूरे भारतवर्ष में बोली व समझी जाने लगी।

अंग्रेजों ने पहले तो राज-काज अंग्रेजी में किए। परन्तु उन्हें भी शीघ्र समझ में आ गया कि ऐसे राजकार्य आसान न होगा। सन् 1881 में उन्होंने भारत में आने वाले वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारियों के लिए हिन्दी व भारतीय भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक कर दिया। (यह प्रथा भारतीय प्रशासनिक सेवा में आज तक चल रही है)। अंग्रेजों के

आगमन का प्रभाव यहाँ की भाषा पर पड़ा। अनेक अंग्रेजी व यूरापीय शब्द हिन्दी शब्द भंडार का हिस्सा बन गए। तमाम भाषाओं, संस्कृतियों एवं समुदायों से आए शब्द हिन्दी में समाहित होते रहे और हिन्दी को अपना वर्तमान स्वरूप मिला। अंग्रेजों ने राजकाज में हिन्दी को मजबूरी में शामिल किया परन्तु स्वाधीनता संग्राम में हिन्दी ने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। हिन्दी जनमानस की भाषा के रूप में और दृढ़ होती गई। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने 14 सितम्बर 1949 को हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया।

मध्यकाल के बाद ज्ञान-विज्ञान की प्रगति में हमारे देश में कोई खास प्रयोग नहीं हुए। अंग्रेजों के आगमन पर भारत के प्राचीन ज्ञान-विज्ञान के प्रयोगों, ग्रन्थों, वेदों व अन्य साहित्य आदि से संबंधित सभी प्रकार के लिखित विवरणों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया। हमें सांस्कृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से गुलाम बनाने के लिए अपनी भाषा और विचार थोपे गए। हम अंग्रेजों को श्रेष्ठ और अपने को हीन समझने लगे। इस मानसिकता का भारतीय सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। यह वही समय था जब यूरोप में नए-नए वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे थे और इन नई तकनीकों और अनुसंधानों के कारण नये-नये उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं का सृजन हुआ। अपने मानसिक पिछड़ेपन के कारण इनके लिए हिन्दी या अन्य देशीय भाषाओं में नए शब्द या परिभाषाएँ नहीं बनाई जा सकी।

राजभाषा बनाम भाषा

भाषा का जीवन में बहुत महत्त्व है। यह न केवल संवाद का माध्यम है वरन् सांस्कृतिक धरोहर की झलक भी है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रमुख 22 भारतीय भाषाओं को स्वीकृत व सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं का अपना साहित्य है। वह अपने में क्षेत्रीय संस्कृति, गायन-नृत्य व साहित्य, लोक गीत, तीज-त्योहार, लोकोक्तियों-मुहावरों एवं धार्मिक पृष्ठभूमि की धरोहर संजोए होता है। इसमें जनमानस की सोच-व्यवहार, कार्यप्रणाली, कृषि, व्यापार, व्यवहार आदि की जानकारी परिलक्षित होती है।

राजभाषा का सीधा-सादा अर्थ है राजकाज की भाषा। अर्थात् शासन, प्रशासन अथवा सरकारी काम-काज की भाषा। ऐसी भाषा जो सामान्य शासन, जन संपर्क, न्याय प्रक्रिया, संसद एवं विधान मंडल एवं सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होती है। इसमें साहित्यिक भारी भरकम शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः इसमें अनुवाद न होकर प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिन्दी के अपने शब्दों के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं व विदेशी भाषाओं के भी प्रचलित शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी व आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ तक आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

हिन्दी भाषा गंगा की भाँति है जो कि सतत बहती रहती है और यह सभी भाषाओं का संगम है। इसका शब्द संग्रह अत्यन्त वृहद् है। हिन्दी का प्रचार-प्रसार केवल सरकार का काम नहीं है। भारत का नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान की मूल भावना का सम्मान करें और हिन्दी का अधिकतम प्रयोग कर इसके प्रसार में अपना योगदान दें। यह हमारा भी कर्तव्य है कि हम स्वतंत्र रूप से हिन्दी में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। मात्र हिन्दी का ज्ञान इसमें कोई बाधा नहीं है क्योंकि हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपनाने की छूट इसके शब्द भंडार का विशाल सागर प्रस्तुत करती है। जरूरत है तो सिर्फ साफ नीयत की और आत्मसम्मान की। क्या हमें अपनी गौरव गाथा विदेशी भाषा में ही सुननी है?

सहायक प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
राष्ट्रपति सम्पदा
के.लो.नि.वि.
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

ooo

मीडिया में हिंदी की सार्थकता

-सविता चड्ढा

हम सब जानते हैं कि भारत बहुभाषी देश है। यहाँ अनगिनत भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती है। हम सब जानते है कि आज हिंदी भाषा समग्रदेश को एकसूत्र में पिरोने वाली, आसानी से समझ में आने वाली, सीधे मन पर असर करने वाली भाषा होने के साथ-साथ हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता भी प्राप्त है। यदि हम आजादी से पहले की बात करें तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि देश को आजाद कराने में मीडिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें ये भी स्वीकार करने में परहेज नहीं है कि उस समय का मीडिया या पत्रकारिता आज से बिल्कुल अलग थी। उस समय अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना तो दूर की बात है, अधिकांश लोग केवल अपनी भाषा बोल सकते थे। उस समय अधिकांश लोग अशिक्षित थे और वे समाचार पत्र के ग्राहक ही इस शर्त पर बनते थे कि उन्हें संपादक लिखे गये समाचार या सामग्री पढ़कर सुनाया करेगा। उस समस चौपाले या चौबारे हुआ करते थे जहाँ बहुत सारे लाग इकट्ठे हुआ करते थे और एक व्यक्ति समाचार पढ़कर सुनाया करता था। हमें ये नहीं मान लेना है कि सभी अनपढ़ थे, परंतु ग्रामीण परिवेश में प्रायः ऐसा ही था। पढ़े-लिखे लोग भी यहाँ आकर सुनना पसंद करते थे।

एक और महत्त्वपूर्ण बात जो आज कही जा सकती है, उस समय केवल समाचारपत्र और पत्रिकाएँ ही थीं जो देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाती थीं। उस समय हिंदी और अन्य भाषाओं का योगदान भी इसमें बराबर था। आप सब जानते ही हैं कि हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ कलकत्ता से हुआ और भारतीय पत्रकारिता का जन्म बंगाल से माना जाता है। 1755 में कलकत्ता में छपाई शुरू हुई थी। इससे पहले तो संपादक रात-रात भर बैठकर हाथ से पत्र लिखा करते थे और तब बिजली का भी पूरा अभाव था परंतु भाषा, देश और आजादी के दीवाने इन पत्रकारों जिनमें देवीदत्त शुक्ल और द्विवेदी जी का नाम उल्लेखनीय है, कहा जाता है कि दीपक की मंद रोशनी में रात-रात भर लिखते हुये इनकी आँखों की रोशनी ही मंद हो गयी थी।

1780 में ही पहले समाचार पत्र की स्थापना हुई थी। इस प्रथम बंगाल गजट पत्र को निकालने का श्रेय 'ओगरस हिकी' एक अंग्रेज को जाता है। नवम्बर, 1780 में इंडिया गजट के नाम से दूसरा पत्र शुरू हुआ था। इस बीच बहुत-सी भाषाओं में पत्र निकले लेकिन हिंदी का पहला पत्र प्रकाशित हुआ 30 मार्च 1826 को जिसका नाम था ''उदंत मार्तण्ड'' और इसके संपादक थे युगलकिशोर शुक्ल जो कानपुर के निवासी थे।

यह पत्र केवल एक वर्ष और सात महीने ही चल पाया और आर्थिक अभावों के कारण यह बंद हो गया। हिंदी पत्रों में दूसरा पत्र था ''बंगदूत''। इस पत्र के संपादक थे श्री नीलरतन हालदार। उस समय इसका मासिक मूल्य एक रूपया था। 1845 में बनारस अखबार के नाम से बनारस से सबसे पहला पत्र प्रकाशित हुआ जिसके संपादक थे श्री गोविंद थत्ते। इस बीच बहुत से पत्र अन्य भाषाओं में आये लेकिन हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र ''समाचार सुधावर्षण'' सन् 1854 में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे श्याम सुंदर और ये पत्र 14 वर्ष तक चला। इस पत्र ने देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1868 में ''कवि वचन सुधा'' नाम से एक हिंदी पत्र प्रकाशित हुआ जो वस्तुतः कविता की पत्रिका थी जिसमें साहित्य, समाज सुधार और राजनीति का समावेश भी रहता था। इसके बाद तो हिंदी पत्र-पत्रिकाओं की सीमा ही नहीं रही। 1874 में महिलाओं के लिए ''बाल बोधिनी'' शुरू हुई, 1872 में कार्तिक प्रसाद खत्री की ''दीप्ति प्रकाश'' प्रकाशित हुई। 1872 में आगरा से ''प्रेम पत्र'' नाम से, जिसके संपादक थे रूद्रदत्त शर्मा। 1866 में ''ज्ञानप्रदायिनी'' नाम से नवीन चंद्र के द्वारा हिंदी और उर्दू में प्रकाशित हुई। 1885 में ''हिंदोस्थान'' नाम से एक पत्र राजा रामपाल सिंह ने निकाला जिसके संपादक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। 1878 में ''भारत मित्र'' निकला और सन् 1913 में कानपुर से ''प्रताप'' का प्रकाशन शुरू हो गया था और इसके संपादक थे गणेश शंकर

विद्यार्थी। इन समाचारपत्रों ने अपने छपे हुये शब्दों से देश में स्वतंत्रता की ललक की लहर दौड़ा दी थी। आजादी दिलाने में हिंदी भाषा का योगदान हमेशा याद किया जाएगा।

चलिये थोड़ा आगे बढ़ते हुये हम गाँधी युग के हिंदी पत्रों की बात करें, जिन्होंने हमें आज के मीडिया पर चर्चा करने के लिए सहयोग दिया और हिंदी के उन पत्रों की, जिन्होंने भारत की जनता के बीच क्रांति सूत्र को जन्म देने, उसे हवा देते रहने का महत्त्वपूर्ण लक्ष्य अर्जित किया। इनमें सबसे पहला नाम ''मतवाला'' का है। इस पत्र के संपादकीय ऐसे हुआ करते थे कि लोगों के दिलों में आजादी की ज्वाला दहकने लगती थी।

31 मई 1924 के संपादकीय का एक उदाहरण देना चाहती हूँ ''हमें बिना विलंब सत्याग्रह की शरण लेकर लीडरों को अपना पिछलगुआ बनने के लिए बाध्य करना चाहिए क्योंकि गाँधी-विहीन स्वराज्य यदि स्वर्ग से भी सुंदर हो तो नरक के समान त्याज्य है। यदि आप स्वतंत्रता के अभिलाषी हैं और अपने देश में स्वराज्य को लाना चाहते हैं तो तन, मन, धन से महात्मा गाँधी के आदेशों का पालन करना आरंभ कर दीजिये।'' एक नहीं उस युग के कितने ही पत्रों में हिंदी के माध्यम से कहे गये शब्दों का यही मुख्य स्वर था। यही शब्द आगे चलकर एक क्रांति बन गये। इस पत्र के मुख्य पृष्ठ के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' जी कविता लिखा करते थे और संपादक के रूप में सेठ श्री महादेव प्रसाद का नाम छपता था।

एक और पत्र ''सेनापति'' था जिसके संपादक पं. राम गोविंद त्रिपाठी थे। इस पत्र ने भी लोगों में वीरता की भावना को जन्म देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। ''हिंदू पंच'' एक साप्ताहिक पत्र था। उस समय का ये एक तेजस्वी पत्र था। इसके संपादक श्री मुकुंद लाल वर्मा थे। इसमें प्रकाशित एक टिप्पणी देखें ''क्या माया की परतंत्रता से हमें लज्जा नहीं आती। हमारी वह समृद्धशालिनी रत्नगर्भा माता जो किसी समय धन-धान्य से परिपूर्ण थी, आज दरिद्र भिखारिणी हो रही है। परतंत्रता और दासता में रहते-रहते क्या अब हम ऐसे निष्प्राण हो गये हैं कि वह दासवृत्ति त्याग देने का हम प्रयास भी नहीं कर सकते। क्या हम पतंगे से भी गये बीते हैं कि हम अग्नि में गिरकर अपने प्राण भी नहीं दे सकते। बिना आत्मबलिदान के कोई भी हमें स्वतंत्रता प्रदान नहीं करेगा। स्वतंत्रता ऐसी है ही नहीं जो आसानी से मिल जाये और आसानी से मिली हुई स्वतंत्रता कभी टिकाऊ नहीं हो सकती'' और इसी तरह की लंबी बातों का सिलसिला चला जिसने भारत के लोगों के दिलों में आजादी की भावना को जगा दिया।

''श्रीकृष्ण संदेश'' (27 दिसम्बर, 1925) , ''समन्वय'' (1922), ''सरोज'', ''विशाल भारत'', ''मौजी'' (27 दिसम्बर, 1925), ''भारत मित्र'', स्वतंत्र ऐसे हिंदी पत्र थे जिन्होंने लोगों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी।

पत्रकारिता और मीडिया में हिंदी की भूमिका की बात की जाये और नागरी प्रचारिणी सभा तथा उनकी पत्रिका का उल्लेख न किया जाये तो एक भूल होगी। इस पत्रिका ने हिंदी के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके साथ ही सरस्वती और प्रेमचंद जी की पत्रिका ''हंस'' को भी आज याद करना चाहती हूँ। हंस का प्रथम अंक 26 मार्च 1930 को प्रकाशित हुआ। इसके संपादक मंडल में मोहनदास करमचंद गाँधी, पुरूषोत्तम दास टण्डन, मैथिलीशरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, काका साहेब कालेकर और नर्मदा सिंह थे। 1928 में लखनऊ से ''माधुरी'' का संपादन हुआ।

आज के महत्त्वपूर्ण हिंदी समाचार पत्रों का उल्लेख संक्षेप में किया जाना ठीक होगा। समाज को नयी दिशा देने, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे इन समाचार पत्रों, मीडिया की भूमिका के बाद हम आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न चैनलों की भूमिका पर बात करेंगे। हमें ये मान लेना चाहिए कि यदि मीडिया के ये साधन खामोश रहकर केवल आर्थिकोपाजन ही करें और अपना कार्य ठीक से करना छोड दें तो? कहते है कि मीडिया में अगर संप्रेषणता का गुण फीका हो जाये तो समाज के लिए ये उपयोगी नहीं रहता, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज मीडिया और इसकी उपयोगिता से कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा। पिछले दिनों मैं आर्थड गिल्ड ऑफ इंडिया के एक कार्यक्रम में उपस्थित थी। वहाँ संप्रेषणता का एक बेहद रोचक उदाहरण मैं यहाँ आपको सुनाना चाहती हूँ। ये कृष्ण के जीवन का उदाहरण है। दृश्य है-द्वारकापुरी में कृष्ण लेटे हुये हैं और रुक्मणी उनके पाँव सहला रही हैं। उनका हाथ जैसे ही कृष्ण के पाँव पर जाता है, वो एक छाले को देख घबरा जाती हैं और चौंक कर पूछती हैं ''कृष्ण, तुम्हारे पाँव पर छाला है। तुम्हें तो कभी नंगे पाँव नहीं चलना पड़ा फिर तुम्हारे पाँव में छाला कैसे पड़ा? इसमें क्या रहस्य है, मुझे समझाओ।

कृष्ण ने कोशिश की बात को टालने की। रुक्मणी हठ में आ गयीं ''आप कुछ छिपा रहे हो, बोलो।'' कृष्ण ने कहा ''इसका कारण तुम हो, इसलिए मैं टाल रहा हूँ और बात को

आगे नहीं बढ़ाना चाहता।''

रुक्मणी और क्रोध में आ गयी और बोली, ''एक तो चोरी दूसरा सीनाजोरी। एक तो आप मुझे ही कारण बता आरोप लगा रहे हो और दूसरा मुझसे ही छिपा रहे हो''।

कृष्ण ने कहा ''आरोप नहीं लगा रहा ये बात सच है, कारण तुम ही हो।''

''अगर मैं कारण हूँ तो आपको मुझे समझाना पड़ेगा।''

कृष्ण बोले, ''कुछ दिन पहले राधा आयी थी द्वारका में।''

रूकमणि ने कहा, हाँ आयी थी तो।

कृष्ण ''मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगायी थी कि तुम उसकी सेवा करो।''

रुक्मणी, ''हाँ, लगायी थी और मैने ईमानदारी से सेवा की थी और कोई कसर नहीं छोड़ी थी''।

कृष्ण, ''तुम्हारी बात सही है पर एक सच्चाई और भी है कि तुम्हारे मन में अभी भी राधा के लिए कुछ क्रोध है, ईर्ष्या है।'' वो चुप हो गयी। कृष्ण ने कहा- ''तुमने ईर्ष्या के कारण एक दिन राधा को गरम दूध पिला दिया था। तुम्हें मालूम नहीं कि उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं।''

ऐसी संप्रेषणीयता का उदाहरण केवल इसी देश में हो सकता है। ऐसी संप्रेषणीयता ही आधार है विश्वास का और प्यार का भी। ऐसे बहुत से उदाहरण देकर समझाया जा सकता है कि मीडिया में संप्रेषणीयता बिना राग, बिना द्वेष के हो तो क्या बात है। हमारी भाषा और उसके शब्द ही आदान-प्रदान का विश्वसनीय आधार हैं, मूल हैं।

हम एक प्रयोग के द्वारा इस बात को सिद्ध कर सकते है। हम एक ही कमरे के दो कोनों में पानी की दो बोतले रख दें और एक बोतल के सामने हर रोज प्रार्थना करें और अच्छी-अच्छी बातें करें और दूसरे कोने में रखी बोतल के सामने विकृत और खराब भाषा का प्रयोग करें तो कुछ दिन बाद हमें प्रार्थना वाले पानी में से सुगंध और विकृत भाषा वाले पानी में से दुर्गंध आने लगेगी। प्रार्थना वाले पानी का रंग गुलाबी केसरिया हो जायेगा और विकृत भाषा वाले पानी का रंग मटमैला लगने लगेगा। हमने पानी को हाथ नहीं लगाया, छुआ तक नहीं। ये हमारी भाषा और शब्दों की शक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है। मीडिया में भी हमारे शब्दों और भाषा का महत्त्व इस उदाहरण से समझा जा सकता है। टीवी चैनलों पर हिंदी के कार्यक्रमों, हिंदी फिल्मों, हिंदी विज्ञापन और हिंदी डबिंग के माध्यम से हिंदी की भूमिका की चर्चा किये बिना मुझे उपरोक्त उदाहरणों के माध्यम से कहना है कि सरलता, संवेदनशीलता, भावुकता, शब्द शक्ति और भाषा की संप्रेषणीयता की भूमिका ने मीडिया को जन-जन तक पहुँचाया है। आज हर कोई जान गया है कि यदि किसी को भारत में अपनी जगह बनानी है तो उसे हिंदी का आश्रय लेना ही होगा।

आज देश का कौन-सा घर होगा जहाँ महाभारत, रामायण, कौन बनेगा करोड़पति या फिर कॉमेडी कार्यक्रमों की पहुँच न हो। हिंदी भाषा ने लोगों के दिलो दिमाग में अब गहरी पैठ बना ली है। देश और विदेशों में आज हिंदी की भूमिका का डंका बज रहा है। हमारी हिंदी का भविष्य कल भी बुलंदी पर था और हमेशा रहेगा।

वरिष्ठ लेखिका
एवं पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक
पंजाब नेशनल बैंक

❍❍❍

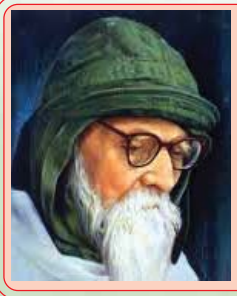

मेरे देश में हिन्दी की इज्जत न हो, यह मैं सहन नहीं कर सकता। भाषा के क्षेत्र में घृणा का नहीं, प्रेम और सौहार्द का स्थान होना चाहिए। देवनागरी भारत के लिए वरदान है।

-विनोबा भावे

गुजरा जमाना याद आता है...

-सौरभ कुमार

नीदों से जागकर रातों को
चुराया करता था
जागते सूरज के साथ घंटो
खेला करता था
तब फिक्र की हवा मुझसे कोसों
दूर हुआ करती थी
तब मैं अपने मन की सुनता था
तब दिल मेरा, वश में मेरे ही था
सब कुछ मेरा अपना था
सपने मेरे अपने थे
साथी मेरे अपने थे
तब खेल-खेल में अपने घर का रास्ता,
मैं अक्सर ही भूल जाया करता था
तब पेड़ों की टहनियों पर चढ़कर,
मैं यूँ ही नाचा करता था
तब रिश्तों के बंधन में प्यार की सौगातें बंधा करती थीं
तब बारिश की बूंदों में,
मैं अक्सर ही भीग जाया करता था
तब चंद रुपयों में,
मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाया करती थीं
तब मैं खेल-खेल में,
रेत के ऊँचे टीलों पर घरौंदे बनाया करता था
तब मैं बहते पानी में,
कागज की किश्तियाँ बहा दिया करता था
तब मैं मस्तानों की तरह यूँ ही घूमा करता था
तब ईर्ष्या, द्वेष से परे औरों से मोहब्बतें हुआ करती थीं
तब सुकून के अहसासों में वक्त बीता करता था
अब सब कुछ लगता जैसे यह सपना था
अब बीती बातों के साथ, यह वक्त भी बीता लगता है...

कम्प्यूटर ऑपरेटर,
कार्यालय अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रपति सम्पदा
के.लो.नि.वि., राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

❍❍❍

खुद को इतना न कुरेदिए

-गौरव कुमार

खुद को इतना न कुरेदिए
कि पांव तले जमीन खिसक जाए
आवो हवा देखकर चलिए
कहीं आँचल उलझ न जाए
खुशबू इतना न समेटिए
कि तस्वीर देखने को
आइना न पकड़ सकें
अपने हाथों में
बंद निगाहों से
देखिए
वहाँ हम ही हैं
वहाँ हम ही हैं...।

अवर श्रेणी लिपिक
कार्यालय अधीक्षण अभियंता
राष्ट्रपति सम्पदा, के.लो.नि.वि.
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

❍❍❍

भारतीय भाषाएँ नदियाँ हैं और हिन्दी महानदी।

-रविन्द्रनाथ ठाकुर

हिन्दी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रुपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार सृजन करेगा।

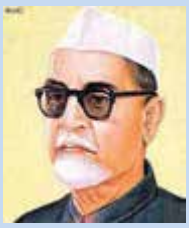

-डॉ. जाकिर हुसैन

देवनागरी ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है।

-रविशंकर शुक्ल

❍❍❍

हिन्दी समाचार माध्यमों द्वारा हिन्दी अंग्रेजी मिश्रित 'हिंग्लिश' भाषा के प्रयोग से हिन्दी को क्षति

-पंकज दीवान

हिन्दी एक समृद्ध और ध्वन्यात्मक भाषा है अर्थात् जैसी पढ़ी वैसी लिखी जाती है। इसकी वर्णमाला से सभी प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण किया जा सकता है और विश्व की किसी भी भाषा का लिप्यंतरण हिन्दी की देवनागरी लिपि में किया जा सकता है। इसलिए यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ भाषा है। हिन्दी में सभी विषयों, संदर्भों और प्रयोजनों के लिए अपेक्षित पर्याप्त शब्दावली उपलब्ध है जिससे प्रभावशाली ढंग से विचार विनिमय किया जा सकता है। इन सब विशेषताओं के होते हुए भी हिन्दी समाचार माध्यमों, जिनमें हिन्दी समाचार पत्र-पत्रिकाओं के पत्रकार, सम्पादक और दूरदर्शन के चैनलों के समाचार वाचक आदि सम्मिलित है, के द्वारा हिन्दी अंग्रेजी मिश्रित भाषा का अकारण प्रयोग करना एक प्रकार से भाषा विरोधी एवं निंदनीय कार्य है। हिन्दी अंग्रेजी मिश्रित शब्दों का प्रयोग यह दर्शाता है कि हिन्दी सशक्त एवं समृद्ध भाषा नहीं है तथा इसमें विचारों को व्यवस्थित ढंग से संप्रेषित करने की क्षमता नहीं है। इससे राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुँचती है और विश्व में यह संदेश जाता है कि भारतीय नागरिक, बुद्धिजीवी, भारतीय पत्रकार और समाचार वाचक आदि इसे विकसित, परिष्कृत, सम्पन्न और सक्षम भाषा नहीं मानते। हिन्दी प्रेमी पाठक जो भाषा की शुद्धता, व्यस्थित वाक्य संरचना एवं विभिन्न संदर्भों, विषयों तथा प्रयोजनों के लिए विषयानुरूप हिन्दी के शुद्ध, सटीक और उपयुक्त शब्दों से परिचित होना चाहते हैं, वे अपनी शब्द संपदा का संवर्द्धन करने के प्रयोजनार्थ अति उत्साह के साथ हिन्दी समाचार पत्र पढ़ना और हिन्दी समाचार सुनना आरंभ करते हैं। किन्तु जब वे इन समाचार माध्यमों में हिन्दी अंग्रेजी मिश्रित 'हिंग्लिश' भाषा का अनावश्यक प्रयोग देखते हैं तब वे स्वयं को ठगा सा अनुभव करते हैं और हतोत्साहित होकर अंग्रेजी या मिश्रित भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। आजकल हम देखते हैं कि फेसबुक, व्हाट्एप और अन्य संचार माध्यमों पर लोगों में हिन्दी के संदेशों को रोमन लिपि में लिप्यंतरण करके भेजने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

3

आजकल हिन्दी समाचार पत्र/पत्रिकाएँ, हिन्दी समाचार चैनल आदि बड़े व्यवसायिक समूहों में परिवर्तित हो गये हैं। ये समूह भाषा के लचीचेपन के नाम पर बाजारू भाषा का प्रयोग करते हैं। हिन्दी समाचार पत्र/पत्रिकाओं में शीर्षक से लेकर विस्तृत समाचार और लेखों की सभी पंक्तियों में अंग्रेजी शब्दों का अनपेक्षित प्रयोग देखने को मिलता है जो हास्यास्पद प्रतीत होता है और भाषा के स्वरूप को विरूपित करता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए:

1. ''डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल'' 2. ''सैन्ट्रल स्कूल में एडमिशन के लिए 10 मार्च तक रजिस्ट्रेशन'' 3. ''पत्नी पर टॉर्चर के आरोप में हस्बैंड अरेस्ट्स'' 4. ''इन्कम टैक्स रिटर्न फाईल करने की लास्ट डेट एक्सटेंडेड'' 5. ''बिजली प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध प्रौटेस्ट।'' क्या स्वयं को प्रगत मानने वाले हिन्दी के पत्रकारों को यह प्रतीत होता है कि उपर्युक्त अंग्रेजी शब्दों जैसे डेमोक्रेसी, एडमिशन, टॉर्चर, हसबैंड, अरेस्ट्स, इन्कम टैक्स, लास्ट डेट, प्रौटेस्ट आदि के स्थान पर लोकतंत्र, प्रवेश, उत्पीड़न, पति, गिरफ्तार या बंदी, आयकर, अंतिम तिथि और प्रदर्शन जैसे शब्दों के हिन्दी अर्थों को हिन्दी के पाठकों के लिए समझना सम्भवत: उनकी बुद्धि की पहुँच के बाहर है। इसके अतिरिक्त हिन्दी समाचार पत्र/पत्रिकाओं में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं ऐसे अन्य शब्दों को शुद्ध हिन्दी में लिखना तो दूर बल्कि इनके अंग्रेजी संक्षेपाकार जैसे एस.सी., एच.सी, पी.एम., सी.एम., एम.सी.डी., डी.एम.आर.सी., एम्स और एन.सी.आर. को उपर्युक्तानुसार देवनागरी में लिप्यंतरण करने के स्थान पर इन्हें रोमनलिपि जैसे S.C., H.C., P.M., C.M., MCD, DMRC, AIIMS, और NCR के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

अंग्रेजी शब्दों का महिमामंडन और अपनी श्रेष्ठ भाषा की

उपेक्षा करने वाले हिन्दी समाचार माध्यमों से संबद्ध कर्मी अप्रमाणिक रूप से मान लेते हैं कि मिश्रित भाषा के प्रयोग से भाषा में लचीलापन आता है और सामान्य जन हिन्दी की अपेक्षा अंग्रेजी के शब्दों को सुगमता से समझते हैं। हिन्दी के शुद्ध शब्द उन्हें बोझिल और नीरस लगते हैं। इस प्रकार से हिन्दी समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार, सम्पादक और दूरदर्शन के समाचार चैनलों के समाचार वाचक यह निराधार तर्क प्रस्तुत करते हैं कि हिन्दी अंग्रेजी मिश्रित भाषा 'हिंग्लिश' सरल भाषा है और ऐसी खिचड़ी भाषा ही आम जतना को रूचिकर लगती है। औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त इन पत्रकारों द्वारा हिन्दी के पाठकों के बौद्धिक स्तर को कमतर आँकना और संसार की उन्नत भाषाओं में से सर्वश्रेष्ठ बोधगम्य हिन्दी भाषा को बिद्रूप करने का कुत्सित कार्य एक प्रकार से जानबूझ कर अपराध करने के समान है। अथर्ववेद में भी अन्न, जल और वाणी को दूषित करने वालों की भर्त्सना की गयी है। देखिए अथर्ववेद के एक संस्कृत श्लोक का हिन्दी अर्थ-

जो अन्न दूषित करें, मेरा और जल दूषित करें।
दूषित करें मेरी श्रेष्ठ वाणी, हे इन्द्रदेव, हे अग्निदेव,
उन पर चलाइए अस्त्र, करिए प्रहार।
आँधी तूफान घन गजाईए,
छोड़िए अस्त्र, कीजिए घोर प्रहार।

अंग्रेजी में कुछ शब्द जो हमारी दिनचर्या और बोलचाल की भाषा में समाहित हो चुके हैं। उनके प्रयोग से हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जैसे रेलवे स्टेशन, ट्रेन, इंटरनेट, कम्प्यूटर, प्रिंटर, मोबाईल, प्लेटफॉर्म, बस स्टैण्ड आदि। किन्तु आज कल हिन्दी समाचार पत्र-पत्रिकाओं में जिन अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वे सहज भाव से नहीं आते हैं बल्कि उन्हें जानबूझ कर थोपा जाता है। अंग्रेजी के समाचार पत्र अपनी अंग्रेजी भाषा को परिष्कृत कर रहे हैं और इन समाचार पत्रों के शीर्षकों और विस्तृत समाचारों में हिन्दी के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। किन्तु उर्पयुक्तानुसार आचरण न करते हुए हिन्दी समाचार माध्यमों से जुड़े कर्मी न जाने क्यों अकारण ही समाचारों के शीर्षकों में संभवतः तुकबंदी और अनुप्रास लाने के लिए और समाचारों को आकर्षक एवं जनप्रिय बनाने के नाम पर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रहे है। हिन्दी के शब्द हमारी अंतर्रात्मा, प्रकृति और भगवान की सृष्टि से जुड़े है। हिन्दी के स्वाभाविक सौन्दर्य और हिन्दी के ओजस्व की अनुपम महिमा का वर्णन करती कुछ पंक्तियों का अवलोकन करें:-

पंच महाभूतों की दिव्य शक्तियों से सम्पन्न हमारी हिन्दी है।

आकाश के समान अनन्त असीम है जिसकी शब्दावली, वही हमारी हिन्दी है।

जब मुख से निःसृत होती तब शीतल वायु के सदृश स्पर्श से रोम-रोम को पुलकित करती है।

अग्नि के ताप से तपकर स्वर्ण रेखाओं के समान जिसकी अनुपम लिपि चमकती है।

नदियों के निर्मल जल से सराबोर होकर तन-मन को निमज्जित करने वाली हमारी हिन्दी है।

भारत की सौंधी मिट्टी के संस्कारों से जो निकली वही हमारी हिन्दी है।

भाषा न केवल किसी राष्ट्र की पहचान होती है बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों, मूल्यों एवं संस्कारों की संवाहिका भी होती है। अतः भारत के प्रबुद्ध नागरिकों, हिन्दी पाठकों एवं हिन्दी सेवियों का यह दायित्व बनता है कि वे हिन्दी समाचार माध्यमों में अंग्रेजी के अनावश्यक प्रयोग को हतोत्साहित करने और इसे बाजारवाद के षड्यंत्र से बाहर निकालने के लिए समाचार-पत्र/पत्रिकाओं के संपादकों को पत्र लिखें कि हिन्दी भाषा में अंग्रेजी का घालमेल राष्ट्र और जनता के हित में नहीं है। ऐसी खिचड़ी भाषा का प्रयोग अनुचित है और मिश्रित भाषा के प्रयोग से अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ावा मिलता है और इस कारण पाठकों को पढ़ने में रुचि भी नहीं रहती। इससे पत्र-पत्रिकाओं का स्तर भी गिरता है और यदि भविष्य में मिश्रित भाषा के प्रयोग को बंद न किया गया तो हिन्दी के समाचार पत्र-पत्रिकाओं और समाचार चैनलों का बहिष्कार करना पड़ेगा।

सरकार को हिन्दी समाचार माध्यमों को परामर्श एवं चेतावनी के रूप में पत्र जारी करना चाहिए जिसमें हिन्दी समाचार माध्यमों के उत्तरदायी प्रबंधकों को अवगत कराया जाए कि हिन्दी का शुद्ध प्रयोग हमारा नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व है। मिश्रित भाषा के प्रयोग से देश की छवि धूमिल होती है। फिर भी यदि हिन्दी समाचार माध्यम सरकारी

आदेशों का अनुपालन नहीं करते तो सरकार को ऐसे समाचार समूहों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता (सब्सिडी) बंद कर देनी चाहिए और उन्हें प्रदान की जा रही सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं से भी वंचित कर देना चाहिए। ऐसे समाचार प्रतिष्ठानों में सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और योजनाओं से संबंधित सूचनाएँ प्रकाशनार्थ प्रेषित न की जाए और इन्हें सरकारी विज्ञापन भी प्रकाशनार्थ न भेजे जाएँ।

हिन्दी मौलिक विचारों की भाषा है। इसमें पाठक के साथ तादात्मय बनाए रखने की शक्ति है। हिन्दी स्वतंत्रता आन्दोलन की भाषा है और अखिल भारत में रहने वाले विभिन्न भाषा-भाषियों के मध्य संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार्य है। समाचार माध्यम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है इसलिए अपनी भाषा का प्रचार-प्रसार कर इसे और अधिक समृद्ध बनाना और इसकी अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। यदि हम राष्ट्रीय महत्त्व के इस पावन पुनीत कार्य को करने में अक्षम रहे तो भावी पीढ़ियाँ हमें भाषा को दूषित करने का दोषी ठहराएगी। इसके लिए हम सबको हिन्दी के प्रति उदासीन भाव और अंग्रेजी के मोह को त्याग कर अपनी दिनचर्या, वार्तालाप और औपचारिक व अनौपचारिक पत्र लेखन आदि में पूर्ण रूप से हिन्दी का प्रयोग कर हिन्दी के स्वाभिमान की रक्षा करनी होगी। इसके अतिरिक्त हमें इलेक्ट्रॉनिक्स संचार माध्यमों फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों पर सभी प्रकार के संदेश आदि भी देवनागरी लिपि में प्रेषित करने चाहिए।

भाषा सामाजिक संपत्ति है न कि व्यक्तिगत। हिन्दी समाचार प्रतिष्ठानों के कर्मियों को इस आत्म मुग्धता का त्याग करना होगा कि हिन्दी की अपेक्षा अंग्रेजी के शब्द पाठकों को रुचिकर लगते हैं। वास्तव में हिन्दी समाचार पत्रों में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर्ण प्रिय भी प्रतीत नहीं होता। अत: स्वयं को प्रगतिशील समझने वाले समाचार माध्यमों के संपादकों, पत्रकारों और दूरदर्शन के समाचार वाचकों को अपने राष्ट्रीय दायित्व को समझना होगा और हिन्दी की अस्मिता की रक्षा के लिए उन्हें समाचार पत्र-पत्रिकाओं तथा समस्त समाचार माध्यमों में अंग्रेजी के शब्दों को प्रमुखता देने के स्थान पर जन सामान्य को हिन्दी के शुद्ध और विराट स्वरूप से परिचित करवाना होगा ताकि हिन्दी समाचार पढ़ने और सुनने में रोचक लगे तथा पाठकों और श्रोताओं में हिन्दी समाचार पढ़ने और सुनने की आतुरता उत्पन्न हो।

पूर्व सहायक निदेशक (रा.भा.)
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
एवं मानद निदेशक
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद

❍❍❍

हिन्दी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया। राष्ट्रभाषा का प्रचार करना, मैं राष्ट्रीयता का एक अंग मानता हूँ।

जब तक देशों में स्वतंत्रता का आधिपत्य है तब तक स्वतंत्रता पर जनता का अधिकार अधूरा है।

-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

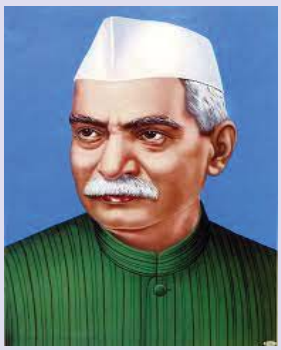

हिन्दी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।

-स्वामी दयानंद

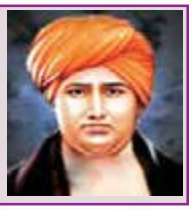

मुँह लटकाये फिर लौटे हैं

-संजीव कुमार सिंह

विनती और चिरौरी करके चपरासी-मोहरील से
मुँह लटकाये फिर लौटे है, बनवारी तहसील से
डेढ़ साल से दौड़ रहे है
दफ्तर-दफ्तर धूप में
इस कोने से उस कोने तक
दाने जैसे सूप में
मिलना छोड़ो, बचना मुश्किल घूसखोरी की हील से
मुँह लटकाये...।
हर दफ्तर चिट्ठी दे आते
हर दफ्तर घिघियाते हैं
गाली सुनते, बातें सुनते
डाँट भगाये जाते हैं।
व्यर्थ फजीहत जिल्लत सहते, प्रशासन की ढील से
मुँह लटकाये...।
ढूँढ रहे हैं चक का कागज
थाने से सीवान तक
इनको तो हड़काते रहते
पटवारी दीवान तक
कुछ रुपयों के लिए ही तनती नायब और वकील से
मुँह लटकाये...।
चक पे है दूजे का कब्जा
जोर जबर की भांस नहीं
सीने पर पत्थर रखना है
दूजी कोई आस नहीं
अक्सर मिलते यही बतियाते, फाटक औश्र फसील से
मुँह लटकाये फिर लौटे हैं, बनवारी तहसील से।

सहायक अभियंता (वै.)
उपमण्डल-II, रा.सं.वै.म.
के.लो.नि.वि., राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

पिता

-संजीव कुमार सिंह

थोड़े सख्त और थोड़े नरम,
पर हर जख्म का, मरहम है पिता।
ऊँच, नीच, पीड़ा व धूप में,
हम सबका दरख्त है पिता।
दुनियाँ के सब रिश्तों में,
सर्वाधिक विश्वस्त है पिता।
भले त्रस्त हो दर्द से,
पर बच्चों संग मस्त है पिता।
खेल, खिलौने और मिठाई,
हम सबकी शोहरत है पिता।
बच्चों के नस-नस में बहते,
जीवन रूपी रक्त है पिता।
हम सब है एड़ी तलवे,
खानदान की भाल है पिता।
पीर-पीड़ा और संकट में,
सबकी तो ढाल है पिता।
जब दुख की दस्तक हो घर में,
तब सबका ढ़ाँढ़स है पिता।
दान-दहेज या रोग-बीमारी,
परिवार का खर्च है पिता।
बिना प्रेस व मैले कपड़े,
फिर भी खुशहाल है पिता।
अम्बर का रब बहुत है,
पर धरती का एक रब है पिता।
रसोई का सब चौका-बर्तन,
आटा-दाल-चावल है पिता।

ooo

भारत की स्वाधीनता में साहित्यकारों का योगदान

-डॉ. राकेश बी. दुबे

साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, यह हम सभी जानते हैं। इसलिए स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो कुछ भी भारत में घटित हो रहा है, वह सब साहित्य का अंग है। कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, संस्मरण, यात्रावृत्त और पत्रकारिता सभी साहित्य की विधाएँ हैं। पत्रकारिता तो समाज का दिन प्रतिदिन का प्रतिबिंब है। साहित्यकारों के स्वाधीनता संग्राम संबंधी अवदान के बारे में अन्य विधाओं विशेष तौर पर कविता और कथा संसार के माध्यम से किए गए योगदान पर चर्चा खूब होती है परन्तु पत्रकारिता का क्षेत्र बहुधा उपेक्षित रह जाता है। जबकि सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता के लिए पत्रकारिता को सर्वश्रेष्ठ साधन माना जाता है।

प्रारम्भ से ही हिन्दी पत्रकारिता का स्वर मुखर रहा है। अंग्रेजी शासन के दौरान पत्रकारिता का काम जोखिम से भरा था परन्तु वह देश-सेवा का एक सशक्त माध्यम था। हालांकि स्वाधीनता संग्राम में देश के हर क्षेत्र, हर भाषा और हर स्तर के लोगों ने भागीदारी की थी। परन्तु हिन्दी लेखकों, पत्रकारों एवं हिन्दी समाचार पत्रों द्वारा परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए किया गया संघर्ष बेहद महत्त्वपूर्ण है। हिन्दी भाषा के माध्यम से स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले अनेक नामों और उनके कामों से आप सभी परिचित ही होंगे। परन्तु दोहराव का जोखिम लेकर भी मैं कुछ अविस्मरणीय लेखकों-पत्रकारों के त्याग और बलिदान के संबंध में कुछ उल्लेख चाहता हूँ।

अंग्रेजी शासन के दौरान पत्रकारिता पर हर प्रकार के बंधन होने और बात-बात में अंग्रेजी सरकार द्वारा समाचार पत्रों के संपादकों और प्रकाशकों को गिरफ्तार कर लेने पर भी पत्रकारों ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ समाचार पत्र तो स्वाधीनता की भावना जगाने वाली पंक्तियों को अपना ध्येय वाक्य तक बना लेते थे। 1919 में प्रकाशित स्वदेश का ध्येय वाक्य था-

जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं।
वह हृदय नहीं है पत्थर है,
जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।।

मैं जानता हूँ कि इन पंक्तियों के रचयिता का नाम आप जानते हैं। लेकिन हो सकता है कि हमारा और आपका अनुमान गलत हो। इस विषय पर मैं बाद में लौटूँगा।

साहित्य प्रत्येक काल में समाज का मार्गदर्शन करता आया है। जब-जब समाज दिग्भ्रमित होता है और राजनीति अपने पथ से हट जाती है तब-तब साहित्यकार आगे आकर लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भी इसका अपवाद नहीं है। साहित्यकारों ने तत्कालीन समाज में चेतना के बीज बोये। उन्होंने समाज के हर वर्ग को इस आंदोलन के साथ जोड़ा उनकी आवाज पर लोग सिर कटाने के लिए भी तैयार हो जाते थे। गोपालदास व्यास की ललकार देखें। वे कहते हैं **'आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी। वह सुनो, तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी।**

भारत माता के सच्चे सपूत स्वामी विवेकानन्द यह मानते थे कि ''उन्नति की पहली शर्त है स्वाधीनता। मनुष्य को जिस प्रकार विचार और वाणी में स्वाधीनता मिलनी चाहिए, वैसे ही उसे खान-पान, रहन-सहन, विवाह आदि हर बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए, जब तक कि उसके द्वारा दूसरों को कोई हानि नहीं पहुँचती।'' इस स्वाधीनता को पाने के लिए आवश्यक है शक्ति की उपासना, छात्र-धर्म की प्रतिष्ठा।

स्वदेशी के लिए लड़ने वाले लेखक और पत्रकार प्रतापनारायण मिश्र लिखते हैं, ''हम और हमारे सहयोगी गण लिखते हार गए कि देशोन्नति करो, पर यहाँ वालों का सिद्धांत है कि अपना भला हो, देश चाहे चूल्हे में जाए, यद्यपि जब देश चूल्हे में जाएगा तो हम बच न पाएँगे। पर समझाना तो मुश्किल काम है ना। सो भाइयो यह तो तुम्हारे ही मतलब की

बात है। आखिर कपड़ा पहनोगे की, एक बेर हमारे कहने से एक-दो जोड़ा देशी कपड़ा बनवा डालो। यदि कुछ सुभीता देख पड़े तो मानना, दाम कुछ दूने न लगेंगे, चलेगा तिगुना से अधिक समय। देशी लक्ष्मी और देशी शिल्प के उद्धार का फल सेंतमेंत। यदि अब भी न चेते तो तुमसे ज्यादा भकुआ कौन?''

इसी विषय को भारतेन्दु ने इस ढंग से समझाया था, ''जैसे हजार धारा हो कर गंगा समुद्र में मिलती है। वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैण्ड, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दियासलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा, अपने ही को देखो। तुम जिस मारकीन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है, वह इंग्लैण्ड का है। फ्रांसीस की बनी कंघी से तुम सिर झारते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है।''

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक विशिष्ट नेरेटिव की ओर लोगों का ध्यान कम गया है। मुझे लगता है कि स्वाधीनता सेनानियों ने जब भारत को भारत माता के भावनात्मक धरातल पर प्रतिष्ठित करने का उपक्रम पूरा कर लिया तो विदेशी दासता के चक्रव्यूह का पहला और सर्वाधिक मजबूत द्वार टूट गया। 'वन्दे मातरम्' हमारा युद्ध-नाद बन गया। देशभक्ति की नयी धारणा मूर्त हुई-''स्वदेश माता है, स्वदेश भगवान है, यही वेदान्त शिक्षान्तर्गत महती शिक्षा जातीय अभ्युत्थान का बीज है। जैसे जीव भगवान का अंश है, उसकी शक्ति भगवान की शक्ति का अंश है, वैसे ही यह सात कोटि बंगवासियों का, तीस कोटि भारतवासियों का समुदाय सर्वव्यापी वासुदेव का अंश है, इन तीस कोटि मनुष्यों की आश्रयदायिनी, शक्तिस्वरूपिणी, बहुभुजान्विता, बहुबलधारिणी भारतजननी भगवान की एक शक्ति है, माता देवी-जगज्जननी काली की देह विशेष है।'' उक्त धारणा को जरा और स्पष्ट करते हुए श्री अरविन्द ने अपनी पत्नी के नाम लिखे पत्र में कहा था कि ''अन्य लोग स्वदेश को जड़ पदार्थ, कुछ मैदान, खेत, वन, पर्वत, नदी भर समझते हैं, मैं स्वदेश को माँ मानता हूँ, उसकी छाती पर बैठकर यदि कोई राक्षस रक्त पान करने के लिए उद्यत हो तो लड़का क्या करता है? निश्चित होकर भोजन करने, स्त्री-पुत्र के साथ आमोद-प्रमोद करने के लिए बैठ जाता है या माँ का उद्धार करने के लिए दौड़ पड़ता है? मैं जानता हूँ कि इस पतित जाति का उद्धार करने का बल मेरे अन्दर है, शारीरिक बल नहीं, तलवार या बन्दूक लेकर मैं युद्ध करने नहीं जा रहा हूँ, ज्ञान का बल है। क्षात्र तेज एकमात्र तेज नहीं है, ब्रह्मतेज भी है, वह तेज ज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित होता है।'' स्वदेशी आन्दोलन की यह भावनात्मक पृष्ठिका है।

पत्रकारों में साहस की कमी नहीं थी। लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में अंग्रेजी समाचार पत्र-सम्पादकों के साथ भारतमित्र-सम्पादक बाबू बालमुकुन्द गुप्त भी सम्मिलित हुए थे। जेल जाने से बचने के लिए वे शिवशंभु के नाम से लिखते थे। 11 अप्रैल 1903 ई. के 'भारतमित्र' में शिवशंभु के चिट्ठे में बालमुकुंद जी ने मानो लॉर्ड कर्जन को ललकारते हुए कहा, ''माई लॉर्ड। जब से आप भारतवर्ष पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच करने के योग्य काम भी किया है? खाली अपना खयाल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया है। हिसाब कीजिए नुमायशी कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है? आप बारम्बार अपने दो अति तुम-तराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं। एक विक्टोरिया मेमोरियल हाल और दूसरा दिल्ली-दरबार। पर जरा विचारिये तो यह दोनों 'शो' हुए या 'ड्यूटी'? विक्टोरिया मेमोरियल चन्द पेट भरे अमीरों के एक दो बार देख आने की चीज होगा। उससे दरिद्रों का कुछ दु:ख घट जावेगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जावेगी, ऐसा तो आप भी न समझते होंगे। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली दरबार में अंग्रेजों का कुछ था ही नहीं। सब कुछ देसी राजाओं की तड़क-भड़क थी।''

पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने 'नृसिंह' में लिखा:-

''स्वराज्य की आवश्यकता भारतवासियों को इसलिये है कि विदेशी सरकार उनके अभाव-अभियोगों के समझने में असमर्थ हैं। यदि आज यहाँ स्वराज्य होता, तो लाखों हिन्दुस्तानी दुर्भिक्ष के कारण दाने-दाने को तरस कर प्राण न गँवाते... स्वराज्य के अभाव से ही प्रतिवर्ष 45 करोड़ रुपए इस दरिद्र देश से इंग्लैण्ड चले जाते हैं और इसके बदले भारत में कानी कौड़ी तक नहीं आती; जहाँ पाँच करोड़ मनुष्यों को साल भर में एक समय भी पेट भर कर भोजन नहीं मिलता, जिसके पास जाड़े में रात को ओढ़ने के लिए कम्बल तक नहीं है, जहाँ के करोड़ों किसान अरहर, उड़द, चना और मूंग बोते हैं

पर उसके स्वाद से नितांत अनभिज्ञ रहते हैं, जिन्हें टैक्स देने के लिए बाध्य होकर अन्न बेचना पड़ता है, जहाँ के शासक शासितों से सहानुभूति नहीं रखते, उस देश की विपत्तियों की तुलना किससे हो सकती है.... ऐसी स्थिति में स्वराज्य के बिना भारत की गति ही नहीं है। जिस प्रकार रोगी को औषधि की, भूखे को अन्न की और दरिद्र को धन की आवश्कता होती है, उसी प्रकार भारत को स्वराज्य की आवश्यकता है।''

मतवाला समाचार पत्र के वर्ष 1, अंक 3 के मुख्य पृष्ठ पर 'निराला' की एक कविता - 'गये रूप पहचान' छपी थी। उक्त कविता से हमें निराला के निरालेपन का अंदाजा हो जाएगा-

सुनी राष्ट्रभाषा की जबसे भव्य मनोहर तान।
मिटी मोह-माया की निद्रा गये रूप पहचान॥
छिपी छुरी नीचों के छल में, देख दम्भ दुष्टों के दल में,
बढ़ आगे, हो सजग मेट तू क्षण में नाम-निशान।
मिटी मोह-माया की निद्रा गये रूप पहचान॥१॥
चूम चरण मत चोरों के तू, गले लिपट मत गोरों के तू,
झटक पटक झंझट को झटपट झोंक झाड़ में मान।
मिटी मोह-माया की निद्रा गये रूप पहचान॥२॥

ओ.एस.डी. (हिन्दी)
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

❍❍❍

यदि स्वराज अंग्रेजी पढ़े भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है तो सम्पर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। यदि वह करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर लोगों, निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अछूतों के लिए है तो सम्पर्क भाषा केवल हिन्दी हो सकती हैं।

अगर हिन्दुस्तान को सचमुच आगे बढ़ना है तो चाहे कोई माने या न माने राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही बन सकती है क्योंकि जो स्थान हिन्दी को प्राप्त है वह किसी और भाषा को नहीं मिल सकता।

-महात्मा गाँधी

सहर्ष स्वीकारा है

जिन्दगी में जो कुछ है, जो भी है
सहर्ष स्वीकारा है,
इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है
वह तुम्हें प्यारा है।
गरबीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब,
यह विचार-वैभव सब,
दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह अभिनव सब,
मौलिक है, मौलिक है
इसलिए के पल-पल में
जो कुछ भी जाग्रत है अपलक है
संवेदन तुम्हारा है!!

-गजानन माधव मुक्तिबोध

बचपन

-लोकेश यादव

प्यार मिला ना बचपन जैसा,
जीवन के गलियारों में।
अपना ही अपना था सब कुछ
बचपन की उन राहों में।
बीता बचपन घिर गयी जिंदगी,
माया की जंजीरों में,
हुआ पराया अपना साया
रहा ना कोई इस मंजर में।
चढ़ते-बढ़ते जीवन की सीढ़ी,
याद आये प्यारा बचपन।
प्यार मिला ना बचपन सा, जीवन के गलियारों में।
कभी थप्पड़ खाकर रो देना
रोते-रोते फिर हँसना, बात-बात पर यूँ ही रूठना,
मईया के आँचल से लिपटना।
जरा सी डगमगाहट पर थाम लेना हर किसी का हाथ।
दोस्तों की वो प्यारी अठखेलियाँ।
सुखद याद आये वो प्यारा बचपन।
प्यार मिला ना बचपन सा जीवन के गलियारों में।
जगह न थी कोई जमीं पर किसी फिक्र या दर्द की
धरा-अंबर सब थे अपने, न था कोई पराया,
सबसे थी अपनी दोस्ती
देखी न जवानी न ऐसा बुढ़ापा
देखा जैसा मैंने वक्त बचपन का,
प्यार मिला न बचपन सा, जीवन के गलियारों में।।

बहुकर्मी स्टॉफ
कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
राष्ट्रपति सम्पदा, के.लो.नि.वि.,
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

मैं नारी हूँ

-प्रेरणा कुमारी

नारी हूँ मैं अबला नहीं
आज की सशक्त नारी हूँ मैं
अपने हर कर्तव्य को बखूबी
निभाती हूँ मैं
अधिकार है मुझे सम्मान पाने का।
माँ से मिले संस्कारों को अपने
भीतर तक संभाले
पीढ़ियों से लाज, शर्मो, हया का दामन थामे
हर दुख दर्द तकलीफ को सहती आई हूँ मैं
अधिकार है मुझे सम्मान पाने का।
पिता का मान-सम्मान भाईयों की शान-शौकत
पति धर्म की रक्षा के लिए
अपने श्वासों, अपनी इच्छाओं का बलिदान
हर युग, हर दम करती आई हूँ मैं
अधिकार है मुझे सम्मान पाने का।
लूट लेते हैं मुझे मेरे अपने ही
ममता, प्यार, स्नेह का छलावा देकर
करते हैं हनन मेरी अस्मिता का
मुझसे भी दया सहारे का संबल लेकर
कैसे समझाऊँ अपनी हर श्वांस के हर विश्वास को
पर छल जाती हूँ मैं स्वयं ही अपने आंचल से
अधिकार है मुझे सम्मान पाने का।

अवर श्रेणी लिपिक,
कार्यालय अधीक्षण अभियंता
राष्ट्रपति सम्पदा, के.लो.नि.वि.
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

ooo

राजभाषा के प्रयोग में सरलता और व्यावहारिकता

-राकेश कुमार

संविधान के अनुच्छेद 351 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार-''संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना, हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट, भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक और वांछनीय हो, वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत:, अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए, उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।''

राजभाषा विभाग के 17 मार्च, 1976 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, नोट या पत्र लिखते समय सरल हिन्दी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि सभी उसे आसानी से समझ सकें। सरकारी कामकाज में प्रचलित शब्दों का अधिक से अधिक ही प्रयोग होना चाहिए और लिखते समय दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

जहाँ कहीं भी ऐसा लगे कि पढ़ने वाले को हिन्दी में लिखे किसी तकनीकी शब्द या पदनाम को समझने में कठिनाई हो सकती है, वहाँ उस शब्द के पदनाम के सामने कोष्ठक में अंग्रेजी रूपांतर भी लिख देना उपयोगी होगा।

केन्द्रीय सरकार की शुरू से ही यह नीति रही है कि सरकारी कामकाज में सरल और सुबोध हिन्दी का प्रयोग किया जाय। अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों के कठिन हिन्दी पर्याय इस्तेमाल करने के बजाय उन शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखने में कोई हिचचाहट नहीं होनी चाहिये। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठकों में भी कुछ सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि हिन्दी में किए गए अनुवाद में भी सरल, सुबोध और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 351 में किए गए प्रावधानों के अनुसार राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार का दायित्व केन्द्र सरकार का होने के नाते यह जरूरी है कि सरकार इसे सम्पूर्ण भारत की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाए। इसी परिप्रेक्ष्य में, यह आवश्यक है कि प्रादेशिक भाषाओं में प्रचलित शब्दों को महत्त्व देते हुए कार्यालयी हिन्दी में इनका प्रयोग बढ़ाया जाय। इससे

निश्चित रूप से भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों को सम्मिलित किया जा सकेगा। भाषा का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी कार्मिकों को यह महसूस हो कि सरकारी भाषा में प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक भाषा-भाषी वर्ग/समुदाय के शब्दों को शामिल किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित ज्ञान-विज्ञान, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और विपणन आदि क्षेत्रों के शब्दों को यथासंभव उसी रूप में अपनाया जाना चाहिए। परन्तु उन क्षेत्रों के पहले से ही स्थापित हिन्दी शब्दों को अंग्रेजी के शब्दों से प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को भी हिन्दी भाषा में प्रचुरता से शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, अंग्रेजी के शब्दों का हिन्दी पर्याय ढूँढ़ने के बजाय, उन्हें ज्यों का त्यों रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए LIFT, COMPUTER, POLICE, STATION, RAIL, METRO, TICKET, AIRPORT, INTERNET, WEBSITE, KEY-BOARD, E-MAIL, PENDRIVE, BLOG, STATION, CYCLE, CAR, BUS, TRUCK, SCOOTER, FOLDER, SOFTWARE, VIRUS, DESKTOP आदि शब्दों का अनुवाद न करना ही बेहतर होगा। ''रेलगाड़ी'', ''टाई'' और ''साईकिल'' जैसे शब्दों की हिन्दी ढूँढ़ना, उसका शाब्दिक अनुवाद करना और फिर अपनी ही भाषा का स्वयं मजाक उड़ाना कहाँ तक उचित है?

इसी प्रकार 'Police' शब्द के लिए बिहार तथा झारखंड जैसे राज्य में 'आरक्षी' शब्द का प्रयोग होता है जबकि अधिकांश राज्यों में 'पुलिस' शब्द का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचा जाना चाहिए। सशस्त्र पुलिस बलों

में Commandant के लिए ''सेनानायक'' और ''समादेष्टा'' दोनों ही शब्दों का प्रयोग होता है जो निश्चित ही भाषा में दुरूहता पैदा करता है। इसी तरह Entry शब्द के लिए ''प्रविष्टि'', ''इंदराज'' तथा ''अंकित करना'' - शब्दों का प्रयोग चल रहा है जो भ्रामक स्थिति पैदा करता है।

सरकारी भाषा में प्रचलित और आसान शब्दों का ही प्रयोग किया जाना व्यावहारिकता है। विधिक अथवा तकनीकी होने के नाम पर क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचा जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए - 'Miscellaneous' शब्द के लिए प्रचलित पर्याय 'विविध' शब्द है जबकि विधि विभाग द्वारा इसके लिए 'प्रकीर्ण' शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्रयोगों से भाषा दुरूह और नीरस हो जाती है। राजस्थान में 'Bus depot' के लिए 'आगार' शब्द का प्रयोग किया जाता है जबकि अधिकांश राज्यों में 'डिपो' शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार मराठी में शिक्षा का अर्थ ''दंड'' होता है जबकि अन्य भाषाओं में यह "Education" अथवा ''पढ़ाई'' का पर्याय है।

इसी प्रकार अंग्रेजी शब्द - Circle' के लिए राजस्थान में 'वृत्त,' मध्य प्रदेश में 'आवृत्त', उत्तर प्रदेश में 'क्षेत्र' तथा कई राज्यों में 'परिधि' शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इस तरह की विविधता से भाषा में एकरूपता नहीं आ सकती तथा इसके प्रयोग से दुविधा उत्पन्न होती है। इसी तरह कार्यालयों के संदर्भ में circle के लिए मंडल, परिमंडल, क्षेत्र, मंडलीय आदि शब्दों का प्रयोग होता है जो व्यावहारिकता की दृष्टि से कदापि उचित नहीं है। Zonal शब्द के लिए ''आंचलिक'' और ''क्षेत्रीय'' दोनों शब्द चल रहे है जो उचित नही है।

''कोन बनेगा करोड़पति'' जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम में अक्सर अंग्रेजी में- "I will go with A" का अनुवाद आपने सुना होगा कि- मैं ए के साथ जाना चाहूँगा, जो शब्दानुसार है तथा गलत अनुवाद है। इसका अनुवाद होना चाहिए-''मेरा उत्तर ए होगा'' या ''मेरा विकल्प ए है''। हमें इस तरह के शाब्दिक अनुवाद से सदैव बचना चाहिए।

अंग्रेजी के - I met with an accident का अनुवाद- ''मैं दुर्घटना से मिला'' नही होगा बल्कि ''मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया'' होना चाहिए क्योंकि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं की प्रकृति अलग-अलग होती है और अनुवाद लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार ही होना चाहिए। इसी प्रकार "Green Delhi" का अनुवाद ''हरी दिल्ली'' नहीं होगा बल्कि ''हरित दिल्ली'' होगा। National Green Tribunal का अनुवाद ''राष्ट्रीय हरा अधिकरण'' नहीं होगा बल्कि ''राष्ट्रीय हरित अधिकरण'' होगा। Provided के हिन्दी अनुवाद के लिए 'बशर्ते कि'' के स्थान पर केवल ''बशर्ते'' ही लिखना पर्याप्त होता है।

ठीक इसी तरह ''सज्जन पुरुष'' के स्थान पर केवल ''सज्जन'' लिखना ही काफी है। ''बैठक आहूत की गई'' की जगह ''बैठक आयोजित की गई'' अधिक आसान और सुविधाजनक होता है। ऐसे ही ''फूल खिलना'' अशुद्ध प्रयोग है जबकि ''कली खिलना'' सही प्रयोग होता है क्योंकि कली खिलती है, फूल नहीं।

जहाँ तक भाषा के शुद्ध प्रयोग का प्रश्न है, हमें बोलचाल की भाषा के अशुद्ध शब्दों से बचना चाहिए। हिन्दी में-उसको, मुझको, तुझको, उनको, तुमको जैसे अशुद्ध रूपों के बजाय क्रमशः उसे, मुझे, उन्हें, तुम्हें जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।

किसी भी प्रयोग की जा रही भाषा में अन्य अनेक भाषाओं के शब्द अनायास ही आ जाते हैं और ऐसे शब्दों को उसके मूल रूप में ही लेना उचित होता है। उदाहरण के लिए-जरा, जलील, कालीन, जरूरी, जमीन, दरख्त, अजीज, राज, शफाखाना, अर्जी, खिलाफ, बाजार, कागज, फन, खैयाम, गरीब, गालिब, गाजियाबाद जैसे लफ़्ज़ों को ज्यों का त्यों रखा जाना ही उचित है। अगर इन शब्दों से नुक्ते को हटा दिया जाये तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और यह एक प्रकार से शब्द की हत्या करने जैसा ही हो जाएगा।

अंग्रेजी भाषा ने हमसे-करी, गुरु, ठग, कर्मा, निर्वाण, चटनी, वेरान्डा आदि शब्दों को लेकर अपनी भाषा में शामिल किया है। ''मानसून'' शब्द ना तो अंग्रेजी का है और न ही हिन्दी का। यह शब्द तो अरबी भाषा का है जो हिन्दी, अंग्रेजी तथा कई अन्य भाषाओं में धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। MALARIA शब्द-MALA और ARIA से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है-''गंदी हवा''। यह शब्द आज भी हिन्दी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में धड़ल्ले से चल रहा है।

आज का जमाना इंटरनेट, मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर और ब्लॉग लिखने का जमाना है। कम्प्यूटर और मोबाइल के प्रयोग ने भाषा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। परेशानी की बात यह है कि हमने कई शब्दों का बहुत शाब्दिक अनुवाद किया है जो मूल भाव से बहुत अलग है। इंटरनेट के लिए हमने हिन्दी में, ''अंतरजाल'' और कम्प्यूटर के लिए ''संगणक''

शब्द बनाए हैं किन्तु ये शब्द उस भाव का पूरा अर्थ नहीं देते हैं। ऐसे शब्दों का अनुवाद करने की आवश्यकता भी नहीं है।

वर्तमान में कम्प्यूटर से संबंधित माउस, डिस्क, साइबर कैफे, हार्डवेयर, मेल, वाइरस, इंटरफेस, स्पेस बार, की-बोर्ड, सर्वर, लैपटॉप जैसे न जाने कितने शब्द हमारे प्रयोग में आ गए हैं।

हिन्दी में आज तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा अनेक भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण किए हैं और इसी कारण यह और समृद्ध हो गई है। हिन्दी में आज तमिल, तेलुगू, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बांग्ला, गुरमुखी आदि के अनेक शब्दों का प्रयोग हो रहा और सही मायनों में यह आज भारत की सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है।

निष्कर्ष यह निकलता है कि हिन्दी एक जीवंत भाषा है और बंदिशे लगाकर इसे मृत भाषा नहीं बनाया जा सकता है। हिन्दी ने पहले से ही अपने समस्त द्वार खोले हुये हैं। यही कारण है कि इसने हर भाषा के शब्दों को अपनाया है और इतनी आत्मीयता से अपनाया है कि हिन्दी में आकर अन्य भाषाओं के शब्द भी हिन्दी के हो गए हैं। भाषा किसी भी पूर्वाग्रह को नहीं मानती है और न ही बँधनों को स्वीकार करती है। विश्व प्रचलित अंग्रेजी भाषा जिसका अपना शब्द भंडार बहुत सीमित है, ने भी तो लैटिन, फ्रेंच, अरबी, पुर्तगाली, स्पेनिश, संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्दों को अपनाया है। फिर, हिन्दी तो इससे कहीं अधिक समृद्ध, लोकप्रिय, व्यापक और वैज्ञानिक भाषा है।

तो आईए! हिन्दी को इसके इसी सरल, सहज और व्यावहारिक रूप में अपनाए।

निदेशक (राजभाषा)
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

❍❍❍

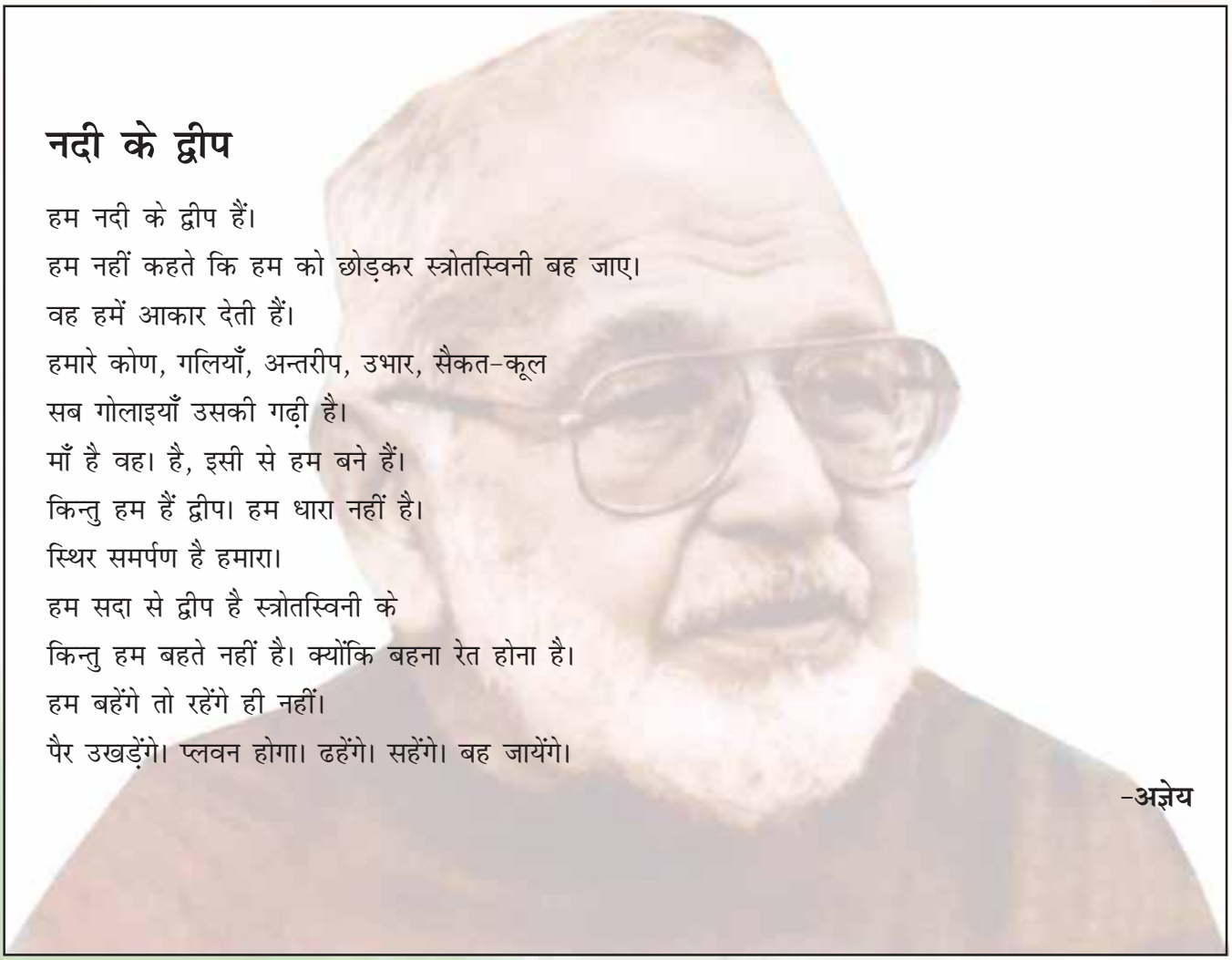

नदी के द्वीप

हम नदी के द्वीप हैं।
हम नहीं कहते कि हम को छोड़कर स्त्रोतस्विनी बह जाए।
वह हमें आकार देती हैं।
हमारे कोण, गलियाँ, अन्तरीप, उभार, सैकत-कूल
सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी है।
माँ है वह। है, इसी से हम बने हैं।
किन्तु हम हैं द्वीप। हम धारा नहीं है।
स्थिर समर्पण है हमारा।
हम सदा से द्वीप है स्त्रोतस्विनी के
किन्तु हम बहते नहीं है। क्योंकि बहना रेत होना है।
हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं।
पैर उखड़ेंगे। प्लवन होगा। ढहेंगे। सहेंगे। बह जायेंगे।

-अज्ञेय

सच और झूठ

-रविन्द्र कुमार जोशी

एक बार सच और झूठ नदी में
स्नान करने पहुँचे,
दोनों ने अपने-अपने कपड़े उतार कर
नदी के तट पर रख दिए
और झट-पट नदी में कूद पड़े।
सबसे पहले झूठ नहाकर नदी से बाहर आया
और सच के कपड़े पहनकर चला गया,
सच अभी भी नहा रहा था।
जब वह नहाकर बाहर निकला
तो उसके कपड़े गायब थे।
वहाँ तो झूठ के कपड़े पड़े थे।
भला सच उसके कपड़े कैसे पहनता।
कहते हैं तब से सच नंगा है और झूठ
सच के कपड़े पहनकर सच के रूप में प्रतिष्ठित है।
अब झूठ इतना शक्तिशाली हो गया है कि
लोग सच बोलने में संकोच करते है।
मगर झूठ नि:संकोच बोल जाते है।

उच्च श्रेणी लिपिक
रा.सं.वै.मं., के.लो.नि.वि.
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

मेरा गाँव

-रविन्द्र कुमार जोशी

मेरा गाँव, मेरा प्यार गाँव,
वही धूप है और वही छांव,
रूपांतर हुआ घर मकान का,
और कुटुम्ब सिमट गया परिवार तक।
बँटवारा हुआ सम्पत्ति साधन का,
दायरा सिकुड़ गया दिलों का,
खेत-खलिहान सब वैसे ही हैं,
कम हो गये काम करने वाले।
गाँव के चारों ओर हुआ विकास,
बस मेरे ही गाँव में सड़क न आई,
पूर्वजों की धरोहर पर गर्व है,
धिक्कार है तो अपनी पीढ़ी पे।
विवाह समारोह की निराली छटा थी,
सब मिल बाँट कर काम करते थे,
आज अहसास होता है वो भी क्या दिन थे,
जब कई दिनों तक नाचते गाते थे।
गाजे बाजे आज भी बजते हैं,
लेकिन न तो जोश दिखता है,
न ही वह प्यार न वो धुन,
बस दिखती है घमंड की धुन।
अभी भी समय है आओ हम सुधरें,
आने वाली पीढ़ी को भी मुँह दिखाएँ,
गाँव के माहौल को प्रेममय करें,
विकास के मार्ग पर प्रशस्त करें।

ooo

हिन्दी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेदभाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।
-पंडित मदनमोहन मालवीय

भाषा का मसला संविधान से अधिक स्वाभिमान का है

-अलका सिन्हा

भाषा का संबंध केवल संप्रेषण से होता तो भाषा के नाम पर किए जाने वाले बड़े-बड़े आंदोलन बेमानी हो जाते। भाषा हमारी पूरी संस्कृति को परिलक्षित करती है। किसी भाषा में वहाँ की संस्कृति झलकती है। किसी की बोली-भाषा से यह पहचाना जा सकता है कि वह कहाँ का निवासी है इसलिए भाषा एक संवेदनशील मुद्दा है। यह हमारी अस्मिता की पहचान है इसे 'यूँ ही' नहीं नजर अंदाज किया जा सकता। हमने आजादी के साथ-साथ अपनी भाषा के लिए भी लड़ाई लड़ी और हिन्दी को सर्वसम्मति से, संवैधानिक तौर पर सरकारी कामकाज के लिए यानी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब तक देश का राजकाज अंग्रेजी भाषा में किया जा रहा था इसलिए सरकारी कामकाज का एक तय ढाँचा अंग्रेजी में पहले से तैयार था। मगर अब उसे हिन्दी में तैयार करने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की जाने लगीं। अपने ही देश में अपनी भाषा को बोलने के लिए प्रोत्साहन राशियाँ दी जाने लगीं। धीरे-धीरे लगने लगा कि हिन्दी में काम करना हमारा नहीं, बल्कि सरकार का दायित्व है। वह हमसे हिन्दी में काम कराए। यानी जिम्मेदारी सरकार की है तो हम इसके लिए श्रम क्यों करें? मगर हिन्दी हमारे देश की पहचान है। हिन्दी बोलता व्यक्ति हिन्दुस्तानी होने की पहचान कराता है। आइडेंटिटी क्राइसेस के दौर में जहाँ एक छोटा-सा बच्चा भी अपनी निजी पहचान के प्रति सजग रहता है वहाँ हम कैसे देशप्रेमी हैं जो अपनी पहचान के प्रति इस कदर उदासीन हैं?

जिस तरह हम अपने राष्ट्रीय ध्वज से प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं बिल्कुल उसी तरह हमें अपनी भाषा से भी प्रेम करना चाहिए और उसके प्रयोग में गौरव हासिल करना चाहिए। मगर आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारी मानसिकता अंग्रेजी को ही हुकूमत की भाषा समझती है और हिन्दी जानने वाले या हिन्दी बोलने वाले को हुक्म की तामिल करने वाला इस नाते यह महत्त्वपूर्ण दायित्व है कि हम सरकारी कामकाज को हिन्दी में करते हुए इसे राजभाषा का मान दिलाने में योगदान करें।

हिन्दी के प्रति उदासीनता की दो बड़ी वजह हैं। पहली यह कि हिन्दी में ज्ञान विज्ञान की सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है और दूसरा यह कि प्राय: हिन्दी वही बोलता है जिसके पास अंग्रेजी का विकल्प नहीं होता। इस कारण हिन्दी विवशता की भाषा बन जाती है। हमें दोनों पक्षों पर मजबूती से काम करना होगा जिससे हिन्दी भी ज्ञान संवर्धन की भाषा बन सके। कम्प्यूटर की अपनी कोई भाषा नहीं होती लेकिन जब आप अंग्रेजी में कोई विषय टाइप करते हैं तो उस पर अच्छी खासी सामग्री निकल आती है जबकि हिन्दी के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए पहली कोशिश तो हमें यह करनी चाहिए कि हर महत्त्वपूर्ण और आधुनिक विषय से संबंधित जानकारी को हिन्दी में मौलिक रूप से कम्प्यूटर पर समादृत करने की मुहिम छेड़नी चाहिए। दूसरा यह कि अपनी भाषा को उचित दर्जा दिलाने के लिए केवल हिन्दी जानने से काम नहीं चलेगा, अन्य भाषाओं के प्रति भी उदारतावादी और उपयोगितावादी होकर, उन्हें सीखने में उत्सुकता पैदा करनी होगी। लेकिन इस सबके बावजूद कार्य व्यापार में अपनी ओर से पहल करने के लिए हिन्दी को प्राथमिकता देनी होगी।

विश्व बाजार में भारत की बहुत सशक्त भूमिका है। दुनिया भर की खरीद-फरोख्त के लिए भारत और भारतीय भाषाओं को नजर अंदाज कर पाना मुश्किल है। यही कारण है कि आज कई विदेशी मोबाइल कंपनियों ने भी हिन्दी के विकल्प को स्वीकार किया है। इसलिए अपनी भाषा को सशक्त तौर पर स्थापित करने का दायित्व हर भारतवासी को उठाना होगा। यह सही है कि भाषा की पहली आवश्यकता संप्रेषण है और उस लिहाज से भाषा को सभी के लिए सहज होना चाहिये। अगर हम विश्व में अपनी बात रखने के लिए अंग्रेजी सीख सकते है तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए दुनिया के देश हिन्दी क्यों नहीं सीख सकते? विचारों के सहज आदान-प्रदान में यदि परेशानी होती हो तो अन्य विदेशी भाषाओं का सहारा लिया जा सकता है मगर अपनी तरफ से हमें हिन्दी को प्राथमिकता देते हुए हिन्दी में ही पहल करनी चाहिये। यह सही है कि भाषा के मसले पर कोई काम रुकना नहीं चाहिए, उसी तरह कम-से-कम अपने राजकाज के मसले पर भाषा बाधित नहीं होनी चाहिए। होना यह चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ-साथ हिन्दी का भी निरंतर विकास हो। सीमाओं के पार भी वह प्रयोग में लायी जा सके।

जहाँ तक बात सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की है तो वह बहुत ही सीमित सा फलक है जिस पर बहुत हद तक काम किया जा चुका है। अधिकतर कार्यालयों में पत्रों के मानक मसौदे, टिप्पणियों का स्वरूप और इस तरह के अन्य दस्तावेज द्विभाषी कराए जा चुके हैं लेकिन यदि हम अपने हस्ताक्षर भी अपनी भाषा में न करें तो इसके लिए किसे दोष दिया जाए? हमें भाषा को अपनी पहचान, अपने स्वाभिमान से जोड़ कर देखना होगा। इस बात का अहसास देश से बाहर जाकर अधिक गंभीरता से होता है जहाँ आप अपने जैसी बोली-भाषा सुनकर किसी के प्रति अनायास ही आत्मीय हो उठते हैं। हमें यह मानना होगा कि भाषा मात्र संप्रेषण का माध्यम नहीं है, संबंधों की एक आत्मीय बुनावट भी इसमें अंतर्निहित है।

दफ्तर के उन पत्रों पर ध्यान दें जो एक से अधिक व्यक्तियों से संबंध रखते हैं। उन्हें राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत द्विभाषी रूप से जारी किया जाना चाहिए। ऐसा न किए जाने पर हस्ताक्षरकर्ता को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मगर जिम्मेदारी का उल्लंघन किए जाने पर उस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिये, इसका कोई पता नहीं। बेशक, यह एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ अपना धर्म, अपने खानपान, परिधान की स्वतंत्रता है। निजी स्तर तक तो यह स्वतंत्रता ठीक है लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के युग में जब हर साधारण जन को भी सब कुछ जानने का अधिकार है तब किसी सूचना को, परिपत्र को अथवा आदेश को संविधान की धाराओं के अनुरूप ही जारी किया जाना चाहिए। साथ ही, उल्लंघन करने पर दंड के प्रावधान पर भी विचार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दंड के भय से ही अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं अन्यथा हम इनके प्रति पर्याप्त गंभीर नहीं होते। मातृभाषाओं के न बोले जाने पर भी तो दंड का कोई प्रावधान नहीं है मगर क्या कारण है कि कोई बंगाली दूसरे बंगाली से बांग्ला में बात करता है, या कोई पंजाबी दूसरे पंजाबी से पंजाबी में बात करता है? और यहाँ कौन सी प्रोत्साहन योजना लागू होती है यदि कोई हिन्दी ही नहीं, अंग्रेजी को भी दरकिनार कर अपनी माँ-बोली में बात करना बेहतर समझता है। इसके पीछे वही आत्मीय कारण है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ती है। फिर सरकारी कामकाज में हिन्दी में पत्राचार करने में क्या दिक्कत है? बात मानसिकता की है, प्राथमिकता की है। निरीक्षण के दौरान अक्सर यह दलील दी जाती है कि काम की अधिकता के कारण हिन्दी में पत्र व्यवहार करना कठिन हो जाता है और अक्सर यह भी सलाह दी जाती है कि हिन्दी की एक अलग फाइल बना ली जाए ताकि मूल्यांकन किया जाना आसान हो जाए। यह स्थिति बहुत दुखद है कि हिन्दी पत्र-व्यवहार केवल गणना के लिए किया जाए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे किसी भाषा में तो कर ही रहे हैं, तो अगर अंग्रेजी में करते हुए अतिरिक्त समय नहीं लगता तो हिन्दी में करते हुए क्यों लगता है? हमें इस ओर गंभीरता से सोचना है। दरअसल हमने अपने आपको अभी तक इसके अनुकूल नहीं बनाया है कि हम सहज तौर पर हिन्दी में पत्राचार कर सकें। सामान्य बातचीत में हिन्दी सहज ही अपना स्थान बना लेती है। मगर वही बात यदि औपचारिक पत्र में लिखी जानी है तो हमें कठिनाई होने लगती है। यहाँ तक कि मानक पत्रों को देखकर भी उन पर काम किया जाना मुश्किल मालूम पड़ता है। दरअसल आसान और कठिन कुछ नहीं होता बल्कि यह हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है। स्वतंत्र होने के इतने लंबे समय के बाद भी अगर हम भाषा के स्तर पर गुलाम ही बने रहे तो बताइए कि जिन भाषायी आंदोलनकर्ताओं ने हिन्दी को स्थापित करने के लिए अपना सुख-चैन न्योछावर कर दिया उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है?

केवल सरकारी कामकाज में ही नहीं बल्कि अपने रोजमर्रा के काम में भी हमें अपनी भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी भाषा का अपमान करते हैं। नौकरी के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा का भी एक पत्र होता है जिसे पास करना अनिवार्य होता है वहीं दूसरी ओर हिन्दी के लिए ऐसा नहीं होता जबकि नौकरी लगने के बाद हिन्दी पत्राचार पर बल दिया जाता है। यह कैसा विरोधाभास है? अपने ही देश की नौकरी के लिए अंग्रेजी सीखना इस हद तक अनिवार्य हो जाता है कि यह आपकी रोजी-रोटी से जुड़ जाता है। यह सर्वथा अनुचित है। भाषा के स्तर पर इस तरह की उदासीनता को देश के सम्मान का मुद्दा समझते हुए पर्याप्त गंभीरता से उठाया जाना चाहिये। हर व्यक्ति को इसके प्रति पर्याप्त संवेदनशील होना चाहिए। लड़ाइयाँ सीमा पर ही जाकर नहीं लड़ी जातीं, कुछ लड़ाइयाँ सीमा के इस पार भी लड़ी जाती हैं जिसका हमारी अस्मिता में बराबर का योगदान होता है। किसी भी संघर्ष में भाषा एक सशक्त उपकरण की तरह काम करती है। वतनपरस्ती को बढ़ावा देने के लिए कई कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है जो हमारे जवानों के भीतर जोश और जज्बे को बढ़ा सके। यानी भाषा का साहित्य से और साहित्य का व्यक्ति से बहुत गहरा संबंध है इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम भाषा को एकांगी होकर नहीं, बल्कि समग्रता में देखें। उसे सिर्फ खानापूर्ति के लिए नहीं बल्कि दायित्वबोध से देखें और अपने-अपने स्तर पर अपेक्षित भूमिका का निर्वाह करें।

वरिष्ठ लेखिका
एवं सहायक निदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली

पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य की यात्रा

-मनोज कुमार

पिछले साल जुलाई में एक दिन मैं कार्यालय पहुँचा तो चपरासी ने राष्ट्रपति महोदय के दिन भर के कार्यक्रमों की सूची सौंपी। उनमें से एक मुलाकाती का नाम पढ़कर दिल खुश हो गया। लिखा था श्री मुक्तेश परदेशी (न्यूजीलैंड के लिए भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त) थोड़ी देर तो यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हर नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति महोदय से मिलना जरूरी होता है। मैं उनसे मिलने दक्षिणी प्रांगण के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुँचा क्योंकि सभी मुख्य अतिथियों को उसी रास्ते से लाया जाता है। मुझे देखकर वे भी बहुत खुश हुए और गले से लगा लिया। उनसे मेरा परिचय विदेश मंत्रालय के सी.पी.वी. (Consular Passport Visa) डिवीजन में मेरी प्रतिनियुक्ति के दौरान हुआ था। मैंने जून 2010 में सहायक पासपोर्ट अधिकारी (प्रोजेक्ट्स) के तौर पर और उन्होंने उसी साल लगभग दिसंबर में संयुक्त सचिव, (मुख्य पासपोर्ट अधिकारी व पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट) के पद पर कार्यभार संभाला था। मेरे कार्यक्षेत्र में तीनों संयुक्त सचिवों (कॉसुलर, पा.से.प्रो. व सी.पी.वी.) जो पटियाला हाउस में बैठते थे, को रिपोर्ट करना होता था। लेकिन पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा कार्य परदेशी साहब के साथ ही करना होता था।

पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट भारत सरकार के ई-गवर्नेंस योजना के मिशन मोड प्रोजक्ट्स में से एक थी जिसका उद्देश्य आम नागरिकों की सुविधा के लिए पासपोर्ट बनवाने के तरीकों में क्रान्तिकारी बदलाव लाना था। इसका पहला चरण मई 2010 में पूरा हुआ था और आगे वांछित प्रगति नहीं हो पा रही थी। इसीलिए परदेशी सर को विशेष रूप से इस कार्य के लिए लाया गया था। मेरे अधिकार क्षेत्र में सभी 37 पासपोर्ट कार्यालय आते थे जिसकी वजह से देश भर में यात्राएँ करनी पड़ती थीं। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट की वजह से महीने में से 8-10 दिन सरकारी यात्राओं में ही निकल जाते थे। परदेशी साहब कार्यालय यात्राओं के लिए शनिवार और रविवार के दिन भेजते थे ताकि कार्यालय का काम प्रभावित न हो। कई बार वे मुझे भी अपने साथ यात्राओं पर ले जाते थे। ऐसी ही यात्राओं में से एक पासपोर्ट कार्यालय गुवाहाटी की थी। इस यात्रा में मैं परदेशी साहब व उस समय के विदेश मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार के साथ गुवाहाटी पहुँचा था। गोपीनाथ बोर्दोलोई विमानपत्तन से सर्किट हाउस तक पहुँचने में हमें लगभग डेढ़ घंटा लगा जबकि हम राजकीय अतिथि थे तथा पायलट कारें हमारे लिए रास्ता बनाकर चल रहीं थीं। वहाँ जाकर अहसास हुआ कि दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था गुवाहाटी से बेहतर है।

दिन भर में लगभग सारे सरकारी कार्य निपटा लिए गए। शाम का खाना उस समय के पासपोर्ट अधिकारी श्री आर्मस्ट्रॉंग चैंगसन, जो कि विदेश सेवा से ही हैं और आजकल आइसलैंड में भारतीय राजदूत हैं, के सौजन्य से ''किंग्ज चिल्ली'' रेस्त्रां में था। वहाँ मेरा परिचय ''भूत झोलकिया'' (Ghost Chilli) से हुआ। गलती से मैंने इसकी बनी हुई चटनी चख ली जिसके बाद मुझे कमरे में भी तारे नजर आने लगे। उसके बाद मैंने इस चटनी को छुआ भी नहीं। खाना खाने के बाद अगले दिन का कार्यक्रम पोबितोरा अभयारण्य का बना। मैं लगभग 9:30 बजे सो गया लेकिन सुबह चार बजे ही चिड़ियों की चहचहाहट व सुबह की रोशनी ने आँखें खोल दी। थोड़ी देर तो समझ नहीं आया लेकिन फिर अहसास हुआ कि पूर्व की तरफ जाने से समय में अंतर आता है जिसकी वजह से सुबह जल्दी हो गई है।

लगभग साढ़े आठ बजे हमने पोबितोरा अभयारण्य के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में सड़क पर बतख और बकरियाँ टहलती हुई मिलीं। हमारे यहाँ यह हक सिर्फ कुत्तों के पास होता है। लगभग आधे घंटे में हमारी गाड़ियों का काफिला पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य पहुँचा। वहाँ के वन्य अधिकारी ने हमें चाय नाश्ता करवाने के बाद हाथियों के ऊपर बिठाकर अभयारण्य देखने के लिए भेजा। इतने बड़े जानवर पर बैठने का यह मेरा पहला अनुभव था। बहुत अच्छा लग रहा था।

पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य गुवाहाटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर मारगाँव में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के

किनारे पर स्थित है और मिनी कांजीरंगा के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ का वातावरण और प्राकृतिक बनावट कांजीरंगा से बहुत ज्यादा मिलता है। यह लगभग 30.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक सींग वाले गैंडों का घनत्व दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा पोबितोरा में प्रवासी पक्षी, जंगली भैंस, जंगली भालू, फिशिंग कैट और तेंदुए वगैरह भी देखे जा सकते हैं। वन्य अधिकारियों ने बताया कि घनत्व अधिक होने के कारण गैंडे गाँवों की तरफ चले जाते हैं और शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं क्योंकि गैंडे के सींग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी माँग है। लोगों के लालच के कारण इन निरीह प्राणियों को जान से हाथ धोना पड़ता है।

अभयारण्य एकदम हरा-भरा क्षेत्र है। दस बजते-बजते धूप इतनी तेज हो गई कि सहन करना मुश्किल था। सूर्य एकदम सिर के ऊपर दिख रहा था। चिलचिलाती गर्मी की वजह से हरी घास से उमस उठ रही थी और हम पसीने से तर-बतर हो रहे थे। जब कभी पेड़ों के झुरमुट से गुजरते थे तो बड़ी राहत मिल रही थी। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद जब हम घास के मैदानों में पहुँचे तो बहुत सारे गैंडे घास चरते हुए नजर आए। रास्ते में हमें कुछ जंगली भैंसें, सूअर और लोमड़ियाँ भी दिखीं। हमें गैंडों को नजदीक से दिखाने के लिए वन कर्मचारी हाथियों को गैंड़ों के झुंड के नजदीक ले गए। वाह! क्या शानदार जानवर थे। मैंने जिंदगी में पहली बार गैंडा देखा था। अलग ही अनुभव था। जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना बड़ा ही सुखद लगता है। हमारा पास आना गैंड़ों के सरदार को अच्छा नहीं लगा और उसने हम पर हमला करना चाहा। हाथी ने खतरे को भांप लिया और सूंड उठाकर चिंघाड़कर गैंडें को ललकारा तो वह वापस अपने झुंड में शामिल हो गया।

कुछ देर और दूर तक चलने के बाद हम लोग गर्मी से बेहाल हो गए और वापस चलने में ही भलाई समझी। हम पोबितोरा अभयारण्य से बाहर तो निकल आए लेकिन वहाँ की यादें अभी तक मेरे मस्तिष्क पर अंकित हैं। आप भी अगर गुवाहाटी जाएँ तो एक बार इस अभयारण्य की प्राकृतिक, नैसर्गिक और मनमोहक छटा का आनंद जरूर उठाएँ।

सहायक अभियंता
राष्ट्रपति सम्पदा मण्डल, के.लो.नि.वि.
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

❍❍❍

अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा। किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले यह प्रयोग की जाती थी परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

-राजभाषा नीति

भारत-भारती

हम कौन थे, क्या हो गए हैं, और क्या होंगे अभी,
आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएँ सभी।
यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं,
हम कौन थे, इस ज्ञान को, फिर भी अधूरा है नहीं।।

-मैथिली शरण गुप्त

क) मेरी रोजी-रोटी मेरा महकमा

-जे.पी. सिंह

अभावों में कभी,
लिपटा-सिमटा था।
मयस्सर न थे,
जीवन संसाधन मुझको।
बढ़के दुनियाँ से,
छीन लाया मैं तो।
मेरा हुनर ही,
मेरी उपलब्धियाँ जो हैं।।
इतराता हूँ,
कसम से अब तो।
अपने हुनर को,
अपने दम पे जो सीखा है।।
परवाह नहीं मुझको,
ए! जमाने तेरी।
समय के थपेड़ों ने,
मुझे हुनरमंद जो बना डाला।।
मेरी इबादत तो,
मेरी रोजी-रोटी है हरदम।
खुदा से भी ज्यादा,
मुहब्बत की है मैंने इसको।।
भूला नहीं मैं अब तक,
उन बेकसी के लम्हों को।
मेरी रोजी-रोटी आज,
खुदा से बढ़कर जो है।।
शुक्रगुजार हूँ तेरा,
ए! ''महकमे'' मेरे,
मेरे जीवन की तू,
बैसाखियाँ जो बना है।।

ख) एक कृति का सृजन

-जे.पी. सिंह

ये प्रश्न तेरा मुझसे,
ए! धवल कैनवास,
मेरे अंतर्मन को,
झकझोरता-सा है।
और अनायास हलचल,
मेरी अंगुलियों के मध्य,
तूलिका को ढूँढ़ती सी हैं।
और मंत्रमुग्ध होकर नाचती हैं,
तेरे धवल शरीर की सतह पर,
और करती जाती है,
तेरे धवल शरीर को,
स्याह, श्वेत, धूसर,
भूरा आदि-आदि।
और फिर तेरे,
अस्तित्व को मिटाकर, मेरा अंतर्मन,
अपनी एक रचना का,
सृजन कर देता है...
और ए! धवल कैनवास,
तेरा प्रश्नचिह्न मिटकर,
मेरी एक कृति को,
जन्म दे देता है,
और वह धवल कैनवास,
अपने अस्तित्व को खोकर,
एक सुन्दर कृति में,
परिवर्तित हो जाता है।
सदैव के लिए,
मेरी सोच की,
कृति बनकर।।

पेंटर, (भ-1) राष्ट्रपति सम्पदा मण्डल
के.लो.नि.वि., राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

○○○

कार्यालयी हिन्दी कैसी हो?

-प्रेम सिंह

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा का प्रगामी प्रयोग, भाषा के स्वरूप पर भी निर्भर करता है। राजभाषा के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की स्पष्ट नीति है कि सरकारी काम काज में सरल, सहज, सुबोध और व्यावहारिक हिन्दी का प्रयोग किया जाए। व्यावहारिक हिन्दी से तात्पर्य बोलचाल की हिन्दी से है जो कठिन एवं भारी भरकम न हो अर्थात् जिसमें बेहद मुश्किल शब्दावली का प्रयोग न किया गया हो। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि सरकारी काम की हिन्दी में संप्रेषणीयता अर्थात् संदेश की प्रमुखता होती है। कार्यालयी हिन्दी में कथ्य महत्त्वपूर्ण होता है, भाषा के सौष्ठव व समृद्धता पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। कार्यालयी हिन्दी कोई विशेष प्रकार की हिन्दी नहीं, बल्कि बोलचाल की हिन्दी जिसमें आमफहम, रोजमर्रा के शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग हो और दूसरी भारतीय भाषाओं के लोक प्रचलित शब्दों का भी उसमें समावेश हो। यदि किसी अंग्रेजी शब्द के लिए हिन्दी में अनेक पर्यायवाची शब्द हो तो उनमें से अधिक सरल और प्रचलित शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि हिन्दी शब्द कठिन तथा अप्रचलित लगता हो तो उसका अंग्रेजी शब्द कोष्ठक में लिख दिया जाए या उसका देवनागरी में लिप्यंतरण कर दिया जाए तो बेहतर होगा। जैसे ''विहित'' और ''निहित'' शब्द का प्रयोग पत्र-व्यवहार में प्रायः किया जाता है, जिसके मतलब को अर्थात् सूक्ष्म अर्थ भेद को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार लिखा जा सकता है। विहित (prescribed), निहित (included)। इसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में समानता प्रतीत होती है। उनके अर्थ की दृष्टि से सूक्ष्म भेद को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक में उनके अंग्रेजी शब्द लिख देने चाहिए जैसे- अनुदेश (instruction), निदेश, निर्देश (direction, directive), कथन (statement), अधिकथन, आरोप (Allegation), ''वाद'' (Suit) ''विवाद'' (dispute), परिवाद (complaint), पर्यवेक्षण (supervision), प्रेक्षण (observation), योजना (scheme), परियोजना (project), निविदा (tender), संविदा (contract), कार्रवाई (action), कार्यवाही (proceeding), स्वीकृति (acceptance), संस्वीकृति (sanction)।

कार्यालयी हिन्दी लिखते समय इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हिन्दी का वाक्य न तो संस्कृत के कठिन शब्दों की लड़ी हो, न ही उर्दू व अरबी-फारसी के अप्रचलित शब्दों का उसमें प्रयोग हो और न ही एक वाक्य में अनावश्यक अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग और न ही हिन्दी-लेखन, अंग्रेजी का अटपटा अनुवाद मात्र हो। उदाहरण के लिए एतद् द्वारा, भूपृष्ठ जल यथा अभिशंसित के स्थान पर क्रमशः इसके द्वारा, सतही पानी, सिफारिश के अनुसार मंजूर लिखना बेहतर माना जाता है।

सच्चाई तो यह है कि भाषा ज्ञान की मात्रा की वजह से व्यक्ति विशेष को कुछ शब्द बहुत सरल लगते है, जबकि वही शब्द अन्य व्यक्ति को कठिन लगते हैं उदाहरण के लिए उर्दू व अरबी जानने वाले व्यक्ति के लिए राष्ट्र, उत्सव, हृदय, केवल, प्रसिद्ध, प्रथा, संबंधी, काल के स्थान पर क्रमशः मुल्क, जलसा, दिल, सिर्फ, मशहूर, रिवाज, रिश्तेदार, जमाना का प्रयोग करना अधिक सरल लगेगा। इसी प्रकार विशेष, उपस्थित, प्रयास, प्रसन्नता, अपितु, अन्यथा, यद्यपि, तथापि के स्थान पर क्रमशः खास, हाजिर, कोशिश, खुशी, बल्कि, नही तो, हालांकि, तो भी का प्रयोग बेहतर होगा।

व्यक्ति जिस माहौल में रहता है उसके अनुसार वह भाषा का प्रयोग करने लगता है यह माहौल का ही प्रभाव है कि आम आदमी को भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और जज कहने में आसानी होती है। जबकि चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता और न्यायाधीश कहने में आसानी नहीं होती। अतः तात्पर्य यह है कि कार्यालयी हिन्दी में हमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बिना किसी हिचक के करना चाहिए।

हमें उस इंगलिस्तानी हिन्दी से भी बचना चाहिए जो कार्यालयी हिन्दी के स्वरूप को बिगाड़ती है या जिससे, प्रयोग करने वाले की अक्षमता झलकती है-जैसे सर आज मीटिंग में

बहुत ही इंटरेस्टिंग एन्ड फ्रूटफुल डिसकशन हुआ। सर मैं सॉरी फील करता हूँ। मैं टुमारो ट्राई करूँगा। इस तरह की क्रियाओं के प्रयोग में अनावश्यक अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

अत: कार्यालयी हिन्दी व्यावहारिक हिन्दी होती है जिसमें एक ही वाक्य में हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं के शब्द भी आ सकते हैं बशर्ते वे आमतौर पर प्रयोग में आते हों जैसे प्रारूप, मंजूरी/स्वीकृति के लिए प्रस्तुत है। एवजी के अभाव में छुट्टी सेंशन नहीं की जा सकती, मसौदा फाईल/मिसिल में, फ्लेग/पताका ''क'' पर है, मासिक रिपोर्ट आज ही अवर सचिव को प्रस्ततु/पेश कीजिए। नि:संदेह कार्यालयी हिन्दी की विशिष्ट प्रशासनिक एवं तकनीकी शब्दावली होती है जैसे-आवती (receipt), पावती (acknowledgement), प्रारूप (draft), टिप्पणी (noting), अनुमोदन (approval)।

अब जरा ''प्रस्तुत'' शब्द का प्रयोग देखें आवती (पत्र) को प्रस्तुत कीजिए लेकिन घर में यदि मालिक नौकर से कहे कि खाना थाली में प्रस्तुत करो तो यह अटपटा लगेगा।

A line of reply will be appreciated उत्तर की एक पंक्ति की सराहना की जाएगी के स्थान पर ''कृपया उत्तर दें'' का प्रयोग करना ठीक होगा। अत: कार्यालयी हिन्दी में विषय-वस्तु को छोटा करके लिखना चाहिए।

इसी प्रकार कार्यालयी हिन्दी में सामान्यतया प्रयुक्त वाक्य कर्मवाच्य में होते हैं जैसे-1. आपको सूचित किया जाता है। 2. एक माह का अर्जित अवकाश मंजूर किया जाता है। 3. ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है आदि।

कार्यालयी हिन्दी में वाक्य रचना हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुसार होनी चाहिए न की अंग्रेजी वाक्य की रचना के अनुसार जैसे 1.The boy who lives in village, is my friend अर्थात् लड़का जो गाँव में रहता है, मेरा मित्र है, के स्थान पर ''ग्रामवासी लड़का मेरा मित्र है'' प्रयोग करना ठीक होगा। इसी प्रकार से वाक्य रचना में शिष्टता होनी चाहिए जैसे-यज्ञ में आग लगा दो के स्थान पर यज्ञ की अग्नि प्रज्ज्वलित कर दीजिए ''हड्डियों को फेंकना'' के स्थान पर हड्डियों को प्रवाहित का प्रयोग शिष्टतापूर्वक होगा।

इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कार्यालयी हिन्दी शब्दकोशीय हिन्दी न बन जाए जिसे हिन्दी-विशारद भी न समझ सके और हिन्दी अनुवाद को पुन: सरल हिन्दी में करना पड़े। कार्यालयी हिन्दी में प्रचलित शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता आज की माँग है, जिससे हिन्दी को आलोचना से बचाया जा सकता है। इस प्रकार यदि हम उपर्युक्त बातों का ध्यान करके टिप्पणी व प्रारूपण करेंगे तो निश्चय ही राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होगी।

पूर्व संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

❍❍❍

यह भारत की जनता के बहुत बड़े वर्ग की और यदि हम छोटे-मोटे बोलीगत रूप भेदों को छोड़ दे तो बहुमत की भाषा है। वास्तव में यह उसी प्रकार भारत की राष्ट्रीय भाषा होने का दावा कर सकती है, जिस प्रकार से हिन्दू धर्म भारत का 'राष्ट्रीय धर्म' है।

भारत के सभी भागों में सारी शिक्षा का एक उद्देश्य हिन्दी का पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। हिन्दी का भारत की राष्ट्रभाषा होना निश्चित है। संचार व्यवस्था और वाणिज्य की प्रगति निश्चय ही यह कार्य संपन्न करेगी।

-चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य

निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल

-भारतेंदु हरिश्चंद्र

तकनीकी कुशलता का एक दृष्टांत

-वेद प्रकाश

कक्ष का वातानुकूलन दैनिक जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। इससे दिन-प्रतिदिन के कार्य करने की क्षमता और सुधारने की संभावना होती है। वातानुकूलन को बनाये रखने में रोशनदान का बहुत ही महत्त्वपूर्ण योगदान है। वह दरवाजे या खिड़की के ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। रोशनदान कमरे की वायु में बदलाव करता है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा तथा वायु के तापमान को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है।

महामहिम राष्ट्रपति का 'अध्ययन कक्ष', जहाँ से वह प्रतिदिन के कार्य करते हैं, का एक हिस्सा मुगल गार्डन की तरफ खुलता है जिस पर दो द्वार हैं। इनकी ऊँचाई लगभग 4 मीटर है और दोनों द्वारों के ऊपर रोशनदान भी है। एअर कंडीशनर की व्यवस्था होने के कारण इन्हें खोला नहीं जाता है जिसके कारण कक्ष की वायु के बदलाव की गति शुद्ध हवा से धीरे हो जाती है। इस समस्या को देखते हुये महामहिम राष्ट्रपति ने इच्छा व्यक्त की कि उनके अध्ययन कक्ष में प्राकृतिक रूप से हवा निकासी का प्रावधान होना चाहिए। रोशनदान अधिक ऊँचाई पर होने के कारण उसे तुंरत खोलना या बंद करना भी एक चैलेंज था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन कक्ष के दोंनों द्वारों के ऊपर स्थित रोशनदानों से प्राकृतिक रूप से संवातन (वेंटीलेशन) अर्थात् हवादार बनाने की प्रक्रिया आरम्भ की गई।

इस प्रकिया के दौरान सभी विकल्पों का अध्ययन कर

दरवाजे के ऊपर

यह जानने की कोशिश की गई कि रोशनदान को रिमोट कंट्रोल के द्वारा कैसे खोला या बन्द किया जाये ताकि ताजी हवा प्रवेश हो सके। यह भी सुनिश्चित करना था कि हवा के साथ-साथ मक्खी या मच्छर की रोकथाम किस प्रकार की जाएगी। महामहिम राष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर रोशनदान को कितना खोलना है, यह बहुत महत्त्वपूर्ण था। बिना आवाज के रिमोट से खुलने वाले रोशनदान की परिकल्पना की गयी। रोशनदान के फ्रन्ट भाग में शीशे का प्रबन्ध किया गया ताकि जब रोशनदान बन्द हो तो हवा का आवागमन न हो और वातानुकुलित सिस्टम पर कोई प्रभाव न पड़े। ऊँचाई ज्यादा होने के कारण वेंटिलेटर को हाथ से खोलना-बन्द करना संभव नहीं था। अत: विघुत मोटर hydraulic suspension और रिमोट कंट्रोल के द्वारा 30^0 पर वेंटिलेटर के खुलने का प्रबंध किया गया ताकि ताजी हवा का आवागमन हो सके और सुरक्षा में कोई समझौता न हो। निर्माण भी बेहद महत्त्वपूर्ण था। मोटर के निर्माण में यह ध्यान में रखना था कि ध्वनिहीन व ध्वनिमुक्त मोटर का निर्माण हो। मोटर का आकार कम से कम रखा गया ताकि यह कम स्थान में लग सके और सुंदर लगे।

अंतत: एक ऐसा वेंटिलेटर बनाया गया जिसमें दो छोटी-छोटी मोटर दो किनारों पर उल्टी लगायी गई तथा उनका प्रचालन रिमोट से किया गया। जाली फोल्ड करके प्लेट के आकार में लगाई गई। प्लेट के बन्द होने और खुलने पर सुरक्षा की दृष्टि से एक निश्चित कोण पर वेंटिलेटर खोलने की व्यवस्था की गयी।

यह वेंटिलेटर कैसा लगेगा और इसका उपयोग कैसे होगा, के प्रदर्शन हेतु लोहे के फ्रेम पर उसका नमूना बनाया गया और उसका प्रर्दशन अधीक्षण अभियंता द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष किया गया। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रपति सम्पदा द्वारा तकनीकी तरीके से

वेंटिलेटर

इसकी की जा रही व्याख्या को गंभीरतापूर्वक सुना तथा इच्छा व्यक्त की कि इसी प्रकार का रोशनदान उनके कक्ष में लगाया जाये।

उक्त वेंटिलेटर की आधारभूत संकल्पना, योजना निर्माण आदि से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की रचनात्मकता और तकनीकी कौशल भी उभरकर सामने आया।

सहायक अभियंता
राष्ट्रपति संपदा मंडल
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

ooo

बात बोलेगी

बात बोलेगी हम नहीं
भेद खोलेगी बात ही
सत्य का मुख, झूठ की आँखें क्या देखें।
सत्य का रूख, समय का रूख है।
अभय जनता को सत्य ही सुख है,
सत्य ही सुख।
दैन्य, दानव; काल
भीषण; क्रूर स्थिति; कंगाल
बुद्धि; घर मजूर सत्य का
क्या रंग है? पूछो, एक संग।
एक जनता का दुख एक
हवा में उड़ती पताकाएँ अनेक।
दैन्य दानव। क्रूर स्थिति
कंगाल बुद्धि; मजूर घर भर
एक जनता का अमर वन;
एकता का स्वर।
-अन्यथा स्वातंत्र्य इति

-शमशेर बहादुर सिंह

प्रांतीय ईर्ष्या-द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिन्दी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती।

-नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

गुरू-दक्षिणा

-गौरव व्यास

एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से पूछा-'गुरुजी कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते है। इनमें कौन सही है?' कृपया मार्गदर्शन करें। गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया-पुत्र जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है और जो लोग गुरु के द्वारा बताये मार्ग पर चलने लगते हैं मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं।

यह उत्तर सुनते ही शिष्य पूरी तरह संतुष्ट न था। गुरु जी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे-लो तुम्हें इस संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। कहानी सुनाते हुए गुरु जी ने कहा, एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में तीन शिष्यों ने अपना अध्ययन सम्पूर्ण करने पर अपने गुरु जी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरुदक्षिणा में, उनसे क्या चाहिए। गुरु जी पहले तो मंद-मंद मुस्काये और फिर स्नेहपूर्वक कहने लगे 'मुझे तुमसे गुरुदक्षिणा में एक थैला भरकर सूखी पत्तियाँ चाहिए, ला सकोगे?' वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियाँ तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती है। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले-जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा।

अब वे तीनों शिष्य अपने निकट के जंगल में पहुँचे लेकिन वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि वहाँ तो एक मुठ्ठी भर ही सूखी पत्तियाँ थीं। यह देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे सोच में पड़ गये कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियाँ उठाकर ले गया होगा? इतने में उन्हें दूर से एक किसान आता हुआ दिखाई दिया। वे उस किसान के पास पहुँच कर उससे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियाँ दे दे लेकिन किसान उनसे क्षमायाचना करते हुए कहने लगा कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने ईधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सारी पत्तियाँ उपयोग में ले लीं। इसके पश्चात् वे तीनों पास में ही बसे एक गाँव की ओर जाने लगे कि शायद कोई वहाँ उनकी मदद कर सके। वहाँ पहुँच कर उन्होंने

एक व्यवसायी को देखा और बड़ी उम्मीद के साथ उस व्यवसायी से एक थैला भर सूखी पत्तियाँ देने के लिए प्रार्थना करने लगे लेकिन फिर से एक बार निराशा ही हाथ लगी क्योंकि उस व्यापारी ने पहले ही सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिये थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियाँ एकत्रित किया करती थी।

पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग-अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब वो तीनों निराश होकर खाली हाथ ही गुरुकुल लौट आये। गुरु जी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, 'पुत्रों ले आये गुरुदक्षिणा'? तीनों ने सिर झुका लिया। गुरु जी के द्वारा बार-बार पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा-'गुरुदेव हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाये। हमने सोचा कि सूखी पत्तियाँ तो जंगल में सर्वत्र बिखरी रहती होगी लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते है'।

गुरुजी पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्रेमपूर्वक बोले-निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ। सूखी पत्तियों की ही भाँति ज्ञान की पत्तियाँ भी व्यर्थ नहीं हुआ करती बल्कि उनके अनेक उपयोग हुआ करते हैं। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी-खुशी अपने घर की ओर चले गये। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी बड़े एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था अचानक बड़े उत्साह से बोला-गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है। जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियाँ

भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं तो हम भी किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छोटा और महत्त्वहीन मानकर उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना-अपना महत्त्व होता है। गुरुजी भी तुरन्त ही बोले-हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि जब भी किसी से मिलें तो उसे यथायोग्य मान देने का भरसक प्रयास करें ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति, सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाए उत्सव बन सके।

दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ एवं शांति प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊँचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था।

अन्ततः मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सब के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा 'उत्सव' पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों का मत है।

सहायक अभियंता (वै.)
उपमंडल-4, राष्ट्रपति सम्पदा वैद्युत मण्डल
के.लो.नि.वि., राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

❍❍❍

भारत महिमा

हिमालय के आँगन में उसे, प्रथम किरणों का दे उपहार।
उषा ने हँस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक-हार।।

जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक।
व्योम-तम पुँज हुआ तब नष्ट, अखिल संसृति हो उठी अशोक।।

विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत।
सप्तस्वर सप्तसिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम-संगीत।।

बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत।
अरुण-केतन लेकर निज हाथ, वरुण-पथ पर हम बढ़े अभीत।।

सुना है वह दधीचि का त्याग, हमारी जातीयता विकास।
पुरंदर ने पवि से है लिखा, अस्थि-युग का मेरा इतिहास।।

सिंधु-सा विस्तृत और अथाह, एक निर्वासित का उत्साह।
दे रही अभी दिखाई भग्न, मग्न रत्नाकर में वह राह।।

धर्म का ले लेकर जो नाम, हुआ करती बलि कर दी बंद।
हमी ने दिया शांति-संदेश, सुखी होते देकर आनंद।।

विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम।
भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर-घर घूम।।

यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि।
मिला था स्वर्ण-भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि।।

किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं।
हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं।।

जातियों का उत्थान-पतन, आँधियाँ, झड़ी, प्रचंड समीर।
खड़े देखा, झेला हँसते, प्रलय में पले हुए हम वीर।।

चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न।
हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न।।

हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव।
वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा मे रहती थी टेव।।

वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान।
वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य-संतान।।

जियें तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष।
निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष।।

-जयशंकर प्रसाद

हिन्दी भाषा कल और आज

-आशीष

राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार...''हिन्दी का उद्देश्य यही है भारत एक रहे अविभाज्य, यों तो रूस और अमेरिका जितना है उसका जनराज्य, बिना राष्ट्रभाषा स्वराष्ट्र की, गिरा आप गूंगी असमर्थ, एक भारती बिना हमारी भारतीयता का क्या अर्थ?''

अंग्रेजों ने जब भारत पर कदम रखा तो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के साथ-साथ भाषा का सुन्दर समावेश देखकर उन्हें ईर्ष्या होने लगी और यह विचार करने लगे कि वह ऐसा क्या करे जिससे यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और भाषा का पतन हो। चूँकि वह हमारे देश पर कब्जा करना चाहते थे इसलिये उन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजी सभ्यता का प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया जिसमें वे पूरी तरह सफल भी रहे। जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ, हमें आवाज उठाने का अवसर भी नहीं मिला।

किन्तु देश आजाद होने के बाद भी आरंभ में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। आज भी जब हम किसी भी बात पर चर्चा करते हैं तो कुछ शब्द अपनी शान बढ़ाने के लिये अंग्रेजी के प्रयोग करते हैं। हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में ही शिक्षा प्राप्त करें, प्रथम प्रयास यही होता है। कोई भी भाषा सीखना या बोलना गलत नहीं होता है। किन्तु अपनी मातृभाषा का जो स्थान है वह उसे मिलना ही चाहिए। हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिये कि जन्मदात्री सिर्फ एक होती है वह है हमारी मातृभाषा हिन्दी। हम सबको मिलकर उसे वही स्थान देने के लिए प्रयास करना है। कल बीत चुका है। अब धीरे-धीरे जनमानस के सिर से अंग्रेजी का बुखार भी उतर रहा है। पहले जहाँ अंग्रेजी स्कूलों में हिन्दी भाषा का नाम लेना भी मुश्किल था, वहाँ भी हिन्दी विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। हमें यह कहते हुये गर्व होता है कि आज विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिन्दी है। हजारों विदेशी छात्र अनेक देशों से हिन्दी भाषा का ज्ञान अर्जित करने के लिये भारत आते हैं। हिन्दी हमारी मातृभाषा है, हम यह क्यों भूल जाते हैं। शनैः शनैः सरकार ने भी इस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। प्रत्येक सरकारी या गैर-सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सरकार द्वारा प्रत्येक सरकारी कार्यालय में समिति बनाकर इसे बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है, साथ ही अनुदान राशि भी प्रदान की जा रही है। यहाँ तक कि जो भी कर्मचारी हिन्दी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग करता है उसे सरकार की तरफ से पुरुस्कृत और सम्मानित भी किया जाता है। हर प्रदेश में हिन्दी संस्थान की स्थापना भी की गयी है। बड़े-बड़े साहित्यकारों को जो अपनी मातृभाषा को बढ़ाने में निरन्तर प्रयासरत हैं, को पुरुस्कृत किया जा रहा है। किसी भी तरह की परीक्षा में आप लिखित हो या मौखिक, सहज रूप से हिन्दी भाषा का चुनाव करके उत्तर दे सकते हैं। सरकार ने इसे राजभाषा का दर्जा तो दिया किन्तु हम सबको प्रयास कर इसे राष्ट्र भाषा का दर्जा दिलवाना है।

बहुकर्मी स्टॉफ
कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
राष्ट्रपति सम्पदा, के.लो.नि.वि.
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

ooo

देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है।
हिन्दी विश्व की महान भाषा है।

-राहुल सांकृत्यायन

वर्तमान में हिन्दी की दशा और दिशा
हिन्दी में रोजगार और रोजगार की हिन्दी

-डॉ. पूरन चंद टन्डन

भारत देश को स्वतंत्र हुए आज लगभग 65 वर्ष होने को है। इस प्रौढ़ तथा परिपक्व आजादी ने हमें 21वीं शताब्दी में प्रवेश दिला दिया है। 21वीं शताब्दी में भारत एक आत्मनिर्भर विश्वशक्ति बनकर उभरेगा, ऐसा हम सभी का विश्वास भी है और स्वप्न भी। आज सूचना संचार एवं मीडिया क्रांति का युग है। विज्ञान, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी का युग है। प्रौद्योगिकी के इस युग में भाषा भी एक 'प्रौद्योगिकी' बनती जा रही है। भाषा के उन्नयन एवं विकास के लिए यह एक अच्छा लक्षण भी है। हिन्दी भी आज एक प्रौद्योगिकी की शक्ल अख्तियार कर रही है। भारत को बहुराष्ट्रीयता और बहुसंचारवाद ने यह पाठ पढ़ाया है कि केवल सरस्वती वंदना से भाषा का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा बल्कि उसे श्रद्धा के साथ-साथ दीर्घायु भी बनाना आवश्यक है। यह संभव होगा, भाषा को अनुप्रयोग से जोड़कर। यह संभव होगा भाषा के हृदयपक्ष और बुद्धिपक्ष के साथ-साथ उदर-पक्ष को मजबूत करने पर। संपर्क, संप्रेक्षण तथा साहित्य-सृजन के साथ-साथ भाषा को कामकाजी बनाकर। आज हिन्दी में 'उच्च शिक्षा' तथा 'शोधवृत्ति' का रुझान घट रहा है। कारण, नौकरी या रोजगार का आश्वासन हिन्दी के पास नहीं है। विद्यार्थी या अभिभावक सोचते हैं कि भविष्य सुरक्षित नहीं है। हिन्दी अध्ययन से न घर में स्वागत-सम्मान होता है न बाहर। हिन्दी क्यों पढ़े। तीन हजार रुपये की नौकरी की गारंटी नहीं है। विदेशगमन के रास्ते प्रशस्त नहीं हैं। केवल अध्यापक या प्राध्यापक बनने का मार्ग प्रशस्त करने वाली हिन्दी इसी कारण उपेक्षित होने लगी। घर की मुर्गी को दाल बराबर समझ लिया गया।

दुर्भाग्य यह भी रहा कि हमने यह मान लिया कि हिन्दी भी कोई पढ़ाई होती है। यह तो अपने आप आ जाती है। हिन्दी में काम काज कैसे संभव है? काम काज की भाषा तो अंग्रेजी ही होती है। मित्रों, जिन देशों में अंग्रेजी नही है या जिन्होंने अंग्रेजी को घुसने और छाने नहीं दिया, वहाँ क्या कामकाज की भाषा नहीं? भारतीय भाषा-भाषी समाज में हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं को लेकर अनेक हीन-भावनाएँ भर दी गई। अनेक भ्रम पैदा कर दिए गए। अनेक ग्रंथियाँ घर कर गई। परिणामत: हिन्दी की शक्ति को पहचानने में हमसे भूल हुई। सच यह है कि हिन्दी एक समर्थ-सशक्त भाषा है। आज साहित्यिक भाषा, शिक्षण-प्रशिक्षण की भाषा, संपर्क की भाषा, वित्त-वाणिज्य-बैंक एवं बीमा की भाषा भी हिन्दी है तो विज्ञान, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी की भाषा भी हिन्दी है। विज्ञापनों के वैविध्य में यदि हिन्दी रीढ़ की हड्डी बन रही है तो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर प्रकार के समाचारों, समाचार-चैनलों की भाषा भी हिन्दी बन रही है। क्रय-विक्रय या बाजार की भाषा हिन्दी बन रही है तो खेल, मनोरंजन एवं संस्कृति की भाषा भी हिन्दी दिखाई दे रही है। आज सिनेमा, कम्प्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल, पेजर, दूरमुद्रक आदि की भाषा भी हिन्दी है तो पत्र-पत्रिकाओं, बैनरों, पोस्टरों, हैन्डबिलों की भाषा भी हिन्दी है। दीवार-लेखन भी हिन्दी में हो रहा है तो स्लोगन, अभिवादन या ग्रीटिंग कार्ड लेखन भी हिन्दी में युद्ध स्तर पर हो रहा है। रेल में हिन्दी, हवाई जहाज में हिन्दी, संसद में हिन्दी, अदालत में हिन्दी, पुलिस स्टेशन में हिन्दी, खेत-खलिहान में हिन्दी, मजदूर की रोटी में हिन्दी, गरीब के स्वप्न में हिन्दी, राजनेताओं के आश्वासनों में हिन्दी प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों में हिन्दी, जनसंपर्क में हिन्दी, होटलों, पर्यटन स्थलों, अतिथि-गृहों में हिन्दी, जहाँ देखो वहीं हिन्दी है।

आज हिन्दी के पास वैश्विक तकनीकी एवं वैज्ञानिक अवधारणाओं को आत्मसात करने वाले 8 लाख पारिभाषिक शब्द हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने सन् 1961 से अब तक बहुत बड़ा तथा रचनात्मक काम किया है। आज आवश्यकता है कि हिन्दी कर्मी, हिन्दी विशेषज्ञ या हिन्दी के अधिकारी विद्वान, साहित्य के साथ-साथ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के शोध-गृहों में प्रवेश करें। हिन्दी की मशाल उन अगम क्षेत्रों, दिशाओं और आयामों में भी प्रज्ज्वलित करें

जहाँ अभी तक यह संभव नहीं हो पाया है। हिन्दी अध्यापक, प्राध्यापक, रीडर, प्रोफेसर, हिन्दी अधिकरी, अनुवादक तथा हिन्दी के लेखक यदि यह बीड़ा उठा लें कि हिन्दी को कामकाजी, व्यावहारिक, आजीविका साधक तथा रोजी-रोटी की भाषा बनाना है तो मित्रों राष्ट्र का और विश्व का बहुत उपकार हो सकता है। हिन्दी से जुड़े लोगों ने हिन्दी की रोटी तो खूब खाई पर 'रोटी की हिन्दी' पैदा नहीं की। हिन्दी के प्रयोजन पर बहस तो खूब की पर 'प्रयोजन की हिन्दी' को अनदेखा किया। बल्कि लंबे अरसे तक तो इस 'विशिष्ट प्रयोजन' की भाषा का विरोध भी बड़े स्तर पर चलता रहा। यह तो हिन्दी की ताकत है कि वह धीरे-धीरे गतिमान, प्रवाहमान अजस्र धारा सी बहती-बहती आज विश्व उन्मुख दिखाई पड़ रही है।

हिन्दी वालों की रचनात्मक कार्य संस्कृति अपनानी होगी। आज हिन्दी में काम काज की अनेक संभावनाएँ उजागर हो उठी हैं। अंग्रेजी की लंबी रेखा को हिन्दी वाले रबड़ से मिटाकर छोटा नहीं कर सकते, हाँ हिन्दी के क्षेत्र में अनेक कार्यक्षेत्रों को विकसित कर हिन्दी की रेखा को अंग्रेजी से बड़ा जरुर कर सकते हैं। आज इसी संकल्प की आवश्यकता है। हिन्दी हम सभी की, हमारे देश और उसकी अस्मिता की पहचान भी है। हिन्दी हमारी संस्कृति की वाहिका भी है। अत: मौलिक या अनूदित किसी भी रूप में, हम सभी यदि युद्धस्तर पर जुट जाएँ तो हिन्दी विश्व की श्रेष्ठतम, समृद्धतम तथा समर्थतम भाषा बन सकती है।

आज हिन्दी को केवल 'कार्यालयी हिन्दी' तथा 'साहित्यिक हिन्दी' जैसे दो वर्गों में बाँटकर देखना छोड़ना होगा। हिन्दी को रोजगार से जोड़ने के लिए, हिन्दी को एक व्यवसाय या उद्योग बनाने के लिए 'हिन्दी में कामकाज' या 'कामकाज में हिन्दी' की कार्यशालाएँ, फैक्ट्रियाँ और अकादमियाँ खोलनी होगी। हिन्दी विश्वविद्यालय और अनुवाद-विश्वविद्यालय खोलने होंगे। मैं तो यह भी कहूँगा कि 'भारतीय भाषा उन्नयन मंत्रालय' की स्थापना पर भी बल देना होगा। आज हम हिन्दी की शक्ति को पहचान रहे हैं। हिन्दी में आज **'विज्ञापन-लेखन'** तथा **'स्लोगन लेखन'** एक व्यवसाय बन रहा है। **'अभिवादन पत्र लेखन'** और **'संवेदना-पत्र लेखन'** भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हिन्दी में ही बनाने बेचने लगी हैं। **प्रचार-साहित्य लेखन** में हिन्दीविदों की माँग दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। **दुभाषिमा प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञों** के समक्ष एक बहुत बड़ा विश्व बाजार उजागर हो रहा है। तत्काल भाषांतरण में पद, प्रतिष्ठा और प्राप्ति भी किसी तरह से कम नहीं हैं। **भाषा शिक्षण** एक बहुत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें रोजगार की अनंत संभावनाएँ देश-विदेश में बुला रही है। हिन्दी इस दृष्टि से सर्वाधिक बाजार बना रही है। हिन्दी में **खेलों का आँखों देखा हाल** हो या अन्य अनेक प्रकार के सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों की **कमेंट्री** इनका प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार को बखूबी मजबूत किया जा रहा है।। **उद्घोषणा कला, समाचार वाचन तथा कविता-कहानी या संवाद वाचन** आदि के भी शिक्षण-प्रशिक्षण से विश्वमंच पर हिन्दी की ध्वजा लहराई जा सकती है। आज धारावाहिकों के **संवाद-लेखन** का व्यवसाय भी दक्ष हिन्दीविदों के पास कम नहीं है। **डबिंग, कैप्शन-लेखन, पोस्टर-बैनर लेखन, संदेश-लेखन, भेंटवार्ता** या **साक्षात्कार लेखन** एवं उनकी **मीडिया-प्रस्तुति** सभी में हिन्दी न केवल प्रविष्ट हुई बल्कि प्रतिष्ठित भी हो गई है। आज **हिन्दी फीचर-लेखन** की एजेंसियाँ स्वतंत्र रूप से सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। हजारों योग्य एवं पात्र विद्वान इससे अपनी रोजी-रोटी भी चला रहे हैं और यश भी अर्जित कर रहे हैं। **रेडियोवार्ता लेखन, डाक्यूमेंट्री लेखन, ड्रामा** या **टेलीड्रामा लेखन, रेडियो नाट्य लेखन, संभाषण कला प्रशिक्षण, देह भाषा** या **बॉडी लेंग्वेज प्रशिक्षण** तथा **कोश-विज्ञान** आदि अनेक ऐसे क्षेत्र में जहाँ हिन्दी तथा हिन्दी वाले धीरे-धीरे प्रवेश कर रहे हैं। आवश्यकता है इन क्षेत्रों में गति लाने की। इसी से हिन्दी में रोजगार या रोजगार में हिन्दी के प्रति जो उदासीनता है वह टूटेगी।

आज हिन्दी कम्प्यूटर ऑपरेटरों की बहुत आवश्यकता है। आज हिन्दीविदों को कम्प्यूटर से अविलंब मित्रता करनी होगी तभी विश्वज्ञान तथा विश्वविज्ञान को हम हिन्दी में भी ला सकेंगे। इसके लिए हम सभी को अनुवाद कला, अनुवाद शास्त्र में पारंगत होना होगा। विश्व की 'रेस' में शामिल होना है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी का परचम लहराना है तो अकर्मण्यता छोड़कर कमर कसनी होगी। युवाओं को हिन्दी माध्यम से ज्ञान-विज्ञान का, विधि का तथा अन्य जीवनोपयोगी अनुशासनों का निर्बाध-ज्ञान देना होगा। तभी उसका खोया विश्वास लौटेगा और धीरे-धीरे हिन्दी के प्रति सम्मान तथा प्रतिष्ठा का, स्वाभिमान तथा गौरव का भाव जाग्रत हो सकेगा। हम सबको भी हिन्दी के प्रति अपनी दृष्टि एवं भावना बदलनी होगी। अपनी आने वाली पीढ़ी के मन में राष्ट्रभाषाओं के प्रति सम्मान का बीज बोना होगा। आज अनुवाद-प्रशिक्षण, मीडिया-प्रशिक्षण, अभिनय-प्रशिक्षण, भाषा शिक्षण-प्रशिक्षण

जैसे व्यवहारमूलक क्षेत्र पनपने लगे हैं। आवश्यकता है इन क्षेत्रों में आधिकारिक ज्ञान अर्जित कर कर्मक्षेत्र में उतरने वालों की। आज भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों को विदेशों में पहुँचाने की, वहाँ की भाषाओं में अंतरण करने की बहुत आवश्यकता है। योग शिक्षा हो या साधना-ज्ञान सभी का बाजार विश्व में दिखाई दे रहा है। ज्योतिषशास्त्र हो या सामुद्रिकशास्त्र, चिकित्साशास्त्र हो या आयुर्विज्ञान, खगोलशास्त्र हो या नीतिशास्त्र, भक्ति साहित्य हो या दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान हो या लोकतंत्र-पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। आवश्यकता है कि इन सभी को हिन्दी में लाया जाए फिर हिन्दी सहित विश्व भाषाओं में अंतरित किया जाए।

आज हिन्दी के अधिकारी विद्वानों के पास रोजगार या धनार्जन के अवसरों की कमी नहीं। पात्र चाहिए, निष्ठा और समर्पण चाहिए। कर्मठता और संकल्प चाहिए। सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में हम हिन्दी के मन, वचन और कर्म से यदि अर्पित हो जाएँ, तन, मन और धन से यदि समर्पित हो जाएँ तो वह समय दूर नहीं जब पूरा विश्व हमारी मुठ्ठी में होगा। यदि कहें कि आज हिन्दी तमाम भारतीय तथा विदेशी भाषाओं के मध्य एक ऐसा बहुदिशागामी सेतु है जहाँ से होकर हम बिना किसी 'रेड-लाइट' या अवरोध के, निर्बाध गति से किसी भी भाषा या राष्ट्र में आवागमन कर सकते हैं तो अतिश्योक्ति न होगी। अनुवाद की एजेंसियाँ, अनुवाद अकादमियाँ, विश्वविद्यालयों के तमाम पाठ्यक्रमों को हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं में अनूदित करने वाली संस्थाएँ यदि आपात धर्म समझकर प्रारंभ कर दी जाएँ तो यह देश न केवल विकसित देश हो जाएगा अपितु बड़े-बड़े विकसित एवं स्थापित देशों को पीछे छोड़ देगा। क्योंकि न इस देश के पास प्रतिभा है, बुद्धिबल है, कर्मबल है, धर्मबल है और श्रम-साधना का आत्मबल है। अतः विद्वान मित्रों, आज आवश्यकता भाषा-प्रबंधन तथा उनके प्रशिक्षण की है तो भाषा प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक-शास्त्र-निर्माण की भी है। भाषा तथा साहित्य के क्षेत्र में नए-नए विकल्पों को खोजने-तलाशने की है। साहित्य को कैसटों और सीडी में उतारने-बेचने की भी है तो सृजनात्मक लेखन के प्रशिक्षण की भी है। संपादन, समाचार लेखन, ग्रामीण लेखन, महिला-लेखन, बाल-लेखन तथा प्रवासी-लेखन की समझ को हिन्दी में उतारने की आवश्यकता भी आज चारों ओर दिखाई दे रही है। हिन्दी के नव-निर्माण, आधुनिकीकरण, संक्षिप्ताक्षरों के सृजन तथा संकेताक्षरों के निर्माण आदि की भी जरूरत दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। भारतीयों तथा विदेशियों के हिन्दी-प्रशिक्षण को वृहत् स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से लागू करने की भी कम आवश्यकता नहीं है। भारत में आने और हिन्दी भाषा तथा साहित्य अध्ययन करने वाले विदेशियों की उपेक्षा, उनके प्रति उदासीनता भी एक विचारणीय बिंदु है।

आइए! हम सब अब 'हिन्दी का व्यवसाय' छोड़े और 'हिन्दी में व्यवसाय' की कड़ी जोड़ें। आइए! हम सब अब 'हिन्दी की बात' भर न करें, 'हिन्दी में बात' भी करें। जिस दिन हमें **'प्रयोजनमूलक हिन्दी के प्रयोजन का मनोविज्ञान'** समझ आ जाएगा, उस दिन हिन्दी विश्वमंच पर आसीन होगी। अभी संभावानाएँ अनंत हैं, असीम हैं। अभी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मेडिकल, आर्किटेक्ट, ड्राफ्टमैन, फार्मेसी, विधि, गणित, खगोल विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, नृविज्ञान, मौसम विज्ञान, भौतिक, रसायन तथा जीव विज्ञान, भू-विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, कृषि विज्ञान, गृहविज्ञान, शिल्प, उद्योग, भवन निर्माण, सामान्यविज्ञान तथा ऐसे ही अनेक महत्त्वपूर्ण अनुशासन हैं। दिशाएँ हैं जहाँ हिन्दी के सूर्य को पहुँचना है, दस्तक देनी है, बंद दरवाजे खुलवाने हैं। यह भगीरथ प्रयत्न हमें, आपको, लेखकों को, प्रकाशकों को, शासकों को-प्रशासकों को सभी को मिलकर करना है। आइए, इस कार्य में जुट जाएँ।

एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

ooo

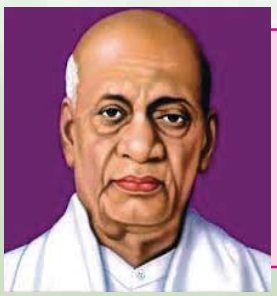

हिन्दी अब सारे देश की राष्ट्रभाषा हो गई है। उस भाषा का अध्ययन करने और उसकी उन्नति करने में गर्व का अनुभव होना चाहिए।

राष्ट्रभाषा किसी व्यक्ति या प्रांत की सम्पत्ति नहीं है, इस पर सारे देश का अधिकार है।

-सरदार वल्लभ भाई पटेल

स्वभाषा की पैरवी करती शिक्षा नीति-2020

-अनिल शर्मा जोशी

मेरा मानना है कि भारतीय भाषाएँ शिक्षा नीति का अहम् अंग हैं। इसे एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता दरअसल किसी भी भाषा के विकास का सफर शिक्षा नीति के गलियारे से होकर ही गुजरता है। हमारे यहाँ अक्सर भाषा आयोग बनाने की, भाषा को शोध तथा प्रौद्योगिकी से जोड़ने की और शोधों की स्थिति बेहतर करने की बात होती है। ये सब विषय अपने आप में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ शिक्षा नीति के प्रमुख बिन्दुओं के बारे में बातें रखना चाहूँगा।

मेरा मानना है कि शिक्षा नीति सिर्फ शिक्षा नीति ही नहीं होती है। यह कई अर्थों में एक सामाजिक और राजनीतिक वक्तव्य भी भी होती है। सरकार की दृष्टि क्या है, इसका पता भी इससे चलता है। दिलचस्प बात यह है कि कोई शिक्षा आयोग बनाने की बात करता है, तो कोई कहता है कि भारत की भाषा नीति स्पष्ट नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर हम ध्यान से देखें तो नई शिक्षा नीति में सरकार की भाषा नीति भी दिखाई दे रही है। अगर हम चाहते हैं कि भारत की शिक्षा नीति के लिए भाषा आयोग बनाएँ तो वह काम काफी हद तक शिक्षा नीति-2020 में हुआ है। किसी भाषा आयोग के विचारार्थ जो विषय और उपलब्धियाँ होती हैं, वे इसमें समाहित हैं। अगर हम इसका ठीक से विश्लेषण करें तो दो बातें हैं। एक तो पिछले पाँच-दस वर्षों से हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्वान एक बात बार-बार कह रहे हैं कि पिछले तीस-चालीस सालों से हिन्दी के प्रयोग बढ़ाने के आंदोलन इसलिए असफल हुए हैं कि हम जब भी हिन्दी की बात करते हैं तो हिन्दी बनाम भारतीय भाषाओं का सवाल खड़ा कर दिया जाता है। दरअसल जब हिन्दी बनाम भारतीय भाषाओं का सवाल खड़ा किया जाता है तो धूमिल की एक पंक्ति याद आती है-

हाय जो कमाई है, उसकी नजर में
तुम्हारा तमिल दुख, मेरी भोजपुरी पीड़ा का भाई है।

यह बात तमिल और भोजपुरी को आमने-सामने रखने के लिए की गई थी।

सब भाषाओं के विचारवान लोग चाहते हैं कि इस तरह की शिक्षा नीति आए जिससे हमारी भारतीय भाषाएँ आपस में न लड़ें। भारत की भाषाओं को महत्त्व मिले। आप जब भाषाओं की बात करते थे तो राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी को केन्द्र में रखकर चिंतन होता था। इसकी वजह से व्यावहारिक धरातल पर कुछ नहीं हो पाता था। उसका नुकसान यह होता था कि उसकी प्रतिक्रियाएँ तत्काल आती थीं और बात लाभ-हानि तक सिमट कर वहीं-की-वहीं रह जाती थी। क्रियान्वयन

के स्तर पर कुछ नहीं किया जाता था वर्तमान नीति की प्रमुख बात यह है कि इसमें बहुभाषिकता को केन्द्र में रखा गया है। ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया है जिसके कारण सारी शिक्षा नीति एक तरफ और दूसरी तरफ सिर्फ हिन्दी की बात की गई हो।

इस शिक्षा नीति के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और इस शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष कस्तूरीरंगन जी का अभिनंदन करता हूँ। इस शिक्षा नीति की कमेटी ने इसे बहुत विचारपूर्वक बनाया है। कई अखबारों ने लिखा भी है कि इसमें एक भी शब्द, एक भी कॉमा, एक भी स्तंभ ऐसा नहीं है, जिससे उसमें आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। आमतौर पर शिक्षा नीति में कम्प्यूटर और लेबोरेट्री में कोई विवाद नहीं होता। विवाद तो भाषाओं में क्षेत्रीयता के प्रतिनिधित्व को लेकर होता है। शिक्षा नीति 2020 में बहुत ध्यानपूर्वक इस बात पर काम किया गया है कि कोई विवाद न हो और भारत की समस्त भाषाएँ केन्द्र में हो। इस दृष्टि से पहला काम प्राथमिक स्तर पर भाषाओं को केन्द्र में लाने का किया गया है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएँ हों, यह बहुत बडा और क्रान्तिकारी कदम है। यह इस दृष्टि से क्रान्तिकारी कदम है कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार गैर-सरकारी या सरकारी स्तर पर विद्यालयों में अंग्रेजी को माध्यम बनाने की होड़ लग गयी थी। आंध्र प्रदेश इसका उदाहरण है। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से तेलुगु से बदलकर अंग्रेजी कर दिया। हमारे माननीय सांसदों आदि ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अब सब लोगों को लगा कि यह क्या हो रहा है कि देश अंदर प्राथमिक शिक्षा को भी हम अपनी भाषा में नहीं दे पा

रहे हैं। जबकि सारी दुनिया में अब तक जितने भी शोध हुए हैं, वे स्पष्ट कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम अपनी भाषाएँ होनी चाहिए। ऐसे में इस शिक्षा नीति ने दुविधा की स्थिति समाप्त कर दी। इस नीति में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, इस पर दुविधा नहीं है। स्पष्ट है कि व्यक्ति की अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को ही इसका माध्यम बनाया जाए। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा कि केन्द्र में केवल हिन्दी का सवाल होता तो दिक्कत होती। परन्तु इस सरकार की नीति हमें स्पष्ट रूप से दिखाइ देती है। यह नीति भारतीय भाषाओं और भारतीयता को पुष्ट और समृद्ध करने की नीति है।

इस दृष्टि से हमारी शास्त्रीय भाषाओं को संरक्षण देना भी बहुत आवश्यक है। हमारी संस्कृति का मूल हमें इन भाषाओं में दिखाई देता है। चाहे वह संस्कृत, पाली, प्राकृत और फारसी हो या फिर दक्षिण की तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़ भाषाएँ हों। इसी तरह से उड़िया भाषा है। जिन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है, उसमें हमारी ज्ञान परंपरा का उद्गम है। इस कारण से इन शास्त्रीय भाषाओं को संरक्षण देने की बात कही गई है। इन्हें विद्यालय और विश्वविद्यालयों के स्तर पर पढ़ाने की बात कही गई है। यह करते हुए खासतौर से जब भी भाषा की बात आती है तो सबको स्वाभाविक लगता है कि दक्षिण से विरोध होगा। इसकी एक वजह है क्योंकि दक्षिण की भाषाओं का कहीं उल्लेख नहीं होता या उनके विकास और संवर्द्धन की बात नहीं होती। ऐसे में उनको लगता है कि यह सब नीतियाँ शायद हिन्दी वालों के लिए की जा रही हैं। इस शिक्षा नीति में शास्त्रीय भाषाओं के अंदर दक्षिण की चार भाषाओं को जोड़कर इस तरह की किसी ग्रंथि, सोच की बात थी तो उसे दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। यह ऐसी सोच है जिससे पता चलता है कि हम सभी भाषाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। दक्षिण की भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में रखकर शिक्षा नीति में विशेष महत्त्व दिया गया है।

अन्य भाषाएँ भी वंचित न रह जाएँ इसलिए आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं के लिए भी चर्चा की गई है। इस शिक्षा नीति की विशेष बात यह है कि इसमें बोलियों को भी संरक्षण देने की बात विशेष रूप से की गई है। संकटग्रस्त भाषाएँ या बोलियों के ऊपर भी बात की गई है। यही नहीं जब हम आदिवासी क्षेत्रों की बात करते हैं, जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं, जब हम जम्मू-कश्मीर, लद्दाख की बात करते हैं तो उन क्षेत्रों में ऐसी भाषाएँ हैं जो कि शायद लिपिबद्ध नहीं हैं। संकटग्रस्त भाषाओं को बचाने के लिए शिक्षा नीति में इसका उल्लेख होने से यह सरकार की प्राथमिकता में आ गया है। यह बहुत अच्छी बात है। शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ने से हम अपनी संस्कृति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम उच्च शिक्षा में हिन्दी या भारतीय भाषाओं को लागू करेंगे। यह बहुत बड़ा काम होगा। इससे हम उन भाषाओं के गुणवत्तापूर्ण शोधों को प्रोत्साहित करेंगे।

महात्मा गाँधी ने कहा था कि हमारा स्वराज्य तब तक अधूरा है, जब तक हम अपनी भाषाओं की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हैं। तभी पूर्ण स्वराज्य आएगा। गाँधी जी के इस विचार को बड़े-बड़े लेखकों ने स्वीकार भी किया है। परन्तु हमारा मन औपनिवेशिकवादी सोच से प्रभावित हो गया है। उसको बदलने की आवश्यकता है। भारत सरकार भी यह प्रयास कर रही है, यह बहुत महत्त्पूर्ण है।

मेरा मानना है कि हम हिन्दी और भारतीय भाषाओं की बात करने वालों को अपनी सोच को बदलना होगा। हमें प्रौद्योगिकी को अपनाना है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि कोई कहे कि मैं पावरप्वाइंट नहीं जानता या मुझे मल्टीमीडिया नहीं आता। अब इस सोच को बदलना होगा। अगर हम इस सोच को बदलेंगे तभी जाकर हमारे बहुत सारे सवाल हल हो पाएँगे। हम राजभाषा की बात करते हैं। हम अहिन्दीभाषी राज्य में एक पत्र भेजते हैं। अहिन्दी भाषी कहते हैं कि अंग्रेजी में भेजो। सवाल यह है कि यदि उन्हें चाहिए तो हम उन्हें दक्षिण की भाषाओं में क्यों नहीं भेज सकते? आज की स्थिति में भारतीय भाषाओं में आपसी अनुवाद की गुणवत्ता अस्सी-नब्बे प्रतिशत है। अच्छे अनुवाद की बहुत अधिक गुणवत्ता में बहुत थोड़ा समय लगेगा। आज अगर वे कहते हैं कि अंग्रेजी में तो भेजिए लेकिन तमिल, तेलुगु और पंजाबी में भी साथ में भेजिए। इस तरह के भी सॉफ्टवेयर हैं जो दस मिनट में पत्र तैयार कर सकते हैं। यदि भाषा की बात करें तो बहुत सारे अधिकारी कहेंगे कि हमें टाइप करना नहीं आता। अब तो बोल कर भी टाइप कर सकते हैं। राजभाषा तब बनेगी जब हम उसे अनुवाद की भाषा नहीं मौलिक नोटिंग-ड्राफ्टिंग की भाषा बनाएगें। अगर संसद में भाषांतर की व्यवस्था हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हो सकती? यदि कोई वकील हिन्दी में बोल रहा है तो उसके भाषातंर की व्यवस्था होनी चाहिए। अपनी भाषा में बात रखने का अधिकार न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में क्यों नहीं मिल सकता? सबसे महत्त्वपूर्ण बात प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की है। प्रौद्योगिकी से भाषा के बहुत सारे उलझे हुए सवालों का समाधान मिल सकता है कि भारतीय भाषा-भाषियों को संकल्पबद्ध होकर इस नीति के मूल भाव को समझते हुए इसका क्रियान्वयन करना होगा।

उपाध्यक्ष केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा मंडल
शिक्षा मंत्रालय

ooo

जनहित याचिका

-रश्मि बंसल

सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए भारतीय कानून में मुकदमे का प्रावधान है। कानूनी प्रावधान के अंतर्गत केवल वही व्यक्ति कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो। जनहित याचिका इस कानून का एक अपवाद है। इसके अनुसार कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति अथवा कोई सामाजिक संगठन, किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के अधिकारों के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है बशर्ते उसमें कोई निजी स्वार्थ या कोई व्यक्तिगत लाभ की भावना न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है:

'एक विधि न्यायालय में सार्वजनिक हित अथवा सामान्य हित, जिसमें जनता या किसी समुदाय के वर्ग का आर्थिक हित है अथवा ऐसा कोई कारण जिसके फलस्वरूप उसके कानूनी अधिकार अथवा मौलिक दायित्व प्रभावित हो रहे हों, के मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करना है।'

जनहित याचिका का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं है बल्कि समाज के हित के लिए न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ाना है और संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। असल में जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य यही है कि कानून के द्वारा शासन की रक्षा करना, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय देना तथा मौलिक अधिकारों को प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ बनाना।

कोई भी भारतीय नागरिक जनहित याचिका दायर कर सकता है, लेकिन इसकी प्राथमिक और अनिवार्य शर्त यह है कि इसे निजी हित के बजाय सार्वजनिक हित में दायर किया जाना चाहिए। सामाजिक रूप से ऐसे जागरूक नागरिकों के लिए जो कानून के माध्यम से समाज में सुधार चाहते हैं, उनके लिए जनहित याचिका (PIL) एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि कोई मुद्दा सार्वजनिक महत्त्व से जुड़ा हुआ है तो कई बार न्यायालय भी ऐसे मामले में स्वत: संज्ञान लेता है और ऐसे मामले के लिए एक वकील को नियुक्त करता है।

जनहित याचिका एक प्रकार से ऐसा कानूनी प्रावधान है जिसमें कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति किसी आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति के लिए अथवा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी तरफ से कोर्ट में जा सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। इसमें यह आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन हुआ हो। जनहित याचिका की सबसे पहली और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शर्त यह है कि उस व्यक्ति विशेष की जनहित याचिका में किसी प्रकार की अपनी व्यक्तिगत रुचि या लाभ न हो। सामान्य वाद की भाँति जनहित न्यायालय में किसी एक व्यक्ति के अपने अधिकार का दावा अन्य व्यक्ति के खिलाफ और उसे लागू करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता बल्कि इसका लक्ष्य सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना तथा उन हितों की रक्षा करना होता है।

जनहित याचिका के कुछ उदाहरण:-

जनहित याचिका की अवधारणा 1976 में भारत में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर द्वारा मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई से अस्तित्व में आयी।

1. जनहित याचिका का पहला सूचित मामला हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) था, जिसमें जेलों और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसके कारण 40,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था।
2. त्वरित न्याय का अधिकार एक बुनियादी मौलिक अधिकार के रूप में सामने आया जो इन कैदियों को नहीं दिया गया था। बाद के मामलों में भी यही सेट पैटर्न अपनाया गया।
2. **पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जंगलों की सुरक्षा से संबंधित मामले।**
3. दिव्यांग छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में हो रही दिक्कतों

को दूर करने के लिए दायर की गयी जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई तथा इस सम्बन्ध में सरकार को उचित निर्देश जारी किए गए।

4. कोरोना के दौरान प्रवासी मजदूरों के विभिन्न मुद्दों और उनके अधिकारों की सुरक्षा।
5. उन बच्चों के अधिकारों का संरक्षण जो अनाथ हो गए या जिन्होंने अपने माता-पिता में से एक को खो दिया।
6. सड़कों का निर्माण।
7. अनधिकृत निर्माण रोकना।
8. आम आदमी के अधिकारों की रक्षा।
9. कोरोना महामारी के दौरान नि:शुल्क जाँच।
10. बंधुआ मजदूरी मामले।
11. उपेक्षित बच्चे।
12. श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना और आकस्मिक श्रमिकों का शोषण।
13. महिलाओं पर अत्याचार।
14. पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी असंतुलन।
15. खाद्य अपमिश्रण।
16. विरासत और संस्कृति का रखरखाव।
17. जनहित याचिका आंदोलन के एक नए युग की शुरुआत न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती बनाम एसपी गुप्ता भारत संघ के मामले से हुई जिसमें यह माना गया था कि - ''सार्वजनिक या सामाजिक कार्य समूह का कोई भी सदस्य जो वास्तविक रूप से कार्य कर रहा है, उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) या सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान कर सकता है। (अनुच्छेद 32 के तहत) और उन व्यक्तियों के कानूनी या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ निवारण की मांग कर सकता है जो सामाजिक, आर्थिक या किसी अन्य विकलांगता के कारण न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं।
18. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले के फैसले ने यौन उत्पीड़न के मामले को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 के मौलिक संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में मान्यता दी। दिशानिर्देशों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को भी प्रभाव में लाया गया।
19. जनहित याचिका ने ट्रायल के तहत प्रताड़ित और अपमानित बंधुआ मजदूरों, महिला कैदियों, महिला गृह के अपमानित कैदियों, नेत्रहीन कैदियों, शोषित बच्चों, भिखारियों और कई अन्य लोगों के मामलों में सुरक्षात्मक दृष्टि से आश्चर्यजनक आदेश दिए हैं। इस प्रकार न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम ऐसे वर्ग को राहत दी गई है।

जनहित याचिकाओं को केवल उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) या उच्च न्यायालय (High Court) में दायर किया जा सकता है।

जनहित याचिका दायर करने की सामान्य प्रक्रिया :

जनहित याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता को संबंधित मामले की पूरी तहकीकात करनी चाहिए। यदि जनहित याचिका कई व्यक्तियों से संबंधित है तो याचिकाकर्ता को सभी लोगों से परामर्श करना चाहिए। एक बार जब किसी व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर करने का निर्णय ले लिया जाता है, तो उसे अपने केस को मजबूत करने के लिए सभी संबंधित जानकारी और दस्तावेज एकत्र करने चाहिए। जनहित याचिका दायर करने वाला व्यक्ति न्यायालय में स्वयं भी अपना पक्ष रख सकता है या एक वकील को नियुक्त कर सकता है। सामान्यत: किसी भी मामले में, जनहित याचिका (PIL) दाखिल करने से पहले एक वकील से सलाह लेने के लिए कहा जाता है।

हालांकि कई मामलों में यह भी सामने आया कि न्यायालयों ने गरीब वर्गों द्वारा एक पोस्टकार्ड को भी रिट मानकर उसे संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका में परिवर्तित किया।

यदि जनहित याचिका (PIL) को उच्च न्यायालय में दायर किया जाता है, तो अदालत में याचिका की दो प्रतियाँ जमा करनी पड़ती है। साथ ही, याचिका की एक प्रति अग्रिम रूप से प्रत्येक प्रतिवादी को भेजनी पड़ती है और इसका प्रमाण जनहित याचिका में देना पड़ता है.

यदि जनहित याचिका (PIL) को सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जाता है, तो अदालत में याचिका की पाँच प्रतियाँ जमा करनी पड़ती है। प्रतिवादी को जनहित याचिका की प्रति केवल तभी भेजी जाती है जब अदालत द्वारा इसके लिए नोटिस जारी किया जाता है।

जनहित याचिका की अवधारणा भारत के संविधान के

अनुच्छेद 39A में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है ताकि कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और उसे विस्तारित किया जा सके। इसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में हुई थी। न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने भारत में जनहित याचिकाओं की शुरुआत की और समाज के कल्याण की ओर एक जागरूक पथ का निर्माण किया।

किसी जनहित याचिका में वर्णित प्रत्येक प्रतिवादी के लिए 50 रूपये का शुल्क अदा करना पड़ता है और इसका उल्लेख याचिका में करना पड़ता है।

प्रत्येक वह मुद्दा जिसमें सार्वजनिक हित शामिल है, उस पर जनहित याचिका दायर की जाती है परंतु कुछ ऐसे विशेष मुद्दे हैं जिसमें जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए-

1. मकान मालिक-किरायेदार से संबंधित मामले।
2. सेवाओं से संबंधित मामले।
3. पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित मामले।
4. दिशा निर्देशों की सूची में उल्लिखित 1 से 10 मदों से संबंधित मुद्दों को छोड़कर केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें।
5. चिकित्सा और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित मामले।
6. उच्च न्यायालय या अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए याचिका।

गरीब वर्गों की मदद करने के उद्देश्य से जनहित याचिका के माध्यम से अदालतों ने कई महत्त्वपूर्ण आदेश पारित किए हैं जिनसे समाज का कल्याण हुआ है परंतु पिछले 10 सालों से जनहित याचिकाओं का बहुत दुरुपयोग भी हुआ है। लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए और अपने नाम के लिए जनहित याचिकाएँ दायर की। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय ने कई कठोर कदम भी उठाए हैं और बार-बार चेतावनी भी दी है कि जनहित याचिकाओं का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की मदद करना है जो खुद न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय द्वारा उचित आदेश भी पारित किये गए हैं।

- जनहित याचिका सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखने तथा कानून एवं न्याय के बीच संतुलन को तीव्र गति देने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है।
- जनहित याचिकाओं का मूल उद्देश्य गरीबों और हाशिये के वर्ग के लोगों के लिये न्याय को सुलभ या न्याय संगत बनाना है। यह सभी के लिये न्याय की पहुँच का लोकतंत्रीकरण करता है।
- यह राज्य संस्थानों जैसे-जेलों, आश्रयों, सुरक्षात्मक घरों आदि की न्यायिक निगरानी में मदद करता है।
- न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करने के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।
- जनहित याचिका का सबसे बड़ा योगदान गरीबों के मानवाधिकारों के प्रति सरकार की जवाबदेही को बढ़ाना रहा है।
- जनहित याचिका कमजोर वर्ग के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले संवैधानिक और कानूनी उल्लंघनों के लिए राज्य की जवाबदेही का एक नया न्यायशास्त्र विकसित करती है।

ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर ही देखते हैं और चाहते हैं कि सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे परंतु ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो खुद से आगे बढ़कर ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हैं और उसे न्यायालय के सामने उचित आदेश के लिए पेश करते हैं। हम सभी लोगों को न्यायालय द्वारा दी गई विशेष सुविधा का लाभ उठाना चाहिए और समाज के हित के लिए जरूरी मुद्दों को कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए। ज्यादातर लोग समाज में सिर्फ परेशानियाँ देखते हैं मगर उन परेशानियों के निवारण के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं। हम सब का यह कर्तव्य है कि हम अपने देश को, अपने समाज को और अपने आस-पास के वातावरण को दूषित ना होने दें और उचित कदम उठाएँ जिनमें न्यायालय द्वारा पारित आदेश सबसे ज्यादा प्रभावी है और जनहित याचिका उन आदेशों को प्राप्त करने का उचित और सशक्त माध्यम है।

सदस्य, उपभोक्ता आयोग
रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार

❍❍❍

नारी-अस्मिता

-शशि कुमार

बुझने लगी है दिये की दुकान धीरे-धीरे,
जलने लगा है देखो इंसान धीरे-धीरे।
सबसे आगे निकलने की लहर क्या आई
खुशियाँ होने लगी हैं कुर्बान धीरे-धीरे।
बंद कर दो पिंजरे में कि बाहर न निकले,
बिटिया होने लगी है जवान धीरे-धीरे।
पढ़ेगी लिखेगी तो हक माँगेगी,
चलो सिल देते हैं इसकी जबान धीरे-धीरे।
सर से पल्लू क्या सरका उँगली उठा दिए,
जरा अपना भी देखो ईमान धीरे-धीरे।
वो घूँघट में रहकर जमीन देखती रही,
आओ देखने दें उसको आसमान धीरे-धीरे।

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
कार्यालय अपर महानिदेशक (क्षे.दि.)
के.लो.नि.वि.,
निर्माण भवन, नई दिल्ली

प्रेरक तथ्य

-राम जनम चौधरी

1. अगर यह लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलें।
2. जिन्दगी के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता। कभी-कभी वक्त बदलने में पूरी जिन्दगी लग जाती है।
3. खुशनसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है।
4. ईमानदार होने का अर्थ है, हजार मानकों में अलग चमकने वाला हीरा।
5. अपमान करना किसी का स्वभाव हो सकता है, किन्तु सम्मान करना हमारा संस्कार है।

सहायक अभियंता
राष्ट्रपति सम्पदा परियोजना
के.लो.नि.वि., राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

❍❍❍

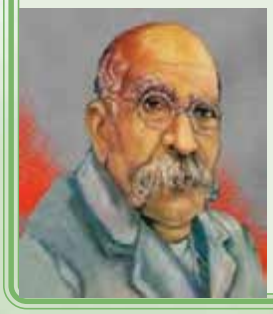

आप जिस तरह बोलते हैं,
बातचीत करते हैं,
उसी तरह लिखा भी कीजिए
भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।

-महावीर प्रसाद द्विवेदी

लालबत्ती की लालसा

-उत्कर्ष कुमार सौरभ

उस दिन मेरे मित्र की सोशल मीडिया पर पृष्ठ कथा देखकर मन में एकक विषमय बोधक स्थिति उत्पन्न हो गई। उसकी पृष्ठ कथा में लिखा था:-

सब अधूरा रह गया, कुछ नहीं लिख पाया...
शब्दों के सागर में, जब सपनों का जिक्र आया...

एक समय तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सोशल मीडिया अकांउट में घुसपैठ कर दी हैं, क्योंकि उसकी पृष्ठ कथा में हमेशा सरकार या समाज की नीतियों का या तो पुरजोर समर्थन होता था या कड़े शब्दों में निंदा... आज अनायास इस तरह का हतोत्साहित विचार बड़ा अजीब सा लगा।

मन की इस उधेड़बुन को ज्यादा देर तक सह नहीं पाया और मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से फोन करके हाल चाल पूछना उचित समझा। उनके स्वर में आक्रोश व वियोग का संयोग स्पष्ट समझ आ रहा था। उन्होंने अपने पृष्ठ कथा वाले काव्यांश को दोहराते हुए बस इतना बताया कि सरकार ने अगले माह की पहली तारीख से लालबत्ती पर रोक लगा दी है।... उनकी बातों को सुनकर और इस खबर की सत्यता को जाँचते-जाँचते उनका और अपना बचपन भी याद आ गया। वे हमारे गाँव के ही सौ बीघा जमीन के जमींदार के इकलौते पुत्र थे। माता जी का तो पता नहीं लेकिन पिता जी की बहुत इच्छा थी कि उनके बेटे को लालबत्ती वाली नौकरी मिले। वे हर समय बस लालबत्ती वाली गाड़ी और उसके फायदों का जिक्र किया करते थे। लालबत्ती वाली गाड़ी के सड़क पर आने-जाने से आम आदमी को होने वाली परेशानी को वो बड़ी चतुराई से न्यायोचित ठहरा देते थे। उनका मानना था कि नौकरी तो बस लालबत्ती वाली गाड़ी वाली है बाकि सब तो चाकरी है और इस मन की बात को वो सबको सुनाते थे।

उम्र बढ़ी और साथ में कक्षा भी... धीरे-धीरे समझ आने लगा कि लालबत्ती वाली गाड़ी की नौकरी पाना 'थोड़ा' कठिन है और समय के साथ-साथ ये 'थोड़ा' 'बहुत' में बदल गया है।

फिर भी उनकी लालबत्ती वाली गाड़ी में घूमने की इच्छा शांत नहीं हुई और उन्होंने कहीं से पता लगाया कि किसी प्रदेश के मंत्री या किसी संस्था/आयोग के अध्यक्ष को भी लालबत्ती वाली गाड़ी में घूमने का सौभाग्य मिलता है।

उस दिन के बाद से मास्टर साहब द्वारा उपस्थिति दर्ज करते समय उनके ''सर जी'' कहने का अंदाज बदल सा गया। उनका ये अंदाज किसी मंझे हुए सांसद या विधायक के सदन में बोलने की नकल सा लगता था। इंटर कॉलेज तक आते-आते वे राजनीति में दिलचस्पी लेने लग गए थे। अब चूँकि सौ डेढ़ सौ बीघा जमीन के इकलौते मालिक थे इसलिए रुपया पैसा खर्च करने में कभी कोई कोताही नहीं बरतते थे।

नतीजतन उनका अपना एक संगठन बन गया था जिसमें उनके हम उम्र चिंटू-पिंटू शामिल थे। स्थिति ऐसी बन गई थी कि गाँव मोहल्ले में कोई सामूहिक कार्यक्रम होता तो मंच से उनका नाम बड़े आदर से उल्लेखित किया जाने लगा और वे आंगतुकों का अपने संगठन की तरफ से हार्दिक स्वागत करने का आश्वासन देते थे। गाँव मोहल्ले में होने वाले छोटे-मोटे झगड़ों का निपटारा वो बड़े चाव से करते थे जिससे दिन-प्रतिदिन उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी।

फिर आया पंचायत चुनाव .... उन्होंने अपना नामांकन जिला पार्षद के लिए करवाया। अपनी वाक्पटुता, पिछले 12 साल की लोकप्रियता और विरासत में मिले रौब के बूते पर चुनाव जीत भी गए थे। लेकिन ये सफलता तो उनके लिए एक सीढ़ी मात्र थी। क्योंकि उनकी नजर तो जिला परिषद अध्यख के पद पर थी, कारण स्पष्ट था लालबत्ती वाली गाड़ी। चुनाव परिणाम के बाद उनकी अर्जी और बढ़ गई और उनके जिला परिषद अध्यक्ष बनने की महत्त्वाकांक्षा के सामने डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत छोटी साबित हो रही थी। वह हर एक जिला पार्षद से व्यक्तिगत रूप से मिले, साम, दाम, दंड, भेद की तकनीक लगाई और अंततोगत्वा जिला परिषद अध्यक्ष बन ही गए। अब तो वे लालबत्ती वाली गाड़ी के

सपने से मात्र एकाध कदम की दूरी पर थे। एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी पर लालबत्ती लगाने हेतु नियमानुसार प्रशासनिक अनुमति लेना उचित समझा और जिलाधिकारी को गाड़ी पर लालबत्ती लगाने का आवेदन पत्र दे डाला.... कागजी कार्यवाही में समय लगा और दो-तीन माह तक मेरे मित्र को बिना लालबत्ती वाली गाड़ी में घूमना पड़ा ये उनके लिए आसान न था जब भी मौका मिलता वे जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर लालबत्ती वाली गाड़ी के बारे में पूछताछ कर आते और अपने 'धैर्य की सीमा' की बढ़ाई कर आते।

आखिरकार वो समय आ गया जिसकी राह उनके अलावा उनके आगे-पीछे की दोनों पीढ़ियाँ देख रही थीं। जिलाधिकारी ने उनको गाड़ी पर लालबत्ती लगाने का लिखित आदेश दे डाला।

मेरे मित्र ने उस लिखित आदेश की प्रति को लालबत्ती से लैस गाड़ी व अपने पूरे परिवार के साथ सफेद कुर्ता पायजामा और काला धूप का चश्मा पहने हुए ली गई अपनी तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर साझा किया। शीर्षक था 'हम और हमारा सपना'।

उनके सगे-सम्बन्धियों और यारों-न्यारों ने बधाई की लड़ी सी लगा दी। वह हर बधाई को सौम्यता से स्वीकार करते और सरलता से धन्यवाद भी देते जाते।

इस बात को अभी सप्ताह ही हुआ था कि सरकार ने लालबत्ती खत्म करने का कानून लागू कर दिया।

अगले माह जब मैं गाँव गया तो उनसे मिलने उनके घर गया तो उनका मोह पुनर्जाग्रत हो गया। उन्होंने कहा कि प्रेरणा का खतम होना ही प्रताड़ना है। वे सरकार के इस कानून से काफी आहत थे। अपनी लालबत्ती की लालसा को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि लालबत्ती गाड़ी सुहाग की निशानी होती है कभी सूरज को ध्यान से देखा है, उसका रंग कैसा सुर्ख लाल होता है। कहते हुए शब्द के साथ-साथ उनके भाव भी प्रखर होते जा रहे थे।

यूँ तो चाँद भी रोज आता है पर साल के दो-तीन दिन जैसे करवाचौथ, शरद पूर्णिमा को छोड़ अन्य दिनों कोई भाव नहीं देता। वहीं दूसरी ओर सूरज को लोग प्रणाम करते है सुबह सूरज को देखकर काम पर जाते हैं। शाम को घर वापिस आते हैं क्यों? क्योंकि सूरज के पास लालबत्ती है। सरकार हम सब सूरजों से लालबत्ती लेकर चन्द्रमा जैसा ठंडा बनाना चाहती है। हम सरकार की ये मंशा कभी पूरा नहीं होने देंगे। हम दिल्ली तक जायेंगे, अनशन करेंगे, मर जायेंगे लेकिन अपने और अपने जैसों की लालबत्ती की लालसा की इस तरह हत्या नहीं होने देगें।

हालांकि अभी तक उनके दिल्ली जाने या अनशन करने की कोई खबर सोशल मीडिया पर आई नहीं है।

कनिष्ठ अभियन्ता (भ-1)
राष्ट्रपति सम्पदा मण्डल
के.लो.नि.वि.,
राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली

○○○

और पंछी उड़ गया

मैं कहता हूँ जीवन और मरण क्यों,
प्रेम तो भूत, वर्तमान और भविष्य
के बीच के अन्तर को भी नहीं
पहचानता क्योंकि वह कालातीत है,
शब्दातीत है। वही कालातीत शब्दातीत
प्रेम मेरा कवच है और रहेगा।

-विष्णु प्रभाकर

मेरी यादों में मेघालय

-उत्कर्ष बंसल

शिलांग (मेघालय) एक ऐसी जगह है जो हमेशा से मेरे दिल के बेहद करीब रही है। वास्तव में इस सुरम्य स्थान में अपनी किशोरावस्था का एक बड़ा हिस्सा बिताते हुए मैं वहीं पला-बढ़ा हूँ। यदि मैं यह कहता हूँ कि यह स्थान मेरे जीवन का निर्णायक स्थल रहा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद मेरा जीवन अचानक बदल गया क्योंकि मुझे वापस उसी जगह जाना था। यह वह अवसर था जब मेरी पुरानी यादें मेरी स्मृतियाँ बनकर मेरे जीवन में फिर से आने वाली थीं। यहाँ रोमांच के साथ-साथ सुखद अनुभूति भी थी।

यह वही परिदृश्य था जिसे मैंने अपने जीवन के तीन वर्षों तक लगातार जागकर देखा है। इसे सरल शब्दों में कहें तो यह उत्कृष्ट के साथ-साथ अत्यंत मनोरम दृश्य था जिसने आँखों को सुखद अहसास देने के साथ-साथ मन को भी मोह लिया।

जगजीत सिंह के शब्दों में कहें तो 'वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ....'। वक्त बीतता गया और वह दिन आ ही गया जब मैं फिर से इस स्थान से रूबरू हुआ। 9 अक्टूबर, 2021 वह दिन था जब मैं एक बार फिर से शिलांग आया और मैंने यह अनुभव किया कि यह तनिक भी नहीं बदला था। वही सौन्दर्य, वही प्राकृतिक छटा।

लैत्लुम की भव्य घाटी एक ऐसी जगह है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। हम अक्सर छोटी-छोटी पिकनिक के लिए इस जगह पर जाया करते थे और यह घाटी हमारे आने वाले सभी मेहमानों के लिए हमेशा से हमारी भ्रमण यात्रा का मुख्य हिस्सा रही है।

यहाँ घास का बहुत बड़ा मैदान है जो अनंत सागर की तरह प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो यह मैदान बादलों में विलीन सा हो गया हो और इसके विपरीत छोर पर हमें घाटियाँ दिखती हैं। घाटी के मध्य में एक गाँव है जहाँ ग्रामीण अपने कामकाज और अपनी जीवन चर्या के लिए कई बार सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते हैं। मैंने बादलों से भरे आसमान के साथ इस अद्भुत दृश्य को अनेक बार देखा है और यह पाया कि यहाँ अक्सर आसमान प्रकृति के साथ निरंतर बदलता रहता है, कभी घनघोर छटा और कभी चमकते सूरज के साथ तेज धूप। इन अद्वितीय विशेषताओं और परछाइयों का यह खेल वास्तव में दृश्य को और भी मनोरम बनाता है। मैंने इन दृश्यों में जो कुछ देखा है, उसे व्यक्त करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि ओस की बूंदों पर बिखरी सूर्य की उज्ज्वल चमक और प्रतिबिंब के बिना ये हरित मैदान आकर्षक और अद्भुत सौन्दर्य से पूर्ण नहीं होते। यह सचमुच जादुई है जो मन को मोह लेता है और ऐसा लगने लगता है मानो हम किसी दूसरे लोक में आ गए हों।

अगले दिन ट्रेकिंग मेरी भ्रमण यात्रा का मुख्य हिस्सा थी। नोंगरियात गाँव इस यात्रा का मुख्य केंद्र था और इसे पूरा

करने के लिए जी तोड़ प्रयास की आवश्यकता थी। यह ट्रेक आँखों के लिए एक सुखद अनुभव था लेकिन मेरे पैरों के लिए इतना नहीं या कहें मानसिक रूप से तो यह दिव्य अनुभव था किन्तु शारीरिक रूप से कष्टदायी।

ट्रेकिंग रूट के चारों ओर इस तरह के अनेक दृश्य थे। मैंने इस तस्वीर को लोहे के पुल के ऊपर से गाँव की ओर जाते समय कैद किया था। मैंने अपनी यात्रा बहुत देर से शुरू की थी। उस समय सूरज ढल चुका था और मेरे चारों ओर केवल अंधेरा आसमान था, रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी। जब मेरी आँखें अंधकार की अभ्यस्त हो गईं तो मुझे अहसास हुआ कि आकाश कितना साफ और निर्मल है। टिमटिमाता हुआ

एक-एक तारा आँखों से स्पष्ट दिखाई दे रहा था और तभी मैंने निश्चय किया कि एक बार गाँव पहुँचने पर थकान के बावजूद मैं उन सितारों को कैमरे में कैद करके स्मृति बनाने का प्रयास करूँगा।

यह वह दृश्य है जिसे मैंने अपने कैमरे में कैद किया था। यह तस्वीर नोंगरियात गाँव पहुँचने पर रात के समय आकाश के प्राकृतिक रंग को व्यक्त करती है और इसे सीधे शब्दों में कहें तो यह तस्वीर उस अनुभव किए गए क्षण का एक अंश मात्र है क्योंकि मैंने उस समय जो अनुभव किया उस खूबसूरती को तस्वीर में कैद करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आकाश इतना निर्मल, सुंदर, हवा-धूल रहित और किसी प्रकार का कोई शोर नहीं। रात का अद्‌भुत दृश्य जिसमें मैं खो सा गया था। हमारे शरीर ने अपने आप को शहरी परिस्थितियों के अनुकूल इस प्रकार ढाल लिया है कि हम अक्सर ही इस तथ्य को अनदेखा करते हैं कि हमारे पास क्या था, प्रकृति से हमारा कितना जुडाव था। आज की व्यस्तता और तनाव ने मनुष्य को प्रकृति से परे कृत्रिमता के आवरण में ढँक दिया है। मैंने सभी संभावित दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। इस संपूर्ण प्रक्रिया में मैंने लगभग 3 घंटे से अधिक समय वहाँ बिताया। जैसा कि मैं मानता हूँ कि यह अपने आप में दुर्लभ दृश्य है जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है और मैं आज जब उन सभी बिताए हुए पलों पर अपनी नजर फेरता हूँ तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सभी दृश्य मेरी यात्रा के हिस्से थे।

इसके बाद मुझे बहुत ही सुंदर रेनबो फॉल्स देखने के लिए ट्रेकिंग मार्ग के लिए जाना था। मेरा स्वागत अत्यन्त गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जैसी जलवायु ने किया जिसका

अर्थ था मेरे लिए अपने लक्ष्य तक पहुँचने में भारी श्रम की आवश्यकता। रेनबो फॉल्स अपने आप में एक अनूठा नजारा है। वहाँ इंद्रधनुष तब तक बनता है जब तक कि विबग्योर स्पेक्ट्रम में सफेद रोशनी को फैलाने के लिए सूरज की रोशनी और पानी की बूंदें उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार इसकी परिधि के चारों ओर एक विपरीत और ज्वलंत इंद्रधनुष बन जाता है।

नोहकलिकाई झरना ऐसा ही एक और मनोरम दृश्य है। यह चेरापूंजी सर्किट के भीतर एक स्थान है और हम इस झरने के क्षितिज पर पृथ्वी के सबसे खूबसूरत सूर्यास्त को

देख सकते हैं। चेरापूंजी पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है और यह नोहकलिकाई झरने को और अधिक विस्तार देता है। यह झरना वास्तविक पानी का ऐसा अद्‌भुत दृश्य प्रस्तुत करता है जो विशाल पहाड़ी ढलानों से तेजी से नीचे गिरकर प्राकृतिक सौन्दर्य को और अधिक जीवंत बना देता है। संक्षेप में पानी ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यह धीमी गति की फिल्म शैली के फैशन में गिर रहा हो। झरने के निचले तल जहाँ पानी धरती से टकराता है, एक बहुत ही सुखदायक और शांत ध्वनि उत्पन्न करता है। सुंदर परिवेश, मोहक आकाश, विस्मयकारी सूर्यास्त और बादल इस अद्‌भुत वातावरण को और अधिक आकर्षक बनाते हैं तथा इसे स्मृति में हमेशा के लिए कैद करने के लिए एक विस्मयकारी और शानदार दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस मधुर संगीतमय यात्रा में मेरा अंतिम स्थान था–प्रसिद्ध उमंगोट नदी। नदी का जल अद्वितीय और अत्यंत स्वच्छ है जिसमें नावें मछलियों के समान जल के ऊपरी स्तर पर तैरती हुई प्रतीत होती हैं। मैंने नदी के किनारे पर रात भर कैंपिंग की और यह अपने आप में एक अतुलनीय क्षण था। मैं बहुत अधिक उत्साहित था और सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि मैं उस भव्यता का साक्षी बन सकूँ जिसकी चर्चा सभी करते थे। वास्तव में यह अनुभव शानदार था जिसे शब्दों में बयाँ नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि ये सभी दृश्य आज भी मेरी आँखों में झूलते से प्रतीत होते हैं।

इंजीनियर, कम्प्यूटर विज्ञान
डेलायट

❍❍❍

आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि हम अपनी देशी भाषाओं की ओर मुड़े और हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें। हमें अपनी सभी प्रादेशिक कार्रवाइयाँ अपनी-अपनी भाषाओं में चलानी चाहिए तथा हमारी राष्ट्रीय कार्रवाइयों की भाषा हिन्दी होनी चाहिए। जब तक हमारे स्कूल और कॉलेज विभिन्न देशी भाषाओं में शिक्षा देना आरंभ नहीं करते, तब तक हमें आराम लेने का अधिकार नहीं है।

–महात्मा गाँधी

सफल व्यक्ति के गुण

-बृज भूषण शर्मा

1. तारीफ करने की आदत डालें-

सच्ची मुस्कुराहट के साथ लोगों की तारीफ करें। हमारे हाव-भाव से सामने वाला समझ जाता है कि हम दिल से तारीफ कर रहे हैं या केवल नाटक कर रहे हैं। तो सच्ची प्रशंसा करने की आदत डालें। चाहे किसी की उम्र दो साल हो या बीस साल हो, 6 साल हो या फिर 60 साल हो, हर व्यक्ति अपनी तारीफ का, प्रशंसा का भूखा होता है। छोटी-छोटी बातों पर तारीफ करने से उनको महत्त्वपूर्ण होने का एहसास होता है। हर आदमी चाहे वह छोटे से छोटा काम क्यों न करता हो या फिर वह महत्त्वपूर्ण पद पर हो हर एक अपने क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण है। हर एक को प्रशंसा की जरूरत है। किसी के साथ हम घटिया व्यवहार करके बढ़िया की उम्मीद नहीं कर सकते।

2. हर एक को महत्त्वपूर्ण होने का एहसास दिलायें-

हर व्यक्ति चाहे वो इस देश का हो या विदेश का, एक छोटा बच्चा हो, जवान व्यक्ति हो या वृद्ध स्त्री हो या पुरुष हो, पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो हर एक के अंदर यह इच्छा होती है कि उसे महत्त्वपूर्ण समझा जाये। यह इच्छा सफलता के शिखर पर पहुँचा देती है। अगर हम लोगों को महत्त्वपूर्ण अनुभव करायेंगे तो हम उनके प्रिय बन जायेंगे और वह अपने सामर्थ्य से ज्यादा काम करने के लिये हमेशा तैयार रहेंगे। जब हम लोगों की परवाह करते हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हैं, उनसे बात करते हैं तो वह ऐसा अनुभव करते हैं कि हम एक महत्त्वपूर्ण इंसान हैं।

3. लोगों का नाम लेने की आदत डालें-

लोगों को अपने नाम का संबोधन बहुत अच्छा लगता है। दस लोग बैठे हुए हैं और उन दस लोगों में से आपको एक नाम याद है और आपने उससे उसका नाम लेकर पुकारा तो वह अपने में गर्व महसूस करता है कि इतने सारे लोगों में सिर्फ मेरा नाम लिया गया। अपने नाम के संबोधन की इच्छा हर उम्र में होती है चाहे कोई बच्चा हो या वृद्ध व्यक्ति हो। जब किसी का नाम लेकर पुकारा जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके कानों में शहद घोल दिया गया हो। जिन लोगों के नाम अभी हम ठीक से नहीं जानते हैं उनके नाम से पहले मिस, मिस्टर या मिसेज लगाना न भूलें। यदि हमारे ऑफिस में एक चपरासी

काम करता है जिसका नाम है जोन्स। अगर हम उसे जोन्स न बुलाकर मिस्टर जोन्स कहकर बुलाये तो वह अपने प्रति एक आदरभाव अनुभव करता है और वह अपने नाम के आगे मिस्टर लगाया जाना ज्यादा पसंद करता है।

4. दोस्ती करने की पहल कीजिये-

सफल लोग यही करते हैं। अगर हम इस बात का इंतजार करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाये तो हमारा हाल भी लखनऊ के उन दो नवाबों की तरह ही होगा जो एक दूसरों से यही कहते रह गये कि पहले आप पहले आप, यही सोचते रहते हैं कि सामने वाला पहल करे। पहले वो मेरे घर में आये, पहले वो बात शुरू करें। पहले आप करते-करते ऐसा न हो कि हमारी भी जीवन रूपी ट्रेन छूट जाये। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि दूसरा आदमी दोस्ती की नींव रखे, तो फिर हमारे दोस्त ज्यादा नहीं बन पायेंगे। एक अच्छे लीडर की पहचान है कि वह लोगों से पहचान बढ़ाने में पहल करता है। एक सफल व्यक्ति ही दोस्ती करने में पहल करता है। एक आम आदमी तो हमेशा इसी इंतजार में रहता है कि सामने वाला पहल करे और इस तरह से वह हमेशा संकोची और दब्बू बना रहता है।

5. दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें-

अच्छे श्रोता बनें। दुनिया में अच्छे वक्ता तो बहुत होते है लेकिन अच्छे श्रोता बहुत कम होते हैं। हम अपने से पूछे कि हमें कैसा व्यक्ति अच्छा लगेगा? जो सुनने से ज्यादा बोले, बात-बात में हमको टोके, हमारी बात खत्म होने से पहले अपनी बात शुरू कर दे, या खुद ही बोलता जाये और किसी को बोलने का मौका ही न दे? तो हमारा जवाब

होगा–नहीं। एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वह दूसरे लोगों को बोलने के लिये प्रोत्साहित करता है। वह बात ही इस तरह से शुरू करता है कि आप मुझे अपना अनुभव बताइये या आपको क्या लगता है इस बारे में क्या किया जाना चाहिये? इस तरह से वह संक्षेप में बात को कहकर सामने वाले को बोलने के लिये प्रोत्साहित करता है और फिर उसकी बात को ध्यान से सुन लेता है। इससे सामने वाला जब अपने बारे में खूब बोल देता है तो अपनी बात को खत्म करते हुए कहता है कि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इससे उसके दिल में हमारे लिये हमेशा के लिये जगह बन जाती है। आम आदमी भी दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा खुद के बारे में बात करना पसंद करता है और जब हम उसे यह मौका देते है तो वह हमें पसंद करने लगता है।

6. अच्छी खबर फैलाइये–

जब कोई भी व्यक्ति अचानक आकर हमसे कहता है कि मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाऊँ। हम भी अपने सारे काम को छोड़कर उससे कहते हैं, जल्दी से बताइये कौन सी अच्छी खबर है। इस तरह से हमारा सारा ध्यान उस व्यक्ति की तरफ ही केन्द्रित हो जाता है। अच्छी खबर न केवल अपनी तरफ आकर्षित करती है बल्कि अच्छी खबर से हम खुश भी होते है। जबकि अच्छी खबर सुनाने वालों से ज्यादा बुरी खबर सुनाने वाले होते हैं, पर बुरी खबर सुनाकर कोई भी सफलता के शिखर पर नहीं पहुँचता। जिससे भी मिलें उसे अपने जीवन की सुखद, रोचक अनुभव ही सुनाऐं, दुखद और अप्रिय घटनाओं को दफना दें। हर दिन घर में सूरज की रोशनी लेकर जाएँ न कि रात का अंधेरा लेकर। अपने साथ काम करने वालों को अच्छी बात ही बतायें ताकि जिससे उनकी उमंग और उत्साह बढ़ता रहे। हर मौके पर उनकी तारीफ करें। सकारात्मक कामों के बारे में उन्हें बतायें, उनकी समस्याऐं सुने, उनकी मदद करने की कोशिश करें, लोगों को प्रोत्साहित करें और उनकी पीठ ठोकें, उन्हें यह आशा बँधायें और उन्हें बताएँ कि उन पर व उनकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, विश्वास है और आपके रहते हम सभी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर पायेंगे।

पूर्व कार्यपालक अभियंता
राष्ट्रपति सम्पदा परियोजना, के.लो.नि.वि.
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

❍❍❍

क्या मजबूरी

–रणजीत प्रसाद

नफरत की आग जले
भारत के चाहे जिस कोने
तपिश तो हमको भी लगती है
दिल जले या मानस हम भी तो झुलसते हैं
चर्चा कर कह सुन कुछ रह जाते हैं
रचना तुम दिशा दिखाओ
समझाओं क्यों क्या मजबूरी है।

''मुक्तांकुर'' समूह

कविता कर्म से

-के.वाय. सिंह

हमने सजाया भवन के अग्रभाग को,
कभी नीली, कभी हरी,
कभी बैंगनी रोशनी से
हमने रख-रखाव करवाया,
इस तरण ताल का
कभी गरम, कभी ठंडे, कभी शीतल जल के छींटों से
हमने बनवाया परिवार वाटिका को
कभी वार्म, कभी कूल, कभी नीले प्रकाश से
हमने बजवाया ध्वनि प्रणाली को
कभी गूंज, कभी शोर, कभी सादगी से
हमने चलाया यंत्र उद्वाहक को
कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी तसल्ली से
हमने गुंजवाया झरने के स्रोतों को
कभी तेज, कभी धीरे, कभी अपने बखूबी ढंग से
हमने किया सुसज्जित वातानुकूल भवनों व कमरों को
कभी ठंडे, कभी गरम, कभी सामान्य तापमान से
इस कभी-कभी में, हमने देखा बहुत कुछ।
कभी थे हम बहुत नरम, कभी थे हम बहुत खुश।।

कार्यपालक अभियंता (वै.)
राष्ट्रपति सम्पदा वै. मण्डल, के.लो.नि.वि.
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

काश मैं कुछ कर पाता

-विनोद प्रसाद श्रीवास्तव

बची कहाँ इंसानियत,
रही कहाँ अब काबलियत।
सब उड़ा ले गई हैवानियत,
बची कहाँ मासूमियत।

वातावरण बन चुका गंदगी का,
बोलबाला हो गया है झूठ और मक्कारी का।
कशमकश में हूँ ऐ मेरे दोस्त,
जाऊँ तो जाऊँ कहाँ।

सच्चाई की अब कद्र कहाँ,
लोगों में अब सब्र कहाँ।
बेकद्रों का हो चुका जहाँ,
कद्रदानों का अब वक़्त कहाँ।

काश मैं कुछ कर पाता,
हवा का रूख बदल पाता।
बुझने के पहले जल पाता,
लोगों में सच्चाई भर पाता,
काश मैं कुछ कर पाता.....।

पूर्व कार्यपालक अभियंता
राष्ट्रपति सम्पदा मण्डल
के.लो.नि.वि.
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

ooo

राष्ट्रीय मेल और राजनीतिक एकता के लिए सारे देश में हिन्दी और नागरी का प्रचार आवश्यक है।

-लाला लाजपत राय

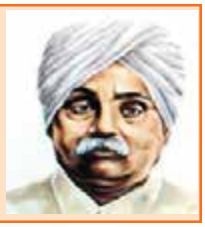

जल में जीवन

-आरूषि परिहार, नन्दिनी परिहार

''रिहाना नदी में बोतल मत डालो'' ऐसा कहकर रिहाना की माँ उसे समझाने लगी कि अगर वह इस प्रकार नदी में कूड़ा डालेगी तो पानी के जीवों के लिए यह अच्छा नहीं होगा तथा इससे जल प्रदूषण बढ़ेगा। रिहाना ने अपनी माता के वचनों को अनसुना कर दिया और वहाँ से चली गई। रात को जब वह सो रही थी तभी अचानक से उसकी आँखें खुलती हैं। रिहाना देखती है कि वह पानी के अंदर है और एक मछली बन चुकी है। वह पीछे मुड़कर देखती है कि एक विशाल मछली उसे खाने के लिए आ रही है। वह अपनी जान बचाकर किनारे की ओर जाती है। वह जैसे ही किनारे की ओर आती है, एक बच्चा उस पर खाली बोतल फेंक देता है। वह इससे डर जाती है और एक कूडे के ढेर में जाकर छुप जाती है। वह देखती है कि पानी के अंदर लोगों ने कितना सारा कूड़ा फेंका हुआ है। जिसमें से कई चीजें गैर-बायोडीग्रेडेबल थीं और कई ऐसी चीजें थी जिनके पानी में मिलने से पानी अत्यन्त दूषित हो गया था। पानी के अंदर वह देखती है कि लोगों के द्वारा फेंके हुए कपड़े, मछली पकड़ने वाले जाल पड़े हुए थे जिनमें फंसकर बहुत सारी मछलियाँ मर गई थीं। यह दृश्य देखकर वह सहम उठती है। एकाएक उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है। ऊपर जाकर वह देखती है कि कुछ लोग अपने कपड़े धो रहे थे तथा अपने घरों का कूड़ा लाकर नदी में डाल रहे थे जिस कारण नदी का पानी काला हो गया था।

यह दृश्य देखकर वह सोचने लगती है कि मनुष्य अपने लालच में यह तक भूल गया कि पानी के अंदर जीवन बसता है जिसे मानव नष्ट कर रहे हैं। उसे अपने किए पर पछतावा होता है। उसे अचानक से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है और उसकी नींद खुल जाती है। वह खुद को अपने बिस्तर पर पाती है। वह अपने सपने को सोचते हुए प्रण करती है कि वह फिर कभी नदी में कूड़ा नहीं फेंकेगी तथा दूसरों को भी फेंकने से रोकेगी।

ooo

मात्र देह नहीं है औरत (स्त्री विमर्श)

हर युग आधुनिक ही होता है।आज की स्त्री को भी आधुनिक होना है पर उसका अपना इतिहास भी है और है एक भूगोल। उसके परंपरागत कर्तव्यों की श्रृंखला है तो कागजी और व्यावहारिक अधिकार भी, जिनसे वह पूर्णरूपेण विलग नहीं हो सकती।... स्त्री की वर्तमान अधिकांश समस्याएँ उसे 'देह' मानकर ही हैं। यदि उसे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय माना जाए, बातें बदल जाएँगी।

-मृदुला सिन्हा

गज कितना बड़ा

-के.बी. सिंह

बात उन दिनों की है जब हमारे देश के ज्यादातर लोग गाँव में ही रहते थे और गाँव को जोड़ने के लिए कच्चे रास्ते का ही उपयोग करते थे। इन्टरनेट, टी.वी. व कम्प्यूटर आदि का पदार्पण नहीं हुआ था। लोगों को ज्यादातर ज्ञान चौपलों पर बैठे लोगों से ही प्राप्त होता था तथा बाहरी ज्ञान का किसी भी प्रकार आदान-प्रदान न के बराबर होता था। उस समय का एक वाकया मुझे मेरे चाचा जी ने सुनाया था जो मैं आप सभी को सुनाता हूँ।

करीब के चन्दनपुर गाँव में कुछ लोग ही पढ़े लिखे थे और कुछ सरकारी नौकरी करते थे इससे उनकी गाँव में काफी इज्जत थी। जिसमें एक श्री शमशेर सिंह प्रदेश में इंजीनियर पद पर कार्यरत थे। गाँव वाले उनकी काफी इज्जत करते थे। वह बड़े ठाठबाट से रहते थे। उनका व्यवहार कभी-कभी ऐसा लगता था कि वह अंग्रेजों से कम नहीं, जबकि अंग्रेजों को गए कई वर्ष हो गए थे।

गाँव के लोग कई बार उनसे पूछते थे कि आप के द्वारा क्या-क्या काम किए जाते हैं तो वह भी खूब बढ़ा-चढ़ाकर बताते थे कि मैंने कई सड़कों, भवनों तथा पुलों आदि का निर्माण किया है और करता हूँ। जब लोग उनसे पूछते कि कैसे बनाते हो तो इन्जीनियर साहब खूब लम्बी चौड़ी फेंकते और सही जानकारी न देते हुए कई बार उपहास करते थे। इंजीनियर साहब का यह सोचना था कि गाँव के लोग अनपढ़ व गवाँर है, अभियांत्रिकी भाषा को क्या जाने। कई बार इन्जीनियर साहब के व्यवहार से गाँव के लोगों को शक होता था कि वह उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। खैर समय गुजरता गया और इंजीनियर साहब एक दिन सेवानिवृत्त हो गये, शरीर से हृष्टपुष्ट थे और पैसों की कोई कमी न थी।

सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ समय तो ठीक ठाक गुजर गया लेकिन उसके बाद समय गुजारना मुश्किल होने लगा। इंजीनियर साहब की कुछ खेती की जमीन थी जो उन्होंने वटायी पर दे रखी थी। काफी विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि क्यों न खेती की जाए। लोग निरक्षर व मासूम हैं, उनकी सहायता भी करेंगे और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी।

सेवानिवृत्त इंजीनियर साहब को गाँव के लोगों से पता चला कि रबी फसल की कटाई हो चुकी है और खरीफ की बुवाई होने वाली है तो बगैर देर किए तय किया कि चने की खेती की जाए क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत व पानी की जरूरत नही होती है।

जब सेवानिवृत्त इन्जीनियर साहब ने गाँव के लोगों को अपना विचार बताया तो लोगों के दिमाग में खुराफात सूझी कि क्यों न इंजीनियर साहब को बेवकूफ बनाया जाए क्योंकि इन्होंने हम सभी को काफी बेवकूफ बनाया है। इस प्रक्रिया में गाँव वालों ने रामभरोसे नाम का एक ऐसा आदमी जो महा बेवकूफ था, को इन्जीनियर साहब की सहायता के लिए दे दिया।

एक दिन इंजीनियर साहब व रामभरोसे खेत पर गये और विचार विमर्श कर रामभरोसे ने कहा कि एक बीघा खेत में एक क्विंटल चने का बीज लगेगा वह भी भुना हुआ होना चाहिए। इंजीनियर साहब ने एक क्विंटल चने का बीज मंगवाकर भड़भूजे से उसे भुनवा दिया।

शुभ मुहूर्त देखकर गाँव वालों के साथ चने की बुवाई के लिए इन्जीनियर साहब खेत में पहुँच गये। रामभरोसे के निर्देशानुसार खेत के चारों कोनों पर पच्चीस-पच्चीस किलो भुना चना रखवा दिया और उस भुने चनों से गाँव वालों ने देशी गाने गाकर चनों को खाते चबाते बुवाई की, इसके लिए इंजीनियर साहब ने रामभरोसे व गाँव वालों की काफी प्रशंसा की व सभी का धन्यवाद किया। सब प्रसन्न मन से उगते हुए पौधों का इन्तजार करने लगे।

करीब पन्द्रह बीस दिन बाद खेत में कुल सोलह पौधे ही उगे, बाकी खेत खाली था। इस पर इंजीनियर साहब व रामभरोसे को काफी दुख हुआ क्योंकि काफी पैसा व गाँव के लोगों की मेहनत लगी थी। तब रामभरोसे ने इंजीनियर साहब को सुझाव दिया कि उगे हुए सोलह पौधे की अच्छी तरह

देखभाल करनी है। इसके लिए खेत के एक कोने पर एक टाँड पर झोपड़ बनवा दी। अब इंजीनियर साहब व रामभरोसे ने शिफ्ट वाइज दिन में सोलह पौधे की देखभाल करनी शुरू कर दी। इंजीनियर ने एक दिन देखा कि चने का एक पौधा कम हो गया, उसके दो दिन बाद एक और पौधा कम हो गया अब कुल चौदह पौधे ही रह गये। तब इंजीनियर साहब व रामभरोसे को काफी चिंता होने लगी कि कौन है जो दो पौधों को गायब कर रहा है।

तब इंजीनियर साहब व रामभरोसे ने तय किया कि आज से खेत की रखवाली दिन के साथ-साथ रात की भी करनी है। एक रात इंजीनियर साहब पौधों की देखभाल कर रहे थे कि उन्होंने आधी रात के समय देखा कि आकाश से सफेद हाथी जिसके सारे शरीर से चमकती हुई तेज रोशनी निकल रही है, उनके खेत पर उतरा और इधर-उधर घूमने के बाद चने का एक पौधा खेत से निकाला और इत्मीनान से खाकर देखते-देखते आकाश में उड़ गया। इंजीनियर साहब को यह देख कर काफी आश्चर्य हुआ लेकिन वह सोचते रहे कि यह सफेद हाथी कौन था और कहाँ से आया था। उसी उधेड़ बुन में रात काटी और रामभरोसे व अन्य किसी को बताये बगैर यह तय किया कि अब जब भी सफेद हाथी आयेगा तब उसके साथ जाने का प्रयास करेंगे।

दो दिन बाद इन्जीनियर साहब बड़ी बेसब्री से सफेद हाथी का इन्तजार करने लगे। तभी उन्होंने आधी रात के समय देखा कि आकाश से वही सफेद हाथी जिसके सारे शरीर से चमकती हुई तेज रोशनी निकल रही है, उनके खेत पर उतरा और इधर उधर घूमने के बाद फिर चने का एक पौधा खेत से निकाला और इत्मीनान से खाकर जैसे ही उड़ने के लिए हुआ इंजीनियर साहब ने पूरी ताकत लगाकर सफेद हाथी की पूँछ पकड़ ली और सफेद हाथी के साथ आकाश में उड़ गये। चाँदनी रात थी सफेद हाथी बादलों के बीच से उड़ता हुआ एक अलग दुनिया में पहुँच गया।

इंजीनियर साहब ने सफेद हाथी की पूँछ छोड़ दी और सोचा कि सफेद हाथी तो एक दो दिन के बाद ही पृथ्वी पर जाएगा तो क्यों न इस दुनिया को घुमकर देखा जाए। इसी उद्देश्य से वह बाजार घूमने लगे। वहाँ उन्होंने देखा कि बाजार खूब सजे हुए हैं तथा खाने पीने के विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मुफ्त मिल रहे हैं व रेशम का कपड़ा भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है और सिर्फ एक रुपया गज ही बिक रहा है तथा यह भी देखा कि पृथ्वी पर एक रुपया यहाँ के सौ रुपये के बराबर है। इस प्रकार पृथ्वी के एक रुपये से सौ गज रेशम का कपड़ा यहाँ खरीदा जा सकता है। चूँकि इंजीनियर साहब की जेब में एक भी पैसा नही था इसलिए वह कुछ भी नहीं खरीद पाए। मन में बहुत मलाल था लेकिन सोचा कि कोई बात नहीं अगली बार जब वह दुबारा यहाँ आयेंगे तब रेशम का कपड़ा खरीद कर ले जाऐंगे।

इंजीनियर साहब ने बड़ी मुश्किल से 2 दिन का समय इधर-उधर घूमकर बिताया और उस समय का इंतजार करने लगे जब सफेद हाथी फिर पृथ्वी पर वापस जायेगा। दो दिन बाद सफेद हाथी जब उस लोक से पृथ्वी पर जाने लगा तो इंजीनियर साहब ने झट से सफेद हाथी की पूँछ पकड़ी और लटक गये। सफेद हाथी हवा में तैरता हुआ पृथ्वी पर आते हुए उनके चने के खेत में उतर गया। इंजीनियर साहब ने देखा कि सफेद हाथी ने चने का एक पौधा उखाड़ा और उसे खाकर पुनः आराम से आकाश में उड़ गया। इंजीनियर साहब उस लोक वैभवता को अपने मन में समेटे हुए घर आ गये और विचार करने लगे कि उनके साथ घटित हुई घटना पर कोई कैसे विश्वास करेगा लेकिन उन्हें स्मरण हुआ कि रामभरोसे ही उन पर विश्वास कर सकता है क्योंकि इंजीनियर साहब ने उस पर विश्वास करके ही खेती शुरू की थी।

अगले दिन इंजीनियर साहब ने अपने ज्ञानी मित्र रामभरोसे से चर्चा की। तब रामभरोसे ने तय किया कि जब अगली बार सफेद हाथी खेत पर चने का पौधा खाने आएगा, तब ढेर सा पैसा लेकर चलेगें और वहाँ से कीमती रेशम का कपड़ा लाकर उसे यहाँ बेचकर खूब पैसा कमाएगें। चूँकि रामभरोसे अक्ल से पैदल था और उसने अपने दो और मित्रों को इसकी जानकारी प्रदान कर दी।

तय समय पर जब सफेद हाथी को रात में आना था तब रामभरोसे अपने दोनों मित्रों के साथ चने के खेत में पहुँच गया। यह देखकर इंजीनियर साहब को काफी गुस्सा आया लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। अब दिक्कत यह थी कि सफेद हाथी की पूँछ तो एक है उसे दो आदमी तो पकड़ सकते थे लेकिन चार आदमी कैसे पकडेंगे। तब रामभरोसे ने प्रस्ताव सुझाया कि सफेद हाथी की पूँछ सबसे पहले इंजीनियर साहब पकड़ेंगे फिर उनका पहला मित्र इंजीनियर साहब की की टाँग पकड़ेगा और पहले मित्र की टाँग दूसरा मित्र पकड़ेगा, आखिर में रामभरोसे दूसरे मित्र की टाँग पकड़कर उस लोक की यात्रा सकुशल आराम से कर लेंगे। सुझाव अच्छा था और सब सफेद हाथी के आने का इंतजार बेसब्री

से करने लगे।

समय बीतता गया और आधी रात के करीब उन्होंने देखा आकाश से तेज चमकती हुई किरणों के साथ सफेद हाथी आ रहा है कुछ समय बाद वह चने के खेत में उतर गया कुछ देर इधर-उधर घूमने के बाद उसने चने का एक पौधा बड़े इत्मीनान से उखाड़ कर खाया और आकाश की तरफ उड़ने के लिए हुआ, तभी इंजीनियर साहब की टाँग तथा दूसरे ने पहले मित्र की टाँग और अंत में रामभरोसे ने दूसरे मित्र की टाँग कसकर पकड़ ली और आकाश में सफेद हाथी के साथ उस लोक की ओर जाने लगे।

कुछ समय बाद रामभरोसे को ख्याल आया है कि उस लोक में गज कितना बड़ा होता है यह तो इंजीनियर साहब ने उसे बताया ही नहीं क्योंकि उन चारों में इंजीनियर साहब ही पढ़े लिखे थे, तो गज कितना बड़ा होता है यह इंजीनियर साहब ही उन्हें बता सकते है। सफेद हाथी आकाश की गहराई में चला जा रहा था तो सबसे नीचे लटके रामभरोसे ने इन्जीनियर साहब को जोर से चिल्ला कर पूछा, भईया आपने यह तो बताया ही नहीं कि उस लोक में गज कितना बड़ा होता है।

रामभरोसे, इंजीनियर साहब का सलाहकार वह शुभचिंतक था तो उसे बताना जरुरी था इसलिए उन्होंने दोनों हाथ से पकड़ी हुई पूँछ को छोड़कर, दोनों हाथ फैलाकर कहा कि गज इतना बड़ा होता है और अन्जाम यह हुआ कि चारों लदर-पदर पृथ्वी की ओर गिरने लगे और सभी के हाथ पैर टूट गये और इस प्रकार शमशेर सिंह इंजीनियर साहब ने खेती से तौबा कर ली।

(उपरोक्त व्यंग्य लेख बचपन में सुनी कहानी पर आधारित है।)

पूर्व सहायक अभियंता
कार्यालय अधीक्षण अभियंता
राष्ट्रपति सम्पदा, के.लो.नि.वि.,
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

❍❍❍

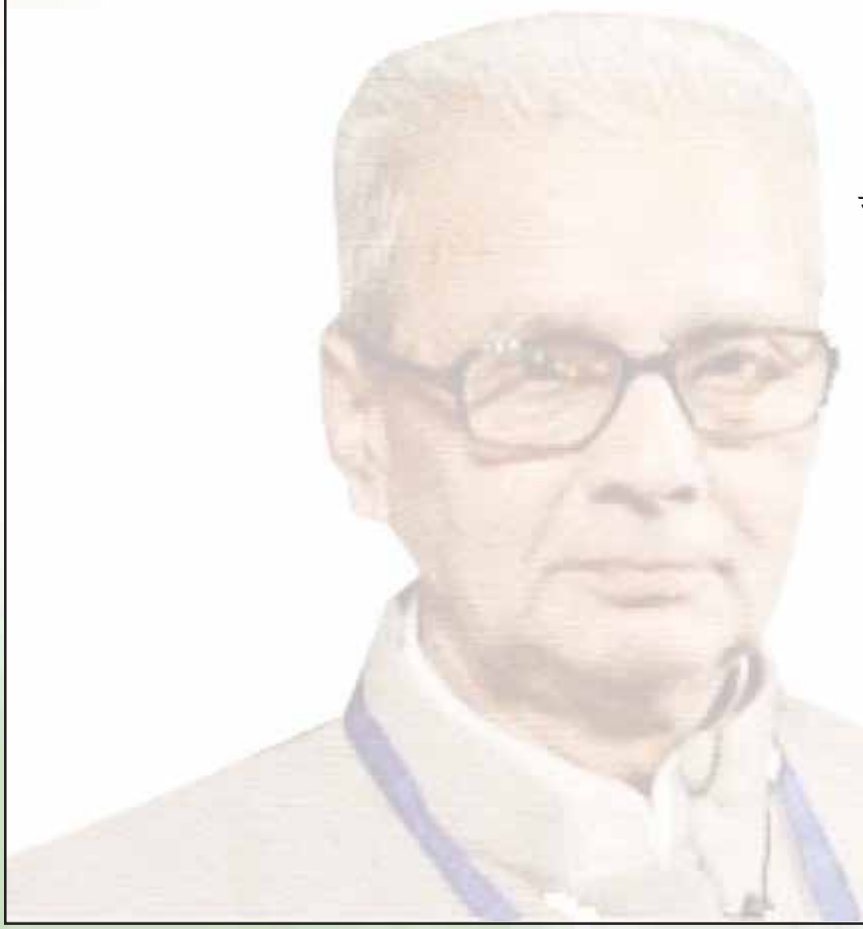

यह पृथ्वी रहेगी

मुझे विश्वास है
यह पृथ्वी रहेगी
यदि और कहीं नहीं तो मेरी हड्डियों में
यह रहेगी जैसे पेड़ के तने में
रहते हैं दीमक
जैसे दाने में रह लेता है घुन
यह रहेगी प्रलय के बाद मेरे अन्दर
यदि और कहीं नहीं तो मेरी जबान
और मेरी नश्वरता में
यह रहेगी...
और एक सुबह मैं उठूँगा
मैं उठूँगा पृथ्वी समेत
जल और कच्छप समेत मैं उठूँगा
मैं उठूँगा और चल दूँगा उससे मिलने
जिससे वादा है कि
फिर मिलूँगा।

-केदारनाथ सिंह

हिन्दी पहचान हमारी

-दीपक कुमार

हमें है हिन्दी का कितना मान?
पग-पग पर होता हिन्दी बोलने वालों का अपमान।
सिर्फ हिन्दी दिवस पर करते हैं हिन्दी का गुणगान।
राष्ट्रभाषा का करते हैं अपमान।

राष्ट्रभाषा की यही व्यथा।
दुखभरी है इसकी गाथा।
हिन्दी का हो रहा अपमान।
घट रहा हिन्दुस्तान का मान।

हिन्दी दिवस एक पर्व के रूप में।
आता है सिर्फ एक वर्ष में।
शपथ लेते सभी एक फर्श में।
हिन्दी बोली जाती एक अर्श में।

अंग्रेजी स्कूलों की है भरमार।
शिक्षकों का है अंग्रेजी का फरमान।
बच्चे अंग्रेजी गिटपिट बोल रहे।
माता-पिता का यही अरमान।

अंग्रेजी अंग्रेजों की रही है शान।
हिन्दी तो है हमारी पहचान।
पूर्वजों का रहेगा मान,
हिन्दी हिन्दुस्तान की बढ़ेगी शान।

आओ चलें हम हिन्दी भाषा अपनाने।
अंग्रेजी भाषा को दूर भगाने।
पूरे देश को एक डोर में बाँधने।
हिन्दुस्तान का कीर्तिमान बढ़ाने।

आओ करे हिन्दी का सम्मान

-दीपक कुमार

एक डोर से सबको बाँधती।
हर भाषा को अपना मानती।
स्वर व्यंजन की पहचान बनाती।
मधुर स्वर का करती गुनगान।
आओ करें हिन्दी का सम्मान।

यह तो हमारी पहचान कराती।
मातृभाषा में जान है लाती।
विश्व में देश का गौरव लाती।
करती नहीं किसी भाषा का अपमान।
आओ करें हिन्दी का सम्मान।

कहाँ थी शुरू में, कहाँ आ गई।
हँसी का पल लौट आ गई।
सर-जमीं से हिन्दी आसमाँ पे गई।
जन-जन के दिलों का है अरमान।
आओ करें हिन्दी का सम्मान।

हिन्दी भाषा है हिन्दुस्तान की।
अपनाते हैं सब सीना तान।
सभी भाषाओं का है संगम।
जीवन की परिभाषा की पहचान।
आओ करें हिन्दी का सम्मान।

सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रपति सम्पदा वैद्युत मण्डल
के.लो.नि.वि., राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

ooo

संघर्ष ही जीवन है

-सुमन लता

किसी गाँव में मीना नाम की एक लड़की थी। मीना के पिता एक व्यापारी थे इसलिए उसका विवाह शहर के शिक्षित परिवार के पुत्र प्रेम कुमार से हो गया। ससुराल में सास ससुर के अलावा उसके ज्येष्ठ एवं जेठानी, उनके दो बच्चे और एक देवर रहते थे। प्रेम एक 5 सितारा रेस्तरां में बड़े पद पर कार्यरत था। घर छोटा होने के कारण उन्होंने पास में ही किराये पर मकान ले लिया। एक दिन की बात है प्रेम जिस रेस्तरां में काम करते था वहाँ एक बदनाम रेस्तरां का मालिक आया जो जिस्म-फरोशी का कारोबार चलाता था। उसने प्रेम को देखकर कहा ''क्या तुम मेरे रेस्तरां में काम करोगे? मैं तुम्हें अच्छी पगार दूँगा।'' प्रेम ने लालच में आकर अपनी अच्छी नौकरी छोड़कर उसके रेस्तरां में काम करना शुरू कर दिया। मीना को इस बात की बिलकुल खबर नहीं थी। समय बीतता गया और वे अमीर हो गये। मीना के एक पुत्र और एक पुत्री भी पैदा हो गये। वे दोनों की परवरिश भी अच्छे ढंग से करने लगे। दोनों को अच्छे स्कूल में भर्ती कर दिया गया।

इधर मीना के पिता को व्यापार में घाटा हो गया। मीना ने अपने पिता की हालत पर तरस खाकर शादी में मिले सभी जेवरात अपने पिता को दे दिये। पिता ने सभी जेवर गिरवी रख दिये लेकिन व्यापार में लगातार घाटा होने के कारण वह गिरवी रखे जेवरात छुड़ा न सके। वक्त ने ऐसी करवट ली कि मीना का पति जिस रेस्तरां में काम करता था वहाँ पुलिस का छापा पड़ गया और उसके पति को जेल हो गयी। घर पर जो भी सामान था वह भी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। प्रेम को इस साजिश में कोई गुनाह साबित न होने के कारण कुछ समय पश्चात् जेल से रिहा कर दिया गया।

प्रेम को इस बेइज्जती का झटका लगा और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गयी।

अब मीना बेसहारा हो गयी। उसके जेठ और जेठानी उसे और उसके दोनों बच्चों को अपने घर ले आये। मीना ने सोच लिया था कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है और उसने अपने ज्येष्ठ से कहा कि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती है और वह अपने घर वापस आ गयी।

मीना को बाद में पता चला कि जिस मकान में वह रहती है वह किसी और के नाम है और उसकी रजिस्ट्री भी नहीं है। मीना ने बड़ी हिम्मत करके बड़े-बड़े सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों से मुलाकात की और अंत में मकान उसके नाम हो गया।

मीना अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन सिलाई, कढ़ाई और बुनाई में निपुण थी। उसने घर पर ही सिलाई, फैक्ट्री के कपड़ों का काम शुरू कर दिया और अपने बच्चों की पढ़ाई बरकरार रखी।

मीना की मेहनत रंग लाई और उसकी बेटी रितिका को किसी प्राइवेट दफ्तर में छोटी सी नौकरी मिल गयी। उसने अपनी माँ से कहा ''अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। हम अपने छोटे से परिवार का इसी तनख्वाह में गुजारा कर लेंगे।'' मीना को अपनी बेटी के विवाह की चिंता थी। मीना राधा-कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी इसलिए उसने महिला कीर्तन मंडली ज्वाइन कर ली। उससे जो भी धन मिलता उसे अपनी बेटी के विवाह के लिए संजोकर रखती।

एक दिन मीना का परिचय उसी मन्दिर में एक महिला से हुआ। उसने उसकी दु:ख भरी व्यथा सुनी। संयोगवश उस महिला के पुत्र से मीना की पुत्री का विवाह तय हो गया और उनका विवाह हो गया।

मीना के पुत्र को भी एक नौकरी मिल गयी और उसका विवाह भी एक अच्छी पढ़ी-लिखी लड़की से हो गया। बेटा पत्नी के साथ इतना व्यस्त हो गया कि वह अपनी माँ के बलिदान को भी भूल गया। उसकी पत्नी भी माँ को बहुत तंग करती थी।

दोनों भाई-बहन व बहू एक साथ मिल गये। अब वह फिर से अकेली हो गयी लेकिन उसमें आत्मबल बहुत था। उसने कहा ''मकान मेरा है मैं कहाँ जाऊँ?'' बेटा-बहू मकान छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे। जहाँ उन्हें एक बेटी पैदा हुई।

मीना अपनी पौत्री के पैदा होने की खुशी में अपने बच्चों से मिलने गई लेकिन अपने प्रति व्यवहार अच्छा न होने के कारण अपने घर वापस आ गई।

मीना को अपने भगवान पर बहुत अटूट विश्वास था इसलिए वह कीर्तन भागवत में जाती रही। सभी लोगों ने कहा कि आपका बेटा ऐसा नहीं था, आपके बेटे पर किसी ने जादू कर दिया है। लेकिन मीना का जवाब यही था कि ''एक दिन सब ठीक हो जायेगा।''

एक दिन अचानक मीना को दिल का दौरा पड़ गया। पड़ोसी उसे अस्पताल ले गये और उसके बेटे को फोन कर दिया। पड़ोसियों ने बेटे-बहू को खूब खरी-खोटी सुनाई। बेटे-बहू को अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने मीना से माफी माँगी।

''पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती।''

माँ का दिल पसीज गया और उसने दोनों को माफ़ कर दिया। मीना अपने परिवार के साथ सुख का जीवन व्यतीत करने लगी।

''दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है।
और जिन्दगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास।''

पूर्व कार्यालय अधीक्षका
राष्ट्रपति सम्पदा मण्डल कार्यालय
के.लो.नि.वि., राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

❍❍❍

भारतवर्ष की श्रेष्ठता

-मैथिलीशरण गुप्त

भू-लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला-स्थल कहाँ?
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहाँ।
सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है,
उसका कि जो ऋषिभूमि है, वह कौन? भारत वर्ष है।।1।।

हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है,
ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है?
भगवान की भव-भूतियों का यह प्रथम भण्डार है,
विधि ने किया नर-सृष्टि का पहले यहीं विस्तार है।।2।।

यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी 'आर्य्य' हैं,
विद्या, कला-कौशल्य सबके, जो प्रथम आचार्य्य हैं।
संतान उनकी आज यद्यपि, हम अधोगति में पड़े,
पर चिह्न उनकी उच्चता के, आज भी कुछ हैं खड़े।।3।।

हमारा उद्भव

शुभ शान्तिमय शोभा जहाँ भव-बन्धनों को खोलती,
हिल-मिल मृगों से खेल करती सिंहनी थी डोलती।
स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ,
उन ऋषिगणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ।।4।।

बदलाव

-सुभद्रा यादव

पापा की परी से बहू बन जाती हैं बेटियाँ,
तेरा मेरा करते-करते हमारा कहना सीख जाती हैं बेटियाँ।
थोड़ा काम करके थकने वाली पूरा घर संभाल लेती हैं बेटियाँ।
हर बात पर लड़ने वाली आज हर बात चुपचाप सुन लेती हैं बेटियाँ।
पापा के पैसों से मन चाहा खर्च करने वाली बेटियाँ,
आज पैसा बचाती हैं बेटियाँ।
सच कहा है किसी ने बेटी से बहू,
तक बहुत बदल जाती हैं बेटियाँ।

अवर श्रेणी लिपिक
राष्ट्रपति सम्पदा मण्डल
के.लो.नि.वि.,
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

ooo

मुहाजिर

-नवीन कुमार सिंह 'नवीन'

बहुत दूर शहर में, धुँआ है कब से,
आग है दिल में जज्ब, अब सुलगाते नहीं हैं।
छोड़ देते है बना के, आशियाँ सपनों का,
आग लग जाती है, लगाते नहीं है।
भूल जाना भी, इतना आंसा नहीं हैं,
क्या जला है, जिसे बुझाते नहीं हैं।
छोड़ देते हैं, बोझ आईने में,
टूट गया है क्या, बताते नहीं है।
दिल में जो जज्बात हैं, दिखाते नहीं हैं।
हम इस शहर के नहीं हैं, अब बताते नहीं है।।

उच्च श्रेणी लिपिक
राष्ट्रपति सम्पदा वैद्युत मंडल, के.लो.नि.वि.
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

ooo

राष्ट्र लिपि : देवनागरी

-डॉ. हरिसिंह पाल

भाषा जिस माध्यम से लिखी जाती है उसे लिपि कहते है। लिपि की उत्पत्ति लिप्यते शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ है-लिखावट। प्रत्येक अक्षर को अंकित करने के लिए कुछ चिह्न निर्धारित है। इन्हीं व्यवस्थित चिह्नों की श्रृंखला को लिपि कहा जाता है। लिपि किसी भी भाषा की ध्वनि का ध्वन्यात्मक प्रतीक है, लिपि चाहे वर्णनात्मक हो या चित्रात्मक। भाषा के संरक्षण और ज्ञान के प्रसार को स्थायी बनाने के तथा उसे आगे बढ़ाने एवं भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने हेतु लिपि का निर्माण किया गया है। 1) विकास की दृष्टि से लिपियों का अनुक्रम इस प्रकार रखा जा सकता है-चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि और ध्वनि मूलक लिपि। लिपि ध्वन्यात्मक भाषा को दृश्य सांकेतिक चिह्नों में परिवर्तित करने की विधि है। जिस प्रकार भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का माध्यम है, उसी प्रकार लिपि भाषा का वाहक-रथ है जिस पर सवार होकर भाषा पाठक तक पहुँच पाती है। लिपि एक प्रकार से दृश्य भाषा ही है। लिपि का विकास लगभग ई.पू. 10000 से 4000 ई.पू. के मध्य माना जाता है।

2) इतना निश्चित है कि ब्राह्मी के आरंभिक अक्षर बदलते-बदलते आज की देवनागरी के रूप में आ गए है। साथ ही देवनागरी ने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नए-नए वर्ण भी विकसित किए जो ब्राह्मी में नहीं थे। उदाहरणार्थ-ब्राह्मी में शून्य (0) का अंक नहीं था, जबकि सैकडा और हजार के लिए अलग-अलग लिपि चिह्न थे। **देवनागरी ने शून्य का विकास कर मानव सभ्यता को नई अंकीय विधि उपलब्ध कराई।** ड और ढ भी देवनागरी में ही है। ब्राह्मी से ही श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार, जावा, सुमात्रा, बोर्निया, लाओस, कंबोडिया, थाईलैण्ड और मंगोलिया की लिपि भाषाएँ विकसित हुई है। इस प्रकार इन देशों की लिपियाँ भी देवनागरी की सहयोगी हैं।

देवनागरी लिपि विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपियों में से एक है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित संकेत-चिह्न होने के कारण जो कुछ लिखा जाता है वही बोला जाता है। इसमें अपनी ओर से कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ता और न किसी ध्वन्यांश को छोड़ने की आवश्यकता ही होती है। इसके सभी वर्णों के उच्चारण का स्थान तथा उच्चारण में श्वांस गति और जिह्वा की स्थिति का बराबर ध्यान रखा गया है। लिप्यंतरण की दृष्टि से यह लिपि किसी भी भाषा को सही रूप में अंकित कर सकती है।

नागरी की विशेषताओं को इस प्रकार भी देखा जा सकता है।

(1) देवनागरी वर्णमाला में वर्णों का क्रम अत्यन्त व्यवस्थित है। इसमें पहले स्वर आते है फिर व्यंजन।

(2) देवनागरी के स्वरों में भी ह्रस्व एवं दीर्घ क्रम रहता है। स्वरों के पाँच वर्ग हैं।

(3) नागरी में चिह्नों के नाम उसमें उसके उच्चारण के निकटतम है। यह उच्चारण की अनुवर्तिनी है, वर्तनी की नहीं।

(4) नागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिह्न है।

(5) नागरी लिपि का प्रत्येक वर्ण उच्चारित होता है, इसमें कोई मूक (Silent) वर्ण नहीं है।

(6) नागरी लिपि वर्णों की लिखावट कलात्मक, सुंदर और सुगठित है और इसमें अपेक्षाकृत कम लगती है। पढ़ने में सुगम और सहज है।

(7) यह वर्णात्मक लिपि है। इसके सभी वर्ण उच्चारण के अनुरूप है। लचीलापन इसकी अन्य विशेषता है। लिपि की वैज्ञानिकता अक्षरों से प्रकट होती है।

(8) उच्चारण के जितने भी उतार-चढाव हो सकते हैं जितने भी मृदु कठोर और कठोरतम बलाघात हो सकते हैं, सभी का समावेश नागरी लिपि में किया गया है।

(9) नागरी की वर्णमाला के किसी भी वर्ण को अलग-अलग करके लिख सकते हैं।

(10) मुख के पृथक-पृथक स्थानों से उच्चारित होने वाले

व्यंजन भी अलग-अलग वर्गों में संग्रहित हैं। कंठ से बोले जाने क वर्ग में, तालु से बोले जाने वाले च वर्ग में, मूर्धन्य ट वर्ग में, दन्त्य त वर्ग में और ओष्ठ प वर्ग में अक्षर आते हैं।

(11) सभी व्यंजनों के अंत में अ समाहित है। इसमें वर्ण संयोग की पद्धति पूर्णतया वैज्ञानिक है।

(12) वर्णों की आकृति में स्पष्टता है। इसकी वर्णमाला अधिक परिष्कृत और विकसित है।

(13) इस लिपि में संक्षिप्तता है, स्पेलिंग (वर्तनी) याद रखने की जरूरत नहीं होती, इसके उच्चारण की सरल प्रणाली है।

(14) नागरी लिपि में विश्व की सभी क्रमानुगत सभी भाषाओं की और नवागत ध्वनियों को उच्चारित एवं प्रतिनिधित्व करने वाले लिपि चिह्न विद्यमान हैं। इसमें ध्वयात्मक-मूल्य अधिक हैं, इस कारण नए ध्वनि-चिह्न अपना कर इसने अंतरराष्ट्रीय लिपि (विश्व लिपि) की क्षमता कर ली है।

भारत की लगभग सभी प्राचीन और आधुनिक भाषाओं की लिपि नागरी है। इसकी संपन्नता, पूर्णता, व्यापकता, सरलता, सुंदरता आदि को ध्यान में रखकर देश के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों ने नागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि बनाने के लिए एकमत से इच्छा व्यक्त की। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं निश्चित बोध गम्यता एवं अभिव्यक्ति की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे मनीषियों ने सदियों पूर्व प्रत्येक वर्ण के उच्चारण को इतनी अच्छी तरह से बता दिया था कि यही तथ्य हमारी नागरी लिपि की एक गौरवपूर्ण धरोहर बन गई। देवनागरी रोमन लिपि की भाँति विदेशी लिपि नहीं है अपितु पूर्णतया भारतीय है। इसकी उत्पत्ति और विकास भारत भूमि में हुआ है। इस प्रकार इसकी जड़े देश के इतिहास और संस्कृति में है। भारत में जितनी लिपियाँ प्रचलित है उसमें नागरी लिपि को जानने वालों की संख्या सर्वाधिक है।

नागरी की प्रतिष्ठा

भारत में भले ही शासन व्यवस्था भारतीयों के हाथ रही हो या आक्रमणकारी विदेशियों के हाथ में, सभी ने अपनी शासन व्यवस्था में देवनागरी के महत्त्व को आदर और सम्मान के साथ स्वीकार किया। बाद में भले ही शासन की राजभाषा फारसी या अंग्रेजी रही हो किन्तु इस काल खंड में भी देवनागरी अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल रही। ईसा से 23 वर्ष पूर्व एक राजकीय दान के ताम्रपत्र में उत्कीर्ण नागरी में लिखा संस्कृत अभिलेख मिला है। ग्याहरवीं सदी में नागरी में लिखे अनेक शिलालेख मूर्ति अभिलेख और ताम्रपत्र मिले। मध्यकाल के प्रारंभ से लेकर (1200 ई.) मुगल शासन (1556-1605 ई.) तक राजस्व विभाग में नागरी लिपि का निर्विवाद प्रचलन था। मुगल बादशाह अकबर से लेकर औरंगजेब तक के शासन काल में सिक्कों पर और शाही फरमानों में नागरी लिखने की परंपरा थी। दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य (1336-1564 ई.) के सिक्कों पर देवनागरी और सभी राजकीय कार्यों में नागरी लिपि का प्रयोग होता था। इसी प्रकार चोल राजाओं (ग्याहरवीं सदी) और केरल के शासकों के सिक्कों पर भी नागरी लिपि अंकित थी। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वरगुण का पलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में मिला है। इतना ही नही श्रीलंका के पराक्रमबाहु और विजयबाहु आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर मिले हैं। उत्तर भारत के मेवाड़ के गुहिल, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गहड़वाल, काठियावाड़ (गुजरात) के सोलंकी, आबू के परमार, बुंदेलखंड के चंदेल और त्रिपुरी के कलुचरी आदि शासकों के अभिलेख भी नागरी में ही थे। अलबरुनी ने अपने ग्रन्थ (1030 ई.) में लिखा था कि मालवा में नागरी लिपि का प्रयोग होता है। इससे स्पष्ट है कि आठवीं से लेकर ग्याहरवीं सदी तक नागरी लिपि पूरे देश में प्रचलन में थी। उस समय यह सार्वदेशिक लिपि थी। हिन्दी की सैकड़ों वर्षों का समृद्ध साहित्य नागरी की शक्ति का ही परिचायक है।

ईस्ट इंडिया कंपनी शासन काल के प्रारंभ में ही एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता के संस्थापक अध्यक्ष सर विलियम जोस ने अपने शोध पत्र (17 अप्रैल, 1724 ई.) में नागरी लिपि को अन्य लिपियों की अपेक्षा सर्वाधिक श्रेष्ठ लिपि घोषित किया। इस नागरी लिपि आंदोलन को शुभारंभ माना जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम संविधान (1 मई 1793 ई.) के प्रथम अनुवाद की तृतीय धारा में नागरी लिपि को सरकारी स्वीकृति मिली। फ्रेडरिक जॉन शोर ने अपने न्यायाधीश की सेवा (1832-1834 ई.) के दौरान निर्णय दिया था कि **देवनागरी भारत की लिपि है, फारसी नहीं।** सन् 1837 में सरकार ने निश्चय किया कि न्याय और राजस्व विषयक सभी कार्य फारसी के विपरीत, यहाँ की देश भाषा में हों। बाद में 30 सितम्बर 1854 को सरकारी आदेश आया कि गाँवों के पटवारियों के कागजात हिन्दी भाषा और नागरी लिपि में लिखे जाएँ। डॉ. राजेन्द्र लाल मित्रा ने 1864 में जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसायटी में यह विचार व्यक्त किया कि देवनागरी लिपि को हिंदवी और उर्दू भाषाओं की लिपि के रूप में स्वीकार किया जाए। सन् 1866 में एफ.एस ग्राउस ने नागरी

लिपि को शासकीय स्वीकृति दिलाने की दिशा में मजबूत कदम उठाए। सन् 1868 में राजा शिव प्रसाद 'सितारहिंद' ने जनसाधारण की शिक्षा के लिए नागरी लिपि के कट्टर समर्थन के रूप में अपनी पहचान बना ली। वे पहले भारतीय साहित्यकार थे जिन्होंने नागरी लिपि के समर्थन में ब्रिटिश सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। सन् 1873 में पश्चिमोत्तर प्रदेशवासियों ने भी इसी प्रकार का ज्ञापन सरकार को दिया। 6 जून 1881 ई. को मध्यप्रदेश की कचहरियों में नागरी लिपि को सरकारी मान्यता मिल गई। जबकि उस समय विभिन्न देशी रजवाड़ों में शासन-प्रशासन की लिपि फारसी थी। इंदौर के मलहार राव होल्कर (1693-1766) तत्पश्चात् लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर (1725-1795) ने नागरी को राजकार्य की लिपि बनाया। अयोध्या राज्य ने सन् 1903 में, कोटा 1907 में अलवर ने 1909 में, छतरपुर में 1910 में अपने राज्य में शासन की लिपि नागरी स्वीकार की। 1854 में भारत के अन्तिम मुगल बादशाह जफर के भतीजे वेदार बख्त ने स्वाधीनता संग्राम की सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए पयामे आजादी अखबार निकाला जो फारसी और नागरी दोनों लिपि में था।

प्रख्यात देशभक्त और बांग्ला भाषी आधुनिक युग के हमारे अग्रणी नेताओं, प्रबुद्ध विचारकों और मनीषियों ने राष्ट्रीय एकता के लिए नागरी लिपि के प्रयोग पर बल दिया था। राजा राममोहन राय, बंकिमचन्द्र चटर्जी, महर्षि दयानन्द, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, केशववामन पेटे, कृष्णस्वामी अय्यर, मुहम्मद करीम छागला आदि मनीषियों ने राष्ट्रीय एकता के लिए नागरी लिपि की महत्ता को स्वीकार किया था। लोकमान्य तिलक ने 1905 में नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी में कहा था-देवनागरी को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। दक्षिण भारतीय विद्वान वी कृष्णास्वामी अय्यर ने 1910 में इलाहाबाद में कहा था-देश की एकता के लिए देवनागरी लिपि को स्वीकार किया जाना चाहिए।

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने 1857 में संस्कृत के लिए सभी विश्वविद्यालयों में देवनागरी को स्वीकृत कराया। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने 1909 में अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज' में हिंदी की अनिवार्यता और इसे नागरी और फारसी में लिखने का आग्रह किया। वर्ष 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गाँधी जी के सभापतित्व में, 'एक लिपि परिषद्' के कार्यक्रम में, नागरी लिपि और हिंदी भाषा सार्वदेशिक रूप में प्रचार हेतु स्वीकार की गयी। वर्ष 1918 के इंदौर अधिवेशन (आठवें हिंदी साहित्य सम्मेलन) में अपने अध्यक्षीय भाषण में गाँधी जी ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का स्थान दिया था। जुलाई 1927 में गाँधी जी ने कहा था- 'भारत की सभी भाषाओं के लिए एक लिपि होना लाभदायक है और वह लिपि नागरी ही हो सकती है। भारत की सभी भाषाओं के लिए नागरी लिपि ही चलनी चाहिए।''

नागरी की प्रतिष्ठा

नागरी लिपि के प्रचार-प्रसार का कार्य सिर्फ हिंदी भाषा-भाषी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा। भारतीय समाज के तत्कालीन उन्नायकों को यह समझ आ गया था कि यदि पूरे देश को एक सूत्र में निबद्ध होना है तो अन्यान्य तत्वों के साथ-साथ उसकी भाषा भी एक होनी चाहिए। यदि भाषा एक न हो सके तो विभिन्न भारतीय भाषाओं की लिपि तो एक होनी ही चाहिए। तत्कालीन बंगाल के जस्टिस शारदा चरण मित्र ने 1905 में कोलकता में 'एक लिपि विस्तार परिषद' की स्थापना की। इसके सदस्यों में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर, सर गुरूदास बनर्जी (कुलपति) महाराजा रामेश्वर सिंह (दरभंगा) महाराज प्रतापनारायण सिंह (अयोध्या), महाराजा रावणेश्वरप्रसाद सिंह (मुंगेर) श्रीधर पाठक, बालकृष्ण भट्ट, रामानंद चटर्जी (संपादक-प्रवासी, इलाहाबाद) प्रमुख थे। साथ ही इन्होंने 1907 में कोलकाता से 'देवनागर' नाम से पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। इसके प्रवेशांक में ही यह उल्लिखित था- ''इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है-भारत में एक लिपि का प्रचार बढ़ाना और वह एक देवनागराक्षर हैं। भारतीय लिपियों की जननी देवनागरी लिपि ही है, जैसे भाषाओं की जननी संस्कृत। देवनागर का व्यवहार चलाने में किसी प्रांत का अपनी लिपि या भाषा के साथ स्नेह कम नहीं पड़ सकता। हाँ, यह अवश्य है कि अपने परिमिति मंडल को बढ़ाना होता है।'' 'देवनागर' के विभिन्न अंकों में बंगला, मराठी, पंजाबी, कन्नड, तमिल, गुजराती, नेपाली, ओड़िया, मलयालम आदि प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की साहित्यिक सामग्री, देवनागरी में लिप्यंतरित करके छापी जाती थी। यह पत्रिका जस्टिस मित्र के जीवनपर्यन्त (1917) तक प्रकाशित होती रही।

राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिंद' (1823-1895) पहले हिंदी साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्यिक क्षितिज पर भारतेन्दु हरिश्चंद्र के अभ्युदय से बहुत पहले सरकारी स्तर पर देवनागरी लिपि के प्रचलन हेतु अभ्यावेदन तत्कालीन सरकार को दिया था। सितारे हिंद ने जनवरी 1868 ई. में पश्चिमोत्तर प्रदेश के शिक्षा निरीक्षक की हैसियत से यह अभ्यर्थना पत्र दिया था।

नागरी लिपि को प्रथम प्रचारक के रूप में लुधियाना में

जन्मे पं. गौरीदत्त (1836-1906) मिले जिन्होंने दयानंद महर्षि सरस्वती से प्रेरणा लेकर मेरठ के वैदवाडा मोहल्ले में 1870 में 'देवनागरी पाठशाला' की स्थापना की। कुछ दिन बाद उन्होंने 1894 में 'नागरी प्रचारिणी सभा' की भी स्थापना की। वह नागरी सेवा से काफी सक्रिय रूप से जुडे थे। पं. गौरीदत्त ने देवनागरी के प्रचार-प्रसार के लिए जहाँ स्थान-स्थान पर अनेक नागरी पाठशालाएँ स्थापित की, वहीं अपनी लेखनी से नागरी सौ, अक्षर: दीपिका नागरी की गुप्त वार्ता लिपि बोधिनी देवनागरी के भजन और 'गौरी नागरी' आदि अनेक पुस्तकों की रचना करने के अतिरिक्त 'देवनागर', 'देवनागरी प्रचारक' 'देवनागरी गजट' तथा 'नागरी पत्रिका' का भी संपादन और प्रकाशन भी किया था। इन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व 1 जून 1903 को अपनी वसीयत में अपनी समस्त चल और अचल सम्पति नागरी के प्रचार-प्रसार के लिए अर्पित कर दी थी।

इसी श्रेणी में देवनागरी लिपि के समर्थनकर्ताओं में लालखड्ग बहादुर मल्ल (देवरियां), राधालाल माथुर (नागरी लिपि का सर्वप्रथम 'शब्दकोश', बनारस), काशीनाथ खत्री (इलाहाबाद), रामकृष्ण वर्मा (संपादक - भारत जीवन), केशव वामनपेठे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सतीशचन्द्र विद्याभूषण, बालमुकंद गुप्त, पं. माधोराम (पंजाब), भीमसेन विद्यालंकार (हैदराबाद), महापंडित राहुल सांकृत्यायन और विनायक दामोदर सावरकर आदि का नाम प्रारंभिक नागरी प्रचारकों में शामिल है।

संविधान में नागरी हिंदी

स्वाधीनता के बाद गठित संविधान समिति ने फरवरी 1948 को जो प्रारूप प्रस्तुत किया, उसमें राजभाषा का कोई उल्लेख नहीं था। परन्तु क.मा. मुंशी (गुजरात) के अथक प्रयासों से सितंबर 1949 में संविधान सभा में राजभाषा पर चर्चा हुई। इसमें नागरी लिपि की महत्ता को सभी विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया। इसीलिए भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में नियत करने का प्रस्ताव तमिलभाषी गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा, जिसे तेलुगुभाषी दुर्गाबाई, कन्नडभाषी कृष्णमूर्ति, मराठीभाषी शंकरराव देव, उर्दूभाषी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने समर्थन दिया था। फलस्वरूप 14 सितंबर 1949 को संविधान के भाग-17 के अनुच्छेद 343(1) में राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को स्वीकार किया गया जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। हमारे विद्वान राजनेताओं को यह विश्वास था कि देवनागरी राष्ट्रीय एकता में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आचार्य विनोबा भावे ने नागरी की महत्त्व को स्वीकार करते हुए कहा था- 'हिन्दुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी, उससे बहुत अधिक काम देवनागरी देगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी भाषाएँ देवनागरी में भी लिखी जाएँ। सभी लिपियाँ चलें। साथ-साथ देवनागरी का भी प्रयोग किया जाए।''

स्वतंत्र भारत में भी अनेकानेक नागरी प्रेमी विद्वानों और संस्थाओं ने नागरी लिपि के प्रचार-प्रसार और संरक्षण-संवर्द्धन में अप्रतिम योगदान दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के परमअनुयायी और भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे की सत्प्रेरणा से गाँधी स्मारक निधि, राजघाट नई दिल्ली, 23-24 फरवरी 1974 में वर्धा में पवनार आश्रम में पहली बार 'नागरी संगोष्ठी' आयोजित की गयी जिसमें भारत और नेपाल के विद्वानों और भाषाविदों ने भाग लिया और इसमें लिए गए निर्णय के फलस्वरूप **17 अगस्त 1975 को 'नागरी लिपि परिषद' की स्थापना की गई।** इसमें भारत के संपूर्ण क्षेत्रों, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों ने, नागरी लिपि को अतिरिक्त लिपि के रूप में मान्यता दिलाने का संकल्प लिया। इनमें श्रीयुत श्रीमन्नारायण, केन्द्रीय मंत्री प्रो. शेरसिंह, बंसत साठे, डी.पी. यादव, सांसद शंकरदयाल सिंह, दक्षिण भारतीय जी. शंकर कुरूप, प्रो. नागप्पा, डॉ. मलिक मौहम्मद, सी.ए. मेनन सहित डॉ. निर्मला देशपांडे, तारा भट्टाचार्य, रामनिवास मिर्घा, आर.आर. दिवाकर, क्रांतिभाई शाह, महेन्द्र मोहन चौधरी सिद्धेश्वर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, आचार्य काका कालेलकर, नेपाल के राजदूत प्रो. मानघरे, डॉ. कर्ण सिंह, बालकवि बैरागी, डॉ. लोकशचन्द्र, प्रो. देवेन्द्र कुमार, नंदकुमार अवस्थी, भवानी प्रसाद मिश्र, यशपाल जैन, प्रो. गोपीचंद नारंग, डॉ. विजयेन्द्र स्नातक, डॉ. प्रभाकर माचवे, श्री सरदार अली जाफरी, आचार्य क्षेमचंद सुमन, डॉ. भीमसेन निर्मल, डॉ. आई. पाडुरंग राव, कनिका चौधरी (पं. बंगाल) आदि विद्वान साहित्यकार और भाषाविद् प्रमुख थे। बाद में डॉ. बालशौरि रेड्डी (चेन्नई), चैन्नम्मा हिल्लकरी (कर्नाटक), अक्षय कुमार महान्ति (ओड़िशा), सूर्यवंशी चौधरी (असम), डॉ. जोरम आनिया ताना (अरूणाचल प्रदेश), प्रो. सी.ई. जीनी, डॉ. वी.आर राल्ते, डॉ. लुईस हाउन्हार (मिजोरम), डॉ. पी.टी. जमीर (नागालैंड), आचार्य राधागोविंद थोंड़ाम, के.एच. सदाशिव सिंह (मणिपुर), सी.वी.चारी (आन्ध्र प्रदेश), डॉ. हरमेन्द्रसिंह बेदी (पंजाब) और दिल्ली से प्रो. गंगाप्रसाद विमल, डॉ. परमानंद पांचाल, डॉ. कृष्णकुमार गोस्वामी, बी.आर. कामराह, हरिबाबू कंसल, डॉ. शहाबुद्दीन शेख आदि नागरी सेवियों ने जुड़कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना अप्रतिम योगदान दिया है।

आचार्य डॉ. रघुवीर का नामोल्लेख किए बिना नागरी

लिपि के व्यापक अनुसंधान का अध्ययन पूरा नहीं हो सकता। आचार्य ने चीन, जापान, कंबोडिया, और सोवियंत संघ, मंगोलिया आदि पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों की शोध यात्रा कर, इन देशों में नागरी लिपि की उपस्थिति को भारत के समक्ष प्रस्तुत किया।

नागरी लिपि के प्रचार-प्रसार के लिए परिषद ने 1977 से 'नागरी संगम' पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इसके संपादन मंडल में सर्वश्री यशपाल जैन, भवानी प्रसाद मिश्र, डॉ. जैनेन्द्र कुमार, प्रो. गोपीचंद नारंग, डॉ. आई. पांडुरंग राव, प्रो. भीमसेन निर्मल, डॉ. डी.पी. पटनायक, निर्मला देशपांडे, बी.एन. फिलिप (केरल), प्रो. गंगा प्रसाद विमल, डॉ. लोकेशचन्द्र, डॉ. एच. बालसुब्रहमण्यम्, डॉ. चन्द्रदत्त पालीवाल, सी.ए. मेनन, डॉ. विश्वनाथ टंडन, रक्माजी राव 'अमर', डॉ. मलिक मौहम्मद, डॉ. परमानंद पांचाल, डॉ. आनन्द स्वरूप पाठक, डॉ. जयन्ती प्रसाद मिश्र जैसे प्रख्यात साहित्यकार और भाषाविद जुड़े रहे।

नागरी लिपि परिषद विश्व की एकमात्र संस्था है जो नागरी लिपि के प्रचार-प्रसार की मशाल थामे हुए है और 'नागरी संगम' एकमात्र पत्रिका है जो नागरी लिपि के संबंध में शोधपरक लेख प्रकाशित करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में नागरी

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अब नागरी-हिंदी कम्प्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से व्हाटसएप, ब्लॉगिंग, एस. एम.एस, ई-मेल, ट्विटर, वेबसाइट, फेसबुक, माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट जैसे सोशल मीडिया पर भी अपना वर्चस्व बना रही है। नागरी-हिंदी को दुनिया भर में तेजी से फैलाने में सूचना प्रौद्योगिकी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंटरनेट पर हिंदी के अखबार, पत्रिकाएँ, वेबसाइट और ब्लॉग्स देखे जा सकते है। ''अब गूगल के अनुसार 20% भारतीय उपभोक्ता हिंदी में नेट सर्फिंग करते हैं, केंद्र और राज्यों की 9 हजार वेबसाइट हिंदी में उपलब्ध हैं, हिन्दी साहित्य से संबंधित 70 ई-पत्रिकाएँ देवनागरी लिपि में इंटरनेट पर उपलब्ध है। अंग्रेजी के 19% के मुकाबले 94% की दर से विकसित हो रही है। एक लाख से ऊपर नेट पर नागरी हिंदी ब्लॉगर संख्या है। महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा की वेवसाइट डब्लू. डब्लू.डब्लू. हिंदी डॉट कॉम पर 1000 हिंदी के रचनाकारों की रचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। नागरी-हिंदी के 15 से अधिक सर्च इंजन हैं, जो किसी भी वेबसाइट का नागरी-हिंदी अनुवाद करके पाठकों को उपलब्ध करा देते हैं। याहू, गूगल और फेसबुक भी हिंदी में उपलब्ध हैं। गूगल पर एक लाख विकीपीडिया के लेख हैं।'' आज पूंजी बाजार नियामक सेबी सहित अनेक बैंकों और इसरों की वेबसाइट नागरी-हिंदी में उपलब्ध है। स्मार्ट फोन पर अब ट्रांसलेशन एप है जो अंग्रेजी को नागरी-हिंदी या किसी भी भारतीय भाषा में या अंग्रेजी में अनुदित कर सकते हैं। कई फोन में अब डिफाल्ट देवनागरी लिपि की बोर्ड उपलब्ध है। गूगल पर मेप और सर्च भी हिंदी में है। अब स्मार्ट फोन में चाहे हाथ से हिंदी नागरी में लिखकर मैसेज कर सकते हैं या फिर हिंदी की-बोर्ड को, डाउनलोड कर मैसेज टाइप कर सकते है। ''ट्विटर को टक्कर देने के लिए हिंदी सोशल नेटवर्किंग साइट 'मूशक' बनाई है जिसमें 500 शब्दों का पोस्ट लिख सकते है, जबकि ट्विटर पर सिर्फ 140 की ही शब्द सीमा है। एक नंबर पर सिर्फ एक ही अकांउट ओपन हो सकता है। इसमें नागरी-हिंदी में अनुवाद की जगह लिप्यंतरण कर सकते है। इस पर फेसबुक से तीन गुना बेहतर फोटो वीडियो और पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। अपनी पोस्ट को बुक मार्क कर सकते हैं, साथ ही उसे ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं।'' अलवर के सरकारी शिक्षक इमरान ने अपने छात्रों के लिए 50 से ज्यादा मुक्त एंड्राएड एप बनाए हैं। ललित कुमार ने 'कविता कोश' और 'गद्यकोश' की वेबसाइटें बनाई हैं। दिल्ली की अपराजिता ने हिंदी के चेट-स्टीकर्स 'हिमोजी' नाम से बनाए है। मुंबई के अमितेश ने 'शब्द नगरी' नाम से सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई है। केंद्र सरकार और कई राज्यों ने ई-गवर्नेंस हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में बनाई है। ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलैक्ट्रॉनिक्स एडं कम्प्यूटर टैक्नोलॉजी ने हिंदी भाषा में कम्प्यूटर की पुस्तकें बनाई है। आज नागरी-हिंदी तकनीक के साथ कदम मिलाकर चल रही है। आज कंप्यूटर व स्मार्ट फोन पर हिंदी में बोले गए शब्दों को लिखने की सुविधा उपलब्ध है और हाथों की लिखावट पहचानने वाला भी एप उपलब्ध है। नेट पर ऐसे कई विकल्प भी उपलब्ध हैं, जहाँ रोमन लिपि की सामग्री को नागरी लिपि या अन्य भारतीय भाषाओं की लिपि में बदल सकते हैं। देवनागरी लिपि निर्दोष, सर्वगुण-सम्पन्न और भारत की राष्ट्रलिपि होने की समस्त योग्यताएँ रखती हैं।

महामंत्री
नागरी लिपि परिषद

ooo

महान हिन्दी प्रचारक: फादर कामिल बुल्के

'मैं जब 1935 में भारत आया तो अंचभित और दुखी हुआ। महसूस किया कि यहाँ पर बहुत से पढ़े-लिखे लोग भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जागरूक नहीं हैं। यह भी देखा कि लोग अंग्रेजी बोलकर गर्व का अनुभव करते है। तब मैंने निश्चय किया कि आम लोगों की इस भाषा में महारत हासिल करूँगा।'

-फादर कामिल बुल्के

फादर कामिल बुल्के का जन्म 1 सितम्बर 1909 को बेल्जियम के पश्चिमी फ्लैडर्स स्टेट के रम्सकपैले नामक गाँव में हुआ था। लोवैन विश्वविद्यालय से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बी.एस.सी. डिग्री प्राप्त की। 1934 में वह भारत आए और दार्जीलिंग में रूके। उन्होंने गुमला में 5 वर्षों तक गणित का अध्यापन किया। यहीं रहते हुए उनके मन में हिन्दी भाषा के प्रति ललक उत्पन्न हुई।

मलिक मुहम्मद जायसी की उक्ति 'फूल मरै पर मरै न बापू' फादर कामिल बुल्के पर बिल्कुल सटीक बैठती है। फादर कामिल बुल्के ने पंडित बदरीदत्त शास्त्री से हिन्दी और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और 1940 में 'विशारद' की परीक्षा 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' प्रयाग से उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होनें मास्टर्स डिग्री प्राप्त की (1942-1944)। इसके पश्चात् उन्होंने 1945-1949 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य में शोध किया। उनके शोध का विषय था 'रामकथा का विकास।' 1949 में वह 'सेंट जेवियर्स कॉलेज', राँची में हिन्दी व संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1951 में उन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण की। सन् 1950 में वह 'बिहार राष्ट्रभाषा परिषद' की कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए। वह सन् 1972 से 1977 तक भारत सरकार की 'केन्द्रीय हिन्दी समिति के सदस्य रहे। कामिल बुल्के का कहना था-

'जब मैं अपने पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि ईसा, हिन्दी और तुलसीदास-ये वास्तव में मेरी साधना के तीन प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन तीन तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है.... जहाँ तक विधा तथा आस्था के पारस्परिक संबंध का प्रश्न है, तो मैं उन तीनों में कोई विरोध नहीं पाता। मैं तो समझता हूँ कि भौतिकतावाद, मानव जीवन की समस्या का हल करने में असमर्थ है। मैं यह भी मानता हूँ कि 'धार्मिक विश्वास' तर्क-वितर्क का विषय नहीं है।'

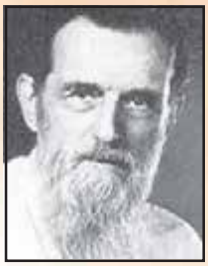
फादर कामिल बुल्के

कामिल बुल्के के पास दर्शन का पर्याप्त ज्ञान था। भारतीय दर्शन और साहित्य में उनकी गहरी रूचि थी। उन्होंने रामचरित मानस का गहन अध्ययन किया। रामचरित मानस से उन्हें नैतिकता और व्यावहारिकता की प्रेरणा मिली जो उनके शोधग्रन्थ का आधार भी बनी। यही कारण था कि उन्होंने अपने शोध का विषय 'रामकथा उत्पत्ति और विकास' चुना। उनके शोध की विशेषता यह थी कि यह मूलत: हिन्दी में प्रस्तुत किया गया पहला शोध प्रबंध है। फादर बुल्के जिस समय इलाहाबाद में शोध कर रहे थे, उस समय सभी विषयों मे शोध प्रबंध केवल अंग्रेजी भाषा में ही प्रस्तुत किये जाते थे। फादर बुल्के ने आग्रह किया कि उन्हें हिन्दी में शोध प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। इसके लिए शोध संबंधी नियमावली में परिवर्तन किया गया। बुल्के बहु-भाषाविद् थे। 1951 में उन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त की। वह हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित करने वाली समिति के सदस्य भी बने।

'पद्मभूषण' सम्मान

कामिल बुल्के की हिन्दी सेवाओं के लिये 1974 में भारत सरकार ने उन्हें 'पद्मभूषण' की उपाधि से सम्मानित किया। फ़ादर बुल्के हिन्दी के इतने सबल पक्षधर थे कि सामान्य बातचीत में भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें इस बात का दु:ख था कि हिन्दी वाले अपनी हिन्दी का सम्मान नहीं करते। उनका विचार था-'दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसा विकसित साहित्य, भाषा हो जो हिन्दी

की सरलता की बराबरी कर सके।' उन्हें इस बात का दर्द था कि हिन्दीभाषी और हिन्दी संस्थाएँ हिन्दी को अवनति की ओर ले गए। जब भी कोई उनसे अंग्रेज़ी में बोलता था, वे पूछ लेते थे-'क्या तुम हिन्दी नहीं जानते?'

रचनाएँ

बुल्के ने बाइबिल का हिन्दी अनुवाद भी किया। मॉरिस मेटरलिंक के प्रसिद्ध नाटक 'द ब्लू बर्ड' का नील पंछी नाम से बुल्के ने अनुवाद किया। उन्होंने क़रीब 29 किताबें लिखीं। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं-

1. रामकथा: उत्पत्ति और विकास
2. अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश
3. मुक्तिदाता
4. नया विधान
5. हिन्दी-अंग्रेज़ी लघुकोश
6. रामकथा
7. नीलपंछी
8. बाइबिल (हिन्दी अनुवाद)
9. द हिन्दी साल्टर
10. संत लुकस के अनुसार येशु खीस्न का पवित्र सुसमाचार

'डॉ. धीरेन्द्र वर्मा को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए कामिल बुल्के अपनी आत्मकथा 'एक इसाई की आस्था, हिन्दी-प्रेम और तुलसी-भक्ति 2' में लिखते हैं- 'सन् 1945 में डॉ. धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से मैंने एम. ए. के बाद इलाहाबाद से डॉ. माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।' इलाहाबाद के प्रवास को बुल्के अपने जीवन का 'द्वितीय बसंत' कहते थे। महादेवी वर्मा को वे 'दीदी' और इलाहाबाद के लोगों को वे 'मायके वाले' कहते थे।'

उनके द्वारा तैयार किया 'अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश' आज भी प्रामाणिकता और उपयोगिता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कामिल बुल्के के शोधग्रंथ के उद्धरणों ने पहली बार साबित किया कि रामकथा केवल भारत की ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय कथा है।

अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश

बुल्के आजीवन हिन्दी की सेवा में लगे रहे। अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश के निर्माण के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। उन्होंने इसमें 40 हज़ार शब्द जोड़े और इसे आजीवन अद्यतन भी करते रहे। कामिल बुल्के द्वारा रचित अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश और बाइबिल का हिन्दी अनुवाद 'नया विधान', हिन्दी के महत्त्व और उसकी सामर्थ्य को सिद्ध करने के ही उपक्रम हैं। उनके 'अंग्रेज़ी-हिन्दी शब्दकोश' ने अग्रेंज़ी के स्थान पर हिन्दी के प्रयोग की राह को सुगम बनाया है।

फादर कामिल बुल्के ने लिखा है कि जब वे भारत पहुँचे तो उन्हें यह देखकर दुख और आश्चर्य हुआ कि पढ़े-लिखे लोग भी अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं से अनजान थे। वे अंग्रेजी बोलना गर्व की बात समझते थे। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे यहाँ की देशज भाषा की महत्ता को सिद्ध करेंगे।

इसे संयोग ही कहा जा सकता है कि मैकाले की शिक्षा और भाषा नीति के लागू होने के ठीक 100 साल बाद कामिल बुल्के पहली बार भारत आए और यहीं के होकर रह गए। हालांकि उन्हें यहाँ ईसाई धर्म-प्रचार के लिए भेजा गया था लेकिन यहाँ आने पर उन्हें भारतीय भाषाओं विशेषकर हिन्दी ने ऐसा मोहित किया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन हिन्दी की सेवा में समर्पित कर दिया।

अकादमिक लिहाज से उनकी सबसे मशहूर कृति अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश कही जाती है। आलोचकों के अनुसार यह अपने प्रकाशन के 49 साल बाद भी अंग्रेज़ी से हिन्दी शब्दों का अर्थ बताने वाला उत्कृष्ट कोश है। इसे उनकी 30 सालों की हिन्दी साधना का जीवंत दस्तावेज भी माना जाता है। यही नहीं, उन्होंने इसके प्रकाशन के 13 साल पहले एक अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश भी तैयार किया था। हिन्दी के प्रति कामिल बुल्के की साधना को देखते हुए उन्हें हिन्दी का महान साधक कहा जा सकता है।

प्रस्तुति: डॉ. स्वीटी यादव

❍❍❍

उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जो देश के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाती हो अर्थात् हिन्दी।

-रविन्द्रनाथ ठाकुर

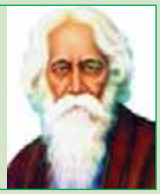

नेमी कार्यालय टिप्पणियाँ
Routine Office Notes

(1) सामान्य

1. Reference notes on prepage. This Section has got no such information to furnish.
पिछले पृष्ठ पर टिप्पणी के सन्दर्भ में। इस अनुभाग के पास इस प्रकार की कोई सूचना देने के लिए नहीं है।

2. Draft as directed by... is submitted for approval.
...के निदेशानुसार मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत हैं।

3. The information we had called on this subject from our attache subordinate offices has so far been furnised by only five of them. The remaining offices may be asked to send the requisite information by the 31st August.
इस विषय में हमने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से जो सूचना माँगी थी, अब तक उनमें से केवल पाँच ने सूचना भेजी है। शेष (बाकी) कार्यालयों से अपेक्षित सूचना 31 अगस्त तक भेज देने को कहा जाए।

4. so far as.....Section is concerned, the information for inclusion in the Monthly Summary for the Cabinet for the period from... to...may be treated as 'nil'.
जहाँ तक...अनुभाग का सम्बन्ध है, मन्त्रिमण्डल (केबिनेट) को जाने वाले मासिक सारांश में शामिल करने के लिए. ..से... तक की सूचना 'कुछ नहीं' (शून्य) समझी जाए।

5. Weekly arrears statement for the week ending.... is submitted for perusal.
... को समाप्त होने वाले सप्ताह को बकाया का साप्ताहिक विवरण अवलोकन के लिए प्रस्तुत है।

6. A resume of the case is given in the ensuing paragraphs.
इस मामले का संक्षेप में सार आगे के पैराग्राफों में दिया जा रहा है।

(2) सम्मति, कागज आदि मंगाना, स्थिति मालूम करना

7. The papers asked for by the Ministry of.....have been added to this file. These may be returned when done with.
.....मंत्रालय ने जो कागज मांगे हैं, वे इस फाइल के साथ दिए गए हैं। काम हो जाने पर इन्हें लौटा दिया जाए।

8. Returned in original with the remarks that the requisite information has already been sent in this office letter no.....dated.....
इसे मूल रूप में ही इस टिप्पणी के साथ लौटाया जाता है कि अपेक्षित सूचना इस कार्यालय के दिनांक.....के पत्र सं0.....द्वारा पहले ही भेजी जा चुकी है।

9. Inspite of a thorough search the relevant file is not traceable.
भली-भांति खोज करने पर भी सम्बन्धित मिसिल मिल नहीं रही है।

10. Extracts from these notes will be kept on our file on return.
वापसी पर टिप्पणियों के उद्धरण अपनी मिसिल में रख दिए जाएगें।

11. The orders on the subject are not quite clear. we may seek clarification from the Ministry of....
इस विषय पर आदेश पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। हम... ..मन्त्रालय से उनको स्पष्ट करा लें।

12. .....Deptt. may kindly see for intrrim information and return the papers urgently so that the case may be pursued further with the Ministry of.....
....विभाग अन्तरिम सूचना के लिए देख ले और कागजों को शीघ्र लौटा दे ताकि मामला आगे....मंत्रालय से चलाया जाए।

(3) सुझाव (Suggestions)

13. To resolve the differences between the Departments concerned, it is suggested that matter may be discussed at a meeting which may be convened at Deputy Secretary's level.
सम्बन्धित विभागों के बीच जो मतभेद हैं उसको दूर करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि मामले पर उपसचिव स्तर पर बैठक बुलाकर विचार-विमर्श कर लिया जाए।

14. The proposal is self-explanatory. It may be accepted.
प्रस्ताव अपने आप में स्पष्ट है। इसे मान लिया जाए।

15. I have discussed the matter with Secretary and H.M. They feel that it may be kept pending until the close of the budget session of the Parliamnet.

मैंने इस मामले पर सचिव तथा मन्त्री महोदय से बात की है। उनका विचार है कि इस मामले को संसद से बजट अधिवेशन की समाप्ति तक रोक रखा जाए।

16. Having regard to the merits of the case the order passed by the Under Secretary is in order. I do not see any reason to intervene
अवर सचिव ने जो आदेश दिया है वह मामले के गुण-दोषों को देखते हुए उचित ही है। मुझे हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता।

17. The proposal contained in the p.u.c. are reasonable. We may have no objection to their acceptance. Ministry of Finance may also kindly see for concurrence.
विचाराधीन कागज में जो प्रस्ताव रखे गए हैं वे उचित हैं। हमें उन्हें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। वित्त मन्त्रालय भी कृपया सहमति के लिए देख ले।

18. The representationist has not raised any fresh points. His request may be rejected again and he may be informed that no further representation on the subject will be entertained in future.
अभिवेदनकर्ता ने कोई नई बात नहीं उठाई है। उसकी प्रार्थना को फिर अस्वीकार कर दिया जाए और उसे सूचित कर दिया जाए कि भविष्य में उसका इस विषय पर कोई अभिवेदन ग्रहण नहीं किया (नहीं लिया) जाएगा।

19. it would be against public interest to give the permission. The request may be rejected.
अनुमति देना लोकहित के प्रतिकूल होगा। प्रार्थना अस्वीकृत कर दी जाए।

20. Shri....has applied for two months earned leave which is at his credit. No substitute has been asked for. The leave may, therefore, be sanctioned. Draft office order is put up for approval.
श्री.....ने दो मास की अर्जित छुट्टी मांगी है, जो उनके हिसाब से जमा है। उनकी जगह किसी एवजी की मांग भी नहीं की गई है। अत: छुट्टी मंजूर कर दी जाए। कार्यालय आदेश का मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।

21. The bill has verified. This is in order. May be passed for payment.
बिल का सत्यापन कर लिया गया है। यह ठीक है। भुगतान के लिए पारित (पास) किया जाए।

22. The expenditure involved is chargeable/debitable to head 059 Public Works'.
इसमें जो खर्च होगा वह '059 पब्लिक वर्क्स' शीर्ष पर प्रभार्य है।

23. Shri … has applied for the withdrawal of a sum of Rs. Two Lack from his General Provident Fund to meet the expenses incurred during his illness. His application is covered by the rules. It may be accepted.
श्री ..... ने अपनी बीमारी के खर्च के लिए सामान्य भविष्य निधि से दो लाख रुपये निकालने की प्रार्थना की है। उनका आवेदन नियमानुकूल है। इसे स्वीकार कर लिया जाए।

24. Shri … in this Ministry has been allotted quarter No. …. By the Directorate of Estates. In this connection he may please see the attached Memo. No. … dated …. From the Direcotrate and state whether the allotment offered to him by the Directorate of Estates is acceptable to him.
इस मन्त्रालय के श्री ..... को सम्पदा निदेशालय द्वारा क्वार्टर संख्या ..... का आवंटन किया गया है। इस सिलसिले में वह कृपया उस निदेशालय के तारीख ..... के संलग्न ज्ञापन संख्या .... को देखे और यह बताएँ कि क्या उन्हें सम्पदा निदेशालय द्वारा किया गया आवंटन स्वीकार है।

25. There is no justification for interfering with the decision of the Director.
निदेशक के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता।

26. We agree as a very special case. This should not, however, be quoted as a precedent.
इसे बहुत विशेष मामला मानकर हम सहमति देते हैं। परन्तु इसका आगे उदाहरण के रूप में उल्लेख न किया जाए।

27. The annual indent for stationery was sent long ago but the stationery has not been received form Calcutta so far. Some of the essential articles may be purchased locally.
लेखन सामग्री का इडेण्ट (मांग-पत्र) काफी देर हुए भेजा गया था परन्तु कलकत्ता से लेखन सामग्री अभी तक नहीं आई है। कुछ आवश्यक वस्तुएँ स्थानीय रूप से खरीद ली जाएँ।

28. Certified that amount of the bill has been disbursed to the proper persons.
यह प्रमाणित किया जाता है कि बिल की रकम सही व्यक्तियों को चुकाई गई है।

ooo

संघ की राजभाषा नीति विषयक महत्त्वपूर्ण जानकारी

भारत के संविधान के भाग 17 में अध्याय 1 से अध्याय 4 के अन्तर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं।

1. अनुच्छेद 351 के अनुसार: संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्मय बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ तक आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।
2. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) केन्द्र सरकार के कार्यालय से निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को हिन्दी और अंग्रेजी के द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है:-

- संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञप्ति।
- संविदा, करार, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र, सूचना एवं निविदा प्रारूप।
- संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज पत्र।

3. राजभाषा नियम 1963 की धारा (4) के अनुसार 26 जनवरी 1965 के दस वर्ष पश्चात् एक संसदीय राजभाषा समिति गठित की जाएगी जो केन्द्रीय कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति का पुनर्विलोकन करेगी और राष्ट्रपति से सिफारिश करते हुए प्रतिवेदन करेगी। इस समिति में 30 सदस्य होंगे। जिनमें 20 लोक सभा के और 10 राज्य सभा से चुने जाएँगे। यह समिति गठित की जा चुकी है और इसने अपने प्रतिवेदन का 10वां खंड अगस्त, 2021 में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।
4. राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित 1987): ये नियम 17 जुलाई, 1976 से लागू किए गए हैं। ये नियम तमिलनाडु को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू हैं। इन नियमों के अनुसार अब सरकार की परिभाषा में आयोग, समिति, अधिकरण, नियम और कम्पनी आदि भी शामिल कर लिए गए हैं। इन नियमों के अनुसार सम्पूर्ण देश को हिन्दी भाषा के ज्ञान के स्तर की दृष्टि से तीन भागों में रखा गया है:-

'क' क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार।

'ख' क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़, दमन-दीव तथा दादरा व नगर हवेली।

'ग' क्षेत्र शेष सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।

'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित हिन्दी पत्राचार का लक्ष्य वर्णित है।

'क' क्षेत्र 'ख' क्षेत्र ' ग' क्षेत्र

'क' से 'क'=100% 'ख' से 'क'=90% 'ग'से 'क'=55%

'क' से 'ख'=100% 'ख' से 'ख'=90% 'ग' से 'ख' =55%

'क' से 'ग'=65% 'ग' से 'ग' =55% 'ग' से 'ग'=55%

5. राजभाषा नियम 6 के अनुसार संकल्प, अधिसूचना, सामान्य आदेश, लाइसेंस, परमिट, टेंडर, नोटिस, रिपोर्ट आदि पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित तथा जारी किए जाते है।
6. राजभाषा नियम 7(1): कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन हिन्दी में या अंग्रेजी में कर सकता है।
7. राजभाषा नियम 7(2): कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन

जब भी हिन्दी में किया जाए या उसमें हिन्दी में हस्ताक्षर किए जाएँ तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

8. राजभाषा नियम 9: यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या उसके समतुल्य या उच्चतर परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की है या स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी को चुना था तो उसे हिन्दी में प्रवीण माना जाएगा।

9. राजभाषा नियम 10 यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या उसके सूमल्य या उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण है अथवा प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा।

10. राजभाषा नियम 11: केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिता और अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में मुद्रित और प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। सभी फार्म और रजिस्टरों के शीर्ष, नामपट्ट तथा लेखन-सामग्री आदि की मदें हिन्दी और अंग्रेजी में होगी।

11. यूनिकोड क्या है:- चूँकि कम्प्यूटर मूलत: संख्याओं से संबंध रखते है अत: प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या प्रदान करना ही यूनिकोड है। अर्थात् यह अंतरराष्ट्रीय बहुभाषीय पाठ के अक्षरों के कोडीकरण की व्यवस्था है। इसका आशय अद्वितीय/एकीकृत/सार्वभौमिक कोडीकरण है। दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार का स्टैन्डर्ड या इनकोडिंग सिस्टम है।

12. राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित जाँच बिन्दु 3 के अनुसार 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र आदि के लिए प्रेषण अनुभाग को जाँच बिन्दु बनाकर उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि वे 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों आदि को जाने वाले पत्र आदि को प्रेषण के लिए तभी स्वीकार करें जब वे हिन्दी में हो या उनका हिन्दी अनुवाद साथ में हो।

13. जाँच बिन्दु 7 के अनुसार रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, सूचना पट्ट आदि द्विभाषी रूप में बनाना: जो अनुभाग इन वस्तुओं को तैयार कराने का काम देखता है उनके प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 में उल्लिखित वस्तुएँ हिन्दी तथा अंग्रेजी के द्विभाषी रूप में (और यथावश्यक क्षेत्रीय भाषा में भी) तैयार करायी जाएँ। तीनों भाषाओं में प्रयुक्त अक्षरों के आकार समान होने चाहिए। भाषाओं के क्रम में सबसे पहले/उपर क्षेत्रीय भाषा, फिर हिन्दी और अंग्रेजी रखी जानी चाहिए।

14. जाँच बिन्दु 8 के अनुसार सेवा पंजी में प्रविष्टियाँ: सर्विस बुकों में प्रविष्टियाँ करने वाली शाखा के प्रभारी अधिकारी की यह जिम्मदारी है कि 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सर्विस बुकों में हिन्दी में प्रविष्टियाँ की जाएँ। इस बात की पड़ताल सर्विस बुक में प्रविष्टि करते समय/उस पर हस्ताक्षर करते समय अवश्य की जाए।

15. संविधान लागू होने के समय संविधान की अष्टम सूची में 14 मान्यता प्राप्त प्रादेशिक भाषाओं को रखा गया था। वर्ष 1967 में संविधान के 21वें संशोधन के अंतर्गत इसमें सिंधी भाषा और वर्ष 1992 के 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली तथा वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली को जोड़ा गया। वर्तमान में भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची के अंतर्गत आने वाली भाषाएँ निम्नलिखित हैं-

1. असमिया 2. उड़िया 3. उर्दू 4. कन्नड़ 5. कश्मीरी 6. गुजराती 7. तमिल 8. तेलुगु 9. पंजाबी 10. बंगला 11. मराठी 12. मलयालम 13. संस्कृत 14. सिंधी 15. हिन्दी 16. मणिपुरी 17. नेपाली 18. कोंकणी 19. मैथिली 20. संथाली 21. बोडो 22. डोगरी।

प्रस्तुति: डॉ. स्वीटी यादव

○○○

देश के विभिन्न भागों के निवासियों के व्यवहार के लिए सर्वसुगम और व्यापक तथा एक स्थापित साधन के रूप में हिन्दी का ज्ञान आवश्यक है।

-सी.पी. रामस्वामी अय्यर

यशोधरा

-मैथिलीशरण गुप्त

निज बन्धन को सम्बन्ध सयत्न बनाऊँ।
कह मुक्ति, भला, किसलिए तुझे मैं पाऊँ?
चाहे यदि जन्म भले ही जावे,
चाहे तो स्वयं मृत्यु भी आवे,
चाहे तो तुझे मुक्ति ही पावे,
तो सब कुछ वही, मुझे जो भावे।
मैं मिलन शून्य में विरह-घटा-सी छाऊँ।
कह मुक्ति, भला, किसलिए तुझे मैं पाऊँ?
ये खिलते फूल सभी झड़ते हैं।
ये दाड़िम, आम सभी सड़ते हैं;
क्या यों ही ये कभी टूट पड़ते हैं?
काँटे ही चिरकाल हमें गड़ते हैं?
मैं विफल तभी, जब बीज रहित हो जाऊँ।
कह मुक्ति, भला, किसलिए तुझे मैं पाऊँ?
हममें अपना नियम और शम-दम हैं,
लाख व्याधियाँ स्वस्थता सम हैं,
जरा एक विश्रान्ति,जहाँ संयम है?
जीवन-दाता मरण कहाँ निर्मम है?
भव भावे मुझको और उसे मैं भाऊँ।
कह मुक्ति, भला, किसलिए तुझे मैं पाऊँ?
आकर पूछेंगे जरा-मरण यदि हमसे,
शैशव यौवन की बात व्यंग-विभ्रम से,
हे नाथ, बात भी मैं न करूँगी यम से।
देखूँगी अपनी परम्परा को क्रम से।
भावी पीढ़ी में आत्मरूप अपनाऊँ।
कह मुक्ति, भला, किसलिए तुझे मैं पाऊँ?
ये चन्द्र-सूर्य निर्वाण नहीं पाते हैं;
ओझल हों होकर हमें दृष्टि आते हैं
झोंके समीर के झूम-झूम के जाते हैं।
जा जाकर नीरद नया रूप लाते हैं।
तो क्यों जा जाकर लौट न मैं भी आऊँ।
कह मुक्ति, भला, किसलिए तुझे मैं पाऊँ?
रस एक मधुर ही नहीं, अनेक विदित हैं,
कुछ स्वाद हेतु, कुछ पथ्य हेतु समुचित हैं।
भोगे इन्द्रिय जो भोग विधान-विहित हैं;
जपने को जीता जहाँ, वहीं सब जित हैं।
निज कर्मों की ही कुशल सदैव मनाऊँ।
कह मुक्ति, भला, किसलिए तुझे मैं पाऊँ?
होता सुख का क्या मूल्य, जो न दु:ख रहता?
प्रिय-हृदय सदय हो तपस्ताप क्यों सहता?
मेरे नयनों से नीर न यदि यह बहता,
तो शुष्क प्रेम की बात कौन फिर कहता।
रह दु:ख! प्रेम परमार्थ दया मैं लाऊँ।
कह मुक्ति, भला, किसलिए तुझे मैं पाऊँ?
आओ, प्रिय! भव में भाव-विभाव भरें हम,
डूबेंगे नही कदापि, तरें न तरें हम।
कैवल्य-काम भी काम, स्वधर्म धरें हम।
संसार-हेतु शत बार सहर्ष मरें हम।
तुम, सुनो क्षेम से, प्रेम-गीत मैं गाऊँ।
कह मुक्ति, भला, किसलिए तुझे मैं पाऊँ?

ooo

अधीक्षण अभियंता राष्ट्रपति सम्पदा कार्यालय द्वारा संग्रहालय सभागार, राष्ट्रपति भवन में आयोजित हिन्दी कार्यशालाओं, हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह एवं अन्य गतिविधियों की झलकियाँ

अधीक्षण अभियंता राष्ट्रपति सम्पदा
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रपति वाहनशाला ,शेडयूल–ए
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
हिन्दी कार्यशाला

हिन्दी कार्यशाला
एवं

एवं

अभीक्षण अभियंता, राष्ट्रपति सम्पदा
हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह

हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह

दिनांक : 07/1
स्थान : संग्रहालय

महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा टाईप-2 क्वार्टर, राष्ट्रपति सम्पदा के उद्घाटन के अवसर पर

कार्यालय
अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रपति सम्पदा
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004